ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942

Impact Factor 7.0 (IIFS)

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©
ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

अंक 41 हिन्दी संस्करण वर्ष - 21 जुलाई-दिसम्बर 2024

2024
www.researchjournal.in

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 7.0 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest
U.S.A. Title Id : 715205

अंक-41 | हिन्दी संस्करण | वर्ष-21 | जुलाई-दिसम्बर 2024

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी , सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com
17. डॉ. नीलिमा सिंह सह प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, व्ही.एस.एस.डी. कॉलेज कानपुर, उत्तरप्रदेश
singhneelima148@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract, Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	**व्यक्तिगत सदस्यता**	**संस्थागत सदस्यता**
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं है, यह एक जीवनशैली है जो व्यक्ति को संपूर्णता की ओर ले जाती है। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है। योग का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि संतुलन और शांति का असली स्रोत हमारे भीतर है। इसलिए, योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। योग का संदेश सर्वत्र फैलाना आज की आवश्यकता है ताकि हर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त कर सके। योग हमें यह सिखाता है कि सही मायनों में स्वास्थ्य और सुख का अर्थ क्या है। इस प्रकार, योग एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो जीवन को सम्पूर्णता और संतुलन के साथ जीने की प्रेरणा देता है।

हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस दिन का उद्देश्य योग के फायदों को जन-जन तक पहुंचाना और स्वास्थ्य, संतुलन तथा शांति की भावना को बढ़ावा देना है। भारत की प्राचीन धरोहर योग ने आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है और लोगों के जीवन को स्वस्थ और सकारात्मक दिशा में मोड़ा है। प्राचीन धरोहर योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोगी होती है। योग की उत्पत्ति हज़ारों साल पहले भारत में हुई थी और यह वेदों, उपनिषदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। योग का विस्तृत वर्णन पतंजलि योगसूत्र, भगवद गीता, हठयोग प्रदीपिका आदि ग्रंथ में किया गया है। योग के प्रमुख अंगों में आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि प्रमुख हैं। प्राचीन योग परंपराएं भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिनमें अष्टांग योग: पतंजलि द्वारा प्रतिपादित आठ अंगों पर आधारित योग। हठयोग: शरीर और प्राण को शुद्ध करने के लिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास। राजयोग: मानसिक और आत्मिक योग की उच्चतम विधि। कर्मयोग, भक्तियोग, और ज्ञानयोग ये तीनों गीता में वर्णित हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के विभिन्न मार्ग प्रदान करते हैं।

आधुनिक युग में, योग ने वैश्विक पहचान बनाई है। विभिन्न योग शिक्षक और गुरुओं ने योग को पूरी दुनिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग की प्राचीन धरोहर आज भी प्रासंगिक है और जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और समृद्धि लाने में सहायक है। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम तकनीकें शरीर को लचीला, मजबूत और स्वस्थ बनाती हैं। नियमित योग अभ्यास से मांसपेशियों का संतुलन बना रहता है, रक्त संचार बेहतर होता है, और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और स्थिरता का भी साधन है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को कम किया जा सकता है। योग के अभ्यास से मन में शांति और संतुलन की भावना उत्पन्न होती है। योग

व्यक्ति को आत्मा से जुड़ने और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है। यह आत्म-साक्षात्कार का मार्ग है, जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। योग आसनों और प्राणायाम से शारीरिक शक्ति, लचीलापन और सहनशीलता बढ़ती है। ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति, तनाव प्रबंधन और एकाग्रता में सुधार होता है। योग साधना से आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।

वैश्विक स्तर पर भारत ने दुनिया के विभिन्न देशों में भी योग के कार्यक्रम आयोजित किए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक वैश्विक उत्सव बना दिया। विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों ने भी बड़े पैमाने पर योगाभ्यास कराए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाई है और लोगों को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए प्रेरित किया है। भारत की इस पहल ने योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई है और इसे एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित किया है।

योग की सामाजिक दृष्टिकोण से व्याख्या करने पर हम यह पाते हैं कि योग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। योग विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से अभ्यास करने से शारीरिक तंदुरुस्ती में सुधार होता है, जैसे कि लचीलापन, शक्ति और सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही, योग मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है, जैसे कि तनाव को कम करना, मानसिक शांति और ध्यान की क्षमता में सुधार होना। इस तरह से, योग उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से वंचित हैं। योग के माध्यम से सामाजिक समृद्धि भी आती है है। समृद्ध समुदायों में योग के केंद्रों का निर्माण सामाजिक समृद्धि में सहायक हो सकता है, जहां लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होते हैं और साथ में योगाभ्यास करते हैं। इससे समुदाय का एकता और सहयोग प्रबल होता है। योग के माध्यम से लोग स्वयंसेवी कार्यों में भी सक्रिय होते हैं। योग शिविरों और कक्षाओं का आयोजन करने के माध्यम से समुदाय को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा सकता है। इसके अलावा, योग आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है और व्यक्ति को अपने समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। योग व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उसके स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, और व्यक्तित्व को सुधारने में सहायक होता है, जिससे वह समाज में अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकता है। इसके अलावा, योग अपने जीवन में सामाजिक न्याय, समानता और सहयोग को बढ़ावा देता है। इन सभी पहलुओं के माध्यम से, योग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और व्यक्ति और समुदाय के विकास में सहायक होता है।

डॉ. अखिलेश शुक्ल
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01.	विकास और परिवर्तन: ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव (रीवा जिले के ग्राम लक्ष्मणपुर के विशेष संदर्भ में) **अखिलेश शुक्ल**	09
02	सामुदायिक नेतृत्व और विकासपर मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के प्रभावों का अध्ययन (रीवा जिलें के विशेष संदर्भ में) **प्रवीण कुमार पाठक** **ब्ही एस सिंह** **अजय आर चौर**	19
03	ग्रामीण भारत के विकास में व्यावसायिक पाठचक्रमों की भूमिका **रुचि सिंह**	30
04	घरेलू हिंसा एवं महिलाएँ : आगरा नगर के विशेष सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **राजकुमारी** **राजेश अग्रवाल**	
05	आगरा शहर की मलित बस्तियों की महिलाओं में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **आकांक्षा** **मधु त्यागी**	39
06	वृद्धजनों की सामाजिक समस्या – एक अनुशीलन (रीवा जिले के संदर्भ में) **विमला यादव** **महानंद द्विवेदी**	43
07	प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर (सीधी जिले के विशेष संदर्भ में) **राखी सिंह बघेल** **आर. बी. एस चौहान**	48
08	गहन पारिस्थितिकी दर्शन: एक अध्ययन **अजीत कुमार** **रामनाथ प्रसाद**	54
09	छत्तीसगढ़ का पर्यटन केंद्र उल्टा पानी मैनपाट: रहस्यमय स्थल, जहां वैज्ञानिक भी हैरान **बिकलेस कुमार गुप्ता**	60
10	धार्मिक पर्यटन की संभावनाएँ : मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में **राशि गौतम**	70
11	सांस्कृतिक पर्यटन– एक भौगोलिक अध्ययन (डिण्डौरी जिले के विशेष संदर्भ में) **प्रतिमा संत**	76

12	वर्तमान शिक्षा में श्री रामचरितमानस की भूमिका एवं उपादेयता **अनामिका अवस्थी**	81
13	आधुनिक सन्दर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा की उपादेयता **अंजली पाण्डेय**	85
14	अच्छा देश बनाने का उपाय **चित्रा रे**	92
15	उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन **विनेता**	97
16	स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासी महापुरूषों की भूमिका **बाल किशोर राम भगत**	103
17	स्वाधीनता संग्राम में विनायक दामोदर सावरकर: एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व का मूल्यांकन **पिंकी प्रजापति**	109
18	विश्व राजनीति में भारत का उभरता नेतृत्व: चुनौतियाँ और संभावनाएँ **मुक्ता दुबे**	113
19	वैश्वीकरण और मानवाधिकार **विनीता कुमारी**	124
20	''संस्कार'' परंपरा का विज्ञान **सुकन्या तिवारी**	133
21	बोधिसत्त्व: स्थितप्रज्ञ एवं पुरुषोत्तम के सन्दर्भ में **कमलेश कुमार सिंह**	138
22	भारतीय भाषाओं का आधार : संस्कृत एक समीक्षात्मक अध्ययन **मधु**	143
23	परम्परागत जल स्रोतों की उपेक्षा से गहराते जल संकट पर विमर्श रचता 'कुइयाँजान' **अनिता प्रजापत**	146
24	महिलाओं के राजनीतिक विकास एवं सशक्तिकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका का अध्ययन **लोकेश कुमार शर्मा** **रश्मि सोमवंशी**	151

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

विकास और परिवर्तन: ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव (रीवा जिले के ग्राम लक्ष्मणपुर के विशेष संदर्भ में)

• अखिलेश शुक्ल

सारांश- ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं और यह बदलाव मुख्यत: समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में देखा गया है। विशेष रूप से मध्यप्रदेश के रीवा जिले के ग्राम लक्ष्मणपुर में विकास और परिवर्तन ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को नया आयाम दिया है। इस शोध पत्र का उद्देश्य ग्राम लक्ष्मणपुर के संदर्भ में यह विश्लेषण करना है कि किस प्रकार से विकास और सामाजिक परिवर्तन ने ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण रीवा जिले के ग्राम लक्ष्मणपुर के संदर्भ में किया गया है। 478 परिवारों में से 150 उत्तरदाताओ का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन प्रणाली के आधार पर किया गया है।

मुख्य शब्द- सामाजिक स्थिति, सामाजिक परिवर्तन, महिला, ग्रामीण समाज, सामाजिक संरचना, प्रस्थिति

अवधारणात्मक विश्लेषण- पहले के समय में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बेहद कमजोर थी। समाज की पारंपरिक सोच ने महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा था, और उन्हें घर के कामकाज और कृषि कार्यों में सीमित कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, सरकारी योजनाओं और सामाजिक आंदोलनों के कारण महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लक्ष्मणपुर में, 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' जैसी योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है। पहले जहां लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा भी मुश्किल से मिलती थी, वहीं अब लड़कियों का स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। स्थानीय विद्यालयों में अब लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं चलायी जा रही हैं, और अधिक से अधिक लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लक्ष्मणपुर की महिलाओं के लिए कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी और महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया नहीं हो पाती थीं। लेकिन अब स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

है। महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य, मातृत्व देखभाल, और टीकाकरण जैसी आवश्यक सेवाएं सुलभ हुई हैं। आंगनवाड़ी योजनाओं और मातृ-शक्ति योजनाओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है, जिससे मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है और महिलाओं का शारीरिक कल्याण बेहतर हुआ है।[1] इसके अलावा, महिलाओं को पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हुआ है। ग्रामीण समाज में महिलाएं पहले केवल घर के कार्यों में ही संलिप्त रहती थीं, और उनका आर्थिक योगदान नगण्य था। लेकिन समय के साथ महिलाओं को कृषि और छोटे-छोटे व्यवसायों में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने का अवसर दिया है। लक्ष्मणपुर में महिलाएं अब छोटे-छोटे उद्योगों, जैसे कृषि उत्पादों की बिक्री, बुनाई, हस्तशिल्प, और मवेशी पालन में जुड़ी हैं। इसके साथ ही, महिलाएं अब संगठित रूप से अपनी आय का स्रोत बनाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं। महिलाएं अब गांव के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और आर्थिक निर्णयों में अपनी भूमिका निभाती हैं। पहले जहां ग्रामीण समाज में महिलाओं के लिए केवल घर के कार्य थे और उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था, वहीं अब यह स्थिति बदलने लगी है। महिलाओं ने पंचायतों, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी आवाज़ उठाई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया है। अब कई महिला सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य समाज के निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, जो पहले मुश्किल था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ सरकार ने कई कानून और योजनाएं लागू की हैं। महिला हेल्पलाइन, महिला आयोग और अन्य योजनाओं ने लक्ष्मणपुर की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है। समाज में महिला विरोधी मानसिकता में बदलाव आया है और महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने में समर्थ हैं। पहले की तुलना में अब महिलाओं को दहेज, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का सामना कम करना पड़ता है।[2] ग्राम लक्ष्मणपुर में महिलाओं की स्थिति में आने वाले बदलाव ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में सुधार किया है, बल्कि पूरे समाज के विकास में योगदान दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सामाजिक जागरूकता में हुए सुधारों के कारण महिलाएं अब अधिक सशक्त हैं और वे समाज के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। यह बदलाव न केवल लक्ष्मणपुर, बल्कि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है, जहां महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं और वे अपने अधिकारों का उपयोग कर रही हैं। इस प्रकार, विकास और सामाजिक परिवर्तन ने ग्राम लक्ष्मणपुर की महिलाओं की स्थिति को समग्र रूप से सशक्त और बदलते समय के अनुरूप बेहतर बनाया है। महिलाएं अब समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं तथा पुरुषवादी सोच में भी परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा-

डॉ. श्रद्धा सुमन ने अपने शोध अनुसूचित जाति की माहिलाओ के उत्पीड़न के सामाजिक प्रभाव में निष्कर्ष रूप में पाया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं का उत्पीड़न होने से सामाजिक आधार पर बुरा प्रभाव पड़ा, अनुसूचित जातियों की महिलाओं का उत्पीड़न होने से उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनायें झेलनी पड़ती है, जैसै- शारीरिक, मानसिक, परिवारिक तथा आर्थिक आदि।2

अमित कुमार वर्मा ने अपने अनुसंधान ग्रामीण समाज में दलितो की स्थिति : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण में पाया कि ग्रामीण सामज मे दलितो की स्थिति अभी भी निम्न ही बनी हुई है। क्योंकि उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर उनके आर्थिक स्त्रोतों के रूप मे कृषि एवं मजदूरी ही अग्रणी है। इन्ही स्त्रोतों से होने वाली आय के आधार पर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटा पाते है। आय की –ष्टि से उनकी आर्थिक स्थिति आज भी दयनीय है, क्योंकि अधिसंख्यक सूचनादाता 3000 रूपये मासिक से कम आय वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है। दलित की शैक्षणिक स्थिति सुदृढ हो रही है और अपने बच्चो की शिक्षा को लेकर उनकी उन्मुख्ता बढ़ी है। उनमें सामाजिक एवं सास्ंकृतिक आयाम जो पहले थे, जैसे रहन-सहन, रीति-रिवाज, सामाजिक मूल्य आदि इन सभी मे परिवर्तन आया है, दलित उ Y ारदाताओ में नये तरीके से जीवन जीने की लालसा स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। वे अब राजनीतिक मुद्दो का भी ज्ञान रखते है जिससे उनकी राजनीति मे प्रवेश को लेकर रूचि बढ़ी है और उनके परिवारों के आकारों में भी परिवर्तन हुआ है जो संयुक्त से एकाकी परिवार को अधिक प्राथमिकता देते है।[3]

डॉ. शकील अहमद ने अपने शोध अन्वेषण अनुसूचित जातीय महिला नेतृत्व की राजनीतिक अभिरूचि एवं सजगता में निष्कर्ष रूप में पाया कि अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व पंचायतो में कम प्रतिस्पर्धा से आया है। उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात उत्साहवर्द्धक मानी जा सकती है। संचार माध्यमों के प्रति उनकी जागरूकता का स्तर निम्न होना अशिक्षा एवं कमजोर सामाजिक, आर्थिक स्थिति से जुड़ा विषय है। महत्वाकांक्षा का अभाव ही इस संदर्भ में अंतर सम्बंधी प्रतीत होता है। यदि अनुसूचित जाति के इन नेताओं, प्रधानों के उत्तरों को समग्र रूप से देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है, जिससे इस आशा का संचार होता है कि अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की पंचायतों में प्रथम औपचारिक भागीदारी आगे आने वाले समय मे ज्यादा सजग और जागरूक नेतृत्व देने मे सक्षम होगी। उत्तर प्रदेश की पंचायतो के लिए यह एक आशापूर्ण संकेत है।[4]

डॉ. अखिलेश शुक्ल ने अपने शोध अध्ययन महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा में यह पाया है कि अब निरंतर महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और समाज के विकास के हिस्सेदारी में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।[5]

अध्ययन क्षेत्र - ग्राम लक्ष्मणपुर रीवा जिले के हुजूर तहसील में स्थित एक बड़ा गाँव है, जिसमें कुल 1013 परिवार रहते हैं। लक्ष्मणपुर गाँव की जनसंख्या जनगणना 2011 के

अनुसार 4261 है, जिसमें 2264 पुरुष हैं और 1997 महिलाएँ हैं। लक्ष्मणपुर गाँव में 0–6 आयु वर्ग के बच्चों की आबादी 598 है, जो गाँव की कुल आबादी का 14.03 प्रतिशत है। लक्ष्मणपुर गाँव का औसत लिंग अनुपात 882 है जो मध्य प्रदेश राज्य के औसत 931 से कम है। लक्ष्मणपुर में जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात 829 है, जो मध्य प्रदेश के औसत 918 से कम है। मध्यप्रदेश की तुलना में लक्ष्मणपुर गाँव में साक्षरता दर अधिक है। 2011 में मध्य प्रदेश के 69.32 प्रतिशत की तुलना में लक्ष्मणपुर गाँव की साक्षरता दर 74. 26 प्रतिशत थी। लक्ष्मणपुर में पुरुष साक्षरता 84.05 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 63.27 प्रतिशत है।6 अध्ययन क्षेत्र ग्राम लक्ष्मणपुर का सांख्यिकीय विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारणी क्र.01

अध्ययन क्षेत्र ग्राम लक्ष्मणपुर का सांख्यिकी विवरण जनगणना 2011

विवरण	कुल	पुरुष	महिला
मकान की कुल संख्या	1013		
जनसंख्या	4261	2264	1997
बालक (0–6)	598	327	271
अनुसूचित जाति	457	247	210
अनुसूचित जनजाति	544	281	263
साक्षरता	74ण्26	84ण्05	63ण्27
कुल कामगार	1531	1177	354
मुख्यकामगार	1089		
सीमांत कामगार	442	282	160

उद्देश्य -

1. ग्रामीण महिलाओ की सामाजिक स्थिति का आंकलन करना।
2. ग्रामीण महिलाओ की गतिशीलता का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि व क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र ग्रामीण समाज में महिलाओ की स्थिति में उत्तरदाता हेतु रीवा जिले के गाँव लक्ष्मणपुर का चयन किया गया है, जिसमे 478 परिवारों में से 150 उत्तरदाताओ का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन प्रणाली के आधार पर किया गया है। प्राथमिक तथ्यो को उद्देश्यो के अनुरुप सारणी के द्वारा प्रतिशत में प्रस्तुत किया गया है एवं तदानुकूल विश्लेषण किया गया है।

उपकल्पना- अनुसन्धान या अध्ययन के क्षेत्र में पूर्व कल्पना या उपकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका निर्माण और प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। सरल शब्दों में उपकल्पना का अर्थ होता है, एक ऐसा विचार या सिद्धांत जिसे शोधकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है, उसकी जांच करता है और प्रमाणित करता है। इस शोध पत्र की कुछ उपकल्पना इस प्रकार है–

1 अध्ययन क्षेत्र में संयुक्त परिवार की प्रथा को महत्व प्रदान किया जाता है।

2 महिलाएं स्वयं और परिवार के भविष्य के प्रति सजग हैं।

3 सामाजिक साहचर्य के नियमों में परिवर्तन आ रहा है।

4 वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप को महिलाओं द्वारा मान्यता प्रदान की जा रही है।

अध्ययन का महत्व - प्रस्तुत शोध के आधार पर ग्रामीण महिलाओ की वास्तविक स्थित को ज्ञात किया जा सकता है।

अध्ययन की कठिनाई - साक्षात्कार हेतु महिलाओ की समय पर उपलब्धता व उनसे समय प्राप्त करने मे कठिनाई आयी।

तथ्यों का सारणीयन एवं विश्लेषण- साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों को सारणी में प्रस्तुत करते हुए उनका विश्लेषण किया गया है और तथ्यों को डायग्राम में भी प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण महिलाओ की शैक्षणिक स्थिति- देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण साक्षरता दर 68.9 प्रतिशत तथा शहरी साक्षरता दर 84.9 प्रतिशत है, जिसमें ग्रामीण महिला साक्षरता केवल 58. 75 प्रतिशत जबकि शहरी महिला साक्षरता 79.92 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र ग्राम लक्ष्मणपुर में ग्रामीण महिलाओ की शैक्षणिक स्थिति को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

सारणी क्र.02
महिला उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति

क्र.	शैक्षणिक स्तर	आवृति	प्रतिशत
01	निरक्षर	50	33
02	प्राथमिक	50	33
03	माध्यमिक	25	17
04	हाईस्कूल	15	10
05	उच्च शिक्षा	10	07
	योग	150	100

उक्त स्थिति को हम नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत कर रहे हैं-

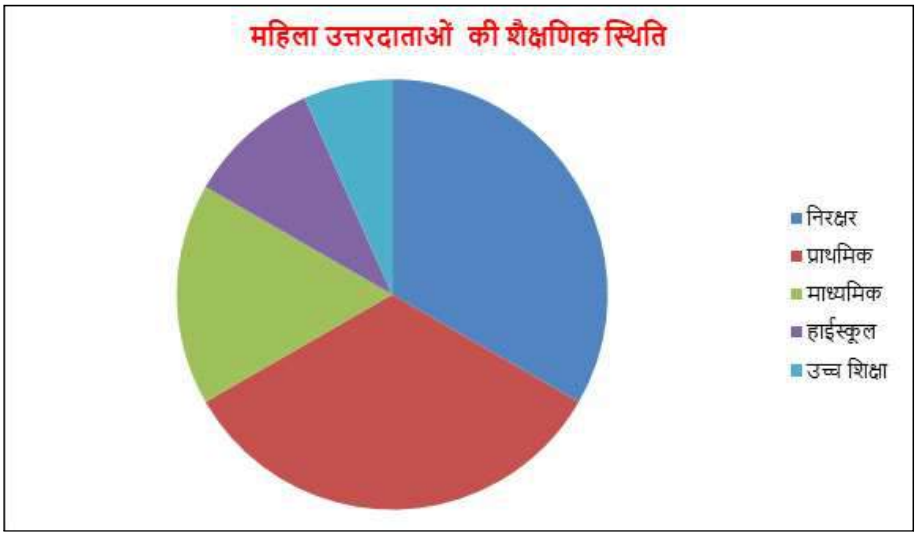

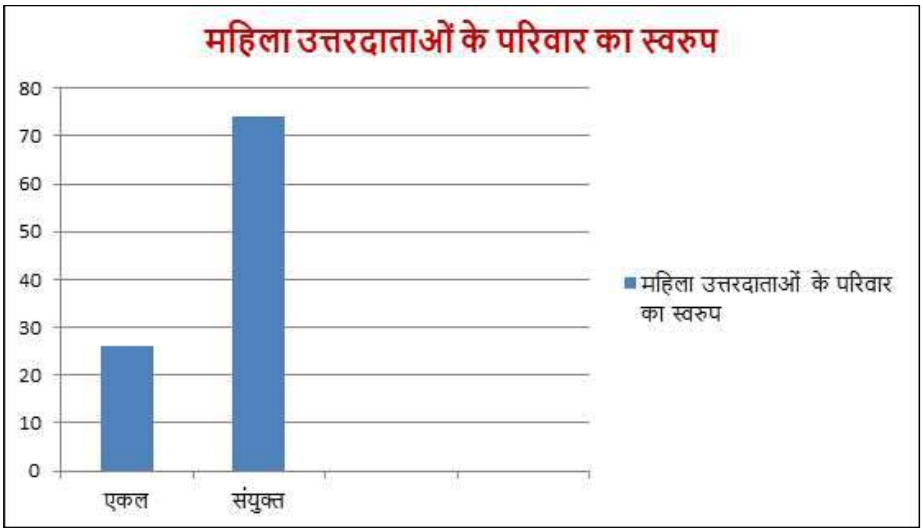

अध्ययन क्षेत्र ग्राम लक्ष्मणपुर में महिला साक्षरता की दर 63.27 प्रतिशत है। उत्तर दाताओं की शैक्षणिक स्थिति से प्राप्त तथ्य यह बताते हैं कि 33 प्रतिशत निरक्षर, 33 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त, 17 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त, 10 प्रतिशत हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त और 07 प्रतिशत महिला उत्तरदाता उच्च शिक्षा प्राप्त करती हुई पाई गई है।

परिवार का स्वरूप- परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है, जो आपसी सहयोग व समन्वय से क्रियान्वित होती है और जिसके समस्त सदस्य आपस में मिलकर अपना जीवन प्रेम, स्नेह एवं भाईचारा पूर्वक निर्वाह करते हैं। संस्कार, मर्यादा, सम्मान, समर्पण, आदर, अनुशासन आदि किसी भी सुखी-संपन्न एवं खुशहाल परिवार के गुण होते हैं। कोई भी व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, उसी से उसकी पहचान होती है और परिवार से ही अच्छे-बुरे कार्यों का ज्ञान उसे होता है। परिवार सभी लोगों को जोड़े रखता है और दु:ख-सुख में सभी एक-दूसरे का साथ देते हैं। कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता हैं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता हैं, मां के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, इसलिए परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। एक अच्छा परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक एकाकी परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। भारत में प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार की धारणा रही है। संयुक्त परिवार में वृद्धों को संबल प्रदान होता रहा है और उनके अनुभव व ज्ञान से युवा व बाल पीढ़ी लाभान्वित होती रही है।[7] अध्ययन क्षेत्र में महिला उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरूप के संबंध में तथ्य एकत्रित किए गए जिन्हें सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है-

सारणी क्र.03
महिला उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरुप

क्र.	परिवार का स्वरुप	आवृति	प्रतिशत
01	एकल	40	26
02	संयुक्त	110	74
	योग	150	100

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण करने से यह तथ्य सामने आता है की अध्ययन क्षेत्र ग्राम लक्ष्मणपुर में आज भी जहां वर्तमान भौतिकवादी संस्कृति तेजी से अपने पैर फैला रही है, इस स्थिति में वहां 74 प्रतिशत परिवार संयुक्त पाए गए हैं और जबकि 26 प्रतिशत परिवारों की स्थिति एकल रही है, जो यह दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति की मूल धारणा जो परिवार के संबंध में रही है वह ग्राम लक्ष्मणपुर में दिखाई देती है। उपरोक्त विश्लेषण से उपकल्पना क्रमांक 01 पूर्णतया सिद्ध होती है।

सारणी क्र.04
महिला उत्तर दाताओं की व्यावसायिक स्थिति

क्र.	व्यवसाय	आवृति	प्रतिशत
01	परम्परागत	20	13
	स्वतन्त्र व्यवसाय	20	13
02	मजदूरी	40	27
03	सरकारी सेवा	20	13
04	कृषि	50	34
	योग	150	100

उक्त स्थिति को हम नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत कर रहे हैं–

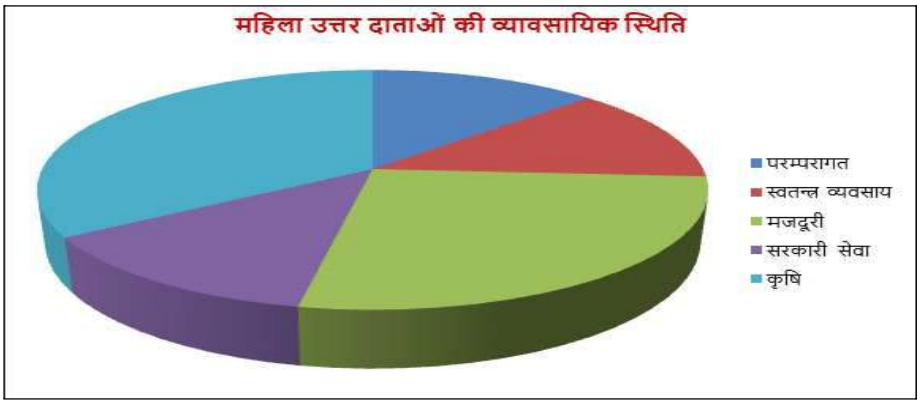

अध्ययन क्षेत्र में महिला उत्तरदाताओं की व्यावसायिक स्थिति के संबंध में साक्षात्कार के दौरान तथ्य एकत्रित किए गए और उसमें यह पाया गया कि 13 प्रतिशत महिलाएं परंपरागत व्यवसाय में, 13 प्रतिशत स्वतंत्र व्यवसाय में, 27 प्रतिशत मजदूरी के कार्य में, 13 प्रतिशत सरकारी सेवा में जो उच्च शिक्षा प्राप्त थी और 34 प्रतिशत महिलाएं कृषि के कार्यों में संलग्न है। अध्ययन क्षेत्र में महिला उत्तरदाताओं की व्यवसाय की स्थिति अच्छी पाए जाने का मूल कारण यह रहा है कि यहां महिलाओं में साक्षरता दर अच्छी है। महिलाएं सोचने और समझने में तत्पर है। अपने परिवार के भविष्य के प्रति सजग हैं। उक्त

विश्लेषण से उपकल्पना क्रमांक 02 भी शत-प्रतिशत सिद्ध होती है।

परंपरागत सामाजिक स्थिति में बदलाव- अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या उत्तरदाता महिलाओं की परंपरागत सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारणी क्र.05
परंपरागत सामाजिक स्थिति में बदलाव

क्र.	सामाजिक स्थिति	क्या सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है			
		हां	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
01	जातीय स्थिति में परिवर्तन	110	73	40	27
02	खान पान के नियमों में परिवर्तन	120	80	30	20
03	सामाजिक साहचर्य में परिवर्तन	90	60	60	40
04	स्वतंत्रता के संबंध में परिवर्तन	100	67	50	33

उपरोक्त सारणी में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं-

- जातीय स्थिति के परिवर्तन के संबंध में 73 प्रतिशत महिला उत्तरदाता यह मानती हैं की परिवर्तन आया है तथा 27 प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं कि अभी भी जातीय स्थिति के संबंध में परंपरागत नियमों का पालन समाज में हो रहा है।
- खानपान के नियमों के संबंध में 80 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि अब पुराने परंपरागत नियम खानपान के संबंध में प्रचलित नहीं है, जबकि 20 प्रतिशत उत्तर दाताओं ने यह स्वीकार किया है कि अभी भी अध्ययन क्षेत्र में खानपान के परंपरागत नियमों का पालन किया जाता है।
- सामाजिक साहचर्य में परिवर्तन के संबंध में 60 प्रतिशत महिलाएं यह स्वीकार करती हैं कि सामाजिक साहचर्य के संबंध में परंपरागत स्थिति में परिवर्तन आया है, जबकि 40 प्रतिशत महिलाएं यह कहती हैं कि स्थिति अब भी वैसी ही है जैसी पहले थी। उक्त विश्लेषण से उपकल्पना क्रमांक 03 आंशिक रूप से सिद्ध होती है।
- महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जब उत्तरदाताओं से बात की गई तो 67 प्रतिशत महिला उत्तरदाता यह स्वीकार करती हैं कि उन्हें अधिकांश अधिकार प्राप्त हैं और वह निर्णय लेने में सक्षम हैं। कभी-कभी निर्णय लेने के संबंध में अपने परिवारजनों से सलाह- मशविरा जरूर करती हैं लेकिन 33 प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं कि अब भी उनके अधिकार सीमित हैं।

परिवार में विवाह का स्वरूप- विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है जो उन लोगों के बीच, साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा समधियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। विवाह की परिभाषा न केवल संस्कृतियों और धर्मों के बीच, बल्कि किसी भी संस्कृति और धर्म के इतिहास में भी दुनिया भर में बदलती है। आमतौर पर यह मुख्य रूप से एक संस्थान है, जिसमें पारस्परिक संबंध, आमतौर पर यौन

संबंध स्वीकार किए जाते हैं या संस्वीकृत होते हैं।[7] वर्तमान में विवाह के स्वरूप पर बात करें तो अपनी सहमति से, विवाह के बिना लिव–इन–रिलेशनशीप में रहना हो, बिना गर्भ धारण किये सरोगेट माँ बनना हो या बिना ब्याह किये सिंगल पेरेंट बनना हो, यह कुछ ऐसी घटनायें हैं, जो हमें विवाह के बदलते स्वरूप की और इशारा करती है कि पिता बनने के लिए जरूरी नहीं है कि शादी ही की जाये। हालाँकि पश्चिम ने तो इस अवधारणा को पहले ही स्वीकार कर लिया था। इससे तो विवाह नामक संस्था ही बिखर जायेगी, समाज में अनाचार फैलेगा, अवैध बच्चे पैदा होंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे जिनकी बुद्धि सीमित होगी। इस तरह के कई सवाल भी खड़े हुए है।[8] अध्ययन क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया गया और जो तथ्य सामने आए उन्हें तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारणी क्र.06
परिवार में विवाह का स्वरूप

क्र.	विवाह का स्वरूप	क्या विवाह के स्वरूप में बदलाव आया है			
		हां	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
01	जातीय विवाह	110	73	40	27
02	अंतरजातीय विवाह	38	25	112	75
03	लिव इन रिलेशनशिप	08	05	142	95

अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाता महिलाओं का विवाह के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस संबंध में तथ्यों का एकत्रीकरण किया गया जो तथ्य प्राप्त हुए उनसे यह स्पष्ट होता है कि 73 प्रतिशत महिला उत्तरदाता अभी भी अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करती हैं, जबकि 27 प्रतिशत उत्तरदाता महिला जातीय विवाह के विरुद्ध विचार रखती हैं। 38 प्रतिशत महिलाओं ने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया है, जबकि 75 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं ने अंतरजातीय विवाह के विरुद्ध बात कही है। लिव इन रिलेशनशिप के प्रश्न पर 05 प्रतिशत महिलाएं सहमति दर्ज कराती हैं, जबकि 95 प्रतिशत महिलाएं इस संबंध में अपनी असहमति दर्ज कराती है। उपरोक्त विश्लेषण से उपकल्पना क्रमांक 04 असत्य साबित होती है।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन के दौरान ग्रामीण समाज में महिलाओं की शैक्षणिक स्थित अच्छी है। अधिकांश ग्रामीण महिलाए साक्षर है। शोध के निष्कर्ष इस प्रकार रहे हैं–

- लक्ष्मणपुर में पुरुष साक्षरता 84.05 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 63.27 प्रतिशत है।
- अध्ययन क्षेत्र ग्राम लक्ष्मणपुर में महिला साक्षरता की दर 63.27 प्रतिशत है। उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति से प्राप्त तथ्य यह बताते हैं कि 33 प्रतिशत निरक्षर, 33 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त, 17 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त, 10 प्रतिशत हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त और 07 प्रतिशत महिला उत्तरदाता उच्च शिक्षा प्राप्त करती हुई पाई गई है।
- अध्ययन क्षेत्र ग्राम लक्ष्मणपुर में आज भी जहां वर्तमान भौतिकवादी संस्कृति तेजी से अपने पैर फैला रही है, इस स्थिति में वहां 74 प्रतिशत परिवार संयुक्त पाए गए हैं और जबकि 26 प्रतिशत परिवारों की स्थिति एकल रही है, जो यह दर्शाती है

कि भारतीय संस्कृति की मूल धारणा जो परिवार के संबंध में रही है वह ग्राम लक्ष्मणपुर में दिखाई देती है।

- महिला उत्तरदाताओं की व्यावसायिक स्थिति के संबंध में साक्षात्कार के दौरान तथ्य एकत्रित किए गए और उसमें यह पाया गया कि 13 प्रतिशत महिलाएं परंपरागत व्यवसाय में, 13 प्रतिशत स्वतंत्र व्यवसाय में, 27 प्रतिशत मजदूरी के कार्य में, 13 प्रतिशत सरकारी सेवा में जो उच्च शिक्षा प्राप्त थी और 34 प्रतिशत महिलाएं कृषि के कार्यों में संलग्न है।
- 73 प्रतिशत महिला उत्तरदाता अभी भी अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करती हैं, जबकि 27 प्रतिशत उत्तरदाता महिला जातीय विवाह के विरुद्ध विचार रखती हैं। 38 प्रतिशत महिलाओं ने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया है, जबकि 75 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं ने अंतरजातीय विवाह के विरुद्ध बात कही है। लिव इन रिलेशनशिप के प्रश्न पर 05 प्रतिशत महिलाएं सहमति दर्ज कराती हैं, जबकि 95 प्रतिशत महिलाएं इस संबंध में अपनी असहमति दर्ज कराती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. https://hi.wikipedia.org/wiki
2. सुमन,श्रद्धा – अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्पीड़न के सामाजिक प्रभाव, राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा वर्ष 16 अकं 01 जनवरी–जून–2014 पृ.स. 153
3. वर्मा, अमित कुमार – ग्रामीण समाज मे दलितो की स्थिति: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, राधाकमल मुकर्जी, चिन्तन परम्परा ,वर्ष 14 अक 2 जुलाई– दिसम्बर 2012 पृ.स.–120
4. अहमद शकील – अनूसूचित जातीय महिला नेतृत्व की राजनीतिक अभिरूचि एवं सजगता, राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा वर्ष 16 अकं 2 जुलाई–दिसम्बर 2014 पृ.स. 62
5. शुक्ल अखिलेश, महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा, सेंटर फॉर रिसर्च स्टडी, रीवा 2016, पृ.स. 108
6. https://wwwprabhasakshi.com/currentaffairs/importance &of&family &and&its&changing&nature
7. https://hi-wikipedia-org
8. https://www-jankipul-com

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

सामुदायिक नेतृत्व और विकासपर मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के प्रभावों का अध्ययन (रीवा जिलें के विशेष संदर्भ में)

• प्रवीण कुमार पाठक
•• ब्ही एस सिंह
••• अजय आर चौरे

सारांश- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी. एल.डी.पी.) मध्यप्रदेश शासन की एक महंत्वाकाक्षी और अभिनव पहल है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट व मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से प्रदेश के समस्त 313 विकासखंडों में विकास की आवश्यकताओं हेतु वांछित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से समाज कार्य के स्नातक और परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। म.प्र.शासन द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ शैक्षणिक सत्र 2015-16 से किया गया था। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में अब तक एक लाख से अधिक छात्र पंजीकृत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके है।

मुख्य शब्द- सामुदायिक, नेतृत्व, क्षमता, विकास

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम दूरवर्ती शिक्षा पद्धति से संचालित है जिसके तहत् बीएसडब्लू एवं एमएसडब्लू पाठयक्रम की नियमित संपर्क कक्षाओं का आयोजन उच्च गुणवत्ता की स्व-अध्ययन सामग्री एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विद्यार्थो को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टेम (एल.एम.एस.) और स्मार्टफोन पर एक्सेस करने वाले एप के माध्यम से बेहतरीन शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम का लक्ष्य गॉव-गॉव में विकास की क्षमता एवं समझ रखने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करना है साथ ही वंचित व उपेक्षित समुदाय की शासकीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर मे सुधार लाकर समाज को सक्षम नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित समूह तैयार करना है। कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता सरकार और वंचित लोगो के बीच सेतु का काम करते है। यह कार्यक्रम उन लोगो के लिए अनुकूल है जो समाज के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनो मे रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें।

प्रस्तावना- मध्यप्रदेश एक बड़ा राज्य है जहॉ पर बड़ी संख्या मे अनुसूचित जाति जनजाति एंव वंचित समुदाय के लोग निवास करते है। जो कि विविध कारणों से उच्च

• शोधार्थी, महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
•• एसोसिएट प्रोफेसर-समाज कार्य, महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट

शिक्षा से वंचित रह जाते है जिससे प्रदेश में ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर में कमी देखी जाती है। इसी तरह प्रदेश में एक ऐसा कार्यकारी वर्ग भी है जिसमें महिलाए समाज कल्याण महिला व बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों यथा आंगनबाडी कार्यकर्ता आशा आजीविका मिशन स्वास्थ्य मिशन जन अभियान परिषद व विविध विकास व ग्रामीण विकास परियोजनाओं में कार्यरत ग्राम स्तरीय समितियों के कार्यकर्ता शामिल है जिन्हे उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा उन्हे विकास की मुख्य धारा में लाया जाना समीचीन होगा।

सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का संकल्प सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशो द्वारा अपनाया गया। जिसमें 17 एसडीजी लक्ष्य और 169 टार्गेट निर्धारित किये गये। दुनिया को बदलने के लिए इस संकल्प को 01 जनवरी 2016 से प्रभाव में लाया गया। वर्ष 2030 तक प्रत्येक देश एवं प्रदेश को भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है।

प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में 200 से अधिक योजनाए तथा केन्द्र सरकार एवं अन्य अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी 100 से अधिक योजनायें चलायी जा रही है। इनमें से अधिकॉश योजनाए समाज के कमजोर वर्गो विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान वंचित वर्गो में के सशक्तिकरण एंव उनके प्रति समाज में सकारात्मक भावना विकसित करने हेतु संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक तभी पहुचाया जा सकता है जब इनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो।

प्रत्येक समाज मे कुछ ऐसे लोग होते है जो स्वेच्छा से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये कार्यरत होते है। यदि ऐसे लोगो को चिन्हित कर जागरूक क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाये तो वे अधिक प्रभावी एव व्यवस्थित तरीके से समाज के विकास के लिए कार्य कर सकेगें। ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगो को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य स्वप्रेरणा से ग्राम विकास में योगदान के अभिलाषी नवयुवको के व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास और सामाजिक हितों में उनका अधिकतम उपयोग है। जिससे वे सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सके।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट द्वारा स्थानीय स्तर पर युवको विशेषकर महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालीन सघन अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समाजकार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास मे विशेषज्ञता सहित) का संचालन किया जा रहा है। जिससे गॉव के क्षमतावान नवयुवक एवं नवयुवती समुदाय की भागीदारी प्राप्त कर विकासात्मक गतिविधियों हेतु नेतृत्व प्रदान करेगें। वे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुचानें में सक्रिय प्रेरक की भूमिका निभायेगें। विकास अभिकर्ता का कार्य करेगें साथ ही समाज कार्य के क्षेत्र में अपने ज्ञान अनुभव

और कौशल का उपयोग कर अच्छे भावी जीवन का निर्माण भी कर सकेगें।

इसी कड़ी मे महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा जनभागीदारी आधारित विकास के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास के संदेशों के साथ विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रदान करने हेतु भारत सरकार की राष्टीय शिक्षा नीति 2020 एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित एवं अगीकृत प्रावधानों के आलोक में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत् समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास में विशेषज्ञता सहित) का निर्माण और संचालन कर रही है।

समाज कार्य स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र.जन अभियान परिषद के माध्यम से प्रदेश के समस्त 313 विकासखंडो मे अध्ययन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों में शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्र स्थापित कर प्रत्येक रविवार को संपर्क कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। अपने ग्राम को ही समाज कार्य की व्यवहारिक प्रयोगशाला मानकर शिक्षार्थी उसमें विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय की भागीदारी से प्रयास कर रहे है और इस कार्य में शासकीय योजनाओं का लाभ लोगो तक पहुचाकर शासकीय विभागों के साथ व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त कर स्वयं को दक्ष और निपुण बना रहे है। विद्यार्थियों के लिए गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ताओं को चयनित कर ग्राम मे प्रायोगिक कार्य हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध किया जाता है। 2015 से अब तक इस पाठ्यक्रम में एक लाख से अधिक छात्रों ने प्रवेश लेकर सफलता प्राप्त कर ली है एवं उनमें से 66 प्रतिशत छात्रों ने स्नातक की उपाधि अर्जित की है। यदि इस बड़े प्रशिक्षित विषेषज्ञ समूह के माध्यम से शासकीय एवं गैर सरकारी संगठनों के लिए सामाजिक क्षेत्रों मे कार्य करने हेतु सक्षम एंव प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है तो यह सामाजिक परिवर्तन व नेतृत्व विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व एवं क्षमता विकास कार्यक्रम बहुत ही महत्वाक□क्षी व जनोपयोगी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जानकारी व निहित लाभ समाज के सभी वर्गो तक पहुचाने की आवश्यकता है साथ ही अध्ययन के माध्यम से इस कार्यक्रम की उदेश्यपरक व्याख्या भी की जानी आवश्यक है। यह सम्पूर्ण उद्देश्यपरक अध्ययन इस दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम है।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य- अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नॉकित है-

1. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से शासकीय एवं गैर सरकारी संगठनों के लिए सामाजिक क्षेत्रों मे कार्य करने हेतु सक्षम एंव प्रशिक्षित मानव संसाधनों की संभावनाओं का पता लगाना।
2. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से सकल नामांकन दर की बृद्वि एवं उच्च शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों हेतु अवसरों की उपलब्धता का आंकलन करना।
3. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से वंचित

समूहो यथा– अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा ड्राप–आउट विद्यार्थियो की समाज मनोवैज्ञानिक स्थितियों में परिवर्तन एवं प्रभाव का अध्ययन करना।

4. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात रोजगार सृजन की संभावनाओं का पता लगाना।
5. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के द्वारा नेतृत्व क्षमता विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना।

शोध क्षेत्र का चयन- रीवा संभाग में आदिवासी व अनुसूचित जाति वर्ग की बड़ी आबादी निवास करती है। यह क्षेत्र अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्ययन के लिए इस संभाग का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। जिसमें रीवा सतना सीधी एवं सिंगरौली जिलें आते है। जिनका फैलाव काफी विस्तृत क्षेत्र में है। अत: समय व संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शोध समस्या का परिसीमन किया गया है। इन चार जिलों में से शोध के अध्ययन हेतु क्षेत्र के चयन के लिए देवनिदर्शन विधि का उपयोग किया गया है। जिसमें पूर्व अविभाजित रीवा जिलें का चयन हुआ है। रीवा जिलें में 9 विकासखंड यथा – रीवा सिरमौर रायपुर कर्चुलियान जवा त्यौथर गंगेव नईगढ़ी मउगंज एवं हनुमना है।

निदर्शन का चयन- रीवा जिलें मे 9 विकासखंड है जिनमें महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा जन अभियान परिषद के सहयोग से अध्ययन केन्द्रों का संचालन किया जाता है । इन केन्द्रो के माध्यम से विगत वर्षो में लगभग 158 विद्यार्थी प्रत्येक विकासखंड में प्रशिक्षित हुए है। इस प्रकार कुल 9 विकासखंडो से 1423 विद्यार्थो प्रशिक्षित हुए है। शोध विषय की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता की दृष्टि से कुल 15 प्रतिशत से अधिक अर्थात् लगभग 225 उत्तरदाताओं का चयन दैवनिदर्शन विधि से किया गया।

क्र.	विकासखंड का नाम	अध्ययन केन्द्र से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या	कुल उत्तर दाताओं का चयन
01	रीवा	159	25
02	सिरमौर	160	25
03	रायपुर कर्चुलियान	163	25
04	गंगेव	162	25
05	जवा	150	25
06	त्यौथर	151	25
07	नईगढ़ी	149	25
08	मउगंज	162	25
09	हनुमना	167	25
	योग	1423	225

तथ्यों का संकलन- वर्तमान अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया गया। प्राथमिक स्त्रोंतो के अर्न्तगत उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के लिए अनुसूची का निर्माण किया गया एवं तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार एवं अवलोकन विधि का उपयोग किया गया। द्वितीय स्त्रोतों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति जनजाति व कार्यशील

जनसंख्या की समस्याओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के ऑकड़े पुस्तकालय पत्र पत्रिकाओं इंटरनेट इत्यादि से संकलित किये गये।

वर्गीकरण- सारणीयन एवं विश्लेषण- तथ्यों के संकलन के पश्चात् सभी आकड़े कम्प्यूटर पर स्थानान्तरित किये गये। उन प्राप्त आकड़ो को वर्गीकृत व सारणीकृत किया गया एवं उनका विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के अन्तर्गत प्रतिशत निकालकर प्राप्त परिणामों का प्रतिवेदन तैयार किया गया।

निष्कर्ष -

शिक्षित मानव संसाधन के निर्माण में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम की भूमिका – प्रस्तुत शोध कार्य के माध्यम से म.प्र. मे सीएमसीएलडीपी अर्न्तगत जिले के समस्त विकासखंडों में संचालित बीएसडब्लू और एमएसडब्लू अध्ययनरत व उपाधि धारित (उत्तीर्ण) छात्रों का अध्ययन किया गया। यह अध्ययन विकासखंड स्तर पर अध्ययनरत तथा उत्तीर्ण छात्रों का एक प्रशिक्षित मानव संसाधन के रूप में अध्ययन करता है। अध्ययन हेतु कुल अध्ययनरत व उत्तीर्ण छात्रों मे से निदर्शन पद्ित के आधार पर 225 उत्तरदाता चयनित कर अध्ययन किया गया। जैसा कि हम जानते है कि महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट व जन अभियान परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का मूल उदेश्य अध्ययनरत और उत्तीर्ण छात्रों को एक प्रशिक्षित मानव संसाधन के रूप में विकसित करना है। वे एक सफल सामुदायिक व्यक्ति की भॉति अपना जीवन निर्वाह कर सकें तथा साथ ही साथ समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें।

इसे निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है –

1.1– मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम से जुडने के बाद 89 प्रतिशत छात्र शासकीय अभियानों और कार्यक्रमों में सर्वे, प्रशिक्षक,सामाजिक कार्यकर्ता या प्रेरक के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है। जिससे उन्हे उपरोक्त निपुणताओं का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो चुका है।

1.2– 78 प्रतिशत छात्रों ने फील्ड वर्क के दौरान संचार, सहानुभूति, सोच, सक्रिय श्रवण, आत्म देखभाल, धैर्य, जन वकालत, व्यावसायिक प्रतिबद्धता जैसे गुणों का स्वयं के भीतर विकास किया है।

1.3– 71 प्रतिशत छात्र सीएमसीएलडीपी से जुड़ने के बाद दस्तावेजीकरण के विभिन्न विधाओं से परिचित हो चुके है।

1.4– 71 प्रतिशत छात्र प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं से अवगत होकर निपुण हो चुके है, तथा दूसरे अन्य समुदाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने की क्षमता प्राप्त कर चुके है,

1.5– 68 प्रतिशत प्रशिक्षित छात्र पूर्ण रूप से किसी भी विषय में अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे सकते है,

1.6– 67 प्रतिशत प्रशिक्षित छात्र प्रशिक्षण उपरॉत संचार की निपुणताओं के अर्न्तगत पढने, लिखने, सुनने, प्रतिक्रिया देने, तथा व्यक्तित्व निर्माण प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान रखते है।

1.7- 69 प्रतिशत छात्र मीडिया लेखन अर्न्तगत प्रेसनोट बनाना तथा प्रेस विज्ञप्ति बनाने की कलाओं का ज्ञान रखने लगे है।

1.8- 58 प्रतिशत छात्र लेखा कार्य की निपुणता प्राप्त कर चुके है।

1.9- 40 प्रतिशत छात्र किसी भी नवीन परियोजना के संचालन हेतु, एक सफल परियोजना प्रस्ताव का निर्माण कर सकते है।

1.10- 60 प्रतिशत प्रशिक्षित छात्रों ने सामाजिक सरोकारों या विधान से जुडे नियमों तथा कानूनी व्यवस्थाओं का पर्याप्त ज्ञान व जानकारी रखने लगे है, तथा अपने आस-पास होने वाले किसी भी तरह के गैर कानूनी गतिविधियों का समुदाय के साथ जुडकर प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो चुके है

1.11- 73 प्रतिशत छात्र शासकीय अथवा अशासकीय कार्यक्रमों का मूल्यॉकन करने की क्षमता प्राप्त कर चुके है।

1.12- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से सकल नामांकन दर मे बृद्धि पाई गयी,तथा उच्च शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों हेतु शिक्षा प्राप्त करने के अवसरो मे वृद्धि हुई है

1.13- 88 प्रतिशत छात्र जो विभिन्न कारणों से यथा महाविद्यालय का घर से दूर होना, आर्थिक स्थिति का खराब होना, अयध्ययन के प्रति रूझान न होना, समयाभाव, पारिवारिक तथा सामाजिक कारणों के चलते उच्च अध्ययन से वंचित थे, उन्हे मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर विकल्प प्राप्त हुए।

1.14- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा उच्च शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों मे सामाजिक एवं लैंगिक मुद्दों पर 60 प्रतिशत छात्रों मे विश्लेषणात्मक समझ एवं कौशल उन्नयन का विकास हुआ है।

1.15- 75 प्रतिशत छात्रों मे आत्मविश्वास एवं चुनौतियों का सामना करने की इच्छा पर सकारात्मक प्रभाव पडा है।

1.16- 47 प्रतिशत छात्रों में कार्यक्रम में पंजीकृत होने के उपरांत संचार कौशल विकसित हुआ है।

1.17- 48 प्रतिशत प्रशिक्षित छात्रों में निर्णय लेने की शक्ति में सुधार हुआ है।

1.18- 44 प्रतिशत प्रशिक्षित छात्रों में सहयोग लेने व देने की रचनात्मक प्रवृत्ति एवं समय प्रबंधन की स्थिति में सुधार हुआ है।

1.19- 59 प्रतिशत प्रशिक्षित छात्र सामाजिक कार्यो जैसे - समस्याग्रस्त व्यक्तियों की मदद पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य, महिला शसक्तिकरण के कार्य, नशामुक्ति से संबंधित कार्यो में तथा सामाजिक समस्याओं के निदान में ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिए तैयार हुए है।

1.20- 54 प्रतिशत छात्रों मे सामाजिक समस्याओं को अभिव्यक्त करने, समायोजन करने, सुनने व समझने के प्रति रूचियों मे परिवर्तन आया है।

1.21- 80 प्रतिशत प्रशिक्षित छात्र मानते है कि किसी भी सामाजिक समस्या के

समाधान मे आवश्यक निपुणताओं जैसे- टीमवर्क, विश्वसनीयता, वैधता, आदि गुणों का विकास हुआ है।

1.22- 67 प्रतिशत छात्रों में पाठयक्रम के अध्ययन के दौरान सीखने की प्रवृत्ति का विकास अभिप्रेरणा के माध्यम से हुआ है।

1.23- 85 प्रतिशत छात्र सीएमसीएलडीपी से जुडने के बाद आगे की कक्षाओं जैसे- स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक है।

1.24- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से बीएसडब्लू तथा एमएसडब्लू उपाधि धारित छात्रों मे से 8 प्रतिशत छात्रों को नियमित शासकीय नौकरी प्राप्त हुई है।

1.25- 31 प्रतिशत छात्र किसी न किसी शासकीय अभियान या कार्यक्रम से जुडकर रोजगार प्राप्त कर चुके है।

1.26- 9 प्रतिशत छात्र किसी न किसी स्वैच्छिक संगठन में रोजगार प्राप्त कर चुके है।

1.27- 17 प्रतिशत छात्र कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण उपरांत स्वयं का स्वैच्छिक संगठन स्थापित कर सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे है।

1.28- 16 प्रतिशत छात्र स्वयं का रोजगार स्थापित कर अपना जीविकोपार्जन करने में सक्षम हो चुके है । इस तरह सीएमसीएलडीपी छात्रों के लिए रोजगार की संभावनाओं के पर्याप्त अवसर प्रदान कर रहा है।

1.29- 94 प्रतिशत छात्रों ने सामाजिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की है और कार्यक्रम से जुडे हितग्राहियों को सामाजिक अभियानों से जोड़ा गया है।

1.30- 91 प्रतिशत प्रशिक्षित छात्रों ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक सहयोग प्रदान किया है।

1.31- 4 प्रतिशत छात्रों ने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर ग्राम या नगर में जन प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए है

1.32- 74 प्रतिशत छात्र अपने ग्राम या नगर में सामूहिक कार्य या टीम वर्क करके सामाजिक समस्याओं का निदान करने का कार्य की क्षमता का विकास कर चुके है।

1.33- 51 प्रतिशत छात्र ग्राम व समस्याओं व आवश्यकताओं को लेकर किसी न किसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अथवा सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है,

1.34- 41 प्रतिशत छात्रों ने अपने समुदाय व आस-पास के क्षेत्रों में धार्मिक व सांस्कृतिक विकास हेतु गतिविधियों के संचालन में अपना योगदान दिया है। जो कि उनके सामुदायिक सदभावना के विकसित स्वरूपका सूचक है।

1.35- 33 प्रतिशत छात्रों ने अपने ग्राम में स्वारोजगार, आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविरों मे सहयोग प्रदान किया है तथा स्वारोजगार स्थापित करने के लिए ग्राम के युवाओं को प्रोत्साहित किया है।

1.36- 44 प्रतिशत छात्रों ने अपने समुदाय में आयोजित होने वाले खेलकूद गतिविधियों के आयोजन में सहयोग प्रदान कर आयोजन को सफल बनाने में अपनी

भूमिका का निर्वहन किया है। युवाओं की यह प्रवृत्ति उनके सामुदायिक सहयोग की भावना का सूचक है,

1.37- 62 प्रतिशत छात्रों व प्रशिक्षित छात्रों ने ग्राम स्वराज अर्न्तगत पंचायतीराज व्यवस्था के सफल संचालन में योगदान देकर राजनीतिक नेतृत्व की भावना स्वयं के भीतर व समुदाय के भीतर विकसित करने में योगदान दिया है,

1.38- 11 प्रतिशत छात्रों ने अपने ग्राम या समुदाय विभिन्न आर्थिक परियोजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया । जो उनकी प्रबंधकीय क्षमता को प्रदर्शित करता है ।

1.39- रीवा जिलें में विकासखंडवार संचालित सीएमसीएलडीपी की कक्षाओं के माध्यम से अध्ययनरत छात्रों एवं प्रशिक्षित छात्रों में सामाजिक नेतृत्व की क्षमता का विकास हुआ है । लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र/ प्रशिक्षित छात्र है जिनके भीतर नेतृत्व क्षमताओं का अभाव है । छात्रों/प्रशिक्षित छात्रों में शत-प्रतिशत नेतृत्व क्षमताओं के विकास के लिए सीएमसीएलडीपी कार्यक्रम को नई कार्योजनाओं पर कार्य करना होगा।

2- सीएमसीएलडीपी का सक्षम एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों के निर्माण में प्रभाव-

2.1 छात्रों एवं प्रशिक्षित छात्रों में शासकीय कार्यक्रमों में भागीदारी करने की क्षमता का विकास करना ।

2.2 सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रेरक की क्षमता को प्राप्त करना ।

2.3 समाज कार्य की विभिन्न निपुणताओं का विकास ।

2.4 दस्तावेज संधारित्र करने की क्षमता का विकसित होना ।

2.5 प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं से परिचित होना तथा सीखना।

2.6 संचार की विभिन्न शैलियों का ज्ञान होना।

2.7 मीडिया लेखन की कला का ज्ञान होना ।

2.8 एकाउन्टिग के कार्य से परिचित होना ।

2.9 नवीन परियोजनाओं के बेहतर संचालन का ज्ञान होना ।

2.10 विभिन्न सामाजिक विधानो का ज्ञान होना ।

2.11 कम्प्यूटर परिचालन की क्षमता प्राप्त करना ।

2.12 कार्यक्रमों का मूल्यॉकन और अनुश्रवण करने की क्षमता का ज्ञान होना।

3- सीएमसीएलडीपी का शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में योगदान

3.1 उच्च शिक्षा के प्रति छात्रों मे रूचि पैदा करने में सहायक ।

3.2 उच्च शिक्षा में नामांकन बृद्धि दर को तीव्र करने में सहायक-

3.3 उच्च शिक्षा के विकेन्द्रीकरण मे योगदान-

3.4 रोजगार और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने मे सहायक ।

3.5 गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों को प्रदान करना।

3.6 सीमित कक्षाओं के माध्यम से व्यापक शिक्षा प्रदान करने मे सहायक।

4- सीएमसीएलडीपी का वंचित समूह के विद्यार्थियों के सामाजिक एवं

मनोवैज्ञानिक विकास में योगदान

4.1 सामाजिक एवं लैंगिक मुददो पर विशलेषणात्मक समझ कौशल का विकसित होना।
4.2 आत्म विश्वास एवं चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का विकसित होना।
4.3 निर्णय लेने की शक्ति का विकास करने मे योगदान।
4.4 रचनात्मक प्रवृत्ति एवं समय प्रबंधन करने की क्षमता का विकसित होना।
4.5 सामाजिक कार्यो में सहभागिता करने की आदतों मे विकास होना।
4.6 अभिव्यक्ति की क्षमता का विकसित होना।
4.7 समायोजन करने की क्षमता का विकास होना।
4.8 टीम वर्क की भावना का विकास होना।
4.9 समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होना।
4.10 सीखने की क्षमता का विकास होना।

5-सीएमसीएलडीपी का प्रशिक्षित छात्रों के लिए रोजगार सृजन करने मे योगदान

5.1 अध्ययन उपरांत शासकीय नौकरी प्रदान करने मे सहायक।
5.2 शासकीय अभियानों एवं कार्यक्रमों मे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक।
5.3 अध्ययन उपरांत स्वैच्छिक संगठनों मे रोजगार प्रदान करने मे सहायक।
5.4 स्वयं के द्वारा स्वैच्छिक संगठन स्थापित कर उसका संचालन करने की क्षमता का विकास करने मे सहायक।
5.5 रोजगार स्थापित करने में योगदान देना।

6-सीएमसीएलडीपी द्वारा छात्रों के नेतृत्व क्षमता के विकास मे योगदान

6.1 सामुदायिक नेतृत्व क्षमता का विकास होना।
6.2 शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन मे सहयोग प्रदान करना।
6.3 राजनैतिक नेतृत्व क्षमता के विकास मे सहायक।
6.4 सामुदायिक समस्याओं के निराकरण मे समुदाय का सहयोग करना।

सुझाव- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अपने छात्रों के भीतर सामुदायिक नेतृत्व एवं विकास की भावना विकसित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। इसके वावजूद शोध कार्य के दौरान यह देखने मे आया है कि प्रशिक्षण उपर□त अभी भी कई छात्रों मे नेतृत्व क्षमता तथा विकास का अभाव पाया गया। अभी भी प्रशिक्षण उपरत कई छात्र ऐसे है जिनमे समाज कार्य के कौशल तथा निपुणताओं का अभाव देखा गया है। उपाधि उपर□त कई छात्र रोजगार के क्षेत्र में या सामाजिक कार्यक्रमों में स्वयं को स्थापित नही कर पाये है। जिले में कार्यक्रम मे शामिल छात्रों के शत-प्रतिशत नेतृत्व क्षमता एवं विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न लिखित सुझाव दिये जा सकते है –

1- कक्षाओं की संख्या मे वृद्धि की आवश्यकता है।
2- क्षेत्र कार्य अभ्यास के घंटो मे वृद्धि की आवश्यकता है।
3- छात्रों के लिए नियमित समय अंतरालो में सामाजिक मुद़दो आधारित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

4- विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ संबंध स्थापित कर छात्रों हेतु रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करने की आवश्यकता है।
5- योग्य अनुभवी व कर्मठ परामर्शदाताओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
6- परामर्शदाताओं को शिक्षकीय प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
7- छात्रों को सम-सामायिक, सामाजिक मुददो/घटनाओं से कक्षा मे जोड़ने की आवश्यकता है।
8- शैक्षणिक भ्रमण की संख्याओं मे वृद्धि करना आवश्यक है।
9- प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को स्वारोजगार के विविध क्षेत्रों का प्रशिक्षण देते हुए उन्हे स्वारोजगार हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता है।
10- महिला विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क मे रियायत देने की आवश्यकता है।
11- छात्रों की शासकीय कार्यक्रमों मे भागीदारी बढाने की आवश्यकता है।
12- शासन के विविध विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ इंटर्नशिप कार्यक्रम से छात्रों को जोड़ने की आवश्यकता है।
13- पिछड़े, वंचित, कमजोर व महिला छात्रों को शासन द्वारा प्रावधानित छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. प्रो.प्रयागदीन मिश्र, सामाजिक सामूहिक कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनउ 2011
2. ड़ा. डी.एन.श्रीवास्तव-व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा-2 2009
3. ड़ा. रवीन्द्रनाथ -भारतीय सामाजिक संस्थाए, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर नईदिल्ली-7 2004
4. ड़ा.अर्जुन तिवारी - सम्पूर्ण पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी 2014
5. अमरनाथ राय एवं मधु अस्थाना-निर्देशन एवं परामर्शन,मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक नईदिल्ली
6. ड़ा. डी.एन.श्रीवास्तव - प्रयोगात्मक विधि एवं सांख्यिकी, श्री विनोद पुस्तक मंदिर प्रकाशन आगरा-2
7. प्रो.प्रयागदीन मिश्र -सामाजिक वैयक्तिक सेवा, कार्य उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनउ 2011
8. ड़ा. रवीन्द्रनाथ मुकर्जी - सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर नई दिल्ली-7 2012
9. ड़ा. जी.आर.मदन , समाजकार्य, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर नईदिल्ली-7

2011

10. लज्जाराम तोमर– प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, सुरूचि प्रकाशन केशव कुंज झण्डेवाला नईदिल्ली 110055
11. श्री सुरेश सोनी–भारतीय शिक्षा तथा भारतीयकरण, श्री भारती प्रकाशन डा. हेडगेवार भवन नागपुर
12. श्री पी.डी.पाठक– शिक्षा मनोविज्ञान, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा–2
13. ड़ा. अमरजीत सिंह एवं ड़ा. वीरेन्द्र व्यास–प्रवेश विवरणिका मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
14. शास्त्री, राजाराम समाजकार्य, हिन्दी समिति, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश 1970
15– अहमद मिर्जा रफीउददीन , समाजकार्य दर्शन एवं प्रणाली, बिट्रिश बुक डिपो, लखनऊ 1967

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

ग्रामीण भारत के विकास में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भूमिका

• रुचि सिंह

सारांश- भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव (स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष / हीरक जयंती) मनाते समय यह उपयुक्त समय है कि हम सही अर्थो में देशवासियों के समग्र विकास के लिये उच्च शिक्षा के माध्यम यथासंभव और लगातार शोध कार्य करते रहें। विश्व में लगभग सभी विकसित राष्ट्रों की उन्नति, उनकी ग्रामीण प्रगति के सुखद परिणामस्वरूप हुई है। वास्तव में, भारत के नगरिकों को समाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता और सुविधाओं का सदुपयोग करने हेतु उनके व्यक्तित्व विकास सहित उनके संवैधानिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बनाई गई है।1 इस नीति में विभिन्न समस्याओं के समाधान के साधनों के रूप में आधुनिक शिक्षा के विस्तार और जनसामान्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु जैविक खेती, पोषण एवं आहार विज्ञान, पर्यटन, खाद्य संरक्षण, औषधी पौधों की खेती, व्यक्तित्व विकास, आयात-निर्यात प्रबंधन, वर्मी कम्पोस्टिंग आदि पाठ्यक्रमों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। इन पाठ्यक्रमों के पूरा कर कौशल आधारित शिक्षा लेने के बाद ग्रामीण युवा अपने ही गावों स्वरोजगार पा सकेंगे और उनका शहरों की ओर पलायन भी कम होगा।

मुख्य शब्द- व्यावसायिक पाठ्यक्रम, समग्र विकास, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन पर व्यापक चिंतन–मंथन करने हेतु जून 2022 में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गाँधी नगर में सम्पन्न किया गया है।[1] इस सम्मेलन में यह सर्वमान्य किया गया है कि लोकतंत्र की सफलता एवं देश के विकासार्थ ग्रामीण विकास को सदैव आधारभूत तत्व के रूप में स्वीकार किया जाए।[2] उल्लेखनीय है कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास आम लोगों के व्यक्तित्व विकास पर सर्वाधिक निर्णायक प्रभाव डालता है। आमजन अपने व्यक्तित्व और चरित्र का नर्माण करके राष्ट्र की प्रगति में भी अपना यथोचित योगदान दे सकते हैं।

ग्रामीण भारत के विकास में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भूमिका- राष्ट्रीय शिक्षा

• अतिथि विद्वान, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर (म.प्र.)

नीति (एनईपी–2020) का लक्ष्य उच्चतर शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है जो वर्तमान में 2019–20 का ऑकड़ों के अनुशार जीईआर का मात्र 27 प्रतिशत ही है।[3] इस नीति में व्यापक आधारवाले बहुविधायी, समग्र पूर्वस्नातक शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इसमें विषयों के रचनात्मक संयोजन (जैसे गणित के साथ संगीत और इतिहास के साथ चित्रकला) और मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा आदि के एकीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। इससे न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण विद्यार्थो भी अपनी रुचि, क्षमता और रोजगार की भावी संभावनाओं की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़कर ग्रामीण विद्यार्थो प्राप्त ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण से ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सकने में सक्षम बन सकेंगे।

उच्च शिक्षा का व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं ग्रामीण विकास - मध्यप्रदेश में शैक्षिक सत्र 2021–22 से ही स्नातक स्तर में प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों के लिए स्वेच्छा से 25 मे से कोई एक विषय व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अब व्यावसायिक शिक्षा के तहत किसी भी संकाय का कोई भी विद्यार्थो जैविक खेती, व्यक्तित्व विकास, डिजिटल मार्केटिंग, पर्यटन आयात–निर्यात प्रबंधन, ई–अकाउन्टिंग, वेब डिजाइनिंग, बीमा सेवाएँ, रिटेल मैनेजमेंट, सेल्समैनशिप, सुरक्षा सेवाएँ, वर्मो कम्पोस्टिंग, पोषण एवं आहार विज्ञान, खाद्य संरक्षण, इलेक्ट्र, निक प्रौद्योगिकी आदि में से कोई एक विषय अपनी रुचि, क्षमता और रोजगार की भावी संभावनाओं के आधार पर चुनकर अध्ययन कर सकता है।

पिछला शैक्षिक सत्र 2021–22 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित 4 लाख 94 हजार विद्यार्थियों में से लगभग 1,68,000 ने व्यक्तित्व विकास, 87,000 ने जैविक खेती और 22,000 ने डिजिटल मार्केटिंग का व्यावसायिक विषय के रूप में चयन किया था। उक्त 25 व्यावसायिक विषयों में से टॉप टेन का विस्तृत विवरण इस तालिका–1 में वर्णित है–[4]

क्र.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	स्नातक प्रथम वर्ष में चयन करने वाले विद्यार्थो की संख्या
1.	व्यक्तित्व विकास	1,68,032
2.	जैविक खेती	87,360
3.	पोषण एवं आहार विज्ञान	28,919
4.	डिजिटल मार्केटिंग	21,991
5.	पर्यटन	19,699
6.	इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी	4,313
7.	आयात–निर्यात प्रबंधन	3,372
8.	विद्युत प्रौद्योगिकी	2,772
9.	सुरक्षा सेवाएँ	2,334
10.	खाद्य संरक्षण	2,017
	योग	3,40,809

(तालिका–1, स्रोत – पत्रिका (दैनिक समाचार पत्र), 11 फरवरी, 2022, जबलपुर, पृष्ठ–2)

शेष 1,53,288 विद्यार्थियों ने उक्त टॉप टेन के अलावा अन्य 15 व्यावसायिक विषयों का भी चयन किया था। वास्तव में व्यावसायिक विषयों की अवधारणा कमाई आधारित साक्षरता अर्थात् Earn and Learn की अवधारणा पर आधारित है जो अब न केवल अमेरिका एवं यूरोप महाद्वीप के पूँजीवादी देशों के लिए ही लाभदायक सिद्ध हो रही, बल्कि अपनी स्थायी उपयोगिता के कारन एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में भी उसी रूप और प्रभावशीलता में 'कौशल विकास' के रूप में उभरी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति–निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाशास्त्रियों आदि विद्वानजनों ने दक्षता आधारित साक्षरता की आवश्यकता और महत्व का प्रतिपादन किया है।

भारतीय ग्रामीण विकास के समयानुकूल पाठ्यक्रमों की आवश्यकता – प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री जॉन डचूवी ने अच्छी शिक्षा के लिए तीन ध्रुवों– शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम में उचित सामंजस्य बनाए रखने पर बल दिया है।[5] उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति और नए लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देशभर में नई शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु सतत् विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, नवीन प्रकाशन और ई–कंटेंट निर्माण के रूप में कार्यवाही हो रही है। अतः यहां विषयानुसार व्यावसायिक शिक्षा के तहत व्यक्तित्व विकास के प्रथम वर्ष के अत्यंत उपयोगी और समयानुकूल पाठ्यक्रम का उल्लेख करना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के पाठ्यक्रम के पूर्ण अध्ययन और प्रायोगिक कार्य द्वारा विद्यार्थी अपना सबल/पक्ष गुण–शक्तियाँ, दुर्बल पक्ष/कमजोरी–कमियाँ, उपलब्ध अवसरों और संभावित जोखिम को जानने में सक्षम बन सकता है–[6]

इकाई	स्नातक प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम
1.	व्यक्तित्व, सफलता और असफलताओं का सामना करना– व्यक्तित्व की अवधारणा, सफलता क्या है ? सफलता प्राप्त करने में बाधाएँ एवं उत्तरदायी कारक, प्रभावी आदतों का विकास। असफलता क्या है ? असफलता से सीखना, असफलताओं पर काबू पाना, विश्वास की शक्ति, आत्मविश्वास वृद्धि का अभ्यास, आत्म विश्लेषण संबंधी प्रायोगिक कार्य SWOT (स्वॉट) और लक्ष्य नि र्धारण सूत्र SMART एवं इससे संबंधित प्रायोगिक कार्य।
2.	समय और तनाव प्रबंधन एवं रोजगार परक सोच– एक संसाधन के रूप में समय, समय बर्बादी के कारकों की पहचान, बेहतर समय प्रबंधन की विधिय/तकनीक । तनाव का परिचय, तनाव के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव और तनाव प्रबंधन। रिज्यूमे बिल्डिंग, ग्रूप डिस्कशन में भाग लेने की कला, साक्षात्कार, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, साक्षात्कार का अभ्यास सत्र।
3.	संचार कौशल और डिजीटल शिष्टाचार– संचार कौशल: प्रभावी गठन/लेखन/श्रवण कौशल का विकास, सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स, संच भय पर काबू पाना, ब ॉडी लैंग्वेज की भूमिका, पेशेवर प्रस्तुति की कला, प्रस्तुतियों में श्रव्य– दृश्य मा ध्यमों का उपयोग। सामाजिक एवं डिजीटल शिष्टाचार, दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग, सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग, ई–मेल, नेटिकेट, उपयोगी इलेक्ट्र ॉनिक गैजेट और मोबाइल/स्मार्ट फोन ऐप्लिकेशन, पंचकल्याण कारक सिद्धांत, अक्रमकता प्रबंधन आदि।

(तालिका–2, स्त्रोत: विभागीय वेबसाइट www-highereducation-mp-gov-in)

आवश्यक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल- शिक्षा मंत्रालयों ने शिक्षा प्रणालियों में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने के लिए 2015 से ग्लोबल एनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क (GIAN) की शुरुआत की ताकि विद्यार्थी तथा शिक्षक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अकादमिक विशेषज्ञों से संवाद कर सकें।[7] इससे विद्यार्थो तथा शिक्षकों का उनकी शैक्षणिक समस्याओं, जिज्ञासाओं और भावी नेतृत्व हेतु काम करने के लिये प्रेरित किया जा सके। इस नेटवर्क का उद्देश्य देश के वर्तमान शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग गुणात्मक सुधार को गति दे कर भारत कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमता को विश्वस्तरीय उत्कृष्टता और ग्रामीण विकास हेतु स्वरोजगार के नए अवसरों को खोजना है।

शिक्षक और शिक्षण पर प. मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन- शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन को वर्ष 2014 में शुरू की गई एक केंन्द्रीय योजना के रूप में विस्तारित किया जा रहा है। इनका उद्देश्य शिक्षक तथा शिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा दे कर सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसको अलावा शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षक की तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन पद्धति विकसित करने, प्रभावी शिक्षाशास्त्र विकसित करने में अनुसंधान से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से संबद्ध करना है। इस मिशन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों में विशेष आकर्षण के साथ जोड़ा से गया है की शहरी एवं ग्रामीण छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण विकास में सहभागी बनाया जा सके।[8]

निष्कर्ष - ग्रामीण एवं व्यक्तित्व विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रभावी पाठ्यक्रमों की उपर्युक्त भूमिका और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रभावोत्पादकता के आधार पर निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि हमारे भारतीय समाज एवं ग्रामीण विकास रूपी भटकते जहाजों को उच्च व्यक्तित्व विकास की उल्लिखित गतिविधियों से सही मार्ग पर लाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, कौशल और सद्गुणों के विकास हेतु बहुउद्देशीय गतिविधियों को स्कूली एवं महाविद्यालयीन शिक्षा में शामिल कर के अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। महात्मा गाँधी ने सही कहा है कि असली भारत गॉवों में ही निवास करता है। उन्होने उचित कहा है,"मृत्यु के बाद अंतत: सद्गुणों और सद्कर्मों के कारण ही किसी के व्यक्तित्व को याद किया जाता है, मात्र उसके कागजी ज्ञान या धन सम्पत्ति के आधार पर नहीं।"[9] इसलिए आज राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारें अपनी– अपनी क्षमतानुसार दक्षता आधारित उच्च शिक्षा के साथ–साथ लोगों को किसी न किसी एक काम या कला में दक्ष बनाने हेतु कटिबद्ध हो रही हैं जोकि बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन हेतु भी जरूरी है। निश्चित ही ग्रामीण विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण से ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सकने में सक्षम बन सकेंगे। जैसा कि प्रो. जय नारायण ने अपनी पुस्तक 'आध्यात्मिक समाजवाद' (2021) में लिखा है, "अब हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन को 'कुटीर उपक्रम स्थल' बनाते हुए वह, मसाला, अचार, पापड़, अगरबत्ती, गेहूँ पिसाई आदि कार्य महिलाओं को सौंपे जाना चाहिए।"[10] अपने इसी पुस्तक में यह मार्गदर्शक एवं प्रेरक कविता भी लिखी है–

चलो चलें अब खेतों की ओर,
बहुत हुआ मशीनोंका शोर।
खेती को ही उद्योग बनाएँ,
देश में फिर खुशीयाली लाएँ।।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. पुरोहित, ऐश्वर्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: एक विहागांवलोकन, मध्यप्रदेश हिंदी अकादमी, भोपाल पेज-48
2. रोजगार और निर्नाण, 4 जुलाई 2022 मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल,पेज-1
3. भारत-2022, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पेज-358
4. पत्रिका, 11 फरवरी, 2022, जबलपुर, पेज-2

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

घरेलू हिंसा एवं महिलाएँ : आगरा नगर के विशेष सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

• राजकुमारी

•• राजेश अग्रवाल

सारांश- भारत जैसे देश में भी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा आज भी हो रही है एवं महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार भी इन्हें हिंसा व उत्पीडन से नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में और भी अधिक भयावह है। शोधार्थी ने अपने शोध में पाया है, कि शोध क्षेत्र आगरा नगर की 52.00 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार हमारे समाज में आज भी महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है तथा 39.00 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है, कि हमारे समाज में अब महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा नहीं होती है। जबकि शोध क्षेत्र की मात्र 09.00 प्रतिशत महिलाओं को समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में कुछ नहीं पता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र आगरा नगर की अधिकांश महिलाओं का यह मानना है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है। अत: स्पष्ट है, कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है।

मुख्य शब्द- घरेलू हिंसा, महिलाएं

1. प्रस्तावना- किसी की परिवार या घर में घर की महिलाओं के साथ हिंसा अथवा अभद्रता की जाती है, तो वह घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है। चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। हमारे देश में महिलाओं के प्रति ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में घरेलू हिंसा समान रूप से विद्यामान है। यद्यपि घरेलु हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार के नियम एवं कानून समय-समय पर बनाये गये और लागू भी किए गये है। परन्तु फिर भी घर में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। घरों में महिलाओं का उत्पीड़न हमारे यहाँ एक आम सामाजिक समस्या है। आज लगभग हर दिन घरेलू महिलाओं के प्रति अत्याचार, मार-पीट, बेइज्जत करना, उन्हें डराना धमकाना एवं यौन उत्पीड़न के केस सामने झा रहे

• शोध छात्रा समाजशास्त्र विभाग, के.आर. (पी.जी.) कॉलेज, मथुरा (उ.प्र.)

•• प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, के.आर. (पी.जी.) कॉलेज, मथुरा (उ.प्र.) डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्व विद्यालय, आगरा (उ.प्र.)

हैं जबकि बहुत सारे केस तो सामाजिक डर एवं बहुत समाजिक दबावों की वजह से सामने ही नहीं आ पाते हैं। हमारे समाज में घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक परिवार है, जहाँ पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कमजोर माना जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त महिला चरित्र पर संदेह, शराब की लत, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, एवं महिला का आत्मनिर्भर बनने से रोकना आदि भी प्रमुख कारण हैं। महिलाओं के साथ घर में शारीरिक, लैंगिक, मौखिक एवं आर्थिक हिंसा आदि घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भारत में 26 अक्टूबर 2005 को 'घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। जिसके द्वारा राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा नगर में यह समस्या जस की तस बनी हुई है। तथा और भी विकराल रूप लेती जा रही है। यहाँ तक कि नगर की अधिकांश महिलाओं को 'घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम' के सम्बन्ध में कोई जानकारी ही नहीं है। अत: आज आवश्यकता इस बात की है, कि घरेलू हिंसा को रोकने की राह में मौजूद विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इसके निराकरण हेतु सकारात्मक प्रयास किये जायें।

2. शोध अध्ययन के उद्देश्य- शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य, उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा नगर में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना है तथा इसकी वास्तविकता को प्रकट कर इस समस्या के समाधान के उद्देश्य पूर्ति में इस शोध अध्ययन के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करना भी है। इस शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

1. आगरा नगर में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना।
2. इस अध्ययन के माध्यम से इस समस्या के समाधान में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना।

3. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण- वर्तमान में समय में हमारे समाज में महिला उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। शोधार्थी समाज विज्ञान की विद्यार्थी होने के साथ ही साथ एक महिला भी है, यही कारण है, कि शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन हेतु इस विषय का चयन किया है। इस सामाजिक समस्या से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनेकों शोध अध्ययन किये गये हैं, जिनमें सविता मकवाना (2019), कविता चौधरी (2016), सुधारानी श्रीवास्तव (2009), सुनीता बाथरे (2015), प्रतिभा (2014), मजुला सक्सेना (2010) एवं पूजा शर्मा (2012) आदि के द्वारा किये गये शोध अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

4. शोध विधियों एवं शोध उपकरण- आगरा नगर की प्रमुख सामाजिक समस्या महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा विषय पर शोध अध्ययन के लिए शोधार्थी कारा 'सर्वेक्षण विधि' का प्रयोग किया गया है। एवं प्रदत्तों के संग्रहण के लिए स्व-निर्मित 'साक्षात्कार अनुसूची' का उपयोग किया गया है। तथा शोधार्थी ने 'दैव-निदर्शन विधि' के माध्यम से आगरा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न भागों में निवास करने वाली 100 महिलाओं

को न्यादर्श के रूप में विस्तृत शोध सर्वेक्षण हेतु चयनित किया गया है।

5. प्रदत्तों का संग्रहण सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या- शोध अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले का जिला मुख्यालय आगरा नगर है अत: आगरा नगर के राजस्व सीमा के अन्तर्गत निवास करने वाली महिलाओं के साथ की जाने वाली घरेलू हिंसा की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है तथा शोध क्षेत्र की न्यादर्श में चयनित कुल 100 महिलाओं से साक्षात्कार के माध्यम से प्रदत्तों का संग्रहण किया। जिनके सारणीयन के पश्चात उनका विश्लेषण एवं व्याख्या किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है-

तालिका क्रमांक - 01
आगरा नगर में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन (आधार- साक्षात्कार अनुसूची)

क्र. सं.	न्यादर्श में चयनित महिलाओं की संख्या	आगरा नगर में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा					
		होती है		नहीं होती है		नहीं पता	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	100	52	52.00	39	39.00	09	09.00

विश्लेषण एवं व्याख्या (तालिका क्रमांक-1)- उपरोक्त तालिका क्रमांक-1 में आगरा नगर में निवास करने वाली न्यादर्श में चयनित 100 महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आगरा नगर में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा सम्बन्धी जानकारी हेतु प्रदत्तों का संकलन किया गया है।

तालिका क्रमांक-1 के आँकड़ों को देखने से यह पता चलता है, कि शोध क्षेत्र आगरा नगर की न्यादर्श में चयनित कुल 100 महिलाओं में से 52 महिलाओं यह मानती हैं, कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है। तथा 39 महिलाएँ यह मानती हैं, कि नगर में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा नहीं होती है जबकि 09 महिलाओं को नगर में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं पता है। इस प्रकार इस विश्लेषण एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है, कि शोध क्षेत्र आगरा नगर की 52 प्रतिशत महिलाएँ यह मानती हैं कि आगरा नगर में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है। तथा शोध क्षेत्र की 39 प्रतिशत महिलाएँ यह मानती हैं, कि आगरा नगर में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा नहीं होती है। जबकि शोध क्षेत्र की 09 प्रतिशत महिलाओं को आगरा नगर में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं पता है। इस यह तथ्योद्घाटन होता है, कि शोध क्षेत्र आगरा नगर की अधिकांश महिलाओं का यह मानना है, कि शोध क्षेत्र आगरा नगर में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है।

6. निष्कर्ष- शोध निष्कर्ष किसी भी सामाजिक अनुसंधान कार्य का सबसे महत्त्वपूर्ण बिन्दु होता है। शोधार्थी में अपने अध्ययन में प्रदत्तों के संग्रहण, सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या के पश्चात् जो निष्कर्ष प्राप्त किये, उसके अनुसार शोध क्षेत्र आगरा नगर की कुल 52.00 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है, कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है तथा 39.00 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है, कि हमारे समाज में अब महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा नहीं होती है जबकि शोध क्षेत्र की 09.00 प्रतिशत

महिलाओं को समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं पता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र आगरा नगर की अधिकांश महिलाएँ यह मानती हैं, कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है। अत: निष्कर्ष निकलता है, कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. श्रीवास्तव सुधारानी (2009), महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ-49।
2. शर्मा, पूजा (2012) : महिलाएँ और मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ-64-65
3. मकवाना, सविता (2019) : महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा : एक अध्ययन जयपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में।
4. चौधरी, कविता (2016) : महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।
5. सक्सेना, मंजुला (2010) : विवाहित महिलाएँ तथा पारिवारिक हिंसा एजुकेशन पब्लिकेशन, वाणी प्रकाशन मैंगलोर, कर्नाटक।
6. प्रतिभा (2014) : घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, शोध प्रबन्ध, दीन दयाल उपाध्याय वि0वि0 गोरखपुर।
7. बाथरे, सुनीता (2015) : घरेलू हिंसा-कारण समस्याएँ, सुझाव व कानून की भूमिका, दिव्या शोध समीक्षा, अप्रैल, 2015।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

आगरा शहर की मलित बस्तियों की महिलाओं में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

• आकांक्षा
•• मधु त्यागी

सारांश- स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज स्वतंत्रता के 75 वर्षो के पश्चात भी यदि हम संवैधानिक दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रति उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता की विवेचना करते हैं, तो यह पता चलता है, कि हमारे देश में महिलाओं की गरिमामय सामाजिक स्थिति को बनाये रखने के लिये उन्हें बहुत सारे संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। किन्तु पर्याप्त शिक्षा के अभाव में उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि अधिकांश महिलाओं को पता ही नहीं हो पाता कि उन्हें कौन-कौन से संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं और बात अब मलिन बस्तियों की महिलाओं की हे रही हो तो स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाती है।

मुख्य शब्द- मलिन बस्ती, महिलाएँ, संवैधानिक अधिकार, जागरूकता।

आजाद हिन्दुस्तान गांवों का देश था। सन् 1951 में देश की आबादी की लगभग 83 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती

1. प्रस्तावना- भारतीय संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को एक समान ही अधिकार मिलते हैं। किन्तु आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। यदि हमारे समाज में घटित होने वाले महिलाओं के प्रति अपराधों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है, कि देश में प्रति 6 मिनट पर महिलाओं के साथ मारपीट, सार्वजनिक अपमान, छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या का प्रयास, यौन-उत्पीड़न एवं अश्लीलता जैसी घटनाएँ घटित होती है। हमारे देश एवं प्रदेश में शहरीकरण के साथ ही साथ आगरा नगर में भी तेजी के साथ शब्दीकरण हुआ है। जिसके कारण आगरा नगर के विभिन्न भागों में झुग्गी-झोपड़ियों एवं मलिन बस्तियों की संख्या में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई है। इन मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव है। यही कारण है कि इन मलिन बस्तियों में अपराधों विशेषकर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की समस्याएं भी बढ़ी रही हैं।

• शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, बी.एस.ए. कॉलेज, मथुरा
•• प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, बी.एस.ए.कॉलेज,मथुरा, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए शासन द्वारा कठोरतम कानून निर्मित किये जा रहे हैं तथा संविधान द्वारा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। महिलाओं को प्रदत्त विभिन्न संवैधानिक अधिकारों में विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, जाति, वंश, जन्म, मूल, धर्म व लिंग के आभार पर समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15, महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, नौकरी आदि में अवसर की समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16, महिलाओं को उनके शोषण के विरूद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24, जीविका हेतु पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 39, क, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद 39 (द), विशेष प्रसूति अवकाश का अधिकार अनुच्छेद 42, शिक्षा व अर्थ सम्बन्धी हितों को अधिकार अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 51 (क) एवं (ड़) में इस बात का उल्लेख किया गया है, कि हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। संविधान के अनुच्छेद 243 (द) (3) इन्हें पंचायतों में 1/3 स्थान का आरक्षण प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 352 निर्वाचक नामावली में पुरूष एवं महिला दोनों को ही सम्मिलित होने का समान अधिकार प्रदान करता है।

हमारे समाज में संवैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर अनेकों सरकारी योजनाएँ भी चलायी गयी हैं इसके बावजूद भी आज महिलाओं की स्थिति सोचनीय है, विशेषकर मलिन बस्तियों में। महिलाओं के उत्थान एवं संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। किन्तु महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है अत: आज आवश्यकता इस बात की है, कि महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से उन्हें उनके संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूकता किया जाये।

2. शोध अध्ययन के उद्देश्य- इस शोध अध्ययन में शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा नगर की मलिन बस्तियों में निवास करने वाली महिलाओं में संवैधानिक अधिकारों की प्रति जागरूकता की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना है तथा इसकी वस्तु स्थिति को प्रकट कर आगरा नगर की मलिन बस्तियों की महिलाओं की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में इस शोध अध्ययन के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करना भी है। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- आगरा नगर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में उन्हें प्राप्त संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना।
- इस अध्ययन के द्वारा मलिन बस्तियों की महिलाओं की समस्याओं के समाधान में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना।

3. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण- भारतीय समाज में नगरीय मलिन बस्तियों की समस्याएं अशिक्षा, बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी तथा सामाजिक, बुनियादी ढांचे की कमी के कारण शुरू होती है। इन्हीं समस्याओं के प्रभा से महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न होता रहता है, जिसे वह चुपचाप अज्ञानतावश सहती रहती है क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। यही प्रति जागरूकता है कारण है, कि शोधार्थी ने अपने अध्ययन हेतु इस विषय का चयन

किया है। मलिन बस्तियों की इस सामाजिक समस्या से सम्बन्धित अनेकों शोध अध्ययन किये गये हैं, जिनमें बट्टी लाल मीना (2023), ललित धाकड़ एवं विजय भारती (2022), नीतू पंवार (2021) के0एस0 गुरूपंच (2013) एवं हेमन्त कुमार आदि सामजशास्त्रियों के द्वारा किये गये शोध अध्ययन उल्लेखनीय है।

4. शोध विधियाँ एवं शोध उपकरण- आगरा शहर की मलित बस्तियों की महिलाओं में उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है तथा प्रदत्तों के संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है एवं शोधार्थी ने दैव-निदर्शन विधि से आगरा शहर की विभिन्न मलिन बस्तियों की 150 महिलाओं को विस्तृत शोध सर्वेक्षण हेतु न्यादर्श के रूप में चयनित किया है।

5. प्रदत्तों का संग्रहण, सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या- शोध अध्ययन की विषय वस्तु आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के अध्ययन तक परिसीमित है। जिसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु शोधार्थी ने स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है तथा शोध क्षेत्र की मलिन बस्तियों में निवास करने वाली न्यादर्श में चयनित कुल 150 महिलाओं से साक्षात्कार के द्वारा प्रदत्तों का संग्रहण किया। जिनके सारणीयन के पश्चात विश्लेषण एवं व्याख्या किया। जो इस प्रकार है –

तालिका संख्या - 01

क्र.	न्यादर्श में चयनित महिलाओं की संख्या	आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में संवैधानिक अधिकारों के प्रति					
		जागरूकता है		जागरूकता नहीं है		बहुत कम जागरूकता है	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	150	47	31.33	82	54.66	21	14.00

विश्लेषण एवं व्याख्या (तालिका क्रमांक - 1)- उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 में आगरा शहर की मलिन बस्तियों में निवास करने वाली न्यादर्श में चयनित 150 महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम में आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता सम्बन्धी जानकारी हेतु प्रदत्तों का संकलन किया गया है।

तालिका क्रमांक 1 के आंकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र आगरा शहर की मलिन बस्तियों की न्यादर्श में चयनित कुल 150 महिलाओं में से 47 महिलाओं का यह मानना है कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता है तथा 82 महिलाओं का यह मानना है कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है। जबकि 21 महिलाओं का यह मानना है कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में संवैधानिक अधिकारों के प्रति बहुत कम जागरूकता है। इस प्रकार इस विश्लेषण एवं व्याख्या से यह तथ्योद्घाटन होता है, कि शोध क्षेत्र आगरा शहर की मलिन बस्तियों की 31.33 प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं, कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं

में अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता है तथा 54.66 प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं, कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है। जबकि 14.00 प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं, कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बहुत कम जागरूकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है, कि शोध क्षेत्र आगरा शहर की मलिन बस्तियों की अधिकांश महिलाओं ने यह माना है, कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है।

6. निष्कर्ष- किसी भी सामाजिक अनुसंधान कार्य का सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु शोध निष्कर्ष होता है। शोधार्थी ने आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता की वास्तविक स्थिति के अध्ययन के पश्चात यह तथ्योद्घाटन किया है कि शोध क्षेत्र आगरा शहर की मलिन बस्तियों की 31.33 प्रतिशत महिलाओं ने अपने उत्तर में यह माना है, कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है तथा 54.66 प्रतिशत महिलाओं ने अपने उत्तर में यह माना है कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है। जबकि शोध क्षेत्र की 14.00 प्रतिशत महिलाओं ने अपने उत्तर में यह माना है, कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बहुत कम जागरूकता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र आगरा शहर की मलिन बस्तियों की अधिकांश महिलाओं ने अपने उत्तर में यह माना है कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाओं में अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है। अत: निष्कर्ष निकलता है कि आगरा शहर की मलिन बस्तियों की महिलाअरों में अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मीना, बट्टी लाल (2023) : भारत में महिला अधिकारों एवं शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान का समीक्षात्मक अध्ययन, IJFMR, EISSN : 258-2160, Vol. 05, Issue – 03, पृ.सं. 104
2. धाकड़, ललिता एवं भारती, विजय (2022) : महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता, JMME, ISSN : 2231-167X, Vol. 12, No. 03, पृ.सं.-129-132
3. पंवार, नीतू (2021) ' संवैधानिक व कानूनी अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता का अध्ययन, IJESR, ISSN : 2349.1817, Vol. 08, Issue 06, पृ.सं.-16-24
4. कुमार, हेमन्त (2019) : भारतीय संविधान और महिलाओं के अधिकार, IJHSSR, ISSN: 2455-2070, Vol. 05, Issue. 01, पृ.सं.-68-70
5. बसु, दुर्गादास (2002) : भारत का संविधान, एक परिचय, पेंटिस हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
6. पाण्डेय, जयनारायण (1985) : भारत का संविधान, सेण्ट्रल लॉ एजेंजी, इलाहाबाद।
7. गुरूपंच, के0एस0 (2013) : रायपुर नगर की मलिन बस्तियों का अध्ययन, IJRRSS, ISSN : 2347-5145, Vol. 1, Issue. 1, पृ0सं0-25-26

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

वृद्धजनों की सामाजिक समस्या - एक अनुशीलन (रीवा जिले के संदर्भ में)

• विमला यादव
•• महानंद द्विवेदी

सारांश- वृद्धावस्था जीवन की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें मानव जीवन की औसतकाल के नजदीक अथवा उससे अधिक हो जाती है। यह मानव जीवन की स्वाभाविक और प्राकृतिक घटना है। सभी प्राणी उत्पन्न होने के पश्चात् क्रमशः बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरना पड़ता है। वृद्धावस्था को जीवन संध्या के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। क्योंकि यह जीवन का आखिरी पड़ाव होता है। इस अवस्था में शारीरिक क्षमताएं क्षीण होने लगती है तथा व्यक्ति कई भयावह समस्याओं से घिर जाता है। जीवन के संघर्षपूर्ण संग्राम के योद्धा रहे वृद्धजनों की अनुभूति वह खुली पुस्तक है जिसका प्रत्येक पन्ना कुछ न कुछ कहने को उत्सुक होता है। उम्र के साथ जीवन के परिवर्तित सोपान मानव के विकास यात्रा के साथ जुड़ा अध्याय है जिनका प्रत्येक पन्ना अनुभूतियों से भरा है।

मुख्य शब्द- वृद्धावस्था, पारिवारिक समस्याएँ, सामाजिक, आर्थिक

प्रस्तावना- वर्तमान समय में सभ्य समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि व्यक्ति अपने जड़ों से दूर होता चला जा रहा है, वृद्धजनों के आस-पास एकान्त अथवा अकेलापन का सन्नाटा होता जा रहा है। पीढ़ियों के अन्तर तथा अंतराल जो शताब्दियों से रहा है, किन्तु पारिवारिक रिश्तों के बढ़ती कड़वाहट आधुनिक युग में जनमानस के भीतर डर उत्पन्न कर रही है। हमारे वृद्धजन और बुजुर्ग हमसे काफी दूर होते जा रहे हैं। उनके कम होते सम्मान, आदर तथा असुरक्षा की भावना आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है।

भारतीय समाज के परम्परागत मूल्यों में वृद्धजनों का सम्मान देना और उनकी देखभाल करना हमेशा जोर दिया जाता है परन्तु आज संयुक्त परिवार नामक संस्था टूट रही है, व्यक्ति अपने निजी जीवन में सिमटते जा रहे हैं और स्वार्थी बनते जा रहे हैं। व्यक्ति तब छोटा रहता है तब अपने माता-पिता से काफी अपेक्षा रखता है, लेकिन जब माता-पिता अपेक्षा रखते हैं तो व्यक्ति उनसे कहता है कि आपका जो कर्तव्य था उसी को

• शोधार्थी समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
•• प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज (म.प्र.)

पूर्ण किये हो, कृपया मुझे शान्ति से जीने दें मेरी जिन्दगी में दखल न दें। एक वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हुआ है कि जिन घरों में वृद्धजनों एवं बच्चे साथ-साथ रहते हैं उन घरों में खुशियाँ स्थायी रूप से निवास करती है। क्रोमोजोम्स के माध्यम से यह साबित करने में तो सफलता हासिल किये हैं कि नवजात शिशु में कितने गुण दादा-दादी अथवा नाना-नानी के आते हैं। इसका आशय यह है कि पूर्वजनों का व्यक्ति से जुड़ाव बना रहता है। हिन्दू धर्म ग्रन्थ आत्मा की अमरता से यकीन करते हैं। हिन्दू धर्म के अग्रसर मृत्यु के पश्चात् भी उनके पूर्वज उनसे जुड़े रहते हैं। यह स्मृति ही उन्हें परिवार में संस्कारों से जोड़कर रखती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि संयुक्त परिवार में पलने एवं बढ़ने वाले बच्चे जिन्दगी के भाग-दौड़ में आगे रहते हैं। आज के भौतिकवादी युग में मानव के पास अपने लिए तो समय है परन्तु जिसने उसे पाल-पोसकर बड़ा कर दिया है, उनके लिए न तो उसके पास समय है तथा न ही भावना। ऋग्वेद में वर्णित है कि देखते हुए एवं दीर्घायु भोगते हुए वृद्धावस्था में वैसे ही आगमन करना चाहिए जैसे अपने घर में। इसका आशय यह है कि हमें जीवन की प्रत्येक में खुश रहना चाहिए। पंचतंत्र में उल्लेख मिलता है कि सतपुरुषों को शरीर में ही बुढ़ापा आता है, हृदय में नहीं। पंचतंत्र का यह वाक्य समाज के वृद्धजनों को उस अकेलेपन से सुरक्षित रखने का एक वेद वाक्य माना जा सकता है।

शोध का उद्देश्य- किसी भी शोध आलेख को पूरा करने के लिए उससे संबंधी उद्देश्यों का होना अत्यन्त आवश्यक होता है, इसी भाव से प्रस्तुत शोध आलेख को पूर्ण करने हेतु कुछ उद्देश्यों को केन्द्र में रखा गया है क्योंकि आज समाज में वृद्धावस्था की समस्या एक भयावह रूप ले रही है, वर्तमान युवा पीढ़ी के अधिकांश लोग वृद्धों को अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं जिससे समाज में वृद्धावस्था की समस्या एक ज्वलंत समस्या के रूप में मानवीय समाज में खड़ी हो रही है, जिसके उत्तरदायी कारकों की खोज करना अत्यन्त आवश्यक है, जिसे केन्द्र में रखकर कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है-

1. अध्ययन क्षेत्र के वृद्ध लोगों के पारिवारिक समस्याओं का आकलन करना।
2. रीवा जिले के पारिवारिक समदस्यों एवं अन्य रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली देखभाल के संबंध में वृद्धों के विचारों का अनुशीलन करना।
3. अध्ययन क्षेत्र के वृद्धजनों के प्रति युवा पीढ़ी के दृष्टिकोणों का अध्ययन करना।
4. अध्ययन क्षेत्र के वृद्धजनों की आर्थिक व सामाजिक दशाओं का मूल्यांकन करना।

उपरोक्त शोध-पत्र से संबंधित उद्देश्यों को केन्द्र में रखकर प्राथमिक समंकों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कर शोध आलेख को सार्थक मानकों के अनुरूप पूर्ण किया गया है।

शोध की परिकल्पना- किसी भी शोध पत्र के शीर्षक का चयन करने से पूर्व शोधकर्ता के मस्तिष्क में जो प्रारम्भिक विचार उत्पन्न होते हैं उसे परिकल्पना कहा जाता है, लेकिन जब तक परिकल्पनाओं से संबंधित प्राथमिक समंकों का सांख्यिकीय प्रविधियों से परीक्षणात्मक विश्लेषण/परीक्षण नहीं किया जाता है, तब तक उसे सत्य या असत्य

कदापि नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रस्तुतकर्ता द्वारा निर्मित की गयी परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है। अतएव शोध आलेख से संबंधित कुछ परिकल्पनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

1. अध्ययन क्षेत्र के वृद्ध लोगों के पारिवारिक एवं आर्थिक दशाओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. अध्ययन क्षेत्र के पारिवारिक सदस्यों एवं अन्य रिश्तेदारों द्वारा वृद्धों की जाने वाली देखभाल में कोई संबंध नहीं है।
3. अध्ययन क्षेत्र के वृद्ध लोगों और युवा पीढ़ी के दृष्टिकोणों में कोई संबंध नहीं है।
4. रीवा जिला के वृद्धजनों की आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं में घनिष्ठ संबंध है।

उपरोक्त परिकल्पनाओं को केन्द्र में रखकर प्रस्तुत शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण किया गया है।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर प्रमुख रूप में आधारित है। रीवा जिले से प्राथमिक समंकों का संकलन करने के लिए दैव निदर्शन प्रविधि के सविचार निदर्शन विधि द्वारा कुल 300 वृद्धों का प्रत्यक्ष रूप से चयन कर सर्वेक्षण का कार्य किया गया और सर्वेक्षण करते समय साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग मौलिक तथ्यों को एकत्रित किया गया है। जिन्हें सरल व सुबोध बनाने हेतु उन्हें वर्गीकृत कर सारणीयन किया गया है और प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रविधियों का यथासम्भव उपयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन कार्य को यथार्थ मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के लिए रीवा जिले के वृद्धजनों को आधार बनाया गया और उनकी समस्याओं को पता लगाने के लिए प्राथमिक स्तर पर सर्वेक्षण का कार्य करने हेतु उनसे प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर तथ्यों को संग्रहित किया गया है। इस प्रकार मौलिक रूप में संकलित किये गये समंकों का परीक्षणात्मक विश्लेषण करने हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों का भी उपयोग किया गया है।

व्याख्या- रीवा जिले के वृद्धजनों की समस्याओं का अनुशीलन करने के लिए मौलिक रूप में अध्ययन क्षेत्र से कुल 300 वृद्धजनों का प्रत्यक्ष रूप में दैव निदर्शन प्रविधि के सविचार विधि से चयन किया गया है और इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में चयनित किये गये व्यक्तियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर सर्वेक्षण का कार्य किया गया, सर्वेक्षण का कार्य करते समय साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग कर मौलिक आकड़ों को एकत्रित किया गया कि अध्ययन क्षेत्रों के वृद्धों की मूलभूत समस्यायें कौन–सी है और उन समस्याओं के पीछे उत्तरदायी कारकों को भी प्रत्यक्ष अनुमानित किया गया, जिन्हें आकड़ों में परिणत कर एकत्रित किया गया है। ताकि यह पूर्णत: अनुमानित किया जा सके कि अध्ययन क्षेत्र में वृद्धों की वास्तविक रूप में मूल समस्यायें परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनकी अनदेखी किया जाना और विशेष युवा पीढ़ी द्वारा उन्हें हेय के भाव से भी देखा जाता है। अत: अध्ययन क्षेत्र से चयनित वृद्धजनों से प्राथमिक रूप में संकलित किये गये समंकों को सारणी क्रमांक–01 में प्रस्तुत कर परीक्षणात्मक विश्लेषण किया गया है, जो इस प्रकार है–

सारणी क्रमांक-01
अध्ययन क्षेत्र में वृद्धजनों की प्रमुख/मूलभूत समस्याओं का विवरण

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	बेटे-बहू की अनदेखी	187	62.33
2.	परिवार के युवाओं की आनदेखी	30	10.00
3.	परिवार के अन्य सदस्यों की आनेदखी	48	16.00
4.	समाज की अनदेखी	11	3.67
5.	सामाजिक व आर्थिक कारक	24	8.00
कुल योग		300	100.00

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

आरेख क्र.01
अध्ययन क्षेत्र में वृद्धजनों की प्रमुख/मूलभूत समस्याओं का विवरण

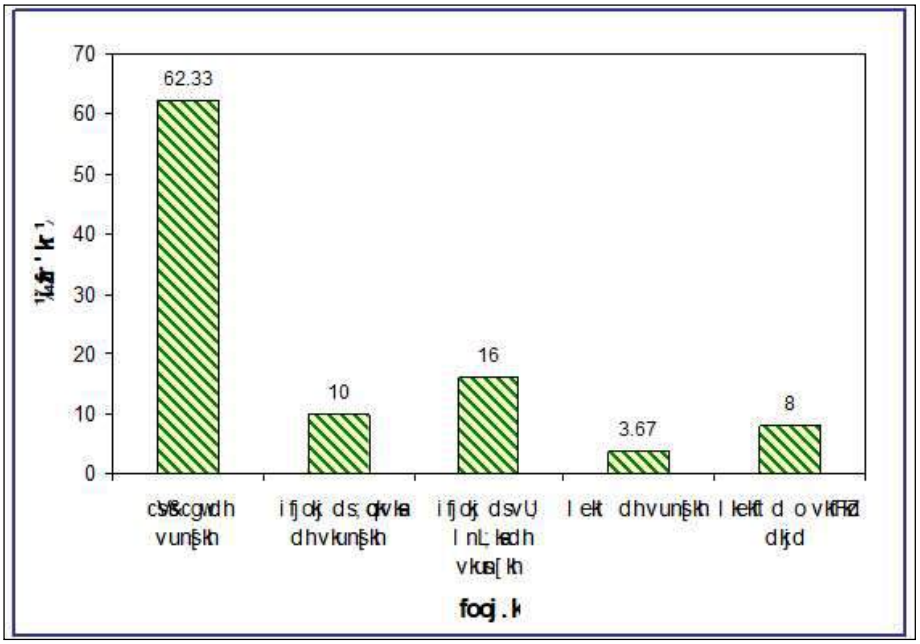

उक्त सारणी एवं आरेख के आकड़ों से दृष्टव्य होता है कि अध्ययन क्षेत्र से प्राथमिक रूप में चयनित 187 वृद्धजनों ने अपनी प्रमुख समस्या को बेटे-बहू द्वारा आनदेखी किये जाने को माना है जिनका प्रतिशत 62.33 है, इसी प्रकार 30 वृद्धों ने अपनी प्रमुख समस्या को परिवार के युवाओं द्वारा उनकी अनदेखी किये जाने को माना है जिनका प्रतिशत 10.00 है। चयनित वृद्धों में से 48 लोगों ने अपनी प्रमुख समस्या को परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अनदेखी किये जाने को माना है, जिनका प्रतिशत 16.00 है। वहीं चयनित वृद्धजनों में से 11 लोगों ने स्वीकारा है कि उनका समाज द्वारा अनदेखी किया जाता है जिनका प्रतिशत 3.67 है, जबकि 24 लोगों ने अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति को प्रमुख समस्या बतलाया है जिनका प्रतिशत 8.00 है। अत: वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र के वृद्धों की प्रमुख समस्या उनके बहू-बेटों द्वारा उनकी अनदेखी किया जाना है,

जिसकी वजह से आज बहुत से वृद्धजन वृद्धाश्रमों में जानकार रहना पसन्द करने लगे हैं। परन्तु वर्तमान युवा पीढ़ी को यह गहन विमर्श की जरूरत है कि जिन वृद्धों के प्रति आज वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कल वे भी इसी दौर से गुजरेगें तो उनका भी वही मार्ग होगा, इसलिए युवा पीढ़ी को वृद्धों का का सम्मान करना होगा ताकि उनके आशीष को हमेशा अपने लिए बनाये रखें। इससे उनका भी बुढ़ापा अच्छा से बीतेगा और सामाजिक आवरण में समरसता का भाव बढ़ेगा और एकबार फिर संयुक्त परिवार होकर जीने की प्रेरणा लोगों को मिलेगी और समाज का वास्तविक मायने में विकास होगा।

निष्कर्ष- अध्ययन क्षेत्र के परिवार के सदस्यों के व्यवहार एवं विचार के मूल्यांकन के संदर्भ में प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि परिवार के सदस्य वृद्धजनों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं करते हैं और यदि वे करते भी हैं तो उसमें उनकी स्वार्थपूर्ण बेबसी होती है। अतएव यह सार्वभौमिक रूप में पूर्णरूपेण सत्य है कि वृद्धजनों की देख-रेख करने वालों के संदर्भ में पुत्र व पुत्री की भूमिका काफी सराहनीय है। वास्तव में परिवार के सदस्यों के मध्य तनाव व अन-बन स्वार्थयुक्त अनिवायर्द्यताओं के कारण होता है। समुदाय एवं परिवार कल्याण की स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से वृद्धजनों के किसी को आय का साधन एवं राज्य सरकारों द्वारा दी गयी वृद्धावस्था पेंशन की सहायता निरन्तर दी जानी चाहिए, ताकि उनकी निर्भरता दूसरों पर आश्रित न रहे। आज समाज की युवा पीढ़ी विशेष कर वृद्धजनों के परिवारों की युवा पीढ़ी को इसे समझने की जरूरत है कि यदि परिवार में आज वृद्धजन न होते तो समाज में मेरा अस्तित्व ही न पनपा होता जिन्हें आज हम त्यागने को तत्पर हैं वे ही समाज में खड़े होने लायक मुझे बनाने में अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया और आज हम उसके बदले उन्हें क्या केवल निरस्कार देने के लिए ही खड़े हैं, ऐसा नहीं होने के लिए आज समाज की युवा पीढ़ी को वृद्धजनों के अवदानों को उन्हें बनाने में समझना होगा, तभी हम एक सशक्त समाज का नव निर्माण कर सकेंगे और समाज का सामयिक विकास हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. शुक्ला, डॉ. अंजु - वृद्धाओं की समस्याएं - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, बिलासपुर नगर, वर्ष 2014
2. मुकर्जी, डॉ. आर.के. - सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध प्रकाशन, धीरज बुक्स 355, मार्ग मेरठ, वर्ष 1995
3. श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन - पौराणिक मिथकों में वृद्ध (आलेख), वैदिक नवस्वदेश अवकाश अंक 10, वर्ष 2005
4. त्रिपाठी, विधि - सार्थक एवं आनन्दमय वृद्धावस्था के रहस्य, भारतीय परिदृश्य में एक अध्ययन, कौटिल्य, वर्ष 2018
5. शुक्ला, डॉ. अखिलेश - परिवार कल्याण, गायत्री पब्लिकेशन रीवा (म.प्र.), स्मारिका प्रान्तीय सम्मेलन : भारत पेंशनर समाज रीवा, वर्ष 1990-91

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर (सीधी जिले के विशेष संदर्भ में)

• राखी सिंह बघेल
•• आर. बी. एस चौहान

सारांश- अठारहवीं सदी के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक आत्म निर्भर ही नहीं बल्कि अतिरेक सृजक अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण था एवं ग्रामीण समुदाय श्रम विभाजन के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता था। ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व भारतीय समाज अपने आर्थिक आधार की दृष्टि से पूँजीवाद से पूर्व के मध्य युगीन यूरोपीय समाजों से भिन्न था। अठारहवीं सदी के अंत तक भारतीय सामाजिक व्यवस्था परिवार एवं जाति के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करती थी। ग्रामीणों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग था। अर्थात् ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस स्तर से कम नहीं थी, जिस स्तर पर यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता के बाद देश की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक विपला पूँजी की कमी, जनाधिक्य, व्यापार की अपूर्णता, प्रतिकूल व्यापार शर्तें, निरक्षरता एवं वेरोजगारी के साथ साथ ग्रामीण विकास की थी। संसाधन एवं रोजगार के नाम पर ग्रामीण जनता के पास कुछ भी नहीं है जबबकि इनके सर्वांगीण विकास के बिना राज्य के विकास या सरकार के अस्तित्व की कल्पना करना व्यर्थ है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वानिकी, वागवानी, मत्स्य पालन एवं डेयरी), द्वितीयक क्षेत्र (लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग) मे रोजगार के अवसरों की प्राप्ति से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। जिले के ग्रामीण विकास हेतु जहाँ एक ओर कृषि विभाग के द्वारा कृषिगत कार्यों में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है वहीं दूसरी ओर जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहे है। खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की आ रही है।

मुख्य शब्द- रोजगार, अर्थव्यवस्था, आत्म निर्भर, श्रम विभाजन, सामाजिक व्यवस्था

प्रस्तावना- देश की अर्थव्यवस्था के विकास में प्राथमिक क्षेत्र की अहम भूमिका रही है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा संबद्ध कियाकलाप, मत्स्यपालन, वान्यिकी, खनन तथा

• शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय. रीवा (म.प्र.)
•• प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, सं.गाँ. स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)

उत्खनन आदि सम्मिलित है। कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप लोगों का परम्परागत व्यवसाय है। यह प्राकृतिक रूप से कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है। कृषि से ही व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सबसे प्रधान व्यवसाय है तथा इसका राष्ट्रीय आय में अंश भी सबसे बड़ा है। आजादी के बाद से ही कृषि आधारित उद्योग यानी प्राथमिक सेक्टर को रोजगार देने का सबसे बड़ा स्रोत मना गया है। जिसके कारण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने की भी पहल देश में की गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल भी किया गया, लेकिन रोजगार देने के असीम संभावनाओं से भरा इस क्षेत्र को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों को लगाने के द्वार चारों ओर से खुले हुए हैं। वर्तमान परिवेश में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्यमों से स्वरोजगार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्वरोजगार के विभिन्न अवसर है।

महिलाएँ अपनी जीविका अर्जित करने के लिये शिक्षा, कौशल, परिवार की परम्परा आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते हुए फसल उगाने के लिए खेतों में कार्य करती हैं। कृषिकर्म द्वारा विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न तथा गैर-खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही महिलाएँ अपनी जीविका वान्यिकी से भी अर्जित करती हैं जिसमें ईंधन की लकड़ी, जड़ी-बूटी वाली औषधि, तेन्दूपत्ता, चार - चिरौजी आदि सभी कुछ सम्मिलित है। बहुत सी महिलाएँ खनन क्षेत्र में भी कार्य करती हैं। साथ ही महिलाएँ पशुपालन, मुर्गीपालन तथा दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में भी कार्य करती हैं। इन सबके साथ-साथ महिलाएँ मत्स्यपालन द्वारा भी आर्थिकी का निर्वहन कर रही है।

शोध प्रविधि- शोध अध्ययन सीधी जिले के ग्रामीण विकास मे प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की प्राप्ति तथा बेरोजगारी को दूर करके समग्र विकास की स्थिति को प्राप्त करने के साथ साथ ग्रामीण विकास और कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादन से सहसम्बंध के अध्ययन पर केन्द्रि शोध यन इस परिकल्पना पर आधारित है कि ग्रामों के आर्थिक विकास में रोजगार के अवसरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषिगत उद्योगों में रोजगार को प्राप्ति से जहाँ एक और ग्रामीण वेरोजगारी को दूर किया जा सकता है बढ़ी इसरी ओर इन क्षेत्रों के सहयोग से ग्रामीण विकास संभव है। कार्य की प्रकृति की सत्यता की क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त ऑकडो से संकलन व विश्लेषण पर आधारित है। शोध में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, समंको का संकलन (प्राथमिक एवं द्वितीयक), वर्गीकरण एवं सारणीयन, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष सूचना संग्रहण एवं अन्य सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा निष्कर्ष किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय- विन्ध्य क्षेत्र की यह धरती जो सीधी जिले की सीमाओं मे आती है अपनी क्रियाशीलता एवं सांस्कृतिक चेतना का केन्द्र बिन्दु रही है। यह जिला अपने आप में प्राकृतिक सम्पदा को समेटे हुए है। मध्य प्रदेश की राजधानी से 632 किलोमीटर की दी पर स्थित यह स्थान सिद्ध ऋषि मुनियों का तपोभूति के रूप मे जाना जाता है। यह स्थान संभागीय कार्यालय से 80 किलोमीटर दूरी पर जिला मुख्यालय के रुप में अस्तित्व मे है। सिद्ध ऋषि की तपोस्थली के कारण इसका नाम सीधी पड़ा। सीधी जिला

म.प्र. के पूर्वी भाग में स्थित है जो 22", 47"5' . 24.42"10" उत्तरी अक्षांश एवं 81:18"40. 82"48"30 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। पर्याप्त वर्षा एवं घने जंगलों के बावजूद पिछड़ेपन से परिभाषित इस जिले का पृथक रूप से इतिहास है। यह जिला संसाधनों से सम्बद्ध होकर भी आँकड़ों के आइने में पिछड़ेपन में ही जाना जाता है।

सीधी जिला महाभारत काल मे वज्रदन्त के आधीन था और कारस प्रदेश का एक अंग था। अगस्य से लेकर अब तक सैकड़ों संक्रान्तियाँ हुई एवं इस प्रदेश पर अपनी स्मृति छोड़ कर अदृष्य के गर्भ में विलीन हो गयी। यह क्षेत्र मगध राजाओं का ही एक भाग है। इसकी पुष्टि 'भरहुत' गाँव मे पाये गये अशोक के एक स्तूप से होती है। यह जिला जनपदकाल से लेकर अंग्रेजी शासन काल के प्रादुर्भाव तक प्रचलित प्रशासनिक परम्परा की छाप समाहित किये हुए हैं। सीधी जिले का कुल क्षेत्रफल 4851 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1127033 है। जिसमे पुरुषों की संख्या 575972 एवं महिलाओं की संख्या 551121 है। सभी पुरुष अनुपात 957 : 1000 है। साक्षरता का प्रतिशत 64.33 है जिसमे पुरुष साक्षरता 74.44 एवं महिला साक्षरता 54. 04 प्रतिशत है। जनसंख्या घनत्व 232 व्यक्ति प्रति वर्ष किलो मीटर है।

अध्ययन का उद्देश्य-

- अध्ययन क्षेत्रान्तर्गत रोजगार के अवसरों द्वारा बेरोजगारी दूर करने एवं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के स्रोतों का अध्ययन।
- रोजगार मूलक योजनाओं के संचालन द्वारा आर्थिक विकास की वास्तविक स्थिति का अध्ययन।
- प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों एवं आर्थिक विकास में सह सम्बंध ज्ञात करना।

आर्थिक विकास (आय सृजन) के प्रमुख स्रोत

प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
कृषि	लघु उद्योग	व्यापारी वर्ग
वानिकी	कुटीर उद्योग	कारीगर
वागवानी	ग्रामीण उद्योग	
पशु पालन		
डेयरी		

प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार की सभावनाएँ एवं उत्पादन – कृषि आय में वृद्धि आर्थिक विकास की कुंजी है।'' विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि ही सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। जिले मे कुल कृषि योग्य भूमि 162864 हेक्टेयर है जो कुल क्षेत्रफल का 29 प्रतिशत भाग है। कार्यशील जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र मे अपनी जीविका का निर्वहन कर रहा है। प्रति वर्ष उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है।

कृषि उत्पादन

क्र.	कृषि उत्पादन	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	कुल अनाज	मैट्रिक टन	256.0	246.0	276.7	280.6	295.7
2	कुल दाले	मैट्रिक टन	62.05	64.50	56.4	61.7	87.8
3	कुल खाद्यान	मैट्रिक टन	318.05	310.50	331.1	342.3	383.5
4	कुल तिलहन	मैट्रिक टन	29.80	45.0	16.0	22.2	31.5
5	गन्ना	मैट्रिक टन	70.20	172.8	156.6	299.0	255.0

वानिकी - आय सृजन के साधनों में कृषि के बाद वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जिले में वन क्षेत्र 239689 हेक्टेयर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42 प्रतिशत भाग है। क्षेत्रान्तर्गत वन विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत (जैसे नये-नये वृक्ष लगाना, फल, फूल, बीज, लकड़ी आदि एकत्रित करना) लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। वनों से प्राप्त लकड़ी, तथा गौड़ उत्पाडों से कुटीर उद्योग एवं व्यापार के द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे है। ऐसे व्यक्ति जो कृषिगत व्यवसाय मे लगे है तथा शेष कार्यशील जनसंख्या को 30 प्रतिशत लोग वनों से रोजगार प्राप्त कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित का रहे है।

वन सम्पदा एवं उत्पादन

क्र.	वन सम्पदा	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	वन के अन्तर्गत क्षेत्र	हेक्टेयर	239689	239689	236750.5	236750.5	236750.5
2	इमारती लकड़ी	घन मी.	7554	6979.0	6802.0	4046.00	3642.0
3	जलाऊ लकड़ी	घन मी.	11587	12103	7803	5339	4525
4	वास	मी. टन	6597258	6333	252	182	256
5	तेदूपत्ता	क्वि.	301889	334550	278662.4	272832	35132.5

पशु पालन से प्राप्त उत्पादन

प्राथमिक क्षेत्र मे रोजगार मूलक समस्याएँ एवं सुझाव- अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक

क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण श्रम शक्ति का अधिकांश भाग बेकार हो जाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भूमिहीन अमिको के रोजगार के दिनों की संख्या में गिरावट के साथ साथ मजदूरी में गिरावट देखने को मिलती है। कृषकों की वित्तीय समस्या आर्थिक विकास में बाधक बनी हुई है। अम प्रधान अर्थव्यवस्था में निम्न जीवन स्तर, पूँजी निर्माण की समस्या, की समस्या, जनसंख्या की समस्या, वेरोजगारी की समस्या आदि के कारण रोजगार के अवसरो मे लगावार कभी हो रही है।

सुझाव– यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए कृषि एवं उद्योग में रोजगार के अवसरों को सदैव प्राथमिकता प्रदान की गयी है। जहाँ एक ओर अनेकानेक प्रोत्साहनों के माध्यम से कृषि, वानिकी एवं पशुपालन जैसे व्यवसायों में लोगों को प्रेरित किया जा रहा है वही दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों में अनुदान एवं ऋणों के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तथापि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है–

- कृषि क्षेत्र मे व्याप्त बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी एवं बेरोजगारी को दूर कर अतिरिक्त जनसंख्या के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाय।
- कृषि एवं उद्योगों में श्रमिकों को प्रशिक्षण, एवं उचित मजदूरी प्राप्त होनी।
- कृषि क्षेत्र में कृषि साख, भूमि सुधार एवं कृषि विभाजन से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण हेतु नवीन पद्धतियों, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण एवं नये बाजारों की स्थापना आवश्यक है।
- औद्योगीकरण को प्रोत्साहित कर श्रमिकों की मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जाय तथा कृषि मे नयी तकनीकों का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाय।
- आधार भूत सुविधाओं एवं प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं मे विकास किया जाय।

निष्कर्ष – आर्थिक विकास की दृष्टि से प्राथमिक मे रोजगार प्रदान करने की वचनवद्धता के परिणामस्वरूप अध्ययन क्षेत्र के जन जीवन स्तर उन्नत हो रहा है। क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं आप के स्रोत के रुप में वृद्धि एवं उद्योग दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्रों में रोजगार के कारण जनाधिक्य का एक बहुत बड़ा भार कम होता दिखाई पड़ रहा है तो दूसकी ओर बेरोजगारी एवं श्रम पलायन को रोकने में इस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण योग दान दिया है। अध्ययन क्षेत्र सीधी जिले में कृषिगत कार्यों मे रोजगार की अपार संभावनाएँ दृष्टिगत हो रही है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास (राष्ट्रीय आय) के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रुप में यह क्षेत्र विषम आर्थिक परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने में सक्षम सिद्ध हुआ है। जहॉ बहु फसलीय उत्पादन के द्वारा अध्ययन क्षेत्र स्वयं में आत्म निर्भरता प्राप्त करने में सक्षम साबित हो रही वही अन्य कृषिगत व्यवसायों की स्थापना करके आय में वृद्धि एवं रोजगार प्राप्त करने मे सक्षम है। प्राथमिक क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएँ है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का सर्वागीण विकास सभव हो सकेगा। रोजगार की पर्याप्तता आर्थिक विकास एव अर्थव्यवस्था के भावी निर्माण में सहायक साबित होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- योजना, योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली प्रकाशन
- ग्राम विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत नई दिल्ली
- आगे आए हुए सुझाव, सूचना एवं जन सम्बधी विभाग म.प्र. शासन का प्रकाशन 2010
- धींगरा ईश्वर एवं गर्ग वी.ओं. भारत का आर्थिक विकास एवं नियोजन सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स नई दिल्ली 1993
- अग्रवाल ए, एन., भारतीय अर्थव्यवस्था विकास पब्लिसिंग हाउस दिल्ली 1984
- सिन्हा डॉ. पी आर एन एवं डॉ. इन्दुवाला, श्रम एवं समाज कल्याण भारतीय भवन ठाकुरवाड़ी रोड पटना 2000
- Kapp K. William Hindu culture, Economic Development & Economic Planning in India- (in Asia) P. 3
- Shivaya KVL Das VBM Indian Industrial Economics Sultan Chand & Company New Delhi 1985
- Kutz- Derial
- Research Method in the behaviour Sciences (Hoct Rinehart win star) 1993 P.94 Dr- Sinha V.C. Monetary Economies Sultan Chand and company New Delhi 1995

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

गहन पारिस्थितिकी दर्शन: एक अध्ययन

•अजीत कुमार
•• रामनाथ प्रसाद

सारांश- मेरे द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र का विषय शीर्षक गहन पारिस्थितिकी दर्शन: एक अध्ययन है, पर्यावरणीय समस्याओं को मात्र विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हे नैतिक एवं दार्शनिक दृष्टि से भी विचारना आवश्यक है। वर्तमान में तीव्र गति से बिगड़ती पर्यावरण स्थिति ने हमें सोचने पर विवश किया है कि प्रकृति की सन्निध्यता कितना आवश्यक है। पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत की क्षति, अम्लीय वर्षा का प्रभाव, जीवों की विलुप्तिकरण ग्लोबल वार्मिंग आदि इस बात का प्रमाण है कि हम पर्यावरण के प्रति सजग नहीं हुए तो हमारा स्थिति और भयावह हो सकती है। अतएव मन में सुप्त पड़ी पर्यावरण चेतना को जाग्रत करना होगा। आज मानव के लिए यह अति आवश्यक हो गया है कि शुद्ध पर्यावरण को ही धर्म के रूप में स्वीकार करें। मानव और मानवेत्तर प्राणियों एवं पेड़-पौधों का परस्पर सामंजस्य ही संतुलन है। इसी क्रम में गहन पारिस्थितिकी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें यह समझने मे मद्द करता है कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बैठाने की आवश्यकता है। यह केवल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के साथ-साथ एक गहरी दार्शनिक समझ भी देता है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र तथा सभी जीवों का सम्मान किया जाता है। अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य आंतरिक रूप से मूल्यवान है, उसी प्रकार सभी जीव (चेतन प्राणी) आंतरिक रूप से मूल्यवान है अर्थात् उनका भी साध्य मूल्य है।

मुख्य शब्द-गहन पारिस्थितिकी, उथला पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, समग्रता, विविधता, सांस्कृतिक, आंतरिक मूल्य, साध्य

भूमिका- गहन पारिस्थितिकी दर्शन एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, जो मानवता और प्रकृति के बीच गहरे और सामंजस्यपूर्ण संबंधो पर आधारित है। गहन पारिस्थितिकी पारंपरिक पारिस्थितिकी से अलग यह मानता है कि मनुष्य केवल प्रकृति का शासक नहीं है, बल्कि एक हिस्सा है। तथा प्रकृति के अन्य जीवों के साथ संतुलित और समान रूप से

• रिसर्च स्कॉलर, दर्शनशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
••प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

रहना चाहिए। नार्वे के दार्शनिक अर्ने नेस 1973 में अपने एक लेख में गहन पारिस्थितिकी को स्पष्ट करते हुए कहते है, गहन पारिस्थितिकी सभी प्राणियों के आन्तरिक मूल्य को महत्व देती है और मनुष्य को जीवन के जाल का एक विशेष किनारा मानती है। जैसे एक जाल (Net) में सभी तन्तु एक-दूसरे से जुड़े हुए रहते है, उसी प्रकार विश्व के सभी प्राणी (जीव) एक-दूसरे से जुड़े है। उन्होने पारिस्थितिकी को दो भागों में विभाजित किये है- 1. उथला पारिस्थितिकी (Shallow Ecology) 2. गहन पारिस्थितिकी (Deep Ecology).

वह आगे कहते है यह उथले पारिस्थितिकी की तरह केवल मानव केन्द्रित नहीं है। यह विश्व को अलग-अलग वस्तुओं के संग्रह के रूप में नहीं देखता है। यह विश्व को घटनाओं के उस जाल के रूप में मानता है, जिसमे सभी अन्त:र्सम्बन्धित और अन्त:निर्भर है। गहन पारिस्थितिकी जिस आधार को लेकर चली है, वह समष्टि का विचार है। यह यन्त्रवादी विचार से अलग समग्रता की विचारधारा को अपनाती है। उदाहरण स्वरूप-सभी जीवों के प्रति समान मूल्य, प्राकृतिक तंत्रों की संपूर्णता, मानवता का स्थान, अध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान इत्यादि।

परिचय- गहन पारिस्थितिकी दर्शन (Deep Ecology) एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, जो मानवता और प्रकृति के बीच गहरे और सामंजस्यपूर्ण संबंधो पर आधारित है। यह दर्शन इस विचार से उत्पन्न हुआ कि पर्यावरणीय संकटों के समाधान के लिए केवल तकनीकी उपायों का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक गहरी और समग्र दृष्टि की आवश्यकता है जो हमें पृथ्वी के प्रत्येक जीव के महत्व को समझने मे मद्द करती है। गहन पारिस्थितिकी पारंपरिक पारिस्थितिकी से अलग यह मानता है कि मनुष्य केवल प्रकृति का शासक नहीं है बल्कि एक हिस्सा है और उसे प्रकृति के अन्य जीवों के साथ संतुलित और समान रूप से रहना चाहिए। गहन पारिस्थितिकी से पहले पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर विचार करना आवश्यक है, पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी (Ecology) कहते है। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है आइकोस (Iokos) और लोगस (Logos) आइकोस का अर्थ है 'घर' या निवास स्थान और लोगोस का अर्थ है 'अध्ययन' अर्थात जीवो का उनके निवास स्थान में अध्ययन म्बवसवहल (पारिस्थितिकी) कहलाता है।[1] अब पारिस्थितिकी तंत्र पर विचार अपेक्षित है। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी स्वतंत्र पर्यावरणीय इकाई है जो किसी जीव समूह और उसके इर्द गिर्द भौतिक पर्यावरण के बीच सामंजस्य एवं समन्वय रखती है। जैसे -घास पारिस्थितिकी तंत्र, मस्वस्थल पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, नदी पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। गहन पारिस्थितिकी दर्शन का आरम्भ 1970 के दशक में नार्वे के दार्शनिक अर्ने नेस द्वारा किया गया था। उन्होने गहन पारिस्थितिकी को स्पष्ट करते हुए कहते है, गहन पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकीय दर्शन का वह भाग है जो समस्त जीवित प्राणियों के आंतरिक मूल्य को महत्व देती है और मनुषय को जीवन के जाल का एक वि'ाष किनारा मानती है। अर्ने नेस ने पारिस्थितिकी को दो भागों में विभाजित किये है।[2]

1. उथला पारिस्थितिकी (Shollow Ecology)
2. गहन पारिस्थितिकी (Deep Ecology)

वह आगे कहते है यह उथल पारिस्थितिकी की तरह केवल मानव केन्द्रित नहीं है। गहन पारिस्थितिकी में कोई भी वस्तु (मनुष्य या कोई भी जीव जन्तु) प्राकृतिक पर्यावरण से अलग नहीं है। यह विश्व को अलग-अलग वस्तुओं के संग्रह के रूप में नहीं देखता है। यह विश्व को सभी जीवों को उस जाल के रूप में मानता है, जिसमें सभी अन्तसम्बन्धित और अन्तनिर्भर है। जैसे एक जाल में सभी जन्तु एक-दुसरे से जुड़े रहते है, उसी प्रकार विश्व के सभी प्राणी (जीव) एक-दुसरे से जुड़े है। गहन पारिस्थितिकी जिस आधार को लेकर चली है वह समष्टि का विचार है, यह यन्त्रवादी विचार के अलग, समग्रता की विचार धारा को अपनाती है।[3]

गहन पारिस्थितिकी की विशेषताएँ

अन्तर्सम्बन्ध या अन्तनिर्भरता- गहन पारिस्थितिकी की विशेषता यह है कि विश्व में सभी प्राणी और घटनाएँ एक दूसरे से सम्बन्धित है और एक दूसरे पर निर्भर भी करती है। जैसे एक जाले (Net) में सभी तन्तु कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए है, वैसे ही सभी व्यक्ति, घटनाएँ, आदि एक दूसरे जुड़ी हुयी है। प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य और अन्य वस्तुएँ एक दूसरे से अलग नहीं है। अर्थात् भू-संरचना, जल क्षेत्र एवं विविध इकोसिस्टम इत्यादि का भी अपना आंतरिक मूल्य है और मनुष्य को इस बायोस्फेयर (Biosphere) का निष्वार्थ भाव से संरक्षण करना चाहिए, बायोस्फेयर पृथ्वी के समस्त इकोसिस्टम का योग है।[4]

गहन पारिस्थितिकीय चेतना ; ।तमदमेद्ध अध्यात्मिक या धार्मिक चेतना कही जाती है- गहन पारिस्थितिकी की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसकी चेतना में अध्यात्मिकता अथवा धार्मिकता की चेतना होती है। इसे ही हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते है कि गहन पारिस्थितिकी, अध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त्र करती है। गहन पारिस्थितिकी में मानव, समाज और प्रकृति के अर्न्तसम्बन्धों को निरूपित किया जाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति समपूर्ण ब्रह्मण्ड में अपने को अकेला नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मण्ड के साथ जुड़ा मानता है। मानव चेतना ब्रह्मण्ड की चेतना से तादात्म्य स्थापित करती है। इसका पता मानव-आत्मा और उसकी चेतना से लग जाता है, क्योंकि व्यक्ति चेतना में एक लगाव या सम्बन्ध का भाव रहता ही है। व्यक्ति अंश है तो सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड पूर्ण है और वह उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि अंश और अंशी का सम्बन्ध निर्विवाद है। अत: यह स्पष्ट है कि अपने गहनतम अर्थ में गहन पारिस्थितिकी की चेतना अध्यात्मिक है। कॉप्रा ने गहन पारिस्थितिकी की इसी अध्यात्मिक चेतना के कारण ही यह कहा है कि इसमें आश्चर्य नहीं है कि सत्यता को जानने की जो नई दृष्टि गहन पारिस्थितिकी की चेतना पर आधारित है, वह कहीं न कहीं पारम्परागत द'ान की अध्यात्मिक परम्परा के अनुरूप हो। वह प्राचीन परम्परागत दर्शन चाहे क्रिश्चियन रहस्यवादियों का हो चाहे जैन-वौद्ध का, इन सभी से गहन पारिस्थितिकी की चेतना का मेल स्थापित होता है।[5]

गहन पारिस्थितिकी की विशेषता यह है कि वह गहनतर प्रश्नों को पूछता है- गहन पारिस्थितिकी की मुख्य विशेषता यह है कि यह मानव-जीवन के आदर्शों, दृष्टिकोणों और आने वाली पीढ़ी के भविष्य में गम्भीर प्रश्नों को पूछता है। आधुनिक अथवा

उत्तर–आधुनिक युग के मानव के वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा भौतिकता वृद्धि के विषय में यह प्रश्न करता है कि मनुष्य का जीवन कैसा होगा? प्रकृति का संतुलन कैसे बना रहेगा? व्यक्ति और समाज के अन्तर्सम्बन्धों के विषय में प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार मानव प्रगति और वृद्धि को संपोष्य बनाया जा सकता है, पारिस्थितिकी द्वारा जीवन में असीमित भौतिक वृद्धि और प्रगति के विषय में यह पूछा जाता है कि क्या अर्थ और तकनीकी से लायी गई प्रगति स्थायी होगी। क्या जीवन में शांति, सुख, संतोष और सादगी का मार्ग संपोष्य विकास के लिए आवश्यक है? कहने का अर्थ यह है कि क्या यांत्रिक जीवन–पद्धति मानव के लिए सुख और शांति दे सकेगा? क्या इस अवस्था में व्यक्ति का विकास होगा या यान्त्रिक समाज का विकास होगा, जिसमें व्यक्ति की गणना एक वस्तु के रूप में होती है। इसमें व्यक्ति साधन मात्र बन कर रह जाता है, न कि साध्य। व्यक्ति के विकास का अर्थ है, व्यक्ति का आन्तरिक विकास, उसका विचार, जीवन–लक्ष्य और जीवन आदर्श ऐसा हो जिसमें व्यक्ति और समाज में तथा समाज और अन्य जीवन प्राणियों में अन्तर्सम्बन्ध हो। परस्पर निर्भरता हो। ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें बालक, गरीब, नारी, प्रकृति, निर्बल आदि का 'ाोषण और उनपर अत्याचार बन्द हो। न्याय की व्यवस्था हो। ऐसे समाज को संपोष्य समाज की संज्ञा दी जानी चाहिए। धरती माँ की पवित्रता, पारिस्थितिकीय एकता तथा सभी जीवों की अन्योन्याश्रित्ता को दृढ़ता के साथ संकल्प पूर्वक स्वीकार करें।[6]

गहन पारिस्थितिकी के सिद्वान्त

1. सभी जीवों के प्रति समान मूल्य- गहन पारिस्थितिकी यह मानता है कि सभी जीवन (जीवों) रूपो का मूल्य समान है। मनुष्य के साथ–साथ अन्य सभी प्राणियों और प्राकृतिक तंत्रों का अस्तित्व भी महत्वपूर्ण है। इस दर्शन के अनुसार, हमें प्रकृति में हर जीव का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अनुष्य हो या कोई अन्य जीव।

2. प्राकृतिक तंत्रों की संपूर्णता- गहन पारिस्थितिकी यह मानता है कि पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र एक सम्पूर्ण और परस्पर जुड़े हुए तंत्र की तरह काम करता है। यह विचार करता है कि प्रत्येक जीव और तत्व के अस्तित्व का एक उद्दे'य है और वे सभी मिलकर पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते है। यह दृष्टिकोण यह समझने मे मद्द करता है कि अगर एक जीव या तंत्र का नुकसान पहुँचता है तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।

3. मानवता का स्थान- गहन पारिस्थितिकी में यह माना जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर सर्वोच्य नहीं है। मनुष्य एक हिस्से के रूप में प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसे इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि मनुष्य के अस्तित्व और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। मनुष्य को अपनी इच्छाओं और जरूरतों के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने की आवश्यकता है।

4. अध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण- गहन पारिस्थितिकी से अध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा मिलता है। यह मानता है कि प्रकृति के साथ एक गहरे और समर्पित संबंध की आवश्यकता है। यह सिर्फ भौतिक या आर्थिक दृष्टिकोण से नही, बल्कि अध्यात्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने की बात करता है।

प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान- गहन पारिस्थितिकी इस विचार को बढ़ावा देता है कि संसाधनों का उपयोग करते समय हमें उनकी अस्तित्व का ध्यान रखना चाहिए। यह केवल विकास के लिए नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाये रखने के लिए जरूरी है। उदाहरण के रूप में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि जैसे संकटो से निपटने के लिए इसका दृष्टिकोण स्थायित्व पर केन्द्रित होता है। अतएंव हमें इनकी देखभाल एवं कद्र करनी चाहिए।[7]

गहन पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव

पर्यावरणीय, आंदोलन- गहन पारिस्थितिकी ने पर्यावरणीय आंदोलनो को प्रेरित किया है। यह दर्शन लोगों को अपने जीवन के तरीकों में बदलाव लाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और जैव विविधता का रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आंदोलन पर्यावरणीय अवमूल्यन तथा पर्यावरणीय असमानताओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है।

समाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव- गहन पारिस्थितिकी का प्रभाव न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को भी प्रभावित करता है। यह समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के सिद्धान्तों को पर्यावरणीय संदर्भ में जोड़ता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना है जहाँ प्रकृति और समाज का सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके।

विकास और प्रौधोगिकी- गहन पारिस्थितिकी विकास की परिभाषा को भी बदलती है। यह सिर्फ आर्थिक वृद्वि के बजाय समग्र और स्थिर विकास की अवधारणा को बढ़ावा देती है। इसके अन्तर्गत प्रौधोगिकी का उपयोग भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है।[8]

निष्कर्ष- गहन पारिस्थितिकी दर्शन एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें यह समझने में मद्द करता है कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बैठाने की आवश्यकता है। यह न केवल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि एक गहरी दार्शनिक समझ भी देता है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और सभी जीवों का सम्मान किया जाता है अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य आंतरिक रूप से मूल्यवान है, उसी प्रकार सभी जीव (चेतन प्राणी) आंतरिक रूप से मूल्यवान है अर्थात् उनका भी साध्य मूल्य है। आज के समय मे, जब पर्यावरणीय संकट तेजी से बढ़ रहे है, ऐसे में गहन पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि हम पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संतुलित जीवन जी सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बना सके। ऐसा तभी संभव है जब हम संपोष्य समाज की रचना हो। अर्थात् सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं और आकंक्षाओं की पूर्ति या संतुष्टि भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के अवसरों को बिना घटाए कर सकें। किसी समाज का स्थायी विकास तभी संभव होगा जब विभिन्न समस्याओं को अन्तर्सम्बन्धित रूप में देखेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. यादव, डॉ. शिवपूजन सिंह, 'पारिस्थितिकी दर्शन एक संश्लेषणात्मक दृष्टि' अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2018, पृ0-21
2. Naess, Arne, The Deep Ecology movement: Some Philosophical Aspects, Enviormental Philosophy; from Animal rights to Radical Ecology (eds Michael E Zimmerman. etal) Prentice Hall, New Jersey, 1993 p.-203
3. मिश्र, डॉ. हृदय नारायण, 'पारिस्थितिकी दर्शन', शेखर प्रकाशन, प्रयागराज, पृ.-44
4. कुमार, डॉ. मृत्युंजय 'पर्यावरण दर्शन' स्वत्व प्रकाशन, पटना, प्रथम संस्करण, 2021, पृ.-27
5. Copra, Fritjob, Deep Ecology: Educational Possibilities for the twenty first century, The Mamta Journal, Vol. -38, No-1,2013
6. भारद्वाज निरंजन देव, अनुवाद, प्रवीण वर्मा, 'पर्यावरण नैतिकता', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, 2021, पृ..23
7. वही, पृ.-27
8. वही, पृ.-33

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

छत्तीसगढ़ का पर्यटन केंद्र उल्टा पानी मैनपाट: रहस्यमय स्थल, जहां वैज्ञानिक भी हैरान

• बिकलेस कुमार गुप्ता

सारांश- छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिला के अंतर्गत आने वाला विकासखंड,सीतापुर, मैनपाट के गांव बिसर पानी का क्षेत्र उल्टा पानी देश-विदेश तक हो रहा विख्यात है। जहां पानी बहता है उल्टा। वैज्ञानिक भी हुए हैरान, शोध का विषय बनता जा रहा है यह क्षेत्र, वैज्ञानिकों का का मानना है कि यह सिर्फ हो सकता है भ्रम या फिर कुछ और ग्रामीण मानते हैं।अपने ईश्वर का चमत्कार, जहां पानी तो छोड़ो गाड़ी भी हो जाती है, न्यूट्रल में घाट की ओर चलना, सैलानियों के मन में बनता जा रहा है, मैनपाट उल्टा पानी क्षेत्र घूमने का स्थल।

मुख्य शब्द- उल्टा पानी, मैनपाट, राजनीतिक दूरदर्शिता, पानी का उल्टा बहना

परिचय- पर्यटन विश्व का एक महत्वपूर्ण विषय आजकल बनता चला जा रहा है। दैनिक जीवन में सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप से अवसाद या परेशानियों से घिरे हुए हैं,और इसी अवसाद से निकलने के लिए या परेशानियों से थोड़ी बहुत राहत लेने के लिए मानव जाति ऐसे स्थान का भ्रमण करना शुरू कर देती है, या कर देते हैं जिस स्थान पर शांति सुकून और जीवन को प्रेरणा देने वाले या तथ्यों को स्पष्ट करने वाले या जहां पर रहस्य छिपे हुए हो, वहां पर आना-जाना शुरू कर देता है और वही स्थान कालांतर में कुछ समय पश्चात पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है। पर्यटन क्षेत्र पूरे विश्व में पर्यटन दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से 27 सितंबर के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे स्थान है। जहां नदियां, पहाड़, पाट, गुफा होती हैं। और अपनी अद्भुत रहस्य के कारण प्रसिद्ध हो जाती हैं। आज उन्हीं के विषय में मैंने अपने शोध पत्र में सरगुजा जिला के सीतापुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र मैनपाट का जानकारी प्रदान करूंगा।

जिला सरगुजा-छत्तीसगढ़ भारत के मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के रूप में स्थित है। जिसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। यह भारत देश का 26 वॉ राज्य रहा है, इसके चारों और पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, मध्य प्रदेश संलग्न है। सरगुजा छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक जिला है।

• सहायक प्राध्यापक, डिपार्मेंट आफ पॉलीटिकल साइंस, शासकीय नवीन महाविद्यालय कमलेश्वरपुर मैनपाट जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

जो सूंगुजा से बना हुआ है, जिसका अर्थ है। देवताओं/हाथियों का गूंजने वाला क्षेत्र या स्वर्ग जैसी भूमि, हाथियों का गुंजन सुनाई देता है। हाथिओ का झुंड इस सरगुजा संभाग में प्राय: देखने को ठंड ऋतु में मिलता है, सरगुजा अपनी बहुत सारे रहस्य को लिए हुए हैं ।जैसे सीता बेंगरा, लक्ष्मण गुफा, प्राचीन मंदिर मां महामाया, प्राचीन देव स्थल देवगढ़,प्राचीन स्थल महेश्वरपुर लखनपुर, इनमें से प्रसिद्ध सरगुजा जिला का अंबिकापुर स्थान मां महामाया अंबिका देवी के नाम के कारण अंबिकापुर नाम रखा गया है। इसी सरगुजा जिले में अंबिकापुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ियों पर टेढ़ी–मेढ़ी दिशाओं से होते हुए सड़कों के बने जिक जैक से ऊपर की ओर चढ़ती हुई,छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाली स्थल मैनपाट स्थित है चलते हैं मैनपाट की ओर।

मैनपाट- मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मैनपाट को शिमला कहे जाने का कारण यह कि शिमला के समान मैनपाट का वातावरण ठंडा रहता है। जो छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों की अपेक्षा यहां का तापमान कम ही रहता है, क्योंकि यह स्थल ऊंचे–ऊंचे पेड़ों साल, हरा से, समुद्र तल से 3781 फिट ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर बॉक्साइट का उत्पादन वाले क्षेत्र दुर्गम घाटिया, बौद्ध मंदिर, मेहता पॉइंट, सनसेट परपटिया, टाइगर प,इंट, फीस प,इंट, जलपरी, पेंट घाटी,बंदर कोट, उल्टा पानी, जलजली, कुनियाव, टरफॉल, सपनादरव, टरफॉल, आमगांव वॉटरफॉल, मैगी प्वाइंट, घाघी झरना, इन सारी खूबियां को लिए हुए हैं । तिब्बत का समुदाय का इस क्षेत्र में निवास करना छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत कहलाना,उनकी संस्कृति सभ्यता का विकास करना, मांझी समुदाय का सरल और सिधापन उनकी सभ्यताएं और अनेक जातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं। इन्हीं में से एक पर्यटन स्थल उल्टा पानी है। आज उल्टा पानी का विश्व स्तर पर चर्चा और बहुत सारे शोध का विषय बना हुआ है।

बिसर पानी- मैनपाट के विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण प्रधानता से भरी एक गांव है। यह गांव पूरी तरह से साल,सजा हर्रा और कटीली झाड़ियां, आकाश को निहारत हुए लंबे–लंबे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन में रहने वाली आदिवासी जनजातीय इसक्षेत्र को बहुत अद्भुत और यादगार सुकून बना देती हैं। मैं पूर्व में इस गांव से परिचित नहीं था, किंतु अपने कार्य स्थल के आने–जाने वाले मार्ग में यह गांव पड़ता था। मैंने पहले सोचा कि इस गांव का नाम यह कैसे पड़ा होगा। कैसे पता करूं इसलिए मैंने प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों से पूछना शुरू किया,यह अद्भुत नाम है। उसके पश्चात आसपास के घरों में चौक, चौराहों में ग्रामीण जनों से और वहां पर निवास करने वाले लोगों से पूछने पर की इस गांव का नाम बिसर पानी क्यों पड़ा है। प्रारंभ में कुछ ग्रामीण जन बोलने से कतराने लगे हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो कुछ लोगों का तो कहना था। कि हमें नहीं पता हमारे पूर्वजों ने यह रखा होगा उसकी जानकारी तो अभी नहीं है और मुस्कुरा दिए कुछ लोगों का कहना था कि इस गांव में प्रत्येक स्थान पर कहीं ना कहीं रूप से पानी का रिसाव धरती से होता है। जिस कारण से पानी रिसाव की वजह से पानी का विसरना ही, इस गांव का नाम पड़ गया उल्टा पानी। उल्टा पानी रहस्यमई क्षेत्र इसी ग्राम में स्थित है। जिसका अध्ययन हम आगे की ओर करेंगे ।

उल्टा पानी- सामान्य रूप से हमारे मन में और हमारे दिमाग में यही बात चलती रहती है। कि उल्टा पानी मतलब पानी कैसे उल्टा हो सकता है। यह कैसे संभव है, हमारा जिज्ञासु मन इस विषय से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता की पानी भी कभी उल्टा हो सकता है या उल्टी दिशा की ओर बढ़ सकता है क्योंकि हमने सदैव सही ज्ञान और सही नियम पड़े हैं। किंतु प्रकृति ने कुछ नियम ऐसे भी बना कर रखे हैं जो हमें देखने को बहुत ही कम मिलता है और सोचने पर मजबूर कर देती है, उल्टा पानी उसी में से एक है यह पहाड़ी क्षेत्र कमलेश्वरपुर मुख्य मार्ग से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। पहाड़नुमा इस क्षेत्र की संरचना है, मुरुम लाल मिट्टी व और इस पंचायत में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए खप्पर मिट्टी के घर है। उल्टा पानी असल बात तो यह है कि यह स्थान पर पानी घाट की ओर चढ़ती है, जबकि हमने यह देखा है कि पानी हमेशा ढलान की ओर बहती है लेकिन बिसर ग्राम के इस स्थान पर एक आम के पेड़ के नीचे से पानी का उद्गम होता है और यह पानी ढलान से होते हुए घाट की ओर चलता है एवं कागज के नाव/ कोई भी सुखी पत्ती बनाकर रखने पर वह पानी की दिशा में ही बहने लगती है। अर्थात घाट की ओर वहां मूल निवासियों से पूछने पर पता चलता है कि प्रारंभ में आम के पेड़ के नीचे से पानी निकलता था और यह पानी नीचे की ओर मतलब ढलान की ओर बह कर चली जाता था, किंतु ग्रामीणों ने पतली सी क्यारी बनाकर नहर नुमा संरचना देकर इस आम के पेड़ के नीचे से निकलते हुए पानी को घाट की दिशाओं से ले जाते हुए, अपने खेत की ओर ले गए उनका मुख्य मकसद था कि घाट के नीचे वाली खेत तक यह पानी पहुंचाया जाए और खेती का कार्य किया जाए। किंतु उन्हें यह क्या पता था कि पानी घाट की ओर भी चल सकती है और ऐसा हुआ पानी घाट की ओर चढ़ना, शुरू हो गई और इस क्षेत्र का नाम पानी का उल्टी दिशा में बहने के कारण उल्टा पानी पड़ गया। इस क्षेत्र को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक और सैलानी घूमने आते हैं। प्रत्येक दिन इस क्षेत्र में चार से 5000 सैलानी पहुंचते हैं और अपने मन को आनंदित करते हैं। इस विषय को देखकर साथ ही साथ यहां पर छोटे-छोटे झोपड़ी नुमा घरों में खुले हुए दुकान जहां पर ग्रामीणों द्वारा चना, मुर्रा, मूंगफली, बादाम, जड़ी-बूटी औषधियां, समोसा, भजिया, कचरी, गर्मी के दिनों में संतरा से गना का रस विक्रय किया जाता है और पर्यटक इन सभी का लुफ्त उठाते हैं यहां तक तो ठीक है।

अब प्रश्न यह उठता है कि पानी घाट की ओर क्यों बह रहा है। मतलब उल्टा दिशा की ओर क्यों जा रहा है। इस विषय पर बड़े-बड़े विद्वान वैज्ञानिक इस क्षेत्र को शोध कार्य के रूप में अध्ययन किये और कर भी रहे होंगे, कुछ का मानना था कि इस क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव व गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव है। इस क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है, जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर काम नहीं करती, कुछ विद्वानों का मानना है कि उल्टा पानी बहने के दो कारण हो सकते हैं। प्रथम तो इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल का ना होना दूसरा भ्रम अर्थात हो सकती है। हमें देखने में भ्रम हो, लेकिन प्रायोगिक रूप से देखा जाए, वहां पर उपस्थित होकर तो पानी नीचे ढलान की ओर से निकल रही है और ऊपर चढ़ाई की ओर बढ़ रही है बढ़ते-बढ़ते आगे खेत में पहुंच जाती है, यहां तक तो ठीक था लेकिन जब कोई भी गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया जाए, तो ढलान से चढ़ान(घाट) की ओर उतरने लगती हैं । यह अविश्वरणीय दृश्य रहा है। इस संबंध में

तरह–तरह की बातें भॉती–भॉती के लोगों को द्वारा की जाती है। जब गाड़ी घाट की ओर उतर सकती है, तो पानी भी घाट की ओर उतर सकता है यही उल्टा पानी का रोचक तथ्य है। जिस पर शोध कार्य समय–समय पर विद्वानों द्वारा किए जा रहे हैं। उल्टा पानी का कम भाग दूसरी दिशाओं की ओर बहता है और छोटे से झरने का निर्माण करता है। इस झरने को ग्रामवासी गुना घोघरा के नाम से पुकारते हैं।

जब इस नाम के बारे में जानने का कोशिश किया तो ग्राम वासी बताएं कि इस पानी की धारा जब नीचे की ओर गिरती है। झरने के रूप में बनकर बहती है तो बहुत दूर तक सुनाई देती है और बरसात के दिनों में इसकी धार तेज हो जाती हैं। पूरे गांव तक इसकी प्रवाह सुनाई देती है। बरसात का पानी हो व उल्टा पानी का पानी इस झरने से होकर बहती है।

हम सभी जानते हैं कि जीवन का प्रत्येक पल कुछ न कुछ घटनाओं से गुजरता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा। अच्छी घटनाएं कुछ नए परिवर्तन की ओर इशारा कर देती हैं और बुरी घटनाएं हमें कुछ सिखा देती है, जीवन के हर क्षेत्र में हमें अनसुलझे पहलुओं को देखने को मिल जाता है।

भारत के भू भाग पर्यटन क्षेत्र उल्टा पानी मैनपाट को भी ऐसी ही समझ सकते हैं। जिस क्षेत्र में मानव रहना शुरू कर दे, उस क्षेत्र विकास अपने आप खिंचा चला जाता है और शासन– प्रशासन की छत्रछाया देखने को मिल जाती है। स्थानीय सरकार गांव से ही आरंभ होती हैं, क्योंकि मानव तो राज्य का अभिन्न अंग है और यही जनता और समाज, सरकार का निर्माण करती हैं तथा सरकार की योजनाओं को संचालित करती हैं। अरस्तु ने इस संबंध में मनुष्य को सर्वप्रथम "सामाजिक प्राणी के रूप में कहा।" आज से कई साल पहले उल्टा पानी के अस्तित्व को कोई नहीं जानता होगा । यहां तक की एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक को भी नहीं पता था, कि उल्टा पानी जैसा कुछ स्थान होता है। किंतु जब से मानव समाज इस क्षेत्र में रहना आरंभ किया होगा और गांव, समाज का निर्माण का आरंभ किया होगा, तो उसके विचार में इस क्षेत्र के लिए जरूर कल्पना उत्पन्न हुई होगी और जाने ही अनजाने में अपने जियोकोपार्जन खेती–बाड़ी के लिए इस उल्टा पानी का उपयोग करने का कोशिश किया होगा तथा इस पानी को नहरे का रूप देकर आरंभ किया होगा।

शासन-प्रशासन का योगदान- शासन प्रशासन का ध्यान जब इस और लग जाता है कि संबंधित क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उस क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है तो वह अपना कार्य हर हाल में उस क्षेत्र को विकास करने के लिए लगा देती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मैनपाट में सरकार के द्वारा साइन बोर्ड में लिखा हुआ मिलता है कि मुस्कुराइए आप मैनपाट में है, यह वाक्य वास्तव में प्रसिद्ध रहा है आपको एक बार मुस्कुराने के लिए जरूर विवश कर सकता है। मुझे तो यह महसूस होता है कि शासन– प्रशासन की महत्वाकांक्षी यह सोच । सोच से ही किसी भी स्थान का महत्व चार गुना बढ़ जाता है, उल्टा पानी उनमें से ही एक शामिल है। प्रकृति के वादियों में प्रकृति ने इसको बनाया किंतु मानव जाति ने इस पर सुधार करके रौनक बढ़ा दिया। उल्टा पानी तक जाने के लिए किसी

प्रकार कोई मार्ग नहीं था सड़क का अभाव था। विद्युत की व्यवस्था नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे। उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातीय समाज शिक्षा की व्यवस्था से कोसो दूर था। किंतु लोगों के प्रयास से जब उल्टा पानी का निर्माण किया गया और शासन–प्रशासन की नजर इस क्षेत्र पर पड़ी तो उल्टा पानी का यह नाम विश्व में प्रसिद्ध हो गया और यह मैनपाट का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र में गिना जाता है। यहां एक से एक विद्वान, जनप्रतिनिधि, मीडिया, शोधकर्ता, जब इस क्षेत्र में आना शुरू कर दिए सरकार के द्वारा बनाए गए सड़क मार्गों का प्रयोग करते हुए जगह–जगह पर दूरी/मिल के पत्थर, रास्ते भर में लगे हुए साइन बोर्ड मानो ऐसा लगता है कि सैलानीयो को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो कि आप आगे बढ़िये मैं इतने किलोमीटर पर हूं और मैं इस दिशा की ओर हूं। इन सभी को देखकर किसी भी सैलानी के मन में व्याकुलता की भावना इतनी प्रबल हो जाएगी, कि वह इसे देखने के पश्चात ही अनुभव कर सकता है कि वास्तव में अद्‌भुत नजारा है। शासन और प्रशासन भी इसके विकास के लिए प्रयास में लगी हुई है, ताकि इस क्षेत्र का विस्तार प्रचार– प्रसार किया जा सके, स्थानीय जनता जनप्रतिनिधि बढ़–चढ़कर इस कार्य को करती है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। उल्टा पानी में बसों से गीत संगीत मौज–मस्ती करते हुए बच्चो का समूह, युवा, बुजुर्ग अपने साधनों से आसानी पूर्वक इस जगह पर पहुंच सकते हैं। कहीं भी उन्हें भटकने की यह गुम होने की संभावना नहीं हो सकती क्योंकि यह दिशा बोड और साइन बोर्ड उन्हें जागरूक करती है। व प्रशासन इन क्षेत्रों को और विकसित करने के लिए ग्रामीणों तथा स्थानीय सरकारों का सहारा लेकर चलती है। घुमावदार सड़कों के किनारे बने हुए दीवारों पर आदिवासी समाज की संस्कृति का चित्र, मैनपाट कार्निवल उत्सव का चित्र आदि, दुर्गम क्षेत्र होने के कारण भी बिजली की व्यवस्था करना, दूर क्षेत्र से आए हुए सैलानियों का संचार नेटवर्क प्राप्त करना, यह सब एक शासन कि दूरदर्शिता तथा राजनीतिक विचारक्षेत्र का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब एक राज्य से एक गांव से, एक देश से, दूसरे गांव के लोग दूसरे राज्य के लोग, दूसरे देश के लोग आवागमन शुरू करते हैं वहीं से राजनीतिकसोच,विचारधारा, नवीन ज्ञान, नवाचार आरंभ होना शुरू हो जाता हैं। अरस्तु पॉलिटिक्स में लिखते है कि "राज्य प्रकृति की सृष्टि है और मनुष्य प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है" मनुष्य राजनीतिक प्राणी है। तब यह मानव जाति नयी–नयी जानकारियां बातें उस क्षेत्र से लेकर जाते हैं। जिस क्षेत्र में वह लोग भ्रमण करने आते हैं और यही राजनीतिक घटनाओं क्रियाकलापों को जन्म देती है। इससे पर्यटन क्षेत्र का बढ़ावा देखने को मिलता है। उल्टा पानी के विकास के लिए शासन–प्रशासन सरकार द्वारा राजनीतिक छवि रखने वाले प्रतिनिधि द्वारा समय–समय पर इस पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए योजनाएं और उनके लिए कार्य रूप किया जाता है। ताकि अधिक से अधिक सैलानी इस क्षेत्र पर भ्रमण के लिए आए जैसे उल्टा पानी के पास ही गढ़ कलेवा केंद्र खोला गया है। जहां पर भोजन बनाकर पर्यटकों को खिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा डामरीकरण सड़क, इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए आसानी से बनाया गया है। साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय आदि,इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले जनजातीय समाज के तकनीकी ज्ञान से जोड़ने के लिए बिजली की व्यवस्था समस्त घरों के पास की गई है।

उद्देश्य-इस शोध पत्र का उद्देश्य मेरे द्वारा उल्टा पानी क्षेत्र का और उनसे प्राप्त होने वाली लाभ व विकास करना है। विकास सिर्फ एक सामाजिक प्राणी कर सकता है, वह है इंसान। यदि आप शोध करता है,तो इस विषय पर शोध करेंगे। यदि आप कवि हैं तो इन वादियों से आप कविता की रचना करेंगे। यदि आप कोलाहल से परेशान है तो इस क्षेत्र में आकर स्वास्थ्य सुकून के पाल तलाश करेंगे। यदि आप इतिहासकार हैं तो इस क्षेत्र के इतिहास को जानने का कोशिश करेंगे। यदि आप प्रकृति प्रेमी है तो सदैव इस प्रकृति में रहने का ही कोशिश करेंगे। यदि आप यूटचूबर/ब्लॉगर हैं, तो यूटचूब के लिए वीडियो बनाएंगे। यदि आप शिक्षक हैं तो आप अपने शिक्षार्थी को ज्ञान के लिए जरूर इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए आएंगे। यदि आप फिल्म निर्माता है तो इस क्षेत्र में आकर इन वादियों में फिल्म का निर्माण करेंगे। यदि आप भूगोलवेत्ता है तो इस क्षेत्र के भूगोल को परखने की कोशिश करेंगे, इतनी सारी खूबियों से भरा हुआ यह क्षेत्र रहा है उल्टा पानी मैनपाट।

सामाजिक महत्व-बिसर पानी के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों में अधिकांश माझवार और उरांव जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनके लिए यह क्षेत्र सामाजिक एकता के रूप में एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। क्योंकि प्रत्येक दिन नए-नए लोगों को देखना नए-नए साधनों, संसाधन को देखना इस क्षेत्र का देश विदेश में दुनिया में नाम रोशन होना। उनका पिछड़ापन का धीरे-धीरे सुधार होना यह सब सामाजिक एकरूपता का परिचायक है। उल्टा पानी के आसपास रहने वाले जनजातीय समाज को देखने और सुनने और समझने से समझ आता है, कि ये अत्यंत खुश और प्रसन्नचित रहते हैं कि इनका ग्राम पंचायत के उल्टा पानी स्थल को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं।

आर्थिक महत्व-उल्टा पानी के आसपास रहने वाले निवासी जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं होता। क्योंकि यह क्षेत्र शहर से दूर होने के कारण एवं दुर्गम होने के कारण यहां की अधिकांश रहने वाली ग्रामवासी का यह जीवकोपार्जन का माध्यम बन सकता है और बन रहा है। अधिकांश जनजातियां समाज व अन्य छोटे-छोटे दुकान किराना दुकान, फल दुकान, भजिया, समोसा, पकोड़े, टिकट काटने और छोटे-मोटे कार्य करके थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं व अपने घर का परिवार का एवं समाज का विकास में सहयोग देने लायक बन जाते हैं। इस तरह से यह उल्टा पानी क्षेत्र ग्राम वासियों को ज्यादा तो नहीं लेकिन कम ही सही रोजगार का अवसर प्रदान करता है इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

वैज्ञानिक विश्लेषण- यह उल्टा पानी का पानी उल्टी दिशा में क्यों प्रवाहित होता है या बहता है, इस विषय पर वैज्ञानिकों को गहन अध्ययन और शोध कार्य किया गया है और किया जाता रहा है। ताकि इस क्षेत्र का सही रूप से मूल्यांकन हो सके इस प्रकार से कहें तो यह क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह शोध का विषय बनता जा रहा है। भौतिकशास्त्री के प्रोफेसर ए.के. पाणिग्रही के मुताबिक, "पानी ऊपर की दिशा में बहे, ऐसा तभी संभव है, जब उस स्थान पर कोई ऐसा बल हो, जो वहां प्रभावी गुरुत्वाकर्षण बल से भी अधिक हो। यह पानी को ऊपर खींच सकता है। उल्टा पानी वाली जगह पर ऐसे कई तत्व हो सकते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा ताकतवर हैं। हालांकि यह शोध का विषय है।"

धार्मिक महत्व- इस क्षेत्र में रहने वाले निवासी उल्टा पानी के बहना और जगह-जगह से पानी का रिसाव होना अपने धर्म से अपनी देवी-देवताओं के आशीर्वाद से संबंध रख के उनके द्वारा देखा जाता है। इनसे जब बातचीत किया गया जानकारी ली गई तो इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के समय से यह प्रवाहित हो रहा है। बह रहा है सब ईश्वर का और हमारे धार्मिक का एकता की यह देन है।

शैक्षिक महत्व- उल्टा पानी मैनपाट का यह क्षेत्र स्कूलों, कॉलेजों के जो पढ़ाई करने वाले बच्चे तथा रिसर्च करने वाले बच्चों के लिए, यह महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें बच्चे और युवा अध्ययन करके और अपने ज्ञान और विज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अध्ययन जारी कर सकते हैं कि वास्तव में क्या है तथा इनसे संबंधित अन्य स्थलों जो देश विदेश में हो उनकी जानकारी प्राप्त करके शोध के परिणाम तक पहुंच सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अत: प्रायोगिक रूप से देखना भी अत्यंत जरूरी है।

उल्टा पानी क्षेत्र को विकसित करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास- उल्टा पानी के क्षेत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए शासन लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में विकास की संभावना अपार होती हैं, पर्यटन क्षेत्र के आसपास आर्थिक और रोजगार से संबंधित अवसर ज्यादा रहते हैं।

इस क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण से वहां पर रहने वाले निवासी जनजातीय समाज अपनी खेती किसानी कार्य नहीं कर पाते, बरसात के मौसम पर ही इनका खेती किसानी कार्य निर्भर करता है। इसके लिए एक उचित जल व्यवस्था के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। यह क्षेत्र दुर्गम होने कारण से यहां के बच्चे ज्यादातर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस हेतु शिक्षा व्यवस्था की जा रही है। पंचायत में ही स्कूल खोले गये है, उल्टा पानी के आसपास सौंदर्य करण होने पर, पर्यटक और भी आकर्षित हो सकते हैं।इसलिए सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है किंतु शासन का यह भी ध्यान है की उल्टा पानी की प्राकृतिक संरचना पर किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो।

निर्धनता के वजह से यहां पर निवास करने वाले समुदाय के बच्चे व अन्य आगे नहीं बढ़ पाते, इसके लिए रोजगार के अवसर भी इस क्षेत्र में उत्पन्न करने के लिए, विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र का विकास और मजबूत और अच्छे से किया जा सके।

कुछ महत्वपूर्ण सुझाव- पेड़ पौधों का हमारे जीवन में और इस वातावरण में रहना जितना जरूरी है, जितना हमारे लिए सांस का लेना। पेड़-पौधे से ही हमें प्राण वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है और यह ऑक्सीजन की कमी, इस कोरोना महामारी में देख सकते हैं। जब व्यक्ति हवा के लिए प्राण वायु के लिए मृत होते जा रहे थे। इसलिए इन पेड़ पौधों का बचाव करना अत्यंत जरूरी है। हमें आसपास के लोगों के साथ मिलकर अथवा स्थानीय समुदाय को भी पेड़ों की कटाई और उनका दोहन पर रोक लगानी चाहिए। ताकि सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले यह वातावरण दूषित ना हो। ये है तो हम हैं। पेड़ पौधों के कटाई और दोहन से मनुष्य के साथ-साथ जंगलों के जानवर भी प्रभावित होते हैं और

धीरे–धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए हमें पर्यटन क्षेत्र को ध्यान रखते हुए, इन सभी का बचाव करना है और हमें यह भी प्रतिज्ञा लेना है कि हर हालात में अपने पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र को बचाकर रखना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन सभी का आनंद उठा सकें।

सैलानी/पर्यटक के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है-

1. जब इन क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जाये तो इन छोटे–मोटे दुकानदारों से खरीदी बिक्री करने से इनका आत्म विश्वास व इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है।
2. यदि इन दुकानदारों का आर्थिक रुप से सहायता पहुंचा दिया जाए तो आसानी से व्यापार का लाभ उठा सकते हैं।
3. स्थानीय रहने वाले ग्रामीण ही पर्यटन क्षेत्र का देखभाल करते हैं, इसलिए पर्यटकों को चाहिए कि स्थानीय नियमों का पालन करें।
4. पर्यटक जब भी इन क्षेत्रों में भ्रमण के लिए आए तो स्थानीय समुदायों को सहयोग करना चाहिए, ताकि इनकी मनोबल कभी कम ना हो।
5. पर्यटकजब इस क्षेत्र से अवगत हो जाए तो उन्हें अपने–अपने माध्यम से या प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वह किसी भी माध्यम से अन्य लोगों को भी ऐसे क्षेत्र में घूमने के लिए प्रेरित तथा प्रचार प्रसार करना चाहिए।
6. पर्यटकों को पर्यावरण का ज्ञान जरूर होना चाहिए ताकि साफ सफाई और उनसे होने वाले रोगों की वजह बनने वाले कारकों का निवारण कर सकें।
7. पर्यटकों को जल ही जीवन है इस विषय को समझते हुए जल की हानि को रोकना चाहिए।
8. भ्रमण करने वाले व्यक्तियों को ज्यादा हो सके तो प्लास्टिक का थैला,बोतल,पाउच और अन्य पदार्थ को इन क्षेत्रों में फेंकने से बचना चाहिए या इस्तेमाल कम करना चाहिए।
9. ऐसे वाहनों का प्रयोग पर्यटकों को कम करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं इसके शुद्ध वातावरण को क्षति पहुंचाते हैं ऐसे वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसों को कम प्रयोग करना चाहिए।
10. पर्यटक जब इन क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जाते हैं तो शांति व्यवस्था और अनावश्यक अशोभनीय कृत्य तथा बातों से बचना चाहिए।
11. उल्टा पानी का क्षेत्र जो की भीड़–भाड़ का होता है इसलिए जब कभी सैलानी आए तो वाहन कि गति हमेशा इन क्षेत्रों में कम ही रखनी चाहिए ताकि स्वयं की हानि ना हो और अन्य किसी की भी।
12. इन क्षेत्रों में रहने वाली जंगली जानवरों की रक्षा का भी कर्तव्य समझना चाहिए, ताकि किसी भी जानवर का नुकसान ना हो अनावश्यक मारना, पकड़ ने की कोशिश करना या गाड़ी चढ़ा देना, इनका फोटो लेना से बचना चाहिए।

निष्कर्ष- उपयुक्त उल्टा पानी पर्यटनक्षेत्र का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है।कि यह

क्षेत्र पर्यटन और पर्यटकों के लिए बहुत ही अनमोल तोहफा है। जो रहस्यों से पूरा उल्टा पानी मैनपाट क्षेत्र भरा पड़ा है, इस क्षेत्र का हमारे अनमोल धरोहर के रूप में संजो कर रखना सही मायने से सार्थक होगा। उल्टा पानी के आसपास स्थित भौतीक वातावरण जो शुद्ध हवा प्रदान करती हैं, इसे अन्य प्रदूषित गैसें दूषित न करें इसका भी ख्याल हमें रखना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. छत्तीसगढ़ पर्यटन महिमा, काव्य संघर्ष डॉ. किशन टंडन काव्य संघर्ष क्रांति पेज नंबर – 70
2. दैनिकभास्करईन्यूज https://www.bhaskar.com/interesting/news/chhattisgaratt-ulta-paani-water-flows-from-the-bottom-to-the-top-01604205.html
3. ईटीवी भारत छत्तीसगढ़ प्रकाशित: 27sept 2020,3:54pm Thttps://www.etvbharat.com/hindi/chhattisgarh/state/ambikapur/special-story-on-ulta-pani-mainpat-on-world-tourism-day-2020/ct20200927155436160
4. बंसल न्यूज-Updated : Apr 29, 2024, 7:10 PM IST https://bansalnews.com/here-cars-and-water-roll-to-the-heights-know-what-is-the-scientific-reason-nkp/
5. इंजीनियरिंग और प्रबंधन में वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (आईजेएसआरईएम) खंड 7, अंक, 02फरवरी– 2023 आईएसएसएन 25823930 पेज 1 भारत के छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के मैनपाट क्षेत्र के उल्टापानी जल स्रोतों से ली गई मिट्टी का भौतिक–रासायनिक विश्लेषण–शैलेश कुमार देवांगन, गोपाल कृष्ण शर्मा,एस.के. श्रीवश्रव ।शोध विद्वान, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर (सी.जी.) और सहायक। प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष भौतिकी विभाग, श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर(छ.ग.) 'https://www.researchgate.net/publication/365634853_PHYSICAL_PROPERTIES_OF_WATER_OF_ULTAPAN"_LOCATEDIN_MAINPAT_CHHATTISGARH
6. राजनीतिक चिंतन तथा तुलनात्मक शासन एवं राजनीति,ब्रिटेन,अमेरिका स्वीटजरलैंड – बीए.द्वितीय वर्ष– लेखक डॉ. सीपी शर्मा व डॉ. श्याम सुंदरम।
7. राजनीति विज्ञान बीए प्रथम सेमेस्टर – लेखक डॉ. सीपी शर्मा एवं ड डॉ. के श्याम सुंदरम पृष्ठ क्रमांक 56,57
8. 123kahaniya.comb23august 2023, https://123kahaniya.com/mainpat-ulta-pani-magnetic-hill-chhattisgarh-where-water-flows-bottom-to-up/?amp=1
9. पत्रिका–रामप्रवेश विश्वकर्मा 31/12/2017 11:48A.M https://www.patrika.com /ambikapur-news/you-will-shocked-in-cgs-shimla-heres-stream-flows-reverse-see-video-1-2165976
10. समिता यादव 29 अप्रैल 2021https://www.tripoto.com/trip/mainpat-tourism
11. होमवर्कस्टडी -https://homework.study.com/explanation/why-did-aristotle-call-politics-the-master-science.html

12. हिंदी, छत्तीसगढ़ी और संस्कृत पुस्तक (2019)कक्षा 4- प्रकाशन वर्ष राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद,छत्तीसगढ़ रायपुर।
13. https://scert.cg.gov.in/pdf/textbook2019-20-Unicode1-10/4th%20Hindi.pdf
14. विकिपीडिया https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mainpat
15. सवारी कार रेंनटलस,शबरी शंकर द्वारा प्रकाशित (जून 2022)https://www.savaari.com/blog/things-to-do-in-mainpat/
16. ष्टिदविजन, https://www.drishtiias.com/hindi /images/uploads/1572946131_Chhattisgarh-Of-Geography.pdf
17. हरिभूमिन्यूज-योगिता गौर 3.43 P.M (12 मई 2024) https://www. haribhoomi.com/state-local/chhattishgarh/news /mainpat-tourists-from-germany-enjoy-valleys-24796
18. शोध का विषय-मैनपाट पठार, सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़, मध्य भारत में डेक्कन ट्रैप के एक भाग पर ब,क्साइट के मानचित्रण और लक्षण-निर्धारण के लिए सुदूर संवेदन और भू-रासायनिक दृष्टिकोण शोधकतार्रू संजय कुमार बालाबंटाराय ैदरंल ज्ञनउंत ठंसंइंदजंतंल गाइड -अरविंदंस (2023)Sanjay Kumar Balabantaray गाइड - अरविंदंस (2023) URL-http://hdl.handle.net/10603/489762
19. जिला-सरगुजा शासन https://surguja.gov.in/
20. सरगुजा,विकिपीडिया https://hi.m.wikipedia.org/wiki
21. इंस्टेंटइंडियान्यूजttps://instantindianews.com/tourism/hill-station-mainpat-mysterious-world-of-mainpat-of-chhattisgarh-upside-down-water-and-jaljali-point-if-you-feel-like-going-for-a-picnic-in-this-season-then-make-a-plan/472/
22. नई दुनिया पत्रिका (04 jan 2018)6:57 A.M https://www.naidunia.com/chhattisgarh/ambikapur-news-amb-1484744
23. राजनीति विचारक विश्वकोश-लेखक ओमप्रकाश गाबा प्रकाशन वर्ष (2022)पेज क्रमांक 15 से 25

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

धार्मिक पर्यटन की संभावनाएँ : मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में

• राशि गौतम

सारांश- पर्यटन एक ऐसी यात्रा है, जो मनोरंजन का फुर्सत के समय का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। धार्मिक पर्यटन पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आमतौर पर विशेष धर्मे के अनुयायियों से संबंधित होता है। मंडला जिला हिंदू तीर्थ यात्रा का प्रमुख केंद्र रहा है। यह जिले वासियों का सौभाग्य है की मां नर्मदा नदी जिले को तीन ओर से घेरते हुए कल-कल करती हुई प्रवाहित होती है। इसी के साथ जिले में उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा तट भी स्थित है। जिससे नर्मदा नगरी का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं। शोध पत्र में जिले के पर्यटन के साथ ही धार्मिक पर्यटन स्थलों का अध्ययन किया गया है। जिले में पर्यटन को लेकर खास तौर पर धार्मिक पर्यटन को लेकर सरकार की नीतियों का उल्लेख किया गया है। वहीं पर्यटन के संदर्भ में कमियों जैसे की उचित अवसंरचना की कमी, प्रबंधन की कमी, सही नियम तथा नीतियों का अभाव आदि का उल्लेख है, जिसकी वजह से पर्यावरणीय और सांस्कृतिक कमी दिखती है।

मुख्य शब्द- धार्मिक पर्यटन, तीर्थ यात्रा, नर्मदा परिक्रमा, धार्मिक पर्यटन नीतियों और संरचना

प्रस्तावना- भारत में धार्मिक पर्यटन से तात्पर्य भारत में स्थित विभिन्न धर्म स्थलों से है। भारत एक विविधताओं से भारत देश है और यहां कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। विभिन्न धर्म से संबंधित विभिन्न धार्मिक स्थान भारत में विद्यमान है, जो न केवल धार्मिक आस्था वाले लोगों के लिए ही नहीं अपितु पर्यटकों के लिए दर्शनीय है।

धार्मिक स्थलों की यात्रा के पीछे दान पुण्य, पापों से मुक्ति आदि कई कारण है। धार्मिक स्थलों में तीर्थ यात्रा का प्रचलन रामायण और महाभारत काल से है। तीर्थ यात्रा करने का धार्मिक महत्व है एवं कई फायदे भी मिलते हैं। हमारे अधिकतर धार्मिक स्थल पर्वतीय क्षेत्रों, प्राकृतिक संपदा से संपन्न क्षेत्रों में स्थित है। मंडला जिला धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। यह प्राचीन सभ्यताओं का स्थल रहा है। संपूर्ण मंडला जिले में कई मंदिर तथा

• सहायक प्राध्यापक, भूगोल, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय चन्द्रविजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिण्डौरी (म.प्र.)

धार्मिक स्थल स्थापित है।

शोध का उद्देश्य- शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न है–

1. मंडला जिले में धार्मिक पर्यटन का विश्लेषण अध्ययन।
2. पर्यटन विकास के मार्ग में होने वाली बधाओं का पता लगाना।
3. धार्मिक आकर्षण पर आधारित पर्यटन की संभावना का पता लगाना।
4. पर्यटन के प्रभावों का मूल्यांकन करना।
5. पर्यटन केन्द्रों की समस्याओं को उजागर करना।
6. आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना।

शोध प्रविधि- ''ज्ञान की खोज के लिए प्रयोग में लाई गई विशिष्ट तरीके को प्रक्रिया को शोध प्रविधि कहा जाता है।'' यह एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रविधि है जो कि किसी भी शोध कार्य को करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस शोध पत्र को तैयार करने में द्वितीयक समंकों वाली प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र में ऐतिहासिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी मूल ग्रंथ वेबसाइट, जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स सहकारी तथा गैर सरकारी वार्षिक रिपोर्ट आदि स्थितियों से शोध सहित सामग्री का संचयन किया गया है शोध प्रविधि किसी भी दिशा पत्र को तैयार करने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है बिना प्रविधि के शोध कार्य के विषय में सोचने तक गलत होता है शोध पत्र मुख्ता द्वितीयक स्त्रोंतों पर निर्भर करता है जिसमें भारत पर्यटन आंकड़े समाचार पत्र, पत्र–पत्रिकाएं आदि को शामिल किया गया है

अध्ययन क्षेत्र- मध्य प्रदेश के पूर्वी केंद्रीय भाग पर स्थित मंडला जिला राज्य के पिछले जिलों में से एक है यह जिला अपनी महत्वपूर्ण सौंदर्यात्मिक इतिहास से भर कई नदियां एवं जंगलों से घिरा है। विश्व की महत्वपूर्ण प्रसिद्ध अभ्यारण टाइगर अभ्यारण और कान्हा टाइगर पार्क इसी जिले में स्थित है यह आदिवासी बहुल जिला है जिले में आदिवासी की आबादी का प्रतिशत 57.88 है इस जिले की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 10,54,905 है। मंडला जिले की छः तहसील मंडला, बिछिया घुघरी, नैनपुर, नारायणगंज, निवास है। इस जिले को 09 विकासखंडों कमशः– मंडला, नैनपुर, घुघरी, बिछिया, मवई, निवास और बीजाडंडी में विभक्त किया गया है। 1221 गांव आबाद है। मंडला जिले की सीमाएं बालाघाट, डिंडोरी सिवनी जिलों से और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिलों से लगती है। जिले की लंबाई उत्तर से दक्षिण 133 किलोमीटर चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 184 किलोमीटर और क्षेत्रफल 13269 किलोमीटर है। जिले की भौगोलिक स्थिति $23°22$ उत्तरी अक्षांश और $80°18$ से $81°50$ पूर्वीदेशांतर के मध्य स्थित है। मण्डला जिला सागौन और साल के जंगलों से आच्छादित है। मण्डला जिला देश पर प्राण न्यौछावर न और साल के जंगलों से आचलित है मंडला जिला देश कापुराना नक्षत्र करने वाली रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई जैसी वीरांगनाओं की भूमि रहा है। मण्डला जिले में कई ऐतिहासिक प्राकृतिक एवं धार्मिक दर्शनीय स्थलों से संपन्न है। यहां आदिवासियों के सांस्कृतिक धरोहर अपने आप में पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र बिंदु है।

धार्मिक आकर्षण पर आधारित पर्यटन की संभावनाएँ- मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर

भाग में स्थित मंडला जिला भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। वैदिक काल से वर्तमान काल तक देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में इस जिले के निवासियों की जिले के निवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह जिला धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। यह प्राचीन एवं अर्वाचीन सभ्यताओं का सुखद संगम स्थल है। संपूर्ण मण्डला जिले में कई आकर्षण नमूनेदार एवं उत्कृष्ट कला के नमूने वाले मंदिर तथा धार्मिक स्थल स्थापित हैं। ये सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था वाले केन्द्रों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं।

मण्डला जिले के धार्मिक पर्यटन केन्द्र

क्रं.	धार्मिक पर्यटन स्थल का नाम	निकटस्थ प्रमुख स्थान	निकटस्थ स्थल से दूरी	दिशा	प्रमुख धार्मिक स्थल
1	विष्णु मंदिर	मण्डला	16 कि.मी.	पूर्व	सूर्य की ग्रेनाईट आकर्षक मूर्ति, सूर्य रथ, सात घोड़े, आकर्षक मंदिर।
2	भैरव मंदिर	रामनगर	0 कि.मी.	द.पू.	भैरव मंदिर, कक्ष द्वार मण्डप, भव्य मेला
3	शिव मंदिर खड़देवरी	मण्डला	14 कि.मी.	उ.पू.	शिव का मंदिर तथा िशव का वाहन नंदी बसन्त पंचमी का वि ेाल मेला
4	राजराजेश्वरी मंदिर	मण्डला	0 कि.मी.		नर्मदा नदी के तट पर प्राचीन मंदिर, 14 जनवरी को मेला, दो देवियों का भव्य मूर्ति
5	वक्रतुण्ड गणेश	मण्डला	0 कि.मी.		गणेश जी का प्राचीन मंदिर, शिवरात्रि मेला।
6	जमदग्नेश्वर मंदिर	देवगाँव	0 कि.मी.	पूर्व	प्राचीन मंदिर, विष्णु का मंदिर
7	शिव मंदिर सहस्त्र धार	मण्डला	04 कि.मी.	पि ेचम	नर्मदा नदी पर स्थित प्रताप, भव्य शिव मंदिर आकर्षक स्थल
8	लक्ष्मी नारायण	मण्डला	0 कि.मी.		पुरातत्व संग्राहलय में रखी भव्य प्रतिमा
9	नर्मदा मंदिर नानाघाट	मण्डला	02 कि.मी.	दक्षिण	छोटा मंदिर घाट का सुंदर दृश्य
10	मंहतबाड़ा	मण्डला	30 कि.मी.	द.पू.	प्राचीन मंदिर कबीर चबूतरा
11	दुर्गा मंदिर सिलपुरा	मण्डला	07 कि.मी.	उ.पू.	पवित्र स्थल सुंदर मंदिर
12	नर्मदा घाट मण्डला महाराजपुर का नर्मदा बंजर संगम घाट	मण्डला	1.5 कि.मी.	द.पू.	दर्शनीय घाट, राधा कृ ष्ण मंदिर बूढ़ी माई

विष्णु मंदिर (रामनगर)- विष्णु मंदिर रामनगर. रामनगर में स्थित विष्णु मंदिर का निर्माण राजा ह्रदय शाह की पत्नी सुंदरी देवी ने करवाया था। इस मंदिर का शिखर गुम्बदाकार है। अब इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। रामनगर की से इमारते ध् मंदिर को पुरातत्व विभागद्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

भैरव मंदिर- यह मंदिर मोती महल से लगभग 150 फुट की दूरी पर है। इसमें एक गुंबज है। भैरव देव के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर वर्गाकार है, जिसका प्रत्येक पार्श्व 18 फीट है। मंदिर का छप्पर अब नहीं है। मंदिर के भीतर मिट्टी के चबूतरे पर कुछ पत्थर पड़े रहते हैं। भैरव या अन्य किसी भी देवता की वहां कोई मूर्ति नहीं है जो कभी रही होगी।

शिव मंदिर (खड़देवरी)- खड़देवरी मण्डला नगर से 14 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे एक गांव है। यहां एक पुराना शिव मंदिर है जो ह्रदय शाह द्वारा निर्माण कराया गया था। मंदिर दो मंजिला है तथा इसकी बनावट चौकोर है। यह 17वीं सदी की गोंड़ वास्तुकला का एक भव्य उदाहरण है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया जा चुका है। इसके गुंबज की कला विशिष्ट है।

राज राजेश्वरी मंदिर- मण्डला दुर्ग का यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसके गर्भ गृह में राजराजेश्वरी तथा दो अन्य देवियों की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों की स्थापना के पीछे एक दंत कथा है। नरेन्द्र शाह के पौत्र, राजा निजामशाह (1751–1778) के सम्मुख राजराजेश्वरी देवी उपस्थित हुई। देवी ने राजा को आज्ञा दी कि वह मण्डला और छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित, बिलासपुर के समीप रंगधार पहाड़ी पर जाकर मंदिर बनवाकर उस मूर्ति की स्थापना करें। निजामशाह ने एक बड़े भवन के अंदर एक छोटे से मंदिर में उसे स्थापित किया। तब से गोंड़ राजकुल की इष्ट देवी के रूप में राजरोजश्वरी देवी की उपासना प्रत्येक गोंड़ राजा करता था।

5. वक्रतुंड गणेश- मण्डला दुर्ग जो वर्षों से ध्वस्त पड़ा हुआ है के उत्तर–पूर्वी कमरे में एक भीतरी रास्ता है। इस कमरे की उतरी दीवार का कुछ भाग अब भी गिरने से बचा है। इस दीवार से 25 फुट उत्तर यह सफेद संगमरमर की सुंदर मूर्ति मिली थी। इसके आधार का 0. 76 मीटर भाग जमीन में गड़ा हुआ था। यह गणेश की मूर्ति है जिसकी सूड़ दाहिनी और घूमी हुई है। मूर्ति 1ण्82 ग 0ण्46 मीटर आकार के एक अनुलम्ब पत्थर पर बनाई गई है। यह 19वीं सदी ई. के अंतिम चतुर्थांश की ज्ञात होती है

6. जमदग्नेश्वर मंदिर (देवगांव)- ब्राह्मर्षि जमदग्नि सत्यवती और ऋचीक ऋषि के पुत्र थे। परशुराम जी जमदग्नि के पुत्र थे। अत: उन्हें जामदग्न्य भी कहा जाता है। लोकजनों के बीच जाम 'जमदग्नेश्वर' नाम से प्रसिद्ध है इस मंदिर का नाम व्युत्पन्नता की दृष्टि से 'जमदग्नीश्वर' या 'जामदग्तेश्वर' होना चाहिए। मंडला डिंडोरी मार्ग से थोड़ा हटकर नर्मदा और बुड़नेर के संगम पर देवगाँव एक स्थान है जहां यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण निजामशाह ने कराया था। यह दो मंजिला मंदिर है।

7. लक्ष्मीनारायण मंदिर (गोंड शैली)- गोंड़ राजाओं के समय में कुछ ऐसी भी मूर्तियां बनी जो कला की दृष्टि से बहुत सीधी सादी थी। वैसी एक मूर्ति लक्ष्मी नारायण की है, जो पुरातत्व संग्रहालय मण्डला में रखी गई है, इसमें कला का निखार नहीं है। मूर्ति पत्थर के एक बड़े फलक पर बनाई गई है। मूर्ति में विष्णु बैठे हुए हैं और उनके वाम जघन पर लक्ष्मी विराजमान है। विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में हैं। भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल हैं। विष्णु (नारायण) के वक्ष पर शास्त्रोक्त कौस्तुभ मणि दिखाई देती है। उनकी मूर्ति बहुत कम अलंकृत है। उसकी अपेक्षा लक्ष्मी की मूर्ति अधिक अलंकृत है।

8. शिव मंदिर (सहस्त्र धारा)- सहस्त्र धारा मण्डला नगर से 04 किलोमीटर है। यहां प्रस्तर खंडों से होकर बहती हुई नर्मदा अनेक धाराओं में नीचे गिरती है। यह दृश्य बड़ा ही नयनाभिराम है। यहाँ दो शिव मंदिर हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। दोनों गोंड़ राजाओं के समय के बने प्रतीत होते हैं। इनमें जो छोटा है वह नर्मदा घाटी के मध्य में है। यह बहुत मजबूत बना है। यह एक विशाल गोले, चपटे पत्थर पर स्थित है। यह मंदिर जरा

ऊंचा है उसका लगभग आधा तो इसका इसका गुंबज है। इसके गुंबज पर कई उभरी सुस्पष्ट लंबी धारियां हैं। प्रति वर्ष मूर्ति वाला कक्ष बाढ़ के पानी में डूब जाता है।

9. नर्मदा मंदिर, नाणाघाट, मण्डला- नानाघाट के ऊपर नर्मदा माई का एक मंदिर है जिसमें श्वेत संगमरमर की बनी नर्मदा की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मण्डला जिले के गजेटियर (1912 ई.) में इसका छायाचित्र दिया गया है। इस मंदिर के ऊपर वाले खंड में एक शिव मंदिर है। जिसके एक पा''र्व में हनुमान का तथा दूसरे में गरुड़ का छोटा मंदिर है। इसमें मंडप नहीं बना है। केवल गर्भगृह से लगा हुआ अर्द्धमंडप है। ऐसा ही धर्मशाला घाट, मंडला का शिव मंदिर है। इसमें भी मंडप नहीं है।

एक शिव मंदिर नव घाट (उर्द घाट) और बाबा घाट के बीच में है। मंदिर के ऊपरी भाग में चारों दीवारों पर चार मेंहराबें बनी हुई है जिनके ऊपर गोल गुंबज है। प्रत्येक मेहराब में एक ताखा है। ताखों में देवताओं की मूर्तियां हैं।

बाबा घाट में एक मंदिर है जिसका गुंबज वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका गुंबज विशाल है, जिसका आकार कुछ लंबोतरा है। गुंबज का निचला भाग अंडाकार है। वही एक मंदिर और है, जिसके गुंबज के बाह्य फलक में ताखें बने हुए हैं। इन तांखों में देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठति थी पर अब इनमें कबूतर आदि पक्षी निवास करते हैं।

10. महंतबाड़ा (मण्डला)- मण्डला जिले के एकदम दक्षिण- पूर्वी छोर पर कबीर चबूतरा नामक एक ग्राम है। यह अमरकंटक के बहुत समीप है, वह महंतबाड़ा का मंदिर कहलाता है जो डेढ़ सौ वर्षो से भी अधिक पुराना है यह मंदिर नर्मदा के किनारे बना है, इसके समीप कबीर पंथ के छह गुरुओं की समाधियाँ हैं। इन समाधियों में दो कवर्धा के दमखेड़ा मठ के प्रधान गुरुओं, प्रमोद गुरुबाला पीर और अमोलनाम साहिब की उपाधियां हैं। महंतबाडा कबीर पंथ के महंत का निवास है।

11. दुर्गा (सिलपुरा)- मण्डला नगर से 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सिलपुरा एक गांव है। वहीं की एक सूनी पड़ी मड़ई से दुर्गा की यह मूर्ति मिली थी।

मूर्ति का आकार 15X30 सेंटीमीटर है। मूर्ति में दुर्गा खड़ी है। इनकी चार भुजाएं हैं। नीचे के हाथों पर पुरुष का निर्जीव शरीर पड़ा। ऊपर के दोनों हाथों में एक-एक खड्ग है, जिनकी नोके परस्पर स्पर्श कर रही है। मूर्ति में दुर्गा के तीनों नेत्र दिखाए गए हैं। शिव त्रिनेत्र हैं तो उनकी शक्ति भी त्रिनेत्रा ही है। मूर्ति में दुर्गा के विभिन्न अंग अलंकृत हैं। मूर्ति कला की दृष्टि से सीधी साादी है। इसमें अनुपातिक सौंदर्य का ध्यान नहीं दिया गया है। शेष शरीर की तुलना के चरण छोटे बनाए गए हैं। दुर्गा के हाथों में पड़े मानव शरीर का आभूषण है।

12. नर्मदा घाट मंडला- मंडला शहर तीन तरफ से पवित्र नर्मदा नदी से घिरा हुआ है मडला में पतित्र नर्मदा के तट पर कई नए और पुराने दर्शनीय घाट है इनमें प्रमुख है रपटा घाट, रंगरेज घाट, नाव घाट, किला घाट, हनुमान घाट, नाना घाट, सिंग वाहिनी घाट, जेल घाट, कलेक्ट्रेट घाट, न्याय घाट, चक्र तीरी घाट, मुक्ति धाम घाट, दादा धनीराम महाराजपुर घाट, बाबा घाट है।

महाराजपुर का नर्मदा बंजर संगम घाट- संगमघाट महाराजपुर मण्डला के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थलों में एक है। मडला शहर के महाराजपुर में पवित्र नर्मदा नदी और बंजर नदी का संगम स्थल है। इसी स्थान पर माँ नर्मदा की धारा V आकार की दिखलाई

देती है। इस स्थान पर प्राचीन घाट है जिसे संगम घाट कहा जाता है। बंजर नदी के सामने की ओर मंडला का किला इसके एक तट पर राधा कृष्ण मंदिर और दूसरे तट पर महाराजपुर का संगम घाट है। इस स्थान पर प्राचीन काल सेही मण्डला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, गोदिया, महाराष्ट और छत्तीसगढ़ से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मडला, बालाघाट, गोंदिया और आस-पास के जिलों में संगम घाट महाराजपुर का वही धार्मिक महत्व है जो प्रयागराज में गंगा यमुना संगम घाट का है। संगम घाट में मृत्यु उपरांत के क्रिया कर्म जैसे मुंडन और अस्थि विसर्जन किये जाते हैं। नदी में अथाह जल होने से लोग वोटिंग का भी आनंद लेते हैं। संगम घाट पर कई प्राचीन मंदिर हैं इनमें सबसे प्रमुख बूढ़ी माई का मंदिर है जिसमें बूढ़ीमाई की अत्यंत प्राचीन मूर्ति है।

निष्कर्ष एवं सुझाव- मण्डला जिले के उपरोक्त धार्मिक महत्व के स्थलों में धार्मिक पर्यटन का विकास किया, जाकर बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटकों तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। उपरोक्त गांव के आसपास के युवाओं को पर्यटन का महत्व तथा इसके फायदे बताते हुए इस क्रिया से जोड़ा जा सकता है। आवश्यकता यह है कि वहां के स्थानीय युवाओं को एन.जी.ओ. या किसी शासकीय दक्ष सेवक द्वारा उनको इस कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। प्रेरणा के पश्चात विभिन्न क्रियाओं के लिए स्व सहायता समूह का गठन किया जाए। गठित समूहों को पर्यटन के किसी भी संस्थान द्वारा पेशेवर ढंग से प्रशिक्षित किया जाये। प्रशिक्षण उपरांत आरंभ में शासकीय सहायता प्रदान कर ग्रामीण पर्यटन के लिए आधारभूत बुनियादी सुविधाओं आवास, परिवहन, हस्तकला, लोक संस्कृति आदि के लिए आवश्यक सुविधाओं को जुटाकर धार्मिक आकर्षण पर आधारित पयर्टन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे वहां स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा, धार्मिक स्थलों में सफाई एवं हरियाली निर्मित होगी वही प्राचीन स्मारक संरक्षित भी होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अग्रवाल अजय: मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास की संभावनाएँ योजना वर्ष 45 (2001), अंक 3
2. अग्रवाल के.एल. : विंध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक भूगोल, सुषमा प्रेस सतना।
3. बत्रा जी.एस.: टूरिज्म प्रामोशन एण्ड डेवलपमेंट नई दिल्ली।
4. बैरन, रैफल, रेमाण्ड: सिटजनैलिटी इन टूरिज्म।
5. भट्टाचार्य पी.के.: हिस्टोरिकल ज्योग्रफी ऑफ म.प्र. फ्राम अर्ली रिकार्डस मोतीलाल
6. चोपड़ा सुहिता: टूरिज्म डेवलपमेंट इन इण्डिया, नई दिल्ली 1981
7. छिब एस.एन. : प्रासपेक्टिव्स ऑन इण्डियन टूरिज्म इन इण्डिया 1981
8. धर्मराजन व सेठ : टूरिज्म इन इण्डिया, नई दिल्ली 1993
9. दीक्षित के.के. एवं गुप्ता जे.पी. : पर्यटन के विविध आयाम।
10. दीक्षित एस.के.: ए गाइड दि स्टेट म्यूजियम धुबेला नौगांव (वी.के.डी.) 1955, 57 मनोरमा इयर बुक

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

सांस्कृतिक पर्यटन- एक भौगोलिक अध्ययन (डिण्डौरी जिले के विशेष संदर्भ में)

• प्रतिमा संत

सारांश- सांस्कृतिक पर्यटन एक समग्र अवधारणा है। यह एक बहुआयामी आदर्श है। जो आगंतुकों को त्योहारों और परंपराओं जैसे स्थानीय सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार यात्री लोगों के साथ वास्तविक सांस्कृतिक संपर्क बना सकता है। डिण्डौरी जिले में विभिन्न पर्यटन स्थल अपने अद्‌भुत सौंदर्य को संजोये है जो इसकी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते है। नर्मदा नदी के दोनों किनारे बसा हुआ यह जिला अपने सांस्कृतिक पर्यटन के परिणामस्वरूप पर्यटकों ने ऐतिहासिक मदिरों, सुदर नर्मदा तटों, आकर्षक पहाड़ियों और घने जंगलों और पर्यटन स्थलों का दौरा किया है। इस प्रकार यह आगंतुकों को त्योहारों और परंपराओं जैसे स्थानीय सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार यात्री लोगों के साथ वास्तविक सांस्कृतिक संपर्क बना सकता है।?

मुख्य शब्द- सांस्कृतिक पर्यटन, पर्यटन स्थल, पर्यटक, सांस्कृतिक विरासत

अध्ययन का उद्देश्य एवं विधि तंत्र- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र की सांस्कृतिक पर्यटन का भौगोलिक अध्ययन करना जिससे अत्यंत पिछड़ा उपेक्षित आदिवासी बाहुल्य यह जिला अपनी संस्कृति और विरासत से अपनी एक विशेष पहचान बना सके। अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र- डिण्डौरी मध्य भारत स्थित मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक जिला है। इस जिले की स्थापना 25 मई 1998 को 927 गांवों के साथ मंडला जिले से पृथक कर की की गई थी। जबलपुर संभाग का यह जिला 7470 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जिले के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में उमरिया, पश्चिम में मंडला, पूर्व में शहडोल जिला स्थित है। इस जिले का अक्षांशीय विस्तार 22 डिग्री 17 मि. उत्तर से 23 डिग्री 22 मि. उत्तर, देशान्शीय विस्तार 80 डिग्री 35 मि. से 80 डिग्री 58 मि. है। इस जिले के सात विकासखंडो में डिण्डौरी, शहपुरा, करंजिया, मेंहदवानी

• सहायक प्राध्यापक, भूगोल, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय चंद्र विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिण्डौरी, म.प्र. (भारत)

बजाग अमरपुर तथा समनापुर हैं। 2011 की जनगणना अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या 704.524 और जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति का हिस्सेदारी है। आदिवासी बाहुल्य इस जिले की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं कृषि तथा पशुपालन में संलग्न है। यहाँ की मुख्य जनजाति बैगा और गोंड है। बैगा जनजाति को राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है इस क्षेत्र में कई लोक नृत्य किए जाते हैं। बैगा और गोंड जनजातियों को नृत्य और संगीत का शौकीन माना जाता है। उनके नृत्य सामाजिक और धार्मिक नृत्यों में है। धार्मिक नृत्यों में सुआ, दशेरा, दोहा और सुमरन जबकि सामाजिक नृत्यों में करमा, रीना, सैला, बिलमा, झारपड़ और तापडी जनजातियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।

अध्ययन क्षेत्र का मानचित्र

स्रोत- https://dindori.nic.in/en/photo-gallery/

अध्ययन क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन स्थल- जीवन दायनी पवित्र माँ नर्मदा नदी भी डिण्डोरी के बीच से बहती हैं। इस जिले का अधिकांश धरातलीय क्षेत्र असमान तथा साल और सागौन के घने जंगलों से ढका हुआ है। पवित्र नर्मदा नदी और बुढनेर नदी डिंडोरी जिले की प्रमुख नदिया हैं। डिंडोरी जिले में घूमने हेतु कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं। इनमे प्रमुख दर्शनीय और पर्यटन स्थल निम्न है-

डिंडोरी जिले के प्रमुख दर्शनीय और पर्यटन सील

क्रम संख्या	पर्यटन स्थल का नाम	स्थिति	दूरी किमी में	दर्शनीय
1.	कुकर्रामठ(ऋण मुक्तेश्वर) मंदिर (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक)	कुकर्रामठ	15	धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल
2.	पाटनगढ़ चित्रकला,	पाटनगढ़	55	आदिवासी संस्कृति और विरासत, विश्व स्तर के चित्रकारों के निर्माण की एक समृद्ध परंपरा
3.	घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म, 0.27 वर्ग किमी	निवास	70	05 मई 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, 6.5 करोड़ वर्ष पुराने पेड़-पौधों के जीवाश्म
4.	रामगढ़	अमरपुर	23	ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल
5.	ग्राम–बालपुर	शाहपुर कस्बे	17	रानी अवंतिबाई का बलिदान स्थल
6.	कारोपानी	कारोपानी, डिंडोरी–अमरकंटक	17	श्याम मृग संरक्षित क्षेत्र
7.	लक्ष्मण मडवा रामघाट	ग्राम –घानाघाट	07	दर्शनीय धार्मिक स्थल और पिकनिक स्पट, सुन्दर छोटे छोटे झरने, मंदिर और सुन्दर घाट
8.	किकरकुंड	मेहंद्वानी	75	धार्मिक स्थल और पिकनिक स्पाट, दनदना नदी बहुत ही आकर्षक और मनमोहक जलप्रपात
9.	कपिलधारा जलप्रपात	डिंडोरी और अमरकंटक की सीमा पर स्थित	99	जलप्रपात
10.	देवनाला वाटरफाल	ग्राम सक्का के पास ग्राम कचनारी	22	प्रमुख दर्शनीय स्थल और पिकनिक स्पष्ट है
11.	दगोना वाटरफाल	बुढनेर नदी पर स्थित ग्राम गोरा और ग्राम कन्हारी	65	कई छोटे–छोटे सुन्दर जलप्रपात
12.	नेवसा वाटरफाल	नेवसा	14	महत्वपूर्ण पिकनिक स्पष्ट और पर्यटन धार्मिक स्थल
13.	हल्दी करेली डिंडोरी जिले का	समनापुर	36	डिंडोरी जिले का मिनी गोवा

अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन की चुनौतियाँ एवं समस्याएँ- भारत बहुत विविधतापूर्ण है और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश रहा है। आजकल हर राज्य की अपनी संस्कृति है और हर राज्य अपने त्यौहार मनाता है। आदिवासी बाहुल्य डिण्डौरी जिला इससे अछूता नहीं है।

लेकिन बहुत पिछड़ा जिला होने के कारण यहाँ के पर्यटन क्षेत्र अन्य प्रमुख क्षेत्रों से पीछे है जिसके कुछ प्रमुख कारण हैं–

- **बुनियादी ढांचे की कमी-** यह पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें होटल, दूसरे शहरों से कनेक्टिविटीए स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवहन आदि शामिल हैं। इसका मुख्य कारण पर्यटन क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों का अनुचित आवंटन है।
- **मानव संसाधन एवं योजना-** आतिथ्य और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में कार्यबल की उच्च मांग है। अत्यधिक कुशल और संभावित पुरुष या महिलाएं पर्यटन क्षेत्र का एक अपरिहार्य हिस्सा हैं। हमारे भारतीय यात्रा और पर्यटन व्यवसाय के विकास को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में कुशल पुरुषों या महिलाओं की आवश्यकता है।
- **दुर्गमता-** अध्ययन क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं, जो परिवहन की उच्च लागत शहरों के साथ खराब कनेक्टिविटी के कारण गरीबों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पहुंच योग्य नहीं हैं और पर्यटक कई पर्यटन स्थलों तक नहीं पहुंच पाते हैं।
- **अपर्याप्त डिजिटल प्रचार और विपणन-** किसी क्षेत्र के यात्रा उद्योग में सुधार के लिए प्रचार और उपयुक्त डिजिटल मार्केटिंग प्रोत्साहन अत्यधिक अपरिहार्य हैं। अध्ययन क्षेत्र के पर्यटन उद्योग की डिजिटल मार्केटिंग अविकसित अवस्था में है। इसके अलावा हमें पर्यटन में विपणन के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- **सुरक्षा-** पर्यटकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो यह तय करती है कि लोग उस गंतव्य पर आएंगे या नहीं। पर्यटकों, ख़ासकर महिला पर्यटकों पर हो रहे हमलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है, पर्यटन क्षेत्र को सख्त होना चाहिए और उन अपराधियों के खिलाफ कानून पारित करना चाहिए जो निर्दोष पर्यटकों को धोखा देते हैं। इसके अलावाए कोविड–19 जैसे प्रमुख संकट ने पर्यटन को अत्यधिक प्रभावित किया है।

संभावनाएँ- अध्ययन क्षेत्र में धार्मिक, ऐतिहासिक कई दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं जो सांस्कृतिक पर्यटन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके अलावा भूगोल और कला बड़ी संख्या में यात्रियों को खींचते हैं। पर्यटन को संस्कृतिवाद को बढ़ावा देने वाले एक माध्यम के रूप में भी देखा जाता है जो विभिन्न समुदायो के बीच धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिक सद्भाव के निर्माण एवं विस्तार में सहायक हो सकता है। पर्यटक गाइड, टूर पैकेज, यात्रा सेवाओं के माध्यम से पर्यटन में रोजगार सृजन हेतु अपार संभावनायें विद्यमान हैं। पर्यटन का सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण पर केवल सकारात्मक असर पड़ता है। सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है। पर्यटन सांस्कृतिक स्थलों के आर्थिक मूल्य को जोड़ता है और संरक्षण और संरक्षण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है। अब समय आ गया है कि हम इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करें ताकि आने वाले वर्षों में पर्यटकों की संख्या बढ़े और अधिक लोग हमारी संस्कृति के बारे में जान सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Paryatan Bhugol {Geography of Tourism} (Hindi Medium) Maurya, Dr. S.D., Pravin Kumar), Sharda Pustak Bhavan, Prayagraj (NEP-2020)
2. https://dindori.nic.in/en/culture-heritage/
3. https://www.dindori.co.in/2020/01/dindori-tourist-places-parytan-dindori-tourism-hindi.html
4. https://nios.ac.in/media/documents/316courseE/HG-30-10B.pdf
5. https://community.hospitalityconnaisseur.com/challenges-and-problems-of-indian-tourism/
6. https://dindori.nic.in/en/photo-gallery/

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

वर्तमान शिक्षा में श्री रामचरितमानस की भूमिका एवं उपादेयता

• अनामिका अवस्थी

सारांश- 'श्रीरामचरितमानस' का अध्ययन करना एवं इसकी उपयोगिता का विश्लेषण करना वर्तमान समय में अत्यावश्यक है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण ग्रंथ नैतिक, आध्यात्मिक होने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक शिक्षाओं से भी समृद्ध है। आधुनिक शिक्षा जिस प्रकार से प्रायोगिक व अकादमिक पक्ष पर जोर देती है, यदि इसके साथ ही श्रीरामचरितमानस के मूल्यों का भी समावेशन कर दिया जाये तो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास सर्वोत्कृष्ट तरीके से हो सकता है। प्रस्तुत लेख 'श्रीरामचरितमानस' के उपयोगी तत्वों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के व्यावहारिक तरीकों का प्रस्ताव करता हैं।

मुख्य शब्द- परिवार, कालजयी रचना, समाधान, स्वार्थपरकता

प्रस्तावना- 'श्रीरामचरितमानस' प्रत्येक भारतीय परिवार में अपनी पहचान बनाये हुये हैं। श्रीरामचरितमानस मंगलकारी व कालजयी रचना है क्योंकि यह भारतीयों के जीवन को प्रेरित करती आ रही है। मानस के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। इसीलिये गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लोकमंगलकारी बताते हुये लिखा है कि-

मंगल कारनि कलि मलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की।
गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की।। (दोहा क्र10)

श्री मानस में श्रीराम के सम्पूर्ण जीवन आदर्शों व मूल्यों का वर्णन मिलता है, जिसका ज्ञान मानवीय समस्याओं के समाधान का स्रोत हैं। मानस पारिवारिक मूल्यों की पाठशाला है, जिसमें परिवार में प्रेम-सम्मान, भातृ-प्रेम, नि:स्वार्थ भाव, आदर-सत्कार, शिष्टाचार, नैतिकता का समावेशन हैं। रिश्तों के आदर्श स्वरूप को समझना आज की परम आवश्यकता है।

क्योंकि जिस प्रकार वर्तमान समय में इस स्वार्थपरकता के दौर में रिश्तों का मतलब काम निकालने मात्र से हो गया है ऐसे में मानस के आदर्शों को धारण करने से व्यक्ति के चरित्र व व्यवहार में परिमार्जन होगा। अर्थात् जब व्यक्ति का विकास उचित

• शोध छात्रा-शिक्षाशास्त्र, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट (म.प्र.)

तरीके से होगा, तभी परिवार सम्य बनेगा, परिवार सभ्य होगा तभी समाज विकसित होगा, जब समाज सभ्य होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति के उचित तरीके से शिक्षित व विकास करने के लिये आवश्यक है कि मानस को पढ़ा जाये व इसमें वर्णित मूल्यों को धारण किया जाये।

श्रीरामचरितमानस में शैक्षिक मूल्य- मानस के अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसमें अत्यंत जीवनोपयोगी शैक्षिक मूल्य वर्णित है जैसे-ज्ञान, धर्म, शांति, संयम, कृतज्ञता, नेतृत्व, मित्रता, आज्ञा पालन, जीवरक्षा, भक्ति, सज्जनता इत्यादि।

मानस में श्रीराम वर्मा का पालन करने वाले सत्य आचरण वाले हैं। मानस से ज्ञात होता है कि श्रीराम ने अपना सम्पूर्ण जीवन धर्म की रक्षा के लिये, वचन पालन, सत्य आचरण में दिया है।

मानस में मित्रता के तो अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं। वर्तमान में मित्रता जिस प्रकार से स्वार्थ से भरी हुयी है, ऐसे में मित्रता का वास्तित्वक अर्थ मानस से ही पता चलता है। भावनात्मक एकता, चारित्रिक दृढ़ता, स्नेह, त्याग, निश्च्छलता, निष्कपट, क्षमा, उदार ह्रदय ही मित्रता का सही अर्थ है, यह मानस ही बतलाता है।

मानस में श्री राम कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं। श्रीराम के राज्य में किसी को किसी से वैर नहीं है। सभी अपने-अपने धर्म अनुसार कर्म करते हैं, सभी आपस में प्रेम रखते हैं। एक कुशल नेतृत्वकर्ता कैसे बना जाये मानस हमें सिखाता है।

मानस में नवधा भक्ति, न्यायवृत्ति संबंधित शैक्षिक मूल्यों का वर्णन किया गया है। माता-पिता, गुरू, स्वामी की आज्ञा पालन करना, कर्मानुसार फल देना, स्त्री को बुरी दृष्टि से देखने पर दण्डित करना मानस ही सिखलाता है। मानस में राजा की तुलना मनुष्य के मुख से की गयी है अर्थात् जिस प्रकार मुख शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन करता है, उसी प्रकार राजा भी सबसे सलाह करके निर्णय करे। अत: कह सकते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी कभी सुख व शांति नहीं मिलती अपितु इसके विपरीत मानस के आदर्शों व मूल्यों की धारण करने वाला व्यक्ति इस जगत में कभी दु:खी नहीं रहता।

वर्तमान समय में शैक्षिक मूल्य- इस प्रतियोगिता भरे दौर में जितनी तेजी से मशीनों का आविष्कार हो रहा है उतनी ही तेजी से व्यक्ति भी मशीन बनता जा रहा है। पैसा कमाने की होड़ में अपने आदर्शों, मूल्यों को भूलता जा रहा है, माता-पिता, परिवार, रिश्तों को भूल रहा है। ऐसी दशा की ओर जाते समाज को बचाने के लिए आवश्यक है मानस जैसे ग्रंथों की शिक्षा धारण करने की जिससे समाज का पतन होने से बच सके। क्योंकि भौतिकता, स्वन्सुखवाद, पैसा इन सबने सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन को हिलाकर रख दिया है। मूल्यों की अस्प्ष्टता, मूल्यहीनता, अभिमुख राजनीति व अशांत वातावरण से बालकों का मानसिक क्षरण हो रहा है ऐसे पतन को रोकने के लिये आवश्यक है कि धर्मग्रंथों के आदर्शों की शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जाये जिससे बालक संस्कार व आदर्शों से युक्त शिक्षा ग्रहण कर शिक्षित हो।

शिक्षकों व छात्रों के लिये उपयोगिता- शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को पोषित करें। इसके लिये यह अत्यावश्यक है कि शिक्षक संयमी, सदाचारी

एवं अध्ययनरत् रहता हो। मानस में गुरू की भूमिका व गुरू के कर्तव्य का वर्णन बखूबी किया गया है। वर्तमान में शिक्षक मानस के नीति व मूल्यों पर आधारित प्रसंगों से छात्रों के बुद्धि व व्यक्तित्व को सिंचित करें। पर्यावरण के प्रति जागरुकता मानस में निहित पर्यावरण प्रसंगों से दें। जिससे छात्र पर्यावरण के प्रति जागरुक हो सके व पर्यावरण सुरक्षित करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ सके। वर्तमान समय में जिस प्रकार छात्र मोबाइल, टी.वी., कम्प्यूटर पर अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, ऐसे में आववश्यक है कि छात्रों को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिये उन्हें किताबी शिक्षा के साथ ही साथ शैक्षिक व नैतिक मूल्यों व आदर्शों का ज्ञान कराया जाये। सत्य, प्रेम, अहिंसा, स्त्री का आदर, संयम, कर्तव्य परायणता, समाजसेवा, इत्यादि मूल्यों का ज्ञान कराया जाये। इन सभी मूल्यों का मानस के प्रसंगों द्वारा उदाहरण देकर शिक्षक स्वयं का व अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है, जिससे छात्रों में बढ़ रही अनैतिकता, अनुशासनहीनता, हिंसात्मक व्यवहार, क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता है।

अर्थात् कह सकते हैं कि जब छात्र आदर्शों, मूल्यों से सिंचित होगा तो वह राष्ट्र को नयी ऊँचाइयों पर पहुँचायेगा। क्योंकि हमारा राष्ट्र एक युवा राष्ट्र है जब यहाँ का युवा किताबी ज्ञान के साथ ही साथ मूल्यों से भी सुसज्जित होगा तो राष्ट्र का नाम वैश्विक स्तर पर अवश्य ही होगा।

मानस का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व- गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एक अवधी भाषा में ग्रंथ है, जो आम जनमानस के काफी नजदीक है, जिससे उसमें वर्णित विचार आम जनता तक आसानी से प्रेषित हो सका, यह ग्रंथ धर्म, कर्म, आस्था पर केन्द्रित ग्रंथ है। यह सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित है। जो व्यक्ति को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों व आदर्शों से अवगत कराता है व व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कहने में सहायक ग्रंथ है। यही कारण है हर भारतीय संस्कृति के घर में यह ग्रंथ अवश्य मिलता है।

आधुनिक शिक्षण पद्धति में मानस की प्रासंगिकता- समाज में मूल्य आधारित शिक्षा, सामाजिक व भावनात्मक परक शिक्षा एवं छात्रों के समग्र विकास के प्रति बढ़ती रुचि के कारण श्रीरामचरितमानस जैसे धर्मग्रंथों को शिक्षण पद्धति में समाहित करना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिये मानस जैसे नीतिपरक धर्मग्रंथ व उसमें समाहित शैक्षिक प्रणालियां आवश्यक हो जाती है। यही कारण है कि मानस की प्रासंगिकता बढ़ रही है।

निष्कर्ष- निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि श्रीरामचरित मानस में निहित शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत व समस्त विश्व में शांति, सहयोग व एकता के लिये अत्यंत उपयोगी है। श्रीरामचरितमानस का ज्ञान व शिक्षायें आधुनिक शिक्षा को नैतिक व भावनात्मक क्षेत्र में समृद्ध करती है। मानस के प्रकरण द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की शिक्षा मिलती है, जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास करने में सहायता मिलती है। आवश्यक यह है कि ग्रंथ को धार्मिकता से परे रखकर इसके विचारों पर ध्यान देना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गोस्वामी, तुलसीदास : श्रीरामचरितमानस, विनय पत्रिका।
2. गोयन्दका, जयदयाल : रामायण के कुछ आदर्श पात्र, गीता प्रेस प्रकाशन, गोरखपुर।
3. मिश्रा, सीताराम : श्रीरामचरितमानस, हिन्दी विशारद, वाराणसी।
4. पाण्डेय, रामशकल एवं मिश्रा, करुणाशंकर (2008) : मूल्य शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
5. सेठी, हरीश (2008) : जीवन मूल्य विमर्श, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. पवार, मारोती एव जोशी अरविन्द (2012) : भारतीय शिक्षण मण्डल, जयपुर।
7. अग्रवाल, रामकृष्ण (2013) : तुलसी चिंतन, तुलसीमानस संस्थान, जयपुर।
8. कुमार, वचन देव : तुलसी साहित्य : विवेचन और मूल्यांकन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
9. भारद्वाज, एस. (2015) : रामचरितमानस में शैक्षिक मूल्य, भारतीय दर्शन और शिक्षा जर्नल
10. सिंह, आर (2021) : आधुनिक शिक्षा में प्राचीन भारतीय ग्रंथों की भूमिका, शैक्षिक सुधार और सांस्कृतिक एकीकरण।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

आधुनिक सन्दर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा की उपादेयता

• अंजली पाण्डेय

सारांश- भारतीय ज्ञान-विज्ञान परंपरा न केवल प्राचीन काल में बल्कि आज भी विज्ञान, चिकित्सा, गणित और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। भारत के मनीषियों और वैज्ञानिकों का योगदान आने वाले समय में भी अमूल्य रहेगा। भारतीय ज्ञान की यह परंपरा हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। भारतीय ज्ञान प्रणाली आज के परिदृश्य में भी लागू है, जो तनाव प्रबंधन, स्थिरता आदि जैसे मुद्दों से निपटने के लिए व्यावहारिक सुझाव देती है। यह ज्ञान का एक विशाल भंडार प्रदान करती है, जिसका उपयोग लोगों, समुदायों और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अब समय है भारत के द्वारा विश्व को दिए गए ज्ञान को संजो कर इसका संवर्धन किया जाए और भारतवर्ष के जनता को संस्कृति, पहचान और प्राप्त ज्ञान से जोड़ा जाए। तब ही इसकी उपादेयता सिद्ध होगी। अब यह हम सभी का कर्त्तव्य बनता है कि भारत वर्ष की इस अनमोल धरोहर, ज्ञान को संवर्धित करके रखे जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके और आने वाली पीढ़ी भारत को हीन दृष्टि से न देख कर गौरवपूर्ण दृष्टि से देखे। भारतीय ज्ञान-विज्ञान परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान-विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।भारतीय ज्ञान-विज्ञान पर अधिक से अधिक अनुसंधान किए जाने चाहिए।भारतीय ज्ञान-विज्ञान पर केंद्रित संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। भारतीय ज्ञान-विज्ञान को विश्व के अन्य देशों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

मुख्य शब्द- भारतीय ज्ञान-विज्ञान परंपरा, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, प्रासंगिकता

'हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी।' – वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन

प्रस्तावना- भारत में ज्ञान की परंपरा बहुत ही प्राचीन है और इसका आरंभ वेदों से माना जाता है। भारतीय ज्ञान–विज्ञान परंपरा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण इतिहास रखती है, क्योंकि यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। जो सदियों से मानव सभ्यता को

• सहायक प्राध्यापक (राज.विज्ञान), शासकीय महिला महाविद्यालय मण्डला (म.प्र.)

आकार देती रही है। यह परंपरा सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय ज्ञान परम्परा पुरातन युग से बहुत समृद्घ रहीं है। आधुनिक युग में प्रचलित भारतीय ज्ञान और विदेशों से आ रहीं तथा कथित नवीन खोज जो हमारे ग्रंथों में पूर्व से ही उल्लिखित है, भारतीय ज्ञान परम्परा के समृद्धशाली होने का प्रमाण है। भारत ने विश्व को संस्कृति दी जब 5000 साल पहले कई सभ्यताएं केवल खानाबदोश वनवासी थीं, तब भारतवर्ष में सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति का जन्म हुआ। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया, जिसमें दुनिया भर के 10,500 से अधिक छात्रों ने 60 से अधिक विषयों का अध्ययन किया। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। पाश्चात जगत के वैज्ञानिक के कथन से यह स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष का योगदान सदैव ही अमूल्य रहा है औरआधुनिक सन्दर्भ में इसकी उपादेयता सदैव अक्षुण्ण रहेगी।

भारतीय संस्कृति और सभ्यता अद्वितीय योगदान- हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने सदियों से विज्ञान, गणित, खगोल, चिकित्सा, आयुर्वेद और दर्शन जैसे अनेक क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया है। भारतीय मनीषियों ने अपने गहन चिंतन और अनुसंधान से न केवल अपने देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल किया। सन 2020 में लागू की गयी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि भारतीय ज्ञान परम्परा को शिक्षा के सभी स्तरों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाय। इसी के अनुसार राष्ट्रीय क्रेडित फ्रेमवर्क (NCF) ने छात्रों को प्राचीन भारतीय विज्ञान और कला से सम्बन्धित पाठ्यक्रम लेकर क्रेडिट प्राप्त करना सम्भव किया है। भारतीय रसायनशास्त्र के लिये दृष्टि 2047 नामक पहल में भी भारतीय ज्ञान परम्परा को सम्मिलित किया गया है। सन 2022-23 के बजट में भारतीय ज्ञान परम्परा के लिये निर्धारित राशि बढ़ाकर 20 करोड़ रूपये कर दी गयी।

भारत भूमि ज्ञान की अविरल धारा- यह भारत भूमि महान है। इस भूमि की ज्ञान की अविरल धारा ने संपूर्ण जगत को सींचा है। भारतीय ज्ञान परम्परा पुरातन युग से बहुत समृद्घ रहीं है। आधुनिक युग में प्रचलित भारतीय ज्ञान और विदेशों से आ रहीं तथा कथित नवीन खोज जो हमारे ग्रंथों में पूर्व से ही उल्लिखित है, भारतीय ज्ञान परम्परा के समृद्धशाली होने का प्रमाण है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों ने 'वसुधैव कुटुंबकम' (दुनिया एक परिवार है) के विचार से सभी प्राणियों की परस्पर निर्भरता पर जोर दिया। पर्यावरणीय विषय और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और संरक्षण की मांग को ध्यान में रखते हुए, ये सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। वास्तविकता की प्रकृति में आध्यात्मिक विकास एवं चौतन्यता वेदांत जैसी भारतीय ज्ञान प्रणालियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो वेदों के नाम से जानी जाने वाली प्राचीन पुस्तकों पर आधारित एक दार्शनिक स्वरूप है। विज्ञान ऐतिहासिक रूप से भारतीय ज्ञान प्रणालियों द्वारा गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान जैसे विषयों में उन्नत हुआ है। शून्य, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति जैसी प्राचीन भारतीय सामान्यताओं का उपयोग अभी भी वर्तमान ज्ञान और प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो आविष्कार और उन्नति को बढ़ावा देने में

भारतीय ज्ञान प्रणालियों के महत्व को प्रदर्शित करता है। मैकॉले के मानस पुत्र प्रश्न उठाते हैं कि भारत ने विश्व को क्या दिया और यह बोध कराते हैं कि पाश्चात्य देशों ने ही भारत को सब कुछ दिया है। भारत ने विश्व को ज्ञान प्रणाली दी, विज्ञान के अनेक आयाम दिए। यह भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में चिंता और चिंतन करने का समय है। इसकी उपादेयता को जनमानस तक पहुँचने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि यह बात केवल कुछ पुरातन ज्ञान के बारे में नहीं है, यह बुद्धि, आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के बारे में है, साथ ही यह बात भी विस्मृत ना हो कि भारतीय ज्ञान परंपरा सत्य का अनुमोदन करती है।

भारतीय ज्ञान परंपरा के अभिन्न अंग- भारतवर्ष की भूमि ने हीं विश्व को देव भाषा संस्कृत दी जो कि विश्व की सबसे शुद्धतम एवं उपयुक्त भाषा है। संस्कृत सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है। संस्कृत भाषा कि उपयोगिता को सिद्ध करने कि आवश्यकता भी नहीं है, आज संपूर्ण विश्व में इसकी उपादेयता जानने के लिए शोध एवं अनुसंधान किए जा रहे है। भारतीय सभ्यता ने ज्ञान को बहुत महत्व दिया है, जैसा कि इसके आश्चर्यजनक रूप से विशाल बौद्धिक ग्रंथों, दुनिया में पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रह और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों, विचारकों और विद्यालयों की अच्छी तरह से प्रलेखित विरासत से पता चलता है।

योग आंतरिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण- भारतीय ज्ञान परंपरा का योग अभिन्न अंग है। योग आंतरिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसकी जड़ें प्राचीन भारत में हैं। इसमें आसन, प्राणायाम (सांस नियंत्रण) और चिंतन जैसे तरीके शामिल हैं जो तनाव को कम करने, आंतरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सामान्य ह्रदयता को बढ़ा ने में मददगार साबित हुए हैं। ये तरीके वर्तमान समय की पूर्व-निर्धारित, तनावपूर्ण अत्याधुनिक वास्तविकता में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारतीय ज्ञान प्रणालियों ने 'वसुधैव कुटुंबकम' (दुनिया एक परिवार है) के विचार से सभी प्राणियों की परस्पर निर्भरता पर जोर दिया। पर्यावरणीय विषय और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और संरक्षण की मांग को ध्यान में रखते हुए, ये सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।वास्तविकता की प्रकृति में आध्यात्मिक विकास एवं चौतन्यता वेदांत जैसी भारतीय ज्ञान प्रणालियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो वेदों के नाम से जानी जाने वाली प्राचीन पुस्तकों पर आधारित एक दार्शनिक स्वरूप है। विज्ञान ऐतिहासिक रूप से भारतीय ज्ञान प्रणालियों द्वारा गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान जैसे विषयों में उन्नत हुआ है। शून्य, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति जैसी प्राचीन भारतीय सामान्यताओं का उपयोग अभी भी वर्तमान ज्ञान और प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो आविष्कार और उन्नति को बढ़ावा देने में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के महत्व को प्रदर्शित करता है।

संख्या प्रणाली का आविष्कार- भारत ने संख्या प्रणाली का आविष्कार किया। शून्य से अनंत तक की अवधारणा दी। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन कि उत्पत्ति भी भारत से हुई 11वीं शताब्दी में द्विघात समीकरण (Quadratic equation) श्रीधराचार्य द्वारा बनाए गए थे। यूनानियों और रोमनों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 106

थी, जबकि हिंदुओं ने वैदिक काल के दौरान 5000 ईसा पूर्व में विशिष्ट नामों के साथ 1053 जितनी बड़ी संख्या का उपयोग किया था। सिंचाई के लिए सबसे पहला जलाशय और बांध सौराष्ट्र में बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय रैवतका की पहाड़ियों पर 'सुदर्शन' नामक एक सुंदर झील का निर्माण किया गया था। जो संपूर्ण विश्व के लिए एक उदहारण रहा। जेमोल, जिकल इंस्टीटच्यूट ऑफ अमेरिका के अनुसार, 1896 तक, भारत दुनिया के लिए हीरे का एकमात्र स्रोत था। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित IEEE द्वारा विश्व वैज्ञानिक समुदाय में सिद्ध कर दिया कि बेतार संचार प्रकाशीय तंतु (Optical fiber) के प्रणेता प्रोफेसर जगदीश बोस थे न कि मारकोनी।

भारतीय ज्ञान परंपरा में मंदिर की वास्तु शैली- भारतीय ज्ञान परंपरा में मंदिर वास्तु शैली भी प्रमुख स्थान रखती है। भारतीय मंदिर वास्तुकला भी आधुनिक युग के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत के कई मंदिर वास्तुशिल्प महत्वाकांक्षा के आश्चर्यजनक उदहारण हैं, और अधिकांश जटिल नक्काशी और प्रतीकों से सजाए गए हैं। उदहारण के लिए ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम शहर में द्रविड़ वास्तुकला का मंदिर है, जो शिव को समर्पित है। पत्थर के मंदिर में एक रथ संरचना शामिल है, और इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, ब्रह्म, सूर्य, विष्णु जैसे प्रमुख वैदिक और पौराणिक देवता शामिल हैं। बृहदेश्वर मंदिर, जो शिव को समर्पित है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित है। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और चोल काल के दौरान तमिल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के गुफा मंदिरों में समृद्ध सजावट का उपयोग किया गया है, जो सीधे चट्टानों में उकेरी गई है। ऐसे अनंत उदहारण हमारे भारतवर्ष कि ज्ञान भूमि के अलंकरण है, जो आधुनिक युग के विज्ञान से भी परे है और समस्त वास्तुकला प्रेमियों के लिए शोध का विषय है। इस प्रकार हमारे भारत वर्ष ने विश्व को अनेक प्रकार से योगदान देकर लाभान्वित किया है। भारत ने ही विश्व को बौद्ध, जैन और सिख पंथ दिए। भारत ने विश्व को गुरु शिष्य परम्परा दी जिसके माध्यम से वर्षों तक अर्जित ज्ञान को आत्मसात और विश्लेषण कर नए ज्ञान को संश्लेषित किया गया।

भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास- विज्ञान का इतिहास भी बेहद समृद्ध रहा है। इसमें खगोल, गणित, और चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। भारत की ज्ञान और विज्ञान परंपरा का वैश्विक प्रभाव भी गहरा रहा है। कई प्राचीन भारतीय विचार और सिद्धांत पश्चिमी विज्ञान और दर्शन पर भी प्रभाव डाल चुके हैं। तो आइये जानते है कि किस तरह ज्ञान और विज्ञान का हमारी जिन्दगी पर प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद् (4.33,37,38) में अर्जुन को मार्गदर्शन दिया कि ज्ञान आत्म–शुद्धि और मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। भारत में ज्ञान का एक लंबा इतिहास है जो गंगा नदी की तरह निरंतर जारी है। वेदों–उपनिषदों से लेकर श्री अरबिंदो तक, ज्ञान सभी शोधों का केंद्र बिंदु रहा है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों की भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में एक मजबूत नींव है और यह हजारों वर्षों से विकसित हुई है। आयुर्वेद, योग, वेदांत और वैदिक विज्ञान सहित ये ज्ञान प्रणालियाँ आधुनिक दुनिया में अभी भी उपयोगी हैं। भारतवर्ष ने विश्व को आयुर्वेद दिया।

आयुर्वेद मनुष्यों के लिए ज्ञात चिकित्सा का सबसे पहला स्कूल है। चिकित्सा के जनक चरक ने 2500 साल पहले आयुर्वेद को समेकित किया। आज आयुर्वेद तेजी से हमारी सभ्यता में अपना सर्वोच्च स्थान हासिल कर रहा है। आधुनिक युग में आयुर्वेद का उदाहरण हमने कोरोना महामारी में देखा। आयुर्वेद के नाम से ज्ञात पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली में कल्याण के लिए व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। इस समय की दुनिया में जहां जीवन-संबंधी स्थितियां बढ़ रही हैं, यह प्राकृतिक सुधार के तरीकों, वैयक्तिकृत उपचारों और वनों की रोकथाम और स्वास्थ्य के संरक्षण पर ध्यान देने की बात करता है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक हैं। 2600 साल पहले उन्होंने और अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने सिजेरियन, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग, फ्रैक्चर, मूत्र पथरी और यहां तक कि प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की सर्जरी जैसी जटिल सर्जरी की। संज्ञाहरण का उपयोग प्राचीन भारत में अच्छी तरह से जाना जाता था। 125 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। कई ग्रंथों में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एटियलजि, भ्रूणविज्ञान, पाचन, चयापचय, आनुवंशिकी और प्रतिरक्षा का गहरा ज्ञान भी मिलता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम गुरुकुल प्रणाली थी, जहां छात्र अपने गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करते थे। यह प्रणाली संपूर्ण और समग्र शिक्षा प्रदान करती थी। भारत के खगोलीय गणना आधुनिक युग से भी काफी विकसित थी। भास्कराचार्य ने खगोलविद स्मार्ट से सैकड़ों वर्ष पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय की गणना की थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय 365. 258756484 दिन (पांचवीं शताब्दी)।

भारत में योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की परंपरा भी अत्यंत समृद्ध रही है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संतुलन स्थापित करती है। भारत में धर्म और दर्शन का विज्ञान से अद्‌भुत समन्वय रहा है। यहाँ के धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में विज्ञान के सिद्धांतों का गहन विवरण मिलता है, जो अद्वितीय हैं।मध्यकालीन और आधुनिक भारत में विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें और विकास हुए। सी.वी. रमन, एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों ने भारतीय विज्ञान को वैश्विक मंच पर पहुँचाया।भारत की ज्ञान और विज्ञान परंपरा का वैश्विक प्रभाव भी गहरा रहा है। कई प्राचीन भारतीय विचार और सिद्धांत पश्चिमी विज्ञान और दर्शन पर भी प्रभाव डाल चुके हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख आयाम

वेद और उपनिषद- भारतीय ज्ञान का आधार वेद और उपनिषद हैं। इन ग्रंथों में धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है।

आयुर्वेद- आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो रोगों के निदान और उपचार के लिए प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करती है। आयुर्वेद के सिद्धांतों का उपयोग आधुनिक चिकित्सा में भी किया जाता है।

योग- योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने में मदद करता है। आजकल योग विश्वभर में एक लोकप्रिय व्यायाम और तनाव निवारण तकनीक के रूप में प्रचलित है।

ज्योतिष- भारतीय ज्योतिष ग्रहों और नक्षत्रों की गति के आधार पर भविष्यवाणी करने की एक विधि है। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने ग्रहों की गति और ब्रह्मंड की संरचना के बारे में गहन अध्ययन किया।

गणित- भारतीय गणितज्ञों ने शून्य, दशमलव प्रणाली और बीजगणित जैसे महत्वपूर्ण गणितीय सिद्धांतों का विकास किया। भारतीय गणित के सिद्धांतों का उपयोग आधुनिक गणित में किया जाता है। गणित में भारतवर्ष का परचम पुरातन काल से ही लहरा रहा है। "पाई" के मान की गणना सबसे पहले बुधायन ने की थी, और उन्होंने उस अवधारणा को भी समझाया जिसे पाइथागोरस प्रमेय के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज उन्होंने यूरोपीय गणितज्ञों से बहुत पहले छठी शताब्दी में की थी। स्थान मान प्रणाली, दशमलव प्रणाली भारत में 100 ईसा पूर्व में विकसित की गई थी।भारतीय दर्शन के सिद्धांतों ने पश्चिमी दर्शन को भी प्रभावित किया है। रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उनकी थ्योरियों ने आधुनिक गणित को नई दिशा दी। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने गणित और खगोल विज्ञान में जो योगदान दिया है, वह आज भी वैज्ञानिक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और ग्रहों की गति का अध्ययन किया।

धातुकर्म- भारतीयों ने धातुओं को शुद्ध करने और उनसे विभिन्न उपकरण बनाने की कला में महारत हासिल की थी। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार, 1 ईस्वी से 1600 तक भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र था।

निष्कर्ष- भारतीय ज्ञान-विज्ञान परंपरा न केवल प्राचीन काल में बल्कि आज भी विज्ञान, चिकित्सा, गणित और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। भारत के मनीषियों और वैज्ञानिकों का योगदान आने वाले समय में भी अमूल्य रहेगा। भारतीय ज्ञान की यह परंपरा हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। निष्कर्षत:,भारतीय ज्ञान प्रणाली आज के परिश्य में भी लागू है, जो तनाव प्रबंधन, स्थिरता आदि जैसे मुद्दों से निपटने के लिए व्यावहारिक सुझाव देती है। यह ज्ञान का एक विशाल भंडार प्रदान करती है जिसका उपयोग लोगों, समुदायों और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अब समय है भारत के द्वारा विश्व को दिए गए ज्ञान को संजो कर इसका संवर्धन किया जाए और भारतवर्ष के जनता को संस्कृति, पहचान और प्राप्त ज्ञान से जोड़ा जाए। तब ही इसकी उपादेयता सिध्द होगी। अब यह हम सभी का कर्त्तव्य बनता है कि भारत वर्ष की इस अनमोल धरोहर, ज्ञान को संवर्धित करके रखे जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके और आने वाली पीढ़ी भारत को हीन दृष्टि से न देख कर गौरवपूर्ण दृष्टि से देखे । भारतीय ज्ञान-विज्ञान परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान-विज्ञान को पाठचक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय ज्ञान-विज्ञान पर अधिक से अधिक अनुसंधान किए जाने चाहिए।भारतीय ज्ञान-विज्ञान पर केंद्रित संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। भारतीय ज्ञान-विज्ञान को विश्व के अन्य देशों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मिश्र, स. क. (2024, अप्रैल14), प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा समाज के लिए प्रेरणादायी.
2. शर्मा, स. क. (2021), भारत का राजा: महाभारत में राजत्व का परिप्रेक्ष्य, अहमदावाद, भारतीय विचार मंच, भारत शोध संस्थान
3. शर्मा, स. क. (2023), प्राचीन भारत में राजधर्म की अवधारणा, स. क. शर्मा, राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन
4. त्रिपाठी, श. म. (2023). राजनीतिक चिंतन का पुनर्भ्रमण: पौर्वात्य एवं पाश्चात्य, प्द स. क. शर्मा, राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि,नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
5. www.icpr.in
6. www.ichr.ac.in
7. https://www.dli.gov.in
8. https://ndl.iitkgp.ac.in/
9. अखबार और पत्रिकाएं 'प्राची-ज्योति' (भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर आधारित)
10. 'भास्कराचार्य पत्रिका'
11. "Indian Culture and Heritage Review"

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

अच्छा देश बनाने का उपाय

• चित्रा रे

सारांश- कोई भी देश को सुव्यावस्थित चलाने के लिए अच्छा मनोवैज्ञानिकों, अच्छी अर्थव्यवस्था के ज्ञानी, अच्छा समाज व्यवस्था के ज्ञानी का व्यक्ति होना चाहिए। इन लोगों को एक साथ बैठकर सेमिनार होना चाहिए। देश का दशा देखते हुए संविधान के कुछ नियमों को परिवर्तन करना आवश्यक है। अगर जात-पात हटाना है तब आरक्षण को हटाना होगा। जात-पात के जगह अमीर-गरीब वह कोई भी जात का हो उसको सुविधा देना होगा। शिशु लोगों पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि वे लोग देश का भविष्य है, उच्च कोटी के उद्योगपति से 1/4 कमाई का पैसा गरीब बच्चे पर खर्च करना होगा बच्चे लोगों को स्कूल, कॉलेज में रोजाना मेडिटेशन, योगा, व्यायाम कराना होगा, स्वात्विक भोजन का आदेश देना होगा, कोई भी अच्छा पद चयन करने के पहले उसका संस्कार, गुण दोनों को देखना होगा। अमीरों को ज्यादा मान नहीं देकर महान व्यक्ति को मान देना चाहिए। धन से बड़ा बुद्धि होता है। बुद्धिमान या विद्वान ही देश को अच्छा चला सकता है।

मुख्य शब्द- ज्ञानी, समाज, जात-पात, योगा, व्यायाम

देश का दशा देखते हुए संविधान में कुछ नियमों का परिवर्तन होना चाहिए। अगर जात–पात हटाना है तब आरक्षण को हटाना होगा। जात–पात के जगह अमीर–गरीब लाना होगा। वह व्यक्ति कोई भी जात का हो या मजहब का हो जो गरीब होगा उसकी पढ़ने–लिखने का सुविधा देना होगा। अगर जात–पात लेकर आरक्षण की सुविधा देने लगेगें तब कोई भी आरक्षण के जाति अमीर हो उसको आरक्षण का सुविधा बन्द होना चाहिए अभी 75 साल हुए भारत स्वाधीन हुए हैं, बहुत आरक्षण के आदमी आगे बढ़े हैं। उसकी आरक्षण में क्यों घोषणा करना है ? उन लोगों तो सवर्ण में घोषणा करना चाहिए। सरकार पहले से ही अमीर गरीब करके विभाजित करते आज तक जात–पात हट जाता। देश बहुत हद तक सुधर जाता। जिम्मेदार पदों में आरक्षण के लोग काम करने से उसका संस्कार, पढ़ाई–लिखाई में कमी होने से वे लोग जिम्मेवारी के जगह को अच्छा से चला नहीं सकते, वे लोग दारू पिलाना, लड़कियों को अपमान करना, चोरी ज्यादा करेंगे, देश डुब जाएगा। वल्लभ भाई पटेल देश का संग्रामी थे आरक्षण के लिये मत नहीं दिये थे। वे बोले ये आरक्षण देने से देश आगे बढ़ने में समस्या होगी। आरक्षण न ही संविधान में होना चाहिए।

• मनोविज्ञान विभाग, के.बी.महिला महाविद्यालय, हजारीबाग (झारखंड)

शिशु लोगों का विशेष ध्यान देना चाहिए। वे लोग कच्चा मिट्टी के बराबर है। उन लोगों का अच्छा भरण–पोषण, शिक्षा देने से चोर, डकैत बड़े होकर नहीं बनेंगे। शिशु लोग समाज और देश का भविष्य है। उन लोगों का शिक्षा, शरीर मजबूत, खाने–पीने में कमी नहीं होना चाहिए। पौष्टिक आहार, धनात्मक आनन्द जैसे– खेल–कूद, घुमाना इत्यादि। सरकार को चाहिए था शिशु लोगों को खाना–पीना देती और बुढ़े लोगों की, न की जवान लोगों को, जवान लोगों को खटकर खाना चाहिए, इसलिए जवान लोगों को नौकरी अपने–अपने योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए बहुत अमीर जो अरबपति–खरबपति है उससे सहायता लेकर गरीबों को सहायता करना चाहिए, इसलिए सरकार को चाहिए Rule बनाकर बहुत बड़े अमीरों, अरबपति–खरबपति से प्रतिशत के हिसाब से पैसा लेकर गरीबों को सहायता करना चाहिए। गरीब शिशु लोगों को कम पैसा लेकर पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी लोगों को स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा के लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए। शरीर और मन स्वस्थ होने से पढ़ाई में भी ज्यादा मन लगेगा। शाकाहारी खाने का प्रोत्साहन देना चाहिए। उससे संयमी बच्चे बनेंगे। आयु बढ़ेगें, बीमारी कम होगें।

कोई भी अच्छा पद देने के लिए उसका पहले बुद्धि लब्धि (I.Q.), संस्कार, गुण देखना चाहिए। हो सकता है वह पढ़ने–लिखने में तेज हो लेकिन संस्कार अच्छी नहीं है। वह अपने ही अच्छा से चल नहीं सकेगा तो दूसरों को कैसे चलाएगा। पढ़ाई–लिखाई में जहाँ तक गरीबों को सुविधा देना चाहिए उसमें कोई भी जात के हो या मजहब के हो। जहाँ तुलनात्मक नौकरी या उच्च पद का नौकरी हो वहाँ एक ही स्तर में सबको रखकर परीक्षा लेना चाहिए वहाँ आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिसका तर्क (Reasoning), बुद्धि लब्धि (I.Q.), संस्कार सब कुछ देखना चाहिए क्योंकि वह देश को अच्छा से सम्भालेगा।

कोई भी आदमी अग्रीम (Forward) हो लेकिन वह गरीब हो तो उसका आदत बिगड़ जाएगा नीचा काम करने लगेगा वह पिछड़ा हुआ आदमी से भी ज्यादा नीचा काम करते हैं आजकल अग्रीम (Forward) लोगों का भी मानसिक रूप से अग्रीम (Forward) बहुत हद तक नहीं है। समाज में कोई भी आदमी हो अच्छा पद या समाज सम्भालने के लिए अच्छा चिंतन, गुण दोनों घनात्मक होना चाहिए। बहुत अग्रीम (Forward) जाति के लोग अच्छा मेधा, संस्कार होने से भी उसका बढ़ने के जगह आरक्षण के लिए नीचा दबाया जाता है उसका होनहारी काम में नहीं दिया जाता है।

शिशु लड़के और शिशु लड़कियाँ को बहुत ज्यादा या बहुत कम सुविधाएँ देने से बच्चों का अच्छा व्यक्तित्व नहीं होता है। ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है। इसमें दोनों का व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है। लड़कों और लड़कियाँ दोनों समपूरक हैं एक के बिना दूसरा अधूरा है। भगवान ज्यादातर लड़कियों को सहनशीलता, धैर्यपूर्ण बनाए क्योंकि वे जन्मदात्री है कहीं लड़कों की शरीर मजबूत, हिम्मत ज्यादा होता है वह देखा गया है उनलोगों सपाट स्वभाव (Flat temperament) के होते हैं जहाँ लड़कियों का जटिल स्वभाव (Complex temperament) के होती है। दोनों का पहचान बराबर होता है। ये मनोवैज्ञानिकों ने अन्वेषण (Research) करके बताये हैं।

भगवान ने लड़कियों को नरम शरीर इसलिए बनाये हैं उन लोगों ने बच्चों को जन्म देती है। पठार में खेती नहीं होती है। खेती को उपजाने के लिए नरम मिट्टी की जरूरत है जिस खेती में बहुत बड़ा फल होता है जैसे–कोहड़ा, लौकी उस खेत का नरम करके उसको धेराव (Fancing) दिया जाता है कि बाहर से कोई फल को खा नहीं सके। उसकी डंटियाँ बहुत ही नाजुक होती है। जिस दिन आरक्षण हटकर शिक्षा संस्कार की बच्चे से ही दी जाएगी उसदिन लड़कियाँ भी स्वतंत्र रूप से रात–विरात में अकेले चल सकेगी।

अमीरों को ज्यादा मान नहीं देना चाहिए महापुरुषों को ज्यादा मान देना चाहिए तब मनुष्यों ज्यादा पैसा के पीछे नहीं भागकर महान होने के कोशिश करेंगे। देश स्वर्ग बन जाएगा। शास्त्र में लिखा है कि 'बुद्धि यस्व बलम् तस्व, लिट बुद्धि कुतम वल्म्'।

अभी लड़कियाँ न समझकर खराब यानी छोटे कपड़े पहनकर अपने को प्रदर्शन करती है शिक्षित, संस्कार दोनों अच्दा होने से लड़कियाँ अपना कपड़ा अच्छा ढंग से पहनेगी। प्रेमचन्द लेखक एक बात कहे हैं अक्षर ज्ञान होने से ही विद्वान व्यक्ति नहीं होते। अक्षर ज्ञान होने से शिक्षित (literate) कहा जा सकता है लेकिन विद्वान नहीं। आदमी में बोध शक्ति होती है। Literate and Illiterate में फर्क है। पुरुष और स्त्रियाँ को स्थान, काल, पात्र को समझकर चलना चाहिए।

कोई बोलते हैं भगवान है और कोई बोलते है भगवान नहीं है। भगवान इसलिए है कि कोई भी आदमी का एक मकान देखकर बोल सकता है यह मकान आदमी ने बनाया है क्योंकि मकान बनाने के लिए चेतन (Concions) के जरूरी है वैसे ग्रहों, नक्षत्र, सूरज–चाँद बनाने के लिये भी परम चेतन (Supreme Concions) के जरूरत हुआ है क्योंकि वे सब नियमानुसार अपने परिधि में चलता है नहीं तो वह गिर जाता उसके लिये भी बड़ा चेतना का जरूरत हुआ है। बिना बड़ा चेतन का इतना नियमानुसार ग्रहों, नक्षत्रों, चाँद–सूरज सचेत नहीं सकता, वहीं परम चेतन (Supreme Concions) को भगवान कहते हैं। वह सृष्टिकर्ता है वह पूरा दुनिया को बनाये है और चला रहे हैं।

अभी भी गाँव में शिक्षा कम है। इसलिए गृह हिंसा (Domestic Violence) ज्यादा है। गृह हिंसा कम करने के लिए Psychology में M.A. Pass करके training देकर लड़कियों को गाँव में रोजगार देकर गृहहिंसा को कम किया जा सकता है और आध्यात्मिक बनाना चाहिए और शाकाहारी खाने के लिय परामर्श देना चाहिए और आदतें डालना चाहिए। 'जैसा खाएँ अन्न वैसा हो मन' सबको समझा देना चाहिए कि भगवान है जैसे भौतिक जगत में अणु–परमाण है। इंटरनेट है वैज्ञानिकों ने आविष्कार करके इतना लोगों को सुख–सुविधा दिये हैं वैसे आध्यात्मिक जगत में भी अणु–परमाणु है वह चैतन्यमय का अणु–परमाणु है आसमान के ऊँचाई में आध्यात्मिक अणु–परमाणु ज्यादा है नीचे कम है। ये चैतन्यमय अणु–परमाणु आनन्दमय है इसलिए जब आदमी विपत्ति में पड़ता है तब ओ: भगवान, ओ: अल्ला, ओ: गॉड कहते हैं और उसका हाथ ऊपर के तरफ चला जाता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपने कविता के गाने में लिखे हैं आसमान वायु में आनन्द का अणु–परमाणु घुम रहा है इसलिए सुबह में बाहर आसमान के नीचे टहलने से आनन्द मिलता है शरीर अच्छा होता है।

जहाँ आदमी के अन्दर त्याग भावना है वहीं भोग है त्याग भावना से ही लोगों या जीवों के प्रति दया आती है उपकार करने आदमी लगता है जो आदमी ज्यादा उपकार कर सकता है भगवान उसको जयादा भोग इस दुनिया में कराता है जैसे Newton dk "Third Law every action eaual and opposite reaction" 'जैसे करोगे वैसे पाओगे' जैसे यह Formula बाहरी जगत के लिय भी है भगवान का एक ही formula है जब आध्यात्मिक जगत में लोग भोग कर न कि उपभोग करना है। भोग करके आदमी के मन जब तृप्त हो जाता है तब भगवान दिखने लगता है उपभोग से नहीं, उपभोग का मतलब है कि कहीं काम कर रहा है तो चोरी नहीं करना, चोरी करना उपभोग हुआ एक शादी करना न कि दस शादी करना एक से ज्यादा शादी करने से उपभोग कहा जाता है इत्यादि। जिसका भगवान दिख जाता है वह फिर जन्म नहीं लेता है।

दूसरा तरफ मनुष्यों त्याग करके परोपकार करके समाज सुधार करके भी संतोष प्राप्त करके भगवान को पा सकते हैं जैसे सन्यासी लोग संन्यासी लोगों का भी मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करना अनिवार्य है। अपने औकात के अनुसार जैसे दूसरों को भलाई या मदद करने से भगवान वैसा ही मनुष्यों को भलाई करेंगे ये बात आनन्दमार्ग के गुरू प्रभात रंजन सरकार भी बोले हैं।

मेडिटेशन करने से यह लाभ है कि मन संयमी होता है प्रभु के अणु-परमाणु के तरंगें या चैतन्य अणु-परमाणु के सहारे हम अच्छा-अच्छा काम कर सकते हैं। प्राणायाम, शरीर का व्यायाम से शरीर मन दोनों स्वस्थ और बीमारी कम होता है।

हम लोगों का देश जो जनता के वोट देने का अधिकार है उसी अनुसार जो पार्टी जीतती है उसी का सरकार चलती है पार्टी को जीतने के लिए प्रचार अपने पार्टी के तरफ करती है प्रचार के लिये जो चंदा बड़े-बड़े उद्योपतियों से चंदा आते हैं वह एक जगह जमा होना चाहिए। सीट के अनुसार उसी चंदा के पैसा को जिस पार्टी में जितना सीट है उसी के अनुसार उस चंदा से उसी अनुपात में देना चाहिए कि सब लोग समान रूप से प्रचार कर सके। तब कोई घोटाला नहीं आयेगी। एक पार्टी में ज्यादा चंदा का पैसा रहने से दारू पिलाकर वोट उस आदमी से लेगा। इसलिए किसी एक पार्टी में चंदा का पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए और C.B.I., E.D., I.B. Department स्वतंत्र होना चाहिए कि सब पार्टी को समान रूप से व्यवहार करें तब कोई पार्टी का निपुणता देखकर आदमी वोट देगी। हमलोगों का देश धर्म-निरपेक्ष है सब मजहब को समान दृष्टि से देखना चाहिए जो व्यक्ति अपने पिता को सम्मान करते हैं वह व्यक्ति दूसरों के पिता को भी सम्मान करते हैं जो दूसरों के पिता को असम्मान करते हैं वह अपने पिता को भी सम्मान नहीं करते हैं। हो सकता है किसी मजहब का सोच ज्यादा गहराई है लेकिन सब मजहब को भगवान ही बनाये हैं स्थिति, समय को देखकर भगवान भिन्न-भिन्न मजहब बनाये हैं सब श्रद्धेयनीय है जैसे प्रकृति ने भिन्न-भिन्न नदी बनायी है लेकिन सबका मिलन एक ही समुद्र में जाकर मिलती है। अगर साम्प्रदायिकता का अनुभव जो ज्यादा करेगा उस व्यक्ति का मुक्ति कभी नहीं होगा। उसका व्यक्तित्व संकीर्ण हो जाएगा। तब मेरा देश कभी भी विश्व बंधुत्व बना नहीं सकेगा। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। छोटा मन लेकर बड़ा काम नहीं हो सकता है। न की विश्व में या देश में शांति आ सकता है। हमलोगों को देश का नारा है 'विश्व शांति के ओर ले जाना।'

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. श्रीश्री प्रभात रंजन सरकार (आनन्दमार्गी के गुरु)
2. रवीन्द्रनाथ ठाकुर
3. वल्लभ भाई पटेल
4. प्रेमचंद
5. स्वामी विवेकानन्द

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन

• विनेता

सारांश- भारत सरकार द्वारा प्रकट की गई नई शिक्षा नीति (NEP 2020) Covid19 महामारी द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों के कारण दुनिया को घेरने वाली नकारात्मकता की टाइटैनिक संख्या के बीच एक आकर्षक बदलाव और नई खबर थी। एनईपी 2020 का बयान एक अलग सभा द्वारा बिल्कुल अप्रत्याशित था। एनईपी 2020 ने जो उन्नयन प्रस्तावित किया है वह कुछ ऐसा था जो विभिन्न शिक्षाविदों ने कभी नहीं देखा। किसी भी दर पर शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा को भी प्रभावित किया है, इसके अलावा, यह लेख एनईपी 2020 और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर सामान्य आधार रखता है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो आश्चर्यजनक, तेजस्वी, बदले हुए और आविष्कारशील हों। यह एक व्यक्ति को शून्य में शून्य करने के लिए शुरू से अंत तक के स्तर पर रुचि के क्षेत्रों को व्यक्त करना चाहिए और व्यक्तिगत, नैतिक और इष्ट गुणों, त्वरित रुचि, ध्वनि स्वभाव, कल्पनाशील मस्तिष्क, संबंध आत्मा, और 21 वीं की सीमाओं को विकसित करना चाहिए। विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव मौखिककरण, मानविकी, स्थानीय भाषा, व्यक्ति, आविष्कारक मास्टर विषयों सहित क्षेत्रों की एक डिग्री भर में सदी। नई शिक्षा नीति तालबद्ध सुधार संरचना में कुछ बड़े बदलाव करती है, और प्रमुख विशेषताएं बहु-विषयक अंतहीन स्कूल हैं, जिनमें हर जिले में या उसके आस-पास कुछ ऐसा है, शैक्षिक कार्यों को समझने की कोशिश करना, प्रक्रिया, मूल्यांकन और प्रायोजन दिखाना अधिक विकसित छात्र जानकारी के लिए, शानदार दोस्त परिभाषित काम और वास्तव में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सीखने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को तैयार करना।

मुख्य शब्द- नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, कोरोना वायरस

भूमिका- शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई) भारत सरकार द्वारा भारत के प्रियजनों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक नीति है। यह नीति मानक और महानगरीय भारत दोनों में विश्वविद्यालयों को सीधे शिक्षा प्रदान करती है। प्रिंसिपल एनपीई को 1968 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत सरकार द्वारा, 1986 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा दूसरा और 2020 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया था।

• विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग ईस्माइल नेशनल पी.जी. कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के संबंध से अवगत कराया गया था, भारत की नई शिक्षा संरचना की दृष्टि को फ्रेम करती है। नई नीति शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति, 1986 की जगह लेती है। नीति उच्च शिक्षा के लिए स्पष्ट शिक्षा के साथ-साथ देश और महानगरीय भारत दोनों में मास्टर स्थिति के लिए एक पूर्ण सुधार है। नीति का अर्थ 2021 तक भारत की शिक्षा संरचना को बदलना है। एनईपी में भाषा नीति एक व्यापक नियम और प्रकृति में पूर्व चेतावनी है; और यह निष्पादन को चुनने के लिए राज्यों, संबद्धताओं और स्कूलों पर निर्भर करता है। NEP 2020 भारत की शिक्षा नीति में विभिन्न परिवर्तनों पर सहमति देता है। इसका मतलब शिक्षा पर राज्य के उपयोग को जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को पूरा करने, एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की खेती करने और घटनाओं के राष्ट्रीय नए मोड़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कभी न खत्म होने वाली सहमति देना ही भारत की प्रगति का मार्ग है और आर्थिक प्रगति, सामाजिक खुले दरवाजे और पत्राचार, स्वस्थ विकास, राष्ट्रीय जुड़ाव और सरकारी सेवानिवृत्ति भागीदार के संबंध में आम मंच पर चढ़ना और संबंध बनाना, जैसा कि राज्य नीति के सभी दिशा-निर्देशों का सुझाव दिया गया है और केंद्रीय प्रतिबद्धताएं। एनईपी 2020 नीति भारत के शिक्षा ढांचे के लिए एक विशाल उपलब्धि का अनुमान लगाती है, जो ईमानदारी से भारत को दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक उच्च शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ने वाला बना देगा। नीति 'पहुंच, मूल्य, गुणवत्ता, और तर्कशीलता और दायित्व' की रीढ़ पर निर्भर करती है और भारत को एक प्रचुर सूचना क्षेत्र में बदल देगी।

एनईपी 2020 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में बहु-विषयक विद्वानों और अनुसंधान को नियंत्रित करने और आगे बढ़ाने के लिए सहायक और संस्थागत आरोहण का पूरक है। NEP 2020 ने भारत के शैक्षिक परिदृश्य में आयु सुधार की सिफारिश की है। नीति भारत को एक चौंका देने वाले सूचना समाज में बदलने के लिए उचित भारतीय केंद्रित शिक्षा ढांचे की कल्पना करती है। आश्चर्यजनक रूप से, नई शिक्षा नीति का धक्का क्षेत्र विभिन्न शैक्षिक नींवों और विषयों के मिश्रण से शिक्षा की खेल व्यवस्था को अच्छी तरह से संसाधनयुक्त और बहुविषयक बनाना है जो आवश्यकताओं को पूरा करने का विश्वसनीय प्रयास करता है।

नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा एक नकारात्मक पहलू है क्योंकि भारत में पढ़ने के लिए एक असुरक्षित शिक्षक है, ऐसे में शैक्षिक संबद्धता में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा प्रस्तुत करना एक मुद्दा है। कुछ मामलों में, एक फिट शिक्षक को ढूंढना एक मुद्दा बन जाता है और जल्द ही एनईपी 2020 की प्रस्तुति के साथ एक और परीक्षा शुरू हो जाती है, जो भौतिक स्थानीय भाषाओं के इर्द-गिर्द घूमती है।

एनईपी 2020 के अनुसार, अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के इच्छुक छात्रों को लंबे समय तक देखने की जरूरत है, कोई भी दो साल में अपनी पुष्टि की डिग्री पूरी कर सकता है। यह छात्र को अनिवार्य रूप से पूरे रास्ते पाठ्यक्रम छोड़ने का आग्रह कर

सकता है। सरकारी स्कूलों के छात्रों की तुलना में गैर-राज्य समर्थित स्कूलों के छात्रों को बहुत कम उम्र में अंग्रेजी दी जाएगी। सरकारी स्कूल के छात्रों की विशेष क्षेत्र की भाषाओं में शैक्षिक पाठ्यक्रम दिखाया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति की प्रमुख कमियों में से एक है क्योंकि इससे छात्रों को अंग्रेजी में देने में अजीब तरह की समझ विकसित होगी जो सामान्य व्यक्तियों के क्षेत्र के बीच के उद्घाटन में बदल जाती है।

उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन- भारतीय उच्च शिक्षा संरचना द्वारा देखे गए बुनियादी मुद्दे कटऑफ पॉइंट्स, प्रारंभिक विशेषज्ञता और बाध्य अनुसंधान क्षेत्रों में फैल रहे अध्ययन, अनुसंधान पर कम स्पॉटलाइट, कॉलेजों और स्कूलों का निरीक्षण किया, और क्रूड साइडकिक सर्वेक्षण की गैर-मौजूदगी के बारे में जागरूक रहे। अंडरग्रेजुएट शिक्षा की कम डिग्रियों को बढ़ावा देने वाले टीममेट कॉलेज।

एनईपी 2020 में एक विशाल परिवर्तन भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) को उच्च शिक्षा के लिए एक छत्र निकाय के रूप में फैलाने की व्यवस्था है, जो नैदानिक और प्रमाणित शिक्षा के लिए बहुत कम मानस का भुगतान करता है। एनईपी 2020 द्वारा दिखाया गया है, व्यापक और बहु-क्षेत्रीय शिक्षा हर एक मानव कटऑफ का प्रबंधन करने की उम्मीद करेगी - मानसिक, सुंदर, सामाजिक, शारीरिक, विशाल और नैतिक। पूर्ण शिक्षा और बड़ी संख्या में विषय शिल्प कौशल, मानविकी, भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्र, और मानव मौखिककरण, विकास और शिक्षुता के क्षेत्र में 21वीं सदी की प्रमुख सीमाओं के साथ ऑफसेट व्यक्तियों को बनाने में सहायता करेंगे; पड़ोस के नैतिकता; नाजुक समापन बिंदु, जैसे पत्राचार, आदान-प्रदान और बातचीत; और क्षेत्र या क्षेत्रों में जटिल उन्नयन उठाया। इस तरह की संपूर्ण शिक्षा, समय के साथ, वह साधन होगी जिसके द्वारा सभी छात्र स्नातक कार्यक्रम, स्पष्ट, विचार और शब्द संबंधी मूल्यांकन के लिए उनकी खोज पूरी हो जाती है। एक बहुमुखी और कल्पनाशील शैक्षिक योजना पड़ोस और निष्पादन, नियमित शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और अनुभव देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सर्वर/कनेक्शन पाठ्यक्रम और क्षेत्रीय प्रयासों में आगे बढ़ने को व्यापक स्पष्टीकरण शिक्षा के मूल भाग के रूप में देखा जाएगा।

एनईपी 2020 इसी तरह नए स्कूलों और विश्वविद्यालयों को भारत आने के लिए लाइसेंस देता है और यह शिक्षा के अवसरों के बारे में सोचने के लिए मानक संस्थानों के लिए एक परीक्षा की प्रतीक्षा करता है। भारत को एक सामान्य शिक्षण नींव के रूप में उन्नत होना चाहिए जो उचित खर्च पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करता है और विश्व मास्टर के रूप में अपना व्यवसाय फिर से स्थापित करता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्कूलों को विदेशों में मैदान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसके अलावा, चुनिंदा कॉलेजों (जैसे, अनुसंधान संयुक्त उपक्रमों और भारतीय संबद्धता और अंतरराष्ट्रीय नींव के बीच अंडरस्टूडी ट्रेडों को आश्चर्यजनक प्रयासों के माध्यम से बनाया जाएगा।

वास्तव में, एनईपी एक अधिक बहुमुखी आरेख मार्ग प्रदान करता है, जिससे छात्रों को निर्धारित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार बदलने के बजाय स्पष्ट रूप से ध्यान

केंद्रित करने की अपनी दिशा चुनने की अनुमति मिलती है। विशेषज्ञ शिक्षा 3 या 4 साल की अवधि के लिए होगी, इस अवधि के दौरान कई छुट्टी विकल्पों के साथ, वास्तविक प्रायोजन के साथ क्षेत्र या असुरक्षित कार्य क्षेत्र और विशेषज्ञ स्थानों में 1 वर्ष पूरा करने के बाद स्पष्ट रूप से एक दावा, या दो साल के बाद एक प्रमाणीकरण रूपरेखा, या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की उपाधि। 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम पसंद की ओर झुका हुआ होगा क्योंकि यह छात्रों के निर्णयों द्वारा दिखाए गए चुने हुए प्रमुख और नाबालिगों पर ध्यान दिए बिना समाशोधन और बहु-विषयक शिक्षा की पूर्ण डिग्री का अनुभव करने के लिए आवश्यक अवसर की अनुमति देता है। एक एजुकेशनल बैंक ऑफ क्रेडिट किसी भी मामले में अलग-अलग गारंटीकृत एचईआई में उपलब्ध समीचीन क्रेडिट डिग्री को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लटकाएगा ताकि एचईआई डिग्री प्राप्त क्रेडिट पर विचार करने के किसी भी ढोंग को छोड़ सके। पूर्ण और अलग शिक्षा के लिए कॉलेजों के साथ रखे गए राज्य के मॉडल, शिक्षा और अनुसंधान के विभिन्न स्कूल स्थापित किए जाएंगे और भारत में समूहीकरण के सबसे उन्नत स्तरों को पूरा करने की उम्मीद करेंगे।

पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज को शामिल करने और राष्ट्रीय नए विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बुनियादी महत्व है। इसी तरह, सामान्य हड़ताली शिक्षा भारत के बढ़ने और नकदी से संबंधित प्रगति, सामाजिक अवसरों और प्रत्याशा के संबंध में सामान्य मंच पर संबंध बनाने का तरीका है; भरोसेमंद और यांत्रिक प्रगति; राष्ट्रीय जुड़ाव और संस्कृति की पुष्टि भी। इस वक्त दुनिया डेटा और वर्क सीन में तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस चल रही परिस्थिति में, एक शिक्षा डिजाइन को चरित्र को संचित और आकार देना चाहिए; छात्रों को नैतिक, समझदार, स्मार्ट और सावधान रहने के लिए संलग्न करें; जबकि एक ही समय में उन्हें समायोजित कार्य के लिए स्थापित किया। यह देखा जाना चाहिए कि सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, के बीच के उद्घाटन को शिक्षा प्रणाली में बदलाव के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) भारत की शिक्षा संरचना के लिए और सामने, उदार और निष्पक्ष रूप से ताकत का एक सहज रूप से प्राप्त क्षेत्र है। एक्सेस, वर्थ, क्वालिटी, मॉडरेटनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की मूलभूत रीढ़ को ध्यान में रखते हुए, एनईपी 2020 को सेंसिबल न्यू डेवलपमेंट (एसडी) के लिए 2030 गेम-प्लान के साथ जोड़ा गया है। यह भारत को एक अविश्वसनीय डेटा समाज में बदलने का इरादा रखता है और अधिकांश भाग के लिए कभी न खत्म होने वाली स्कूली शिक्षा को और अधिक व्यापक रूप से दूरगामी, अनुकूलनीय, बहु-विषयक, 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल बनाकर डेटा महाशक्ति बनाता है। नीति को एक डिग्री के जबरदस्त विकास निष्पादन की आवश्यकता है क्योंकि कुछ देर पहले दुनिया में किसी भी तरह के प्रयास का प्रयास नहीं किया गया था। प्रामाणिक परिवर्तन शैक्षिक वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2030 तक होंगे जहाँ मौलिक स्तर की प्रगति नकारा न जा सके। मिशन सुनिश्चित है फिर भी सहायक निष्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि

कार्यान्वयनकर्ताओं को चुनौतियों में मूल्य कैसे देखना चाहिए और मुश्किल से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

NEP2020 को भारत सरकार द्वारा परिप्रेक्ष्य, निश्चितता और प्रतिभा के साथ उजागर किया गया है। शिक्षा की प्रस्तावित उन्नति निर्विवाद रूप से व्यापक, सतर्क और समाशोधन है। कोई विशिष्ट कम्पार्टमेंट, एंडप, इंट और डिवीजन नहीं हैं। समय का सामान्य खिंचाव एक बहुत ही बुनियादी स्तर पर आत्मसमर्पण कर दिया गया है, जिसमें लगभग 20 + विस्तारित लंबाई की कल्पना की गई है। यह जमीनी स्तर पर शुरू होता है; स्कूल स्तर स्नातक कक्षा और, अविश्वसनीय रूप से, उच्च स्तर की शिक्षा के माध्यम से जाता है। माना जाता है कि मुख्य व्यवसाय बहुआयामी, सतर्क और व्यापक शिक्षा पर आधारित है। तंदुरुस्त शिक्षा का मुख्य पूरक भी है, जो स्कूल स्तर पर ही शुरू हो जाना चाहिए। नीति को सामान्य रूप से छात्र के स्तर के अनुसार परिवहन के तीन भागों में विभाजित किया गया है और चौथे भाग को इसे चालू करने के तरीके के रूप में विभाजित किया गया है। स्तर स्कूल, उच्च शिक्षा और विभिन्न जिले हैं, असमान रूप से फिट शिक्षा।

एनईपी 2020 की धारणाएं और विचार प्रकृति में कुछ उदारवादी होने चाहिए। यह शैक्षिक विकास पर एक नई रोशनी देता है जो अनुकूलनशीलता के साथ अंतर्निहित है और सम्मान के लिए आम है जो भारत को एक समृद्ध सामाजिक विरासत से मेल खाने वाले फटने वाले समाज के लिए तैयार किया गया है।

निष्कर्ष- नई एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के साथ, भारतीय शिक्षा संरचना अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब होने के लिए तैयार है। एक इलेक्ट्र, निक आवरण में भारत में 1103 छात्र चले गए, मूल रूप से 96.4 प्रतिशत उन परिणामों के बारे में निश्चित थे जो नई नीति के निष्पादन से बढ़ रहे थे। एनईपी, जिसे बहुसंख्यक छात्रों पर होमरूम शिक्षण और मूल्यांकन के भारीपन के साथ काम करने के लिए साधारण के रूप में देखेंगे, देश की संभावित नियति बनाने में एक बड़ी भूमिका को पहचानेंगे। इसकी सफलता, किसी भी मामले में, सभी स्तरों पर एकसमान और प्रत्यक्ष निष्पादन में निहित है, संसाधनों के निष्पक्ष फैलाव के साथ। इस विशाल उपक्रम को तब देखा जा सकता है जब संस्थागत साधनों द्वारा बनाए गए सभी सहयोगियों के बीच 100 प्रतिशत सह-उन्नति और संयुक्त प्रयास हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. बीएल गुप्ता और एके चौबे। 2021. उच्च शिक्षा संस्थान - एनईपी 2020 के संदर्भ में स्वायत्तता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए कुछ दिशानिर्देश। सभी अनुसंधान शिक्षा और वैज्ञानिक विधियों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (IJARESM), वॉल्यूम। 9, अंक 1, जनवरी, 2021, आईएसएसएन 2455-6211, इम्पैक्ट फैक्टर 7.429। पीपी। 72-84
2. चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020)। 'समझाया' नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना। द इंडियन एक्सप्रेस।
3. डॉ. डीपी शर्मा, भारतीय शिक्षा प्रणाली में चुनौतियां पर। एडुवॉयस। शिक्षा उद्योग की आवाज। 25 मई 2020।
4. आइंस्टीन ए। हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते हैं जो हमने

उन्हें बनाते समय इस्तेमाल किया था; 2020.

5. जेबराज, प्रिसिला (2 अगस्त 2020)। 'हिंदू बताते हैं' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित है?" हिन्दू। आईएसएसएन 0971-751X
6. नंदिनी, एड. (29 जुलाई 2020)। नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं। स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हिन्दुस्तान टाइम्स।
7. Papathanassiou एम. चार्ल्स डार्विन द्वारा उद्धरण। सर्वश्रेष्ठ कोटेशन; 2020.
8. शुक्ला, अमनदीप (29 जुलाई 2020)। नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी ने शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक तय किए। हिंदुस्तान टाइम्स। आगे बढ़ने में समस्या होगी। आरक्षण न ही संविधान में होना चाहिए।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासी महापुरूषों की भूमिका

• बाल किशोर राम भगत

सारांश- देश की आजादी या धार्मिक-सामाजिक जागरण के प्रयासों में जनजाति समाज का योगदान अतुलनीय है। मुगलों और अंग्रेजों से हुए संघर्ष के इतिहास को अध्ययन करने से पता चलता है कि देश के जनजाति क्षेत्र के लोगों ने मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी को कभी भी स्वीकार नहीं किया। चाहे झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर-पूर्व के राज्य हो या देश के अन्य राज्यों में भी जनजाति समाज ने मुस्लिम शासन और ब्रिटिश शासन का पुरजोर विरोध किया है। जनजाति क्षेत्र के ऐसे अधिकांश जनजातियों से सैकड़ों वीर वीरांगनाएं हुई, जिन्होंने तत्कालीन समाज को जागृत किया और अपने प्राणों की आहुति दी लेकिन मुगल ब्रिटिश शासन के सामने अपनी मातृभूमि, संस्कृति, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए घुटने नहीं टेके।

मुख्य शब्द- जनजाति समाज का गौरव, अभिमान, त्याग, बलिदान

इतिहास में स्वतंत्रता के आंदोलन में लगे अनेक नायकों का वर्णन मिलता है परंतु बहुत से ऐसे नायक भी हैं जिनके साथ इतिहास न्याय नहीं कर सका है। देश के विविध क्षेत्रों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले बहुत से नायक गुमनामी में धकेल दिये गये। देश के गौरवशाली पन्नों में उन परक्रमी जनजाति वीरों, नायकों, समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों का उल्लेख अति आवश्यक है। जिससे वर्तमान और आने वाले भविष्य की पीढ़ियॉ जानकारी प्राप्त कर गर्व महसूस कर सके।

1857 के क्रांति के दौरान गढ़वा जिले का गौरव नीलाम्बर-पीताम्बर जो वर्तमान झारखंड के जनजाति परिवार में सनिया देवी की गोद में उनका जन्म हुआ। दोनों ही बाल्यकाल से बड़े ही बहादूर थे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कई राजा राज करते थे। उसमें एक चेरो राजा थे। 21 अक्टूबर 1857 को चेरो राजा ने युद्ध अभियान छेड़ा और सभी सैनिकों को एकत्र कर नीलाम्बर-पिताम्बर को नेतृत्व करने का कहा। कुछ समय बाद नीलाम्बर-पिताम्बर के साथ कर्नल डाल्टन और लेफ्टिनेट ग्राहम ने युद्ध छेड़ा तो भीषण युद्ध हुआ । दुर्भाग्यवश युद्ध के दौरान जयतपाल सिंह अंग्रेजों से मिल गया । अंग्रेजों के द्वारा इन दोनों को पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किया गया, साथ ही गॉव वालों को तंग भी करना शुरू हुआ। देशद्रोहियों ने अंग्रेजों को उनके ठिकानों को बता दिया । जैसे ही यह

• सहायक प्राध्यापक,हिन्दी, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय,रायगढ़ छ.ग.

जानकारी मिली कर्नल की सेना ने उन्हें घेर लिया और वहॉ भी भीषण युद्ध हुआ और नीलाम्बर और पिताम्बर पकड़े गये । 28 मार्च 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के भीमा नायक ने 1840 से 1864 तक अंग्रेजों के विरूद्ध भीलों की क्रांति का नेतृत्व किया। तात्या टोपे से प्रेरित और उन्हें नर्मदा पार करवाने वाले इस नायक ने 1857 स्वतंत्र समर में निमाड़ में अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों से मुक्ति के इस मोर्चे में भीमा की मॉ सुरसी ने भी एक क्रांतिकारी टोली का नेतृत्व किया । मॉ सुरसी को कैद कर अंग्रेजों ने भीषण यातनाएं दी। भूख-प्यास से तड़पती सुरसी ने जेल में ही अपना बलिदान दिया। प्रतिशोध में भील क्रांतिकारियों ने हमले तीव्र कर दिये। 1857 में खरगौन क्षेत्र में तीव्र हमले हुए उसे भयभीत होकर अंग्रेज खरगौन छोड़ इन्दौर भाग गये। अंग्रेजों के द्वारा भील सेना को दबाने के लिए मण्डलेश्वर में फोर्स तैनात की गई अंग्रेजों के दमन चक्र की परवाह किये बिना स्वाभिमानी भीलों ने हथियार नहीं डाले। मेवाड की रक्षा के असली हकदार भील गणतंत्र थे। इन भीलों में प्रमुख थे राणा पूंजा। अप्रतिम साहस, अदम्य सौर्य एवं जन्मजात बीरता से भरपूर राणा पूंजा के कारण मेवाड़ अजेय रहा । महाराणा ने राणा पूंजा को अपना भाई माना और उन्हें भील राणा की उपाधि दी। 1876 में मेवाड़ राज में मुगल दस्तक देने लगे। महाराणा ने भील राणा पूंजा से सहयोग मांगा। ऐसे में पूंजा भील ने अपना कर्त्तव्य समझते हुए राणा प्रताप का साथ दिया और दोनों ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए मेवाड़ के साथ अपने दल बल के साथ खड़े रहे इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में भी अपनी ताकत झोंक दी। इसके अतिरिक्त भारत के अनेक जनजातीय नायक जैसे रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा, रानी कमलापती, सिनगी दई और कैली दई, भगवान बिरसा मुण्डा आदि का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है।

1857 से 1947 के बीच जनजाति महापुरूषों ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया है जिसमें लाखों जनजाति समाज के लोग बलिदान हुए हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी ने किशोर जीवन से ही अपने परिवार तथा जाति पर उन्होंने अंग्रेजी सत्ता का अत्याचार देखा था। उसे देखकर उनका रक्त खौल उठता और अंग्रेजी सत्ता से टक्कर लेने के लिए उनके मस्तिष्क में स्वतंत्रता की लहर पैदा होती। गरीब जनजातियों की भूमि, खेती, जंगलों पर अंग्रेजी शासक अपना अधिकार किये हुए थे। वनांचल जनजाति के बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों को अंग्रेज कई प्रकार से प्रताडित करते थे। जंगल, तराई तथा गंगा, ब्राहमी आदि नदियों की घाटियों में तिलका मॉझी अपनी सेना लेकर अंग्रेजी सरकार के सैनिकों/अफसरों के साथ लगातार संघर्ष करते करते मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना के पर्वतीय इलाकों में छिप-छिप कर लड़ाई लड़ते रहे। अंग्रेज सेनाओं ने अस्त्र प्रहार करने लगे। समय पाकर तिलका मॉझी एक पेड़ पर चढ़ गये। ठीक उसी समय घोड़े में सवार क्लीव लैंड उस ओर आये उसी समय तिलका मॉझी ने अपने तीरों से मार गिराया। वीर तिलका मॉझी एवं उनकी सेना को अब पर्वतीय इलाकों में छिप-छिपकर संघर्ष करना कठिन हो गया। अन्न के अभाव में उनकी सेना भूखों मरने लगी। 1770 के अकाल में उन्होंने सरकारी खजाने को लुटा तथा समान को गरीबों में बॉट दिया। युद्ध के दरम्यान तिलका मॉझी को अंग्रेजों घेर लिया और उसे बंदी लिया गया। तिलका मॉझी को चार घोड़ों के पूँछ से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर के बाजार में लाया

गया । 1785 में एक वट वृक्ष में रस्सी से बॉधकर तिलका मॉझी को फॉसी दे दी गई। तिलका मॉझी भारत माता के अमर सपूत के रूप में सदा ही स्मरण में रहेंगे।

भारत भूमि को रत्ना गर्भा वसुंधरा कहते हैं। समय-समय पर इस भूमि में ऐसे पुत्रों ने जन्म लिया, जिन्होंने माता के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की आहूति दी। ऐसे ही एक सुपुत्र उड़ीसा में जन्मे नाम था लक्ष्मण नायक। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जेयपोर संस्थान में अंग्रेजी हुकुमत द्वारा स्थानीय लोगों पर काफी अत्याचार हो रहे थे। इस अत्याचार के खिलाफ लक्ष्मण नायक ने जनजातियों को एकत्रित किया। महात्मा गांधी जी ने 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ऐसे ही एक आंदोलन 21 अगस्त 1942 को माथिली पुलिस स्टेशन के सामने किया गया। जिसका नेतृत्व लक्ष्मण नायक जी ने किया। अत्यंत शांतपूर्ण वातावरण में चल रहे इस आंदोलन पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियॉ चलाई । जिसमें 40 आंदोलकों की मृत्यु हुई और 200 लगभग आंदोलकारी बुरी तरह से घायल हुए। इस घटना का दोषी लक्ष्मण नायक को मानकर मुकदमा चलाया गया। 13 नवम्बर 1942 को उन्हें मृत्यु दण्ड की घोषणा हुई और 1943 में ब्रहमपुर कारागृह में फांसी पर चढ़ाया गया। लक्ष्मण नायक न केवल जनजाति समाज में अपितु सभी भारतवासियों के आदर्श हैं।

तेलंगाना के असिफाबाद जिला में कोईतुर के गोण्ड परिवार में कुमराम भीम का जन्म हुआ उन्हें विद्यालय में जाने का अवसर न मिला, अत: अलौकिक शिक्षा से वे वंचित रहे । जब मुस्लिम आक्रमण शुरू हुआ तो स्व बचाव में जनजाति जंगल में भाग गई। 1865 में अंग्रेजों द्वारा जंगल कानून बना तो सभी जंगल भूमि सरकार की हो गई। उस भूमि पर हो रहे खेती से कर वसूली करने का काम सौंपा गया। जो कर नहीं दे पाता उनकी भूमि मुसलमानों की हो जाती थी। इस प्रकार जनजातियों के उपर अंग्रेजों एवं मुगल शासकों के द्वारा अत्याधिक अत्याचार हो रहे थे। कुमराम भीम का एक ही सूत्र था- जल, जंगल और जमीन। अर्थात जो जंगल में रहते हैं उनका जंगल पर अधिकार है। उन्होंने समाज में देखने को मिल रहे अन्याय के लिए निझाम के शासन विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। गोण्ड समाज के लिए संघर्ष मोल लेने वे एक विद्रोही कहलाए। उन्होंने जनजाति युवकों की एक सेना नियम- कानून और औपनिवेशिक सत्ता को ललकारा। कुमराम भीम की मांग थी भूमि वापसी के साथ जंगल से अधिकारियों एवं जमींदारों को जंगल से बाहर निकालो। निजाम शासन ने उनकी यह मांग को नहीं माना। इस वर्षो से लगातार संघर्ष चलता रहा। इस बीच 300 सौ सैनिकों की सेना बनाई और जोडनघाट में जंगल अधिकारियों के साथ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज भी गोण्ड जनजातियों में इनके प्रति बहुत आदर है। इनको समाज में भगवान जैसी पूजा की जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास करने वाले जनजाति वीरों की सूची में केरल के तलक्कल चंदु का नाम अग्रणी पंक्ति में आता है। वे पलसी राजा की सेवा के मुख्य सेनापति रहे। केरल के जनजाति समाज के गौरव समान तलक्कल चंदु कुरीचिया समुदाय से थे, जो वायनाड के जंगलों में निवास करते थे। आप बहादूर योद्धा, तीरंदाजी में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। अन्य सेनापतियों में आप सबसे श्रेष्ठ थे, ऐसा पलसी राजा मानते थे। तलवार चलाना, तीर-कामान चलाना जैसी शस्त्र विद्या में आप प्रवीण थे।

19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उन्होंने वायनाड के जंगलों में अंग्रेजों की सेना के साथ भीषण संघर्ष किया था। इतिहास उनके पराक्रम का साक्षी है। ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा धान की खेती पर कर बहुत बढ़ाया। जिसके कारण वायनाड के किसान त्रस्त हो गये। इसी कारण किसानों में विद्रोह हुआ। अंग्रेजी सेना से पहला संघर्ष वर्ष 1800 में हुआ। कुरूचिया जनजाति के 175 तीरंदाजों ने एकत्र होकर पलसी राजा की ओर से पनमारम किले पर 11 अक्टूबर 1802 में हल्ला बोल दिया। इस युद्ध में कप्तान डिक्सन, लेफटन्ट मॅक्सवेल के साथ 70 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया। मातृभूमि की रक्षा हेतु चली इस लड़ाई में पॉच कुरिचियों ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। तलक्कल चंदु के नेतृत्व में लड़ रही पलसी राजा की सेना ने आर्थर वेलेस्ली के विरूद्ध जीत हासिल की, जिन्होंने एंग्लो मराठा युद्धों में और बाद में वाटरलू की लड़ाई में लगातार जीत देखी थी। इस युद्ध को कोट्टायम युद्ध के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया है। केरल राज्य सरकार ने 22 सितम्बर 2012 को पानामारम किले के पास में कबिनी नदीं के किनारे तलक्कल चंदु का संग्रहालय के रूप में स्मारक बनाया जहॉ तलक्कल चंदु और उसके कुरूचिया जनजाति के साथियों के शस्त्रास्त्र रखे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में अपने जनजाति बन्धुओं का योगदान अतुलनीय है। महाराष्ट्र के नासिक, त्र्यंबकेश्वर, नगर, पूना जैसे जिलों में महादेव कोली समाज निवास करता है। महादेव कोली जनजाति के लोग बड़े ही परिश्रमी व बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। इसी महादेव कोली जनजाति के परिवार में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम राघोजी भांगरे था। उनके पिता राजुर प्रांत के सुबेदार के रूप में अंग्रेजों के यहॉ नौकरी कर रहे थे। अन्यायी अत्याचारी अंग्रेज सरकार, साहूकारों और जमींदारों के विरूद्ध आवाज उठाने का काम राघोजी की टोलियों ने शुरू किया। वे साहूकारों का धन-अनाज लूटकर गरीबों में बॉट देते तथा उनके कब्जे में पड़ी गरीबों की जमीन के जाली कागज एवं दस्तावेज भी जला देते थे। राघोजी ही हमारे तारणहार हैं-ऐसा लोकमानस बनने लगा। राघोजी भांगरे ने अनेक स्थानों को खाली कराकर गरीब किसानों की सहायता की। सन 1830 में राघोजी ने अंग्रेजों के विरूद्ध एक साथ कई स्थानों पर सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। जुन्नर के पास हुई प्रथम ऐतिहासिक जंग में 20,000 की ब्रिटिश फौज के विरूद्ध राधोजी मात्र 1000 साथियों के साथ लड़े और कुल पंद्रह हजार गोरों को मार दिया। राघोजी के नाम से ब्रिटिश शासन डरने लगी। जुन्नर की लड़ाई इतिहास में प्रसिद्ध है। अंग्रेज कैप्टन मॅकिंटॉश के नेतृत्व में युद्ध में उतरे परन्तु उन्हें बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने थोड़ा विश्राम लेकर पहले से अधिक शक्तिशाली हमला किया। अब राघो जी कई समय तक साधु के वेष में विचरण करते रहे। पंढरपुर की यात्रा में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा। 2 मई 1848 में महाराष्ट्र के ठाणे जेल में राघोजी को फांसी दी गई। क्रांतिकारी पिता का पुत्र महाराष्ट् के वन-पर्वतों में जनसंगठन करने वाला एक संगठक और अनेकों को अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में संघर्ष के लिए खड़ा करने वाला एक तेजस्वी वीर अपनी आदर्श भूमिका प्रस्तुत किया।

वर्तमान छत्तीसगढ़ में बिंझवार जनजाति परिवार में 1795 में वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ। 1830 में पिता की मृत्यु के पश्चात वीर नारायण सिंह जमीदार बने।

प्रजावत्सल जमींदार के रूप में वे जाने जाते थे। वे गॉव–गॉव जाकर लोगों की समस्याएं सुनना और समाधान करना उनका स्वभाव था। लोगों की आवश्यकता अनुरूप गॉवों में तालाबों का निर्माण करना, वृक्षारोपण करने जैसे कल्याणकारी काम वे करते थे। 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा। व्यापारियों ने गरीब प्रजा के लिए अनाज देने को जब मना किया तो वीर नारायण सिंह ने गोदाम के ताले तुड़वाकर गरीबों में अनाज का वितरण किया। 29 नवम्बर को स्मिथ सेना लेकर गॉव पहुॅचा तो सारा गॉव खाली हो गया था। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सारा गॉव जला दिया। वापस जाते समय जंगल में वीर नारायण की सेना से उसका सामना हुआ। दोनों तरफ गोलीबारी हुई। दुर्भाग्यवश जब क्रांतिकारी की गोलियॉ कम पड़ी तो वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिसम्बर 1857 को छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर नगर के एक चौक पर सार्वजनिक रूप से वीरनारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया।

इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में जनजाति परिवार के अनेक जननायकों ने स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। उड़ीसा के जनजाति क्रांतिकारक बीरलक्ष्मण नायक, तेलंगान के गोड़ परिवार के कुमराम भीम, केरल राज्य के तलक्कल चंदू जोरिया परमेश्वर, मेघालय शिलांग के एच.अण्डरसन मावरी, बस्तर छत्तीसगढ के जनजातीय नेता गुण्डाधुर, झारखण्ड राज्य की बुधू भगत, असम के जननेता भीमबर देउरी, तेलंगाना के वीर रामजी गोण्ड, थोगन संगमा, चन्द्रपुर के बाबूराव शेडमाके, नागा जनजाति के नागा वीर हेपाउ जादोनांग, संताल परगना में अंग्रेजों के विरूद्ध लोहा लेने वाले सिदो–कान्हू, नारायणपुर के शहीद गेंदसिंह नायक, सरगुजा छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी लागूड और बिगूड, महाराष्ट्र राज्य के नाग्यामहादू कातकरी, मालवा निमाड़ के जननायक टंटया मामा, निमाड़ क्षेत्र के भीमा नायक, बलिदानी धुरवा राम, छोटानागपुर के तेलंगा खड़िया, मध्यप्रदेश के खाज्या नाईक, रघुनाथ सिंह मंडलोई भोगीलाल पंडया, रामा हब्शी, सुरपुर के राजा वेंकटप्पा नायक, वीर सुरेन्द्र साय, वीर चक्र बिसोई, वीर नानक भील, महुआ कोल, रणमत सिंह, ढीलावर के डेलनशाह, छत्तीसगढ़ के वीरसपूत वीर नारायण सिंह, शंभुधन फुंगलो, मरिंकामय्या, क्रांतिकारी वीर यू कियांग नोंगबा, उतिरोत सिंह एवं मातृशक्ति के रूप में भील बालिका काली बाई, बीरांगना दयावती कंवर, रानी गाईदिन्ल्यू, ग्रेट अण्डमान की लीपा, गौरा देवी, अरूणाचल की नीरा और सेला, संथाल परगना की फुलो और झानो, मिजो रानी रोपुईलियानी और जनजाति कार्यकर्त्ताओं की मौसी–ताई पराडकर और इस दौरान भारत के विभिन्न अंचल के महापुरूषों ने जल–जंगल–जमीन की सुरक्षा हेतु आंदोलन किया। इस क्रम में बहुत से महापुरूषों ने टाना भगत आंदोलन, जंगल सत्याग्रह आंदोलन और शिक्षा की ज्योति जगाने का आंदोलन के दौरान केवल शासन में बदलाव नहीं बल्कि स्वराज्य स्थापित करना मुख्य उद्देश्य रहा है। किसी भी तरह से अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त करना यही सभी का लक्ष्य रहा है। इसके लिए पारम्परिक अस्त्र–शस्त्र, भाला, गड़ासा, तलवार, तीर–धनुष और लाल मिर्च का पाउडर के प्रयोग के साथ–साथ छापामार युद्ध भी समय–समय पर करना पड़ा, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ। इन सारे महापुरूषों ने सारे देश और समाज को जोड़ने का कार्य किया है। आज आवश्यकता है कि इस पावन

घड़ी में हम इस महान कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर शोध के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी महानायकों, वीरों, समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों को देश के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में उल्लेख करना अति आवश्यक है। जिससे वर्तमान और आने वाले भविष्य की पीढ़ियॉ जानकारी प्राप्त कर गर्व महसूस कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. वन बन्धु- श्री एस.के.कौल, मासिक पत्रिका,नई दिल्ली
2. जनजाति गौरव-सच्चिदानंद जोशी व सत्येन्द्र सिंह, इन्दिरा गाँधी रास्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
3. जनजाति समाज एवं जनसंचार माध्यम : प्रतिमा एवं वास्तविकता-संक्षिप्त प्रतिवेदन, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल 2012
4. भारत की जनजातियों हेतु एक नीति दृष्टिपत्र- रामभाउ महालगी प्रबोधिनी, मुम्बई 2015

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

स्वाधीनता संग्राम में विनायक दामोदर सावरकर: एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व का मूल्यांकन

• पिंकी प्रजापति

सारांश- विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के एक अद्वितीय विभूति थे। देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए उनका त्याग एवं संघर्ष सर्वथा अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय रहा है। अपने बाल्यकाल से ही सावरकर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे, किंतु यह मार्ग उनके लिए कष्टो से परिपूर्ण था। जिसके कारण उन्हें दो बार आजीवन कारावास का दंड तथा काले पानी की सजा को भुगतना पड़ा। किंतु भयंकर शारीरिक एव मानसिक यातनाओं के पश्चात भी सावरकर विचलित नहीं हुए और सर्वदा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का समर्थन किया और हिंदुत्व के विचार को आगे बढ़ाया। इस शोध में सावरकर के क्रांतिकारी व्यक्तित्व तथा स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान का मूल्यांकन किया गया है।

मुख्य शब्द- सावरकर, स्वाधीनता संग्राम, फ्री इंडिया सोसाइटी, इंडिया हाउस, सेल्यूलर जेल, हिंदुत्व

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में सावरकर की विशिष्ट भूमिका है। इनका जन्म 20 मई 1803 में नासिक के निकट भागूर नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनके पिता दामोदर पन्त सावरकर एव माता राधाबाई की मृत्यु के उपरान्त इनके बडे भाई गणेश सावरकर ऊर्फ बाबाराव ने आर्थिक कष्टो के बावजूद सावरकर की उच्च शिक्षा का समर्थन किया। गणेश सावरकर स्वयं एक क्रांतिकारी थे, इसीलिए उन्होंने सावरकर को भी देशभक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सावरकर ने पुणे के फर्ग्यूसन् कालेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के आधार पर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैण्ड चले गए। लंदन में विधि के अध्ययन के लिए ग्रेज-इन् में प्रवेश लिया। सावरकर लन्दन में इण्डिया हाउस में ठहरे, जो उस समय प्रवासी क्रान्तिकारियो का गढ़ था। इंडिया हाउस पहुंचते ही सावरकर ने अपनी विचारधारा के भारतीय युवकों को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय युवकों को संगठित करने हेतु इन्होंने लंदन में 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।

• आगरा कॉलेज, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा ,उ.प्र.

इंडिया हाउस में रहते हुए सावरकर ने गुप्त रूप से बम बनाने की विधि का अध्ययन भी किया और बम के मैनुअल की प्रतियाँ भारत भेजी। यहीं पर उन्होंने 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया और 1857 का स्वतंत्रता समर नामक एतिहासिक ग्रंथ की रचना की। जिसे विश्व की प्रथम इतिहास पुस्तक प्रकाशित होने से पूर्व प्रतिबंध होने का गौरव प्राप्त हुआ।

सावरकर के एक अनुयायी मदनलाल ढींगरा ने 1909 में एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेजी अफसर कर्जन वाइली की हत्या की। इस हत्याकांड में सावरकर के संलिप्त होने के कारण एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1911 में एक अन्य मामले जिसमें नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या की साजिश के लिए भी सावरकर को आरोपित ठहराते हुए पुनः आजम कारावास की सजा दी गई। इस प्रकार 1911 में सावरकर को दो आजन्म करावासों का दंड देकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेल्यूलर जेल भेजा गया। सेल्यूलर जेल को कालापानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयो स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर कारावास देने के लिए की गई थी। सावरकर-"मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसाई (ब्रिटिश) सरकार ने मुझे दो जीवनों का कारावास दण्ड देकर पुनर्जन्म के हिन्दू सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है।"

सावरकर को अण्डमान में काल कोठरी न. 52 में रखा गया। जहाँ उन्हें ब्रिटिशो द्वारा दी गयी अमानवीय यातनाओं को सहना पड़ा। कोल्हू में बैल की जगह मजदूरी, जंगलों से लकड़ियाँ काटना, कौड़ों से पीटा जाना, भूखा प्यासा काल कोठारी में बंद किया जाना इत्यादि। इन कठोर अनुभवों ने सावरकर को मानसिक और शारीरिक रूप से और अधिक मजबूत बना दिया। जेल में कागज और कलम उपलब्ध न होने के बावजूद उन्होंने दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं और लेख लिखे। जो राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के प्रति उनकी भावना को दर्शाते है। उन्होंने 1913 में जेल से रिहा होने के लिए ब्रिटिश सरकार को माफीनामा की याचिकाएं भेजी। जिसके कारण सावरकर को भारतीय इतिहास में आलोचना का सामना करना पड़ा। सावरकर के आलोचकों का कहना है कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाले को वीर नहीं कहना चाहिए ना ही देशभक्त- रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर इत्यादि। जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि सशक्त भारत के निर्माण में अप्रितम साहस और देशभक्ति का परिचय देने वाले महान वीर सावरकर का माफीनामा उनकी रणनीति का हिस्सा था- विक्रम संपत।

1921 में सावरकर को सेल्यूलर जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्हें पूरी स्वतंत्रता नहीं मिली। उन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 13 वर्षों तक नजरबंद रखा गया। जहां उनके ऊपर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होने तथा कहीं और यात्रा न करने की पाबंदी थी। किन्तु वे अपने लेखन और विचारों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। रत्नागिरी में रहते हुए सावरकर ने राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचारों का संचार किया। उन्होंने 1923 में "हिंदुत्वः हू इज़ ए हिंदू?" नामक पुस्तक लिखी। जिसमें उन्होंने 'हिंदू' को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया।

1937 में नजरबंदी समाप्त होने के बाद सावरकर सक्रिय राजनीति में लौटे और हिंदू महासभा का नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय सेना में अधिक हिंदुओं को शामिल करने का सुझाव दिया। ताकि भारतीयों को सैन्य प्रशिक्षण मिल सके। हालांकि वे मुख्यधारा के स्वतंत्रता संग्राम से सीधे नहीं जुड़े, लेकिन हिंदू महासभा के माध्यम से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। सावरकर का सिद्धान्त था "सेना का हिन्दुकरण और हिन्दुओं का सैनिकरण।" उनका स्पष्ट मानना था कि बिन भुज बल आबादी नहीं मिलने वाली और भुज बल उधार में नहीं मिलेगा इसीलिए घुस जाओ सेना में, दुश्मन के संसाधन से प्रशिक्षण लो और सशक्त बनो। इतिहास खुद दर्ज हो जाने का मौका देगा। एक इतिहासकार होने के नाते उनके इतिहास के गहन अध्ययन का अनुभव था कि किसी भी देश की सुरक्षा व समृद्धि का मुख्य साधन आधुनिक शस्त्रो से लेंस सेना होती है परिणामस्वरूप ही उन्होंने सैनिकीकरण को प्राथमिकता दिये जाने पर बल दिया।

1950 के दशक में सावरकर ने धीरे–धीरे राजनीति से स्वयं को दूर कर लिया। अंडमान में काले पानी की सजा के कारण इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वेच्छा से अन्न, जल तथा दवाइयां इत्यादि का त्याग कर दिया। अंततः 26 फरवरी 1966 को भारतीय इतिहास के इस अलौकिक पुरुष की मृत्यु हो गई, किंतु उनके लिए यह सौभाग्य की बात थी कि भारत की आजादी उनके जीवनकाल में हुई।

निष्कर्ष- विनायक दामोदर सावरकर अपने सिद्धान्तों को जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर मानते थे। जीवन के अंतिम समय तक सिद्धान्तों पर हिमालय की तरह अडिग रहे। देश की आजादी के लिए देश–विदेश में रहते हुए न केवल क्रांतिकारी गतिविधियों को क्रियान्वन किया, अपितु कई अन्यों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बने। कई महापुरुषों ने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग–अलग रणनीति अनुसरण किया है। इसी प्रकार सावरकर ने भी जेल से बाहर निकलकर ही देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से ही अपनी अलग नीतियों का अनुसरण किया। आजादी के उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि सावरकर का मुल्यांकन किया जाये तो हम पायेंगें कि उनके द्वारा जो निर्णय लिए गये वे एक मात्र विकल्प थे। परिस्थितियों के सकारात्मक –ष्टिकोण के अनुसार मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए जीवित रह कर संघर्ष करना अतिआवश्यक था। अतः ऐसे वीर पुरुष के सिद्धांत, त्याग व संघर्ष से वर्तमान समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका मूल्यावान योगदान भारतीयों को सदैव राष्ट्रनिर्माण के लिए प्रेरित करने वाले पथ–प्रदर्शक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गोयल, शिव कुमार मैं सावरकर बोल रहा हूं , प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2011
2. सावरकर विनायक दामोदर , मेरा आजीवन कारावास , प्रभात प्रकाशन, दिल्ली ,2009
3. संपत, विक्रम सावरकर : एक विस्तृत अतीत से गूंज , पेंगुइन रेनडम हाउस पब्लिकेशन, 2011
4. Vinayak, D. Savark, *1857: The First War of Independence*, Veer Savarkar Publications,Mumbai, 1909
5. Vinayak D. Savarkar, *Essentials of Hindutva*, Pune: S.S. Savarkar, 1923
6. Guha, Ramachandra. *India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy*. HarperCollins India, 2007
7. Thapar, Romila. *Syndicated Moksha: Living the Ramayana Tradition in Contemporary India,* Oxford University Press, 1997
8. Savarkar, Vinayak Damodar, *Six Glorious Epochs of Indian Histor,*. Savarkar Samagra Prakashan, 1963

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

विश्व राजनीति में भारत का उभरता नेतृत्व: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

• मुक्ता दुबे

सारांश- भारतीय राजनीतिक नेतृत्व एक निरंतर और उत्तरदायी प्रक्रिया है जो समाज के साथ मिलकर काम करती है। इसके माध्यम से नेता और जनता दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और देश की समृद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं। भारत में उभरते राजनीतिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि नेताओं का कार्यक्षेत्र विशाल है और उन्हें विभिन्न स्तरों पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और आंतर्राष्ट्रिय मुद्दों का समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उभरते राजनीतिक नेतृत्व अपने उत्साह, संघर्षशीलता, और प्रेरणाशीलता के साथ सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। वे लोगों को एक साथ ले जाने के लिए एक साथ खड़े होते हैं और सही दिशा में उन्हें प्रेरित करते हैं। ये नेता नए और नवाचारी विचारों को प्रोत्साहित करते हैं और राष्ट्रीय नीतियों में नए दृष्टिकोण को लाने के लिए प्रयासरत हैं। समाज को अपने कार्यों में विश्वास दिलाते हैं और सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उभरते नेता विवेकशीलता और ईमानदारी के साथ काम करते हैं और लोगों के विश्वास को जीतते हैं। समाज के लोगों के मामलों के लिए संघर्ष करते हैं और उनके हित में काम करते हैं, जो उन्हें लोगों के बीच में प्रियतम बनाता है। नेता अपने देश के साथ ही विदेशों में भी प्रभाव डालते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि भारत में उभरते राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो समाज के संघर्षों का समाधान करने में मदद करता है और देश को सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

मुख्य शब्द- राजनीतिक नेतृत्व, नेता, जनता, समृद्धि, कार्यक्षेत्र

परिचय- राजनीतिक नेतृत्व भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य हिस्सा है। यह न केवल नयी नीति और योजनाओं को स्वीकृति करता है, बल्कि समाज के अन्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए भी जिम्मेदार होता है। भारत में राजनीतिक नेतृत्व के प्रस्तुतिकरण और नेताओं के कार्य का अध्ययन करने से हमें राष्ट्रीय विकास के मार्ग का स्पष्ट दिशा–निर्देश मिलता है। नेतृत्व समाज के विकास और

• अतिथि विद्वान (राजनीतिविज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुरा जिला नीमच म.प्र.

संघर्षों को समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसी समूह या संगठन को एक दिशा में नेतृत्व करके उसे प्रेरित करता है और लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाता है। एक अच्छा नेता संगठन को सामान्य लक्ष्य के दिशा में संगठित करता है और सदस्यों में संवेदनशीलता और एकता का आत्मविश्वास बढ़ाता है। नेता नए और विश्वसनीय दिशाओं का प्रस्तावना करता है और उन्हें सदस्यों को समझाता है कि कैसे उन्हें प्राप्त किया जाए। नेता सदस्यों को प्रेरित करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि वे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकें। एक अच्छा नेता समस्याओं का सामना करता है और उन्हें हल करने के लिए उत्साहित करता है। नेतृत्व के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो एक समृद्ध और समर्थ समाज की राह बनाता है। नेता समाज को एक साथ लाने के लिए एक समर्थ दिशा प्रदान करता है और समस्याओं का सामना करने के लिए साहसिकता उत्पन्न करता है। नेतृत्व का अभाव संगठन की विफलता,विभाजन,और विरोधाभास को ले जा सकता है। इसलिए, एक समृद्ध समाज में नेतृत्व का महत्व अत्यधिक होता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंधों में किसी भी राष्ट्र की शक्ति और स्थान उसकी आर्थिक,सैन्य,राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु से निर्धारित होते हैं,उसके शासक या नेता का स्वरूप और स्वभाव। किसी भी राष्ट्र के साथ संबंध किस दिशा में ले जाने हैं,अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपने राष्ट्र की छवि निर्माण से लेकर कौनसे मुद्दे रखने हैं, द्वि-पक्षीय तथा बहु-पक्षीय संबंधों को कैसी दिशा देनी है,कितनी गति देनी है,यह सब नेता या राजनीतिक प्रतिनिधि से ही निश्चित होता है। इसीलिए कूटनीति का अध्ययन करते समय शासकों या नेताओं के स्वभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है और विभिन्न राष्ट्रों के अंतरराष्ट्रीयसंबंधों के कालक्रम का अध्ययन उनके प्रतिनिधियों के आधार पर बंटा होता है,जैसे इंदिरा गांधी काल,अटल बिहारी वाजपेयी काल या नरेंद्र मोदी काल।

भारत का उभरता नेतृत्व: उद्देश्य

राष्ट्रीय स्वायत्तता की बढ़ती प्रतिष्ठा- भारत का नेतृत्व विश्व में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का उद्देश्य हो सकता है। इसमें विश्व स्तर पर अपनी राष्ट्रीय स्वायत्तता, सिद्धांतों और मूल्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाना शामिल हो सकता है।

सांख्यिकीय शक्ति का निर्माण- भारत का नेतृत्व उद्देश्य विश्व में अपनी सांख्यिकीय शक्ति को मजबूत करने की हो सकता है। इसमें अधिक सक्रिय भूमिका लेना, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अधिक सदस्यता प्राप्त करने, और अपने शांति संघर्षों को हल करने में नेतृत्व प्रदान करना शामिल हो सकता है।

आर्थिक प्रगति और विकास- भारत का नेतृत्व उद्देश्य अपने आर्थिक विकास और प्रगति को गति देने में मदद कर सकता है। इसमें विश्व बाजारों में अधिक अभियान्त्रिकी, विज्ञान, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक उत्पादन और निवेश का समर्थन शामिल हो सकता है।

सामाजिक और आधारिक मानवाधिकारों का संरक्षण- भारत का नेतृत्व उद्देश्य सामाजिक और आधारिक मानवाधिकारों का संरक्षण करने में मदद कर सकता है। इसमें विश्व स्तर पर विकासशील और अविकासित देशों के साथ सहयोग, मानवीय संबंधों के

प्रगतिशील प्रोत्साहन, और अधिक संविधानिक संरक्षण शामिल हो सकता है। इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए, भारत को उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की विकसित करने की आवश्यकता है, जो उसे विश्व नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। हाल के समय में, भारतीय राजनीति और समाज में एक नए परिवर्तन का सामना हो रहा है, उभरते नेतृत्व के पैटर्न का उदय। यह नए पैटर्न विभिन्न क्षेत्रों में नए नेताओं को उजागर कर रहे हैं, जो अपने नए और अनूठे दृष्टिकोण और कार्यक्षमता के साथ समाज की धारा को बदल रहे हैं। इन नेताओं के माध्यम से, भारतीय समाज और राजनीति में गहरे परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं।

भारत में उभरते नेतृत्व के क्षेत्र- भारत में उभरते नेतृत्व के कई क्षेत्र हैं, जो देश के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है–

1. युवा नेतृत्व का उदय- भारत में युवा नेताओं की भूमिका बढ़ रही है, जो समाज के नवाचारों और मानसिकता के साथ जुड़े हैं। उनमें से एक उदाहरण आजाद अनुराग सिंह है, जो एक युवा व्यापारी और समाजसेवी हैं, जिन्होंने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रेरित किया है।

2. महिला नेतृत्व की महत्ता- महिला नेताओं की भूमिका में वृद्धि देखी जा रही है, जो समाज में समानता और विकास के माध्यम से अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। एक उदाहरण के रूप में, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, सुमित्रा महाजन, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, वसुंधरा राजे, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी दृढ़ और प्रेरणादायक महिला नेता हैं, जो सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई है। महिलाओं का नेतृत्व का उदाहरण इतिहास से प्राप्त होता है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी, की महत्वपूर्ण भूमिकाएं। स्त्री उत्थान के लिए समाज में साकारात्मक परिवर्तन के अनेक पहलुओं में महिलाओं ने नेतृत्व दिखाया है। वर्तमान में महिलाओं का नेतृत्व स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से, महिलाओं का नेतृत्व वृद्धि की ओर है। महिलाओं की नेतृत्व भूमिका के उदाहरण: नीरा चोपड़ा (व्यवसाय), किरण मजूमदार शव (राजनीति), अर्चना श्रीवास्तव (सामाजिक कार्य) और मेरी कोम (तकनीकी क्षेत्र)। लंबी समय से महिलाओं को समाज में समानता के लिए लड़ना पड़ा है, और यह लड़ाई अभी भी जारी है। जेंडर और क्लास के विषयों पर जातीय भेदभाव के खिलाफ महिलाओं को नेतृत्व करते हुए अगर महिलाएं निष्पक्ष और समान निर्णय लेती हैं, तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। महिलाओं का नेतृत्व भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

3. नवाचारी नेतृत्व- नए और नवाचारी नेताओं का उदय देखा जा रहा है, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से नई दिशा में ले जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में, अरविंद केजरीवाल एक नए सोच के नेता हैं, जो अपने निर्दलीय राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की।

4. टेक्नोलॉजी संचालित नेतृत्व- आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नेताओं ने समाज में विकास को गति देने के लिए नई दिशा में कदम उठाया है। एक उदाहरण के रूप

में, नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भारत अभियान के माध्यम से डिजिटल तकनीक का प्रयोग करके आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया है।

5. राजनीतिक नेतृत्व- राजनीतिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां नेता देश की नीतियों को निर्धारित करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विभागीय और स्थानीय राजनीतिक नेता इस क्षेत्र में उभरते हैं।

6. व्यावसायिक नेतृत्व- व्यावसायिक क्षेत्र में उभरते नेता उद्यमिता, निर्णयक क्षमता, और व्यवसायिक नेतृत्व कौशल के साथ काम करते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में नई और नवाचारी दिशाओं को प्रोत्साहित किया है।

7. सामाजिक नेतृत्व- सामाजिक क्षेत्र में उभरते नेता समाज में समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और अन्य सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

8. शिक्षा और अध्यात्मिक नेतृत्व– शिक्षा और अध्यात्मिक क्षेत्र में उभरते नेता विद्या और ध्यान की ऊर्जा को उन्मुक्त करते हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासरत हैं और ध्यान की ओर मानव जीवन को प्रेरित करते हैं।

9. कला और सांस्कृतिक नेतृत्व- कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में उभरते नेता समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने का काम करते हैं। वे कला, संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं।

10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेतृत्व- विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उभरते नेता नई और विश्वसनीय तकनीकी नवाचारों का अध्ययन और विकास करते हैं। वे तकनीकी उत्पादन और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इन क्षेत्रों में उभरते नेता देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समाज को सशक्त और समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। उनका कार्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणा, नई दिशाएँ, और उत्साह भरा भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण होता है।

भारत का उभरता राजनीतिक नेतृत्व- भारत, एक विविध और विशाल देश है जिसमें राजनीतिक नेतृत्व का महत्व अत्यधिक है। यहां राजनीतिक नेताओं की कार्यक्षमता, विचारधारा, और भूमिका देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय राजनीति में नेतृत्व का उत्थान और पतन समय-समय पर देखा गया है, और इसका प्रभाव देश के विकास और समृद्धि पर सीधे असर डालता है। राजनीतिक नेतृत्व भारतीय लोकतंत्र की धारा होता है। नेता एक संगठन या समूह की दिशा तय करता है और उसके लिए नीति निर्माण करता है। उनकी नेतृत्व में भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे समाज के मुद्दों, आवश्यकताओं, और अवसरों को समझते हैं और उनके लिए समाधान प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक नेता एक आदर्शवादी, निर्णायक, और नेतृत्वशील व्यक्तित्व होता है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। उनकी नेतृत्व में बलिदानशीलता, सच्चाई, और ईमानदारी की भावना होती है। वे आम जनता के माध्यम से जुड़े रहते हैं और उनकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करते हैं। भारत में राजनीतिक नेतृत्व विभिन्न पार्टियों और राज्यों में उभरता है। कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अखिल भारतीय विचारधारा

नेता मोहन भागवत और अन्य हैं। राजनीतिक दलों के साथ उनका नेतृत्व देश की राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करता है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंधों में किसी भी राष्ट्र की शक्ति और स्थान उसकी आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु से निर्धारित होते हैं, उसके शासक या नेता का स्वरूप और स्वभाव। किसी भी राष्ट्र के साथ संबंध किस दिशा में ले जाने हैं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपने राष्ट्र की छवि निर्माण से लेकर कौनसे मुद्दे रखने हैं, द्वि-पक्षीय तथा बहु-पक्षीय संबंधों को कैसी दिशा देनी है, कितनी गति देनी है, यह सब नेता या राजनीतिक प्रतिनिधि से ही निश्चित होता है। इसीलिए कूटनीति का अध्ययन करते समय शासकों या नेताओं के स्वभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है और विभिन्न राष्ट्रों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कालक्रम का अध्ययन उनके प्रतिनिधियों के आधार पर बंटा होता है, जैसे इंदिरा गांधी काल, अटल बिहारी वाजपेयी काल या नरेंद्र मोदी काल। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और एक प्रेरणादायक नेता हैं जिनके नेतृत्व में देश में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। मोदी ने 2014 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीते। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद,उन्होंने विशाल आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को नेतृत्व किया है। उनके शूरवीर नेतृत्व की वजह से, भारत ने अपनी आर्थिक गतिशीलता में मजबूती महसूस की है, और देश के गरीब और असमर्थ वर्ग के लिए कई कदम उठाए हैं। मोदी के कार्यकाल में कई अनुप्रयोग, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, और डिजिटल भारत, ने देश को एक नया दिशा सिखाया है। यदि वैश्विक पटल पर भारतीय प्रतिनिधियों के हिसाब से देखें तो वर्ष 2014 के बाद का समय भारत को शक्ति की नई ऊंचाइयों पर ले जाता दिखाई देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका एक महत्वपूर्ण कारण कहे जा सकते हैं। वर्ष 2014 के बाद जिस तरह से भारत की छवि वैश्विक पटल पर एक तीसरी दुनिया के देश से बदलकर एक तेजी से विकसित होते देश के रूप में बनी है, यह मानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें बड़ा योगदान रहा है। पहली बार सरकार बनाते ही उन्होंने विश्व राजनीति में भारत की छवि मजबूत करने की गतिशील पहल की। वे फ्रांस गए और सामरिक मुद्दों पर भारत व फ्रांस के बीच नए मजबूत संबंधों की नींव रखी। ब्राजील गए तो वहां के लोगों और राष्ट्रपति के साथ ऐसे सहज होकर घुल-मिल गए कि वर्षों से ठंडे पड़े संबंधों ने वहां भी एक नई करवट ली। आज ब्राजील और भारत ऊर्जा से लेकर कई अन्य क्षेत्रों में साथ काम करना प्रारंभ कर चुके हैं। कोविड से जूझते ब्राजील की जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सहायता की, वहां के राष्ट्रपति ने न सिर्फ पत्र लिख उन्हें धन्यवाद किया, बल्कि उन्होंने भारत की सहायता को हनुमान जी द्वारा संजीवनी ला लक्ष्मण के प्राण बचने के प्रसंग से जोड़ इसका उल्लेख अपने पत्र में किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी संबंधों में एक नया सकारात्मक अध्याय जोड़ा व अपनी सशक्त तथा मैत्रीपूर्व छवि से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री म,रिसन के साथ ऐसे सहज संबंध स्थापित किए कि उनका समोसा प्रेम ट्विटर के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचा। संबंधों की ऊष्मा सामरिक और व्यापारिक संबंधों में दिखाई पड़ती है। हाल ही में एक वर्चुअल द्वि-पक्षीय वार्ता के बाद भारत और

ऑस्ट्रेलिया ने सात महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता सैन्य लॉजिस्टिक्स सहायता हेतु किया गया है।

इसी प्रकार अमेरिका से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक संबंधों का एक नया युग प्रारंभ होता दिखाई पड़ता है। अमेरिका और भारत के कई उद्देश्य एक से होते हुए भी वर्षों से दोनों के बीच संबंधों में वह सहजता कभी नहीं दिखाई पड़ी जिसकी दरकार थी और इसका प्रभाव भारत की बाह्य शक्ति पर पड़ा। अपने आप को गुटनिरपेक्ष कहते हुए भी हम कहीं न कहीं रूस के खेमे से जुड़े रहे, और यहां तत्कालीन भारतीय नेताओं का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत किया, बल्कि रूस के साथ चले आ रहे सशक्त संबंधों पर इसका कोई प्रभाव पड़ने नहीं दिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह अपनेआप में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। फरवरी में जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए, पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार दो मित्रों ने अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी मित्रता की डोर से संबंधों को एक नई दिशा, एक नई गति दी। सबसे महत्वपूर्ण यह देखना रहा कि मोदी और ट्रंप के आपसी संबंध दो मित्रों के हैं, इससे निश्चित ही भारत की छवि पर असर पड़ा। पहले विश्व के ताकतवर राष्ट्रों के सामने भारत की छवि एक-स्मॉल ब्रदर- की रहती थी, पर यहां ऐसी भावना थी ही नहीं। यहां तो दो मित्र, अपने अपने देशों को बराबर के मंच पर लिए खड़े थे।

जापान और कोरिया जैसे देशों के साथ भी मोदी ने संबंधों को नई गति प्रदान करने का प्रयास किया है। सुदूर पूर्व हो या पश्चिम, खाड़ी देश हों या लैटिन अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ विभिन्न देशों के संबंध सशक्त करने के प्रयास किए हैं। आज पूरे विश्व में भारत की सॉफ्ट पावर का सकारात्मक असर स्पष्ट दिखाई पड़ता है और इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है।हमारे प्रधानमंत्री ने विभिन्न वैश्विक राजनयिकों के साथ मित्रता के नए सोपान गढ़े, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के समक्ष एक कठोर छवि प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट संदेश दिए कि भारत की सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रहार सहन नहीं किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान जैसे देशों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि भारत न अब किसी के दबाव में आकर आतंकवाद बर्दाश्त करेगा, न पीछे हटेगा। वैश्विक स्तर पर बेहतर छवि और संबंधों के साथ निश्चित ही हम तत्कालीन और दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति कर पाने में सक्षम होंगे और इसके लिए निरंतर प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे ही निरंतर प्रयासों से भारत के विश्व के साथ संबंधों का नया अध्याय लिखा है जो निश्चित ही भारत की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा

भारत देश सवा सौ करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का देश है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ, देश प्रथम वाली कूटनीति, बहादुर रक्षा बलों और बढ़ती शक्ति के साथ, विश्व अब भारत को एक नई शक्ति के रूप में देख रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आर्थिक मोर्चे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारत की वित्तीय स्थिती को मजबूती मिली है। आज भारत निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। 2013

से 2024 के बीच जीडीपी (मौजूदा कीमतों में) में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक जीडीपी में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत की बढ़ आर्थिक ताकत तो बढ़ ही रही है साथ ही अन्य देशों के साथ संबंधों में भी सुधार आ रहा है। यह सरकार के राजनयिक प्रयासों का नतीजा है कि पहली बार भारत ने दो नहीं, बल्कि तीन बड़े समूहों की सदस्यता हासिल की है जिनमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर), वासेनार अरेंजमेंट (डब्ल्यूए) और ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी) शामिल हैं। इन समूहों में प्रवेश से भारत को अपने स्वदेशी निर्मित हथियार और स्पेस कार्यक्रमों के लिए उच्च स्तरीय तकनीक के सुगम आदान-प्रदान में मदद मिलेगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों के समाधान के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (आइटीएलओएस) में सफलतापूर्वक अपनी जगह बना ली है। यह जगह ऐसे समय में मिली है जब कई देश समुद्र क्षेत्र पर अनचाहा दावा करने की कोशिश करने वालों के प्रयासों को विफल करने में मदद के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं।राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा दिखाए गए साहस से इस धारणा की पुष्टि होती है कि भारत के रक्षा बल दुश्मन को अपनी भाषा में जवाब देने में सक्षम हैं। सीमा पार आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके सेना ने अपने पराक्रम, अपने साहस और देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। सरकार ने लंबे समय से चली आ रही 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग को पूरा करके यह दर्शाया है कि सरकार पूरी तरह से देश के रक्षा बलों का समर्थन करती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण सहित रक्षा खरीद समझौते और रक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के काम में तेजी आई है। कला एवं सस्कृति के क्षेत्र में बात की जाए तो भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत में भरोसा करता है। भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। भारत का मानना है कि विश्व की समस्याओं का समाधान सद्भाव और सामूहिक भागीदारी में है और अभी सबसे बड़ी चुनौति जलवायु परिवर्तन की है जो पूरी तरह से मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। पेरिस में COP21 में अग्रणी भूमिका निभाने के अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व किया है। अद्वितीय गठबंधन सौर ऊर्जा का उपयोग करने और ग्रह को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 से अधिक देशों का एक समूह है। भारत की कला एवं सस्कृति के क्षेत्र में एक और उपलब्धि है और वो है योग को वैश्विक मान्यता मिलना। योग प्राचीन भारतीय संतों की ओर से मानवता को दिया गया बहुमूल्य उपहार है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किए जाने से उस उपहार की तरफ दुनिया का एक बार फिर से ध्यान आकर्षित हुआ है। यूएन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित उस प्रस्ताव का 173 देशों ने समर्थन किया था, जो यूएन के इतिहास में अभूतपूर्व स्तर का समर्थन था। यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। योग उम्र, लिंग, जाति, पंथ, धर्म और राष्ट्रों के बंधन और सीमाओं से परे है।

एक अन्य क्षेत्र जहां भारत दृढ़तापूर्वक एक तकनीकी शक्ति का केंद्र बन रहा है वह है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम के साथ भारत अंतरिक्ष जगत में अग्रणी हो गया है। इसरो ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों,

जिसमें से 101 सह-यात्री उपग्रह अमेरिका, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, इज़राइल, कजाखस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह थे, को सफलतापूर्वक लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। IRNSS&1G के सफल लांच के साथ ही भारत का स्वदेशी वैश्विक नेविगेशन सिस्टम स्थापित हो गया है। इससे भारत उन चंद देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों द्वारा किए गए बड़े कार्यों से सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिल रही है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में हो रही इस तरक्की के माध्यम से हम न केवल स्वदेश में ही समस्याओं को हल कर रहे हैं बल्कि सफलता की ऐसी नई कहानियां लिख रहे हैं जिन्हें मानवता के कल्याण के लिए विश्व के अन्य हिस्सों में भी दोहराया जा सके। भारत में उभरते राजनीतिक नेतृत्व के विषय हम निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं-

प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता- भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता कौन हैं, उनकी पॉलिटिकल करियर, और उनका योगदान।

नेतृत्व के विभिन्न प्रकार- भारतीय राजनीति में नेतृत्व के विभिन्न प्रकार, जैसे कि पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राज्य नेता, और लोक सभा/राज्यसभा के नेता।

नेतृत्व के मूल्य- भारतीय राजनीति में नेतृत्व के मूल्य और महत्व, नेताओं की भूमिका और उनकी देश के विकास में भूमिका।

राजनीतिक नेताओं के कार्य- भारतीय राजनीति में नेताओं के कार्य, उनकी नीतियों और प्रस्तावों का विश्लेषण, और उनके द्वारा लाये गए परिवर्तन।

चुनावी रणनीति- नेताओं की चुनावी रणनीति, चुनावी प्रचार में अपने आदमी बनाने के लिए उनके द्वारा अपनाये गए तकनीकों का विश्लेषण।

राजनीतिक परिवर्तन- भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से कैसे राजनीतिक परिवर्तन आते हैं और देश के विकास में इनका क्या योगदान है। इसके अलावा, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के संगठन, नेताओं की प्रारंभिक शिक्षा और नेताओं के बीच संघर्ष के भी विषय पर विचार किया जा सकता है। भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, जिनका योगदान देश के विकास में अद्वितीय है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता हैं, उनका नेतृत्व अनेक अवसरों पर प्रदर्शित हो चुका है। उनकी कई नीतियाँ और प्रोजेक्ट्स जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, और अटल पेंशन योजना देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की हैं।

अन्य महत्वपूर्ण नेता जैसे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, बसपा के संस्थापक कांशीराम और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल भी अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। भारत में राजनीतिक नेतृत्व का नेताओं का जाना-पहचाना इतिहास है। वे न केवल राजनीतिक दलों के प्रमुख होते हैं, बल्कि वे लोगों के आदर्श और प्रेरणास्त्रोत भी होते हैं। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, और मनमोहन सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नीतियाँ और कदम देश की राजनीतिक और आर्थिक दिशा को प्रभावित करते हैं।

भारत में उभरते नेतृत्व की चुनौतियाँ- हालांकि, राजनीतिक नेतृत्व के कई चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना पड़ता है। इसमें लोगों की अपेक्षाएं, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक विवाद, और आर्थिक संकट शामिल हैं। नेताओं को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें देश के विकास के माध्यम से प्राथमिकता देनी होती है। राजनीतिक नेता के लिए अनेक चुनौतियाँ होती हैं। इनमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ता है। वे लोगों की उम्मीदों के साथ खड़े होकर, न्याय के लिए लड़ते हैं और सामाजिक सुधार के लिए प्रयासरत रहते हैं।भारत में नेतृत्व की चुनौतियों का मुख्य समूह कई प्रकार का होता है। ये चुनौतियाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक स्तर पर पायी जा सकती हैं। निम्नलिखित हैं **कुछ मुख्य चुनौतियाँ-** जातिवाद और सामाजिक विभाजन: भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक विभाजन एक बड़ी चुनौती है। नेता को समाज के विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच समानता और समाजिक न्याय को प्रमोट करने के लिए काम करना होता है।

राजनीतिक दलों की आलस्य- कई बार राजनीतिक दलों में आलस्य, घोषणा और कार्यों के बीच अंतरदृष्टि की कमी होती है, जो नेताओं की चुनौती बनती है।

आर्थिक विकास और बेरोजगारी- आर्थिक विकास के मुद्दे और बेरोजगारी देश की महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक हैं, और नेताओं को यह समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित नीतियों का विकल्प प्रस्तुत करना होता है।

भ्रष्टाचार- भ्रष्टाचार देश की विकास की मुख्य रोकथामों में से एक है, और नेताओं को इसे हल करने के लिए सख्त कार्रवाई करनी होती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा: आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, और आपसी संघर्ष जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ भी नेताओं को नेतृत्व में उच्च स्तर पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती हैं।

विकास का असमान वितरण- विकास का असमान वितरण और गरीबी की चुनौती भी नेताओं के सामने आती है, जो उन्हें न्याय समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है।

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याएं- कश्मीर, पाकिस्तान, और अन्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी नेताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों में से हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारतीय नेताओं को साहसिकता, संवेदनशीलता, और सही नीतियों का प्रयास करना होगा। उन्हें समझना होगा कि ये चुनौतियाँ सिर्फ़ मुद्दे नहीं, बल्कि एक समृद्ध और सामर्थ्यपूर्ण भारत के निर्माण का अवसर भी हैं।

भारत में उभरते नेतृत्व के लिए संभावनाएँ- नेतृत्व समाज के विकास और संघर्षों को समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसी समूह या संगठन को एक दिशा में नेतृत्व करके उसे प्रेरित करता है और लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाता है। कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं–

संगठन और संवेदनशीलता- एक अच्छा नेता संगठन को सामान्य लक्ष्य के दिशा में संगठित करता है और सदस्यों में संवेदनशीलता और एकता का आत्मविश्वास बढ़ाता है।

नई दिशाओं का प्रस्तावना- नेता नए और विश्वसनीय दिशाओं का प्रस्तावना करता है और उन्हें सदस्यों को समझाता है कि कैसे उन्हें प्राप्त किया जाए।

प्रेरणा और मार्गदर्शन- नेता सदस्यों को प्रेरित करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि वे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकें।

समस्याओं का हल- एक अच्छा नेता समस्याओं का सामना करता है और उन्हें हल करने के लिए उत्साहित करता है।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास- नेतृत्व के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो एक समृद्ध और समर्थ समाज की राह बनाता है।

दिशा और साहसिकता- नेता समाज को एक साथ लाने के लिए एक समर्थ दिशा प्रदान करता है और समस्याओं का सामना करने के लिए साहसिकता उत्पन्न करता है। नेतृत्व का अभाव संगठन की विफलता, विभाजन और विरोधाभास को ले जा सकता है। इसलिए, एक समृद्ध समाज में नेतृत्व का महत्व अत्यधिक होता है।

निष्कर्ष- भारतीय राजनीतिक नेतृत्व एक निरंतर और उत्तरदायी प्रक्रिया है जो समाज के साथ मिलकर काम करती है। इसके माध्यम से नेता और जनता दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और देश की समृद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं। भारत में उभरते राजनीतिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि नेताओं का कार्यक्षेत्र विशाल है और उन्हें विभिन्न स्तरों पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और आंतर्राष्ट्रिय मुद्दों का समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उभरते राजनीतिक नेतृत्व अपने उत्साह, संघर्षशीलता, और प्रेरणाशीलता के साथ सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। वे लोगों को एक साथ ले जाने के लिए एक साथ खड़े होते हैं और सही दिशा में उन्हें प्रेरित करते हैं। ये नेता नए और नवाचारी विचारों को प्रोत्साहित करते हैं और राष्ट्रीय नीतियों में नए दृष्टिकोण को लाने के लिए प्रयासरत हैं। समाज को अपने कार्यों में विश्वास दिलाते हैं और सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उभरते नेता विवेकशीलता और ईमानदारी के साथ काम करते हैं और लोगों के विश्वास को जीतते हैं। समाज के लोगों के मामलों के लिए संघर्ष करते हैं और उनके हित में काम करते हैं, जो उन्हें लोगों के बीच में प्रियतम बनाता है। नेता अपने देश के साथ ही विदेशों में भी प्रभाव डालते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि भारत में उभरते राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो समाज के संघर्षों का समाधान करने में मदद करता है और देश को सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भारतीय विदेश नीति: एक संक्षिप्त इतिहास, रमेश त्यागी 2018
2. भारतीय राजनीति: समय, आदर्श और विकास, आचार्य बसुदेव शर्मा, 2022
3. भारत की विदेश नीति, मुख्य राष्ट्रीय उत्प्रेषक द्वारा संपादित,2023
4. भारतीय राजनीति और राजनीतिक विचार: आधुनिक चुनौतियाँ, देवेन्द्र कुमार पांडेय, 2021
5. भारत की विदेश नीति: अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति एक नजरिया, मोहन कुमार, 2019
6. India's Foreign Policy: Retrospect and Prospect" - Rajen Harshe.2019
7. The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy"David M. Malone, C. Raja

Mohan and Srinath Raghavan.2020

8. India's World: The Politics of Creativity in a Globalized Society" - Arvind Sharma 2021.
9. India's Foreign Policy: A Reader" - Sumit Ganguly and S. Paul Kapur.2018.
10. The Indian Ocean: Oceanic Connections and the Creation of New Societies" - Abdul Sheriff and Engseng Ho 2019.

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

वैश्वीकरण और मानवाधिकार

• विनीता कुमारी

सारांश- एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण न तो मानवाधिकारों के पक्ष में है और न ही मानवाधिकारों के खिलाफ। इसमें जीतने वाले और हारने वाले दोनों हैं। यह घटना, प्रक्रिया और संस्थागत ढाँचा जिसके माध्यम से यह संचालित होता है, मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई निहितार्थ रखता है। समय की मांग है कि वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया को फिर से परिभाषित किया जाए, जिसमें मानवाधिकारों से संबंधित प्रश्नों पर विशेष जोर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अन्य सभी व्यवस्थाओं पर मानवाधिकार कानून की प्रधानता एक बुनियादी और मौलिक सिद्धांत है जिससे विचलित नहीं होना चाहिए। मानवाधिकारों के मानवाधिकार निहितार्थों की जाँच करते समय विकास का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल आर्थिक सूचकांक के आधार पर विकास का आकलन करना जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता है, खासकर आय वितरण और जीवन स्तर में असमानताओं से संबंधित। यदि वैश्वीकरण की ताकतों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाती है, तो मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का खतरा वास्तविक है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है। चुनौती यह है कि इन प्रक्रियाओं और खतरों का प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि उनके लाभों को बढ़ाया जा सके और मानवाधिकारों पर उनके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

मुख्य शब्द- वैश्वीकरण, मानवाधिकार, कानून, आर्थिक सूचकांक

आज की विश्व व्यवस्था को संक्षेप में बताने के लिए 'वैश्वीकरण' शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि दुनिया तेजी से एक पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत हो रही है जो नव–उदारवादी मुक्त बाजार विचारधारा के तहत काम कर रही है। आज दुनिया में देखा जाने वाला आर्थिक वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। यह पिछले कई वर्षों से विकसित हो रहा है और दिन–प्रतिदिन गति पकड़ रहा है। वर्तमान में, प्रवृत्ति राष्ट्रीय बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित विश्व अर्थव्यवस्था से एक सीमाहीन वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव है जो तेजी से एक नियमों के सेट द्वारा शासित है। इस संदर्भ में, वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक आर्थिक उदारीकरण,

• जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

एक वैश्विक वित्तीय प्रणाली विकसित करना जो कानून के एक समरूप विश्वव्यापी मूल्य पर आधारित है।[1]

वैश्वीकरण और निरंतर तीव्र तकनीकी प्रगति सामाजिक भूमि आर्थिक विकास के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है। साथ ही, वे समाज के भीतर और बीच व्यापक वित्तीय संकट, असुरक्षा, गरीबी, बहिष्कार और असमानता सहित गंभीर चुनौतियों को प्रस्तुत करना जारी रखते हैं। विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों, साथ ही संक्रमण की स्थिति में अर्थव्यवस्था वाले कुछ देशों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे एकीकरण और पूर्ण भागीदारी के लिए काफी बाधाएं बनी हुई हैं। जब तक सामाजिक और आर्थिक विकास के लाभों को सभी देशों तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक सभी देशों और यहां तक कि पूरे क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती संख्या वैश्विक अर्थव्यवस्था से हाशिए पर रहेगी।" महासभा संकल्प एस-24/2 ए/आरईएस/एस-24/2/15 दिसंबर 2000

पैरा 4 महासभा का चौबीसवां विशेष सत्र, 'सामाजिक विकास और उससे आगे के लिए विश्व शिखर सम्मेलन' वैश्वीकृत दुनिया में सभी के लिए सामाजिक विकास प्राप्त करना।

60 साल पहले, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के ढांचे के भीतर सहमति व्यक्त की थी कि, 'हर कोई एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में निर्धारित अधिकार और स्वतंत्रता पूरी तरह से महसूस की जा सकती है।' वैश्वीकरण के वर्तमान युग के दौरान सामाजिक विकास को प्राप्त करने की रणनीति यह स्वीकार करने में निहित है कि मानवाधिकारों के सिद्धांतों और मानकों को वैश्वीकरण के लिए एक अपरिहार्य ढांचे के रूप में अपनाया जाना चाहिए। मानवाधिकार सार्वभौमिक साझा मूल्यों को मूर्त रूप देते हैं और सभी लोगों और सभी देशों के लिए उपलब्धि का सामान्य मानक हैं। मानवाधिकार दृष्टिकोण को अपनाकर, वैश्वीकरण की जांच उसके नागरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में की जा सकती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवाधिकारों के सम्मान के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर सके। सभी स्तरों पर शासन की यही रणनीति होनी चाहिए -सभी के लिए सभी मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना।

मानवाधिकार द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से ही, निश्चित रूप से 1948 से ही, अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल रहे हैं , लेकिन वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप उनके उल्लंघन का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया है। वैश्वीकरण ने अपने साथ बहुत बड़ी असमानताएँ, बड़े पैमाने पर दरिद्रता और निराशा ला दी है। इसने समाज को वर्ग, लिंग और समुदाय की मौजूदा दरारों के साथ विभाजित कर दिया है, जबकि लगभग अपरिवर्तनीय रूप से, अमीर और गरीब देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतर को चौड़ा कर दिया है। जबकि इसने राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर व्यक्तियों और निगमों के एक छोटे से अल्पसंख्यक को समृद्ध किया है, इसने लाखों लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों को हाशिए पर डाल दिया है और उनका उल्लंघन किया है।

वैश्वीकरण के कारण लाखों श्रमिकों (विशेष रूप से महिला श्रमिकों), किसानों और स्वदेशी समुदायों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण के देशों और लोगों के विकास के अधिकार का भी गंभीर हनन हुआ है।

(क) (i) जहां तक श्रमिकों का सवाल है, वैश्वीकरण के कारण काम करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। मुनाफे के लिए अपने प्रयास में, कंपनियां, विशेष रूप से टीएनसी, वैश्विक स्तर पर अपने संचालन का पुनर्गठन कर रही हैं। इसका परिणाम बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है।1995 में, ILO ने घोषणा की कि दुनिया की काम करने की इच्छुक आबादी का एक तिहाई हिस्सा कम रोजगार या बेरोजगार है, जो 1930 के दशक के बाद से सबसे खराब स्थिति है। अपनी नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट (1996/97) में, ILO ने नोट किया कि दुनिया में बेरोजगारी की स्थिति अभी भी 'गंभीर' बनी हुई है। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रचलित सामाजिक सहमति के स्तंभों में से एक था, लगभग सभी सरकारों द्वारा त्याग दिया गया है।

(ii) वैश्वीकरण ने श्रम के आकस्मिकीकरण और श्रम के अनौपचारिकीकरण की प्रक्रिया को भी जन्म दिया है या उसे बढ़ाया है। नियोक्ता तेजी से अंशकालिक, अल्पकालिक, अनुबंधों पर श्रमिकों को नियुक्त करने का सहारा ले रहे हैं। वे काम को बाहर या उप-ठेके पर देकर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का भी सहारा ले रहे हैं, उदाहरण के लिए कपड़ा और इलेक्ट्र,निक्स में। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि कई कारखाने जो पहले औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे, उन्होंने अपने संचालन को पूरी तरह से नए स्थानों और/या उप-अनुबंधित इकाइयों में गैर-संघीकृत कार्यबलों के हाथों में स्थानांतरित कर दिया है। यहां, न केवल मजदूरी कम है, बल्कि श्रमिकों की कानूनी सुरक्षा भी न्यूनतम है।

औपचारिकीकरण की इस प्रक्रिया में शामिल आकार और पैमाने का कुछ अंदाजा लगाने के लिए, हमें केवल भारत का रुख करना होगा। श्रम शक्ति का मात्र 8 प्रतिशत औपचारिक अर्थव्यवस्था में है जबकि 90 प्रतिशत से अधिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। उत्तरार्द्ध संघबद्ध नहीं हैं, उनके पास बहुत कम या कोई कानूनी सुरक्षा या सुरक्षा नहीं है और वे निर्मम शोषण के अधीन हैं। उल्लेखनीय रूप से, इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक श्रमिक महिलाएँ हैं।

जब भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, तो उच्च वेतन वाले शहर मुंबई (पूर्व में बॉम्बे) में कारखानों वाली कई कंपनियों (टीएनसी सहित) ने विभिन्न कपटपूर्ण तरीकों से अपने संघबद्ध श्रम बल (ज्यादातर पुरुष श्रमिकों) से छुटकारा पा लिया और अपने परिचालन को कम वेतन वाले और पिछड़े क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया, ताकि वे असंगठित और असुरक्षित, मुख्य रूप से महिला, श्रम की बड़ी आपूर्ति का लाभ उठा सकें।

यह प्रवृत्ति सिर्फ़ बॉम्बे तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वैश्वीकरण के दौर में यह एक सच्चाई है। कार्यकर्ता अमृता छाछी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में महिला श्रमिकों की समस्याओं का वर्णन इस प्रकार

करती हैं, "वर्तमान आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप, यहाँ तक कि जानी-मानी टीवी कंपनियाँ भी औद्योगिक कार्य को उप-ठेके पर दे रही हैं। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में छोटी सहायक इकाइयाँ बन गई हैं जहाँ महिलाएँ न्यूनतम मज़दूरी से कम पर काम कर रही हैं। ये इकाइयाँ इतनी लचीली हैं कि वे कम समय में ही अपना काम बंद कर सकती हैं और अपना काम दूसरी जगह पर कर सकती हैं। परिणामस्वरूप, महिला मज़दूरों को संगठित करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। इन इकाइयों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का पता लगाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। इस परिदृश्य में यूनियन बनाना असंभव है"।[2]

(iii) वैश्वीकरण, 'लचीले' श्रम की मांग के साथ, 'श्रम का स्त्रीकरण' हुआ है। मुद्दा यह है कि दक्षिण में महिला श्रम का भारी बहुमत कपड़ा, कपड़े और जूते के उत्पादन जैसे कम वेतन वाले उद्योगों में केंद्रित है। ऐसे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को न केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में अपर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाता है, बल्कि ऐसे निवेशकों की लागत कम करने के लिए विदेश जाने की प्रवृत्ति के मद्देनजर उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी नहीं मिलती है। इस प्रकार, दक्षिण कोरिया में कपड़ा श्रमिकों को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में अपने कारखानों के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप वापस ले लिया गया है।

(iv) यहाँ इस तथ्य का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि पारंपरिक कुटीर उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव ने महिला श्रमिकों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इस प्रकार, सस्ते आयात के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान में ऐसे कई उद्योग बंद हो गए हैं और उनमें से अधिकांश महिला श्रमिकों की छंटनी हुई है।

(v) अंत में, वैश्वीकरण ने देशों और क्षेत्रों के भीतर असमान विकास की प्रवृत्ति को तीव्र करके, प्रवासी श्रमिकों की घटना के विकास को तीव्र किया है। ऐसे श्रमिक (विशेष रूप से वे जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं) मानवाधिकारों के उल्लंघन की एक पूरी श्रृंखला के अधीन हैं - भेदभाव, श्रम सुरक्षा की अनुपस्थिति, कम मजदूरी, और शारीरिक और (महिलाओं के मामले में) यौन शोषण।

(बी) वैश्वीकरण दक्षिण के लाखों पारंपरिक किसानों के आजीविका के अधिकार के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। चूंकि दक्षिण का अब तक संरक्षित कृषि क्षेत्र, GATT अंतिम अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुपालन में, आयात (मुख्य रूप से उत्तर से) के लिए खोला गया है और चूंकि कॉर्पोरेट खेती को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, इसलिए ऐसे समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन अपरिहार्य है। यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि कारगिल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बीजों के पेटेंट के परिणामस्वरूप पारंपरिक किसान विस्थापित हो जाएंगे। इस चिंता ने विशेष रूप से भारत में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों को जन्म दिया है।

ये सभी घटनाक्रम, और विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन के तहत खाद्यान्न तक पहुंच को मुख्य रूप से बाजार तंत्र पर निर्भर बनाने का प्रयास, खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है- जो सभी मानव अधिकारों में सबसे मौलिक अधिकार है।

(ग) वैश्वीकरण ने दक्षिण के कई देशों में स्वदेशी समुदायों के आवास और आजीविका

के विनाश को एक नई गति प्रदान की है। खनन और लकड़ी काटने जैसी आर्थिक गतिविधियों के तीव्र होने के परिणामस्वरूप ऐसे समुदायों का निरंतर विस्थापन मानवाधिकारों के ऐसे उल्लंघनों की एक गंभीर याद दिलाता है।

(घ) जहां वैश्वीकरण को बढ़ावा देने का तंत्र आईएमपी/विश्व बैंक एसएपी रहा है, वहां इसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है। चयनित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति और उपभोग पर ऐसे कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण करना। संयुक्त राष्ट्र के लिए तैयार की गई विशेष रिपोर्ट में डैनिलो तुर्क ने बताया कि इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप काम करने के अधिकार, भोजन के अधिकार, पर्याप्त आवास के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और विकास के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।[3] भोजन के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघन के संयुक्त प्रभाव ने विनाशकारी परिणाम उत्पन्न किए हैं। डेविडसन बुधू, एक अर्थशास्त्री जिन्होंने विश्व बैंक और आईएमपी दोनों के साथ काम किया था, बाद में अपनी नीतियों के विरोध में आईएमपी को छोड़ दिया, यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि उन नीतियों ने 1982–1990 के बीच तीसरी दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के 70 मिलियन बच्चों की प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु और अप्रत्यक्ष रूप से कई सौ मिलियन से अधिक लोगों की विपन्नता और दरिद्रता को जन्म दिया।[4]

जहां तक विकास के अधिकार पर घोषणापत्र के उल्लंघन का सवाल है, जिसे 1986 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया था, मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की प्राप्ति पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक परामर्श की रिपोर्ट में कहा गया है–

बाह्य ऋण चुकौती और संरचनात्मक समायोजन के संबंध में राज्यों और विश्व बैंक, आईएमपी और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समझौतों में विकास के अधिकार के सिद्धांतों को ध्यान में न रखने से विकास के अधिकार और सभी मानव अधिकारों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है।[9] व्यापार की प्रचलित शर्तें, मौद्रिक नीति और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता से जुड़ी कुछ शर्तें, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, वित्तीय और व्यापार संस्थानों की गैर–लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा कायम रखी जाती हैं, वे भी विकास के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति को विफल करती हैं।[5]

यदि विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर यूरोपीय संघ द्वारा एम.आई.ए. का प्रस्ताव या आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) द्वारा एम.ए.आई. का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो जहां तक दक्षिण के देशों का संबंध है, विकास का अधिकार और भी कम हो जाएगा।

विकास के अधिकार का तात्पर्य 'लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति' से है, जिसमें अपनी सभी प्राकृतिक संपदा और संसाधनों पर पूर्ण संप्रभुता के उनके अविभाज्य अधिकार का प्रयोगष्शामिल है। इसी अधिकार में लोगों और राष्ट्रों का अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने का अधिकार भी शामिल है। चूंकि MIA, MAI को अपनाने से देशों के अपने लोगों के हितों में विदेशी निवेश के प्रवेश, व्यवहार और संचालन को विनियमित करने के अधिकार का

नुकसान होगा, इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप विकास के अधिकार का हनन क्यों होगा।

वैश्वीकरण और मानवाधिकार ढांचा– वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव मानवाधिकारों के सभी क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। मानवाधिकारों के एक पहलू पर नकारात्मक प्रभाव अन्य पहलुओं पर भी पड़ता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की तुलना में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के संबंध में राज्य के दायित्वों की प्रकृति के बीच स्पष्ट अंतर करना अब तर्कसंगत नहीं है। उदाहरण के लिए, ICCPR (नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा) द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार की व्याख्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा एक सकारात्मक दायित्व के रूप में की गई है, क्योंकि इसके लिए राज्यों को सकारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, जैसे जीवन प्रत्याशा को कम करना और कुपोषण और महामारी को खत्म करने के उपाय करना।[6]

वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के कारण अनुबंधों द्वारा गारंटीकृत मानव अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लंघन होता है। समानता, गैर–भेदभाव, जीवन के उचित मानक, संघ और सभा की स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा है। वैश्वीकरण की गतिशीलता के कारण विकासशील देशों को ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो इन अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दोनों ही अनुबंध लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को अन्य अधिकारों के आनंद के लिए मौलिक महत्व का मानते हैं।[7] आत्मनिर्णय के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू लोगों का अपनी प्राकृतिक संपदा और संसाधनों पर संप्रभुता का प्रयोग करने का अधिकार है। दोनों अनुबंधों के अनुच्छेद 1(2) में यह प्रावधान है कि 'किसी भी मामले में लोगों को उनके जीवन–यापन के साधनों से वंचित नहीं किया जा सकता है।' इसके अलावा, महासभा ने 'प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता'[8] पर एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह घोषित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य 'उनके विकासशील देशों के, स्वतंत्र राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाना है और यह उनकी प्राकृतिक संपदा और संसाधनों पर उनकी संप्रभुता के सम्मान पर आधारित होगा।' अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध और उन संबंधों को संचालित करने वाली नीतियां, अहस्तक्षेप अर्थशास्त्र के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम के अपवाद नहीं हो सकतीं। वे अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्देशों के अधीन हैं, विशेष रूप से वे जो राष्ट्रों की संप्रभु समानता, लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और मानवाधिकारों के सम्मान को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार के रूप में मान्यता देते हैं। जबकि राज्य और बहुपक्षीय सीधे उन सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, वे यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर निजी आर्थिक अभिनेता इस तरह से कार्य न करें जो उन अधिकारों का दुरुपयोग और स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं। डिलर और लेवी के अनुसार, विशेष रूप से बाल श्रम के बलपूर्वक रूपों के मुद्दे का जिक्र करते हुए, जहां मौलिक मानवाधिकार मानदंड निहित हैं, 'अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है कि व्यापार उपक्रमों जैसे संधि दायित्वों को केवल इन मानदंडों के साथ संगतता की

सीमा तक बनाए रखा जाए।'[9] यह एक ऐसा दायित्व है जो अकेले बाल श्रम के क्षेत्र से परे है, लेकिन इसे उन सभी पहलुओं पर लागू किया जा सकता है जो व्यापार और मानवाधिकार कानून के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं।

वैश्वीकरण के मानवाधिकार निहितार्थों की जांच करते समय विकास का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महासभा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विकास के अधिकार को एक अविभाज्य मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है।[10] विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र मानता है कि विकास की प्रक्रिया का केंद्रीय फोकस मानव व्यक्ति है, जिसे विकास के अधिकार का सक्रिय भागीदार और लाभार्थी होना चाहिए।[11] विकास को एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं के विकास को समाहित करती है।[12] इस स्थिति की पुष्टि व्यापक रूप से सम्मानित मानव विकास सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसकी वकालत UNDP विकास के स्तरों का वास्तविक रूप से आकलन करने के साधन के रूप में करता है। सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन घोषणा और कार्य कार्यक्रम (1995) द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है।

आर्थिक संकेतकों के आधार पर विकास का आकलन करना संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि यह जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता है, खासकर आय वितरण और जीवन स्तर में असमानताओं से संबंधित। ऐसी स्थिति विकास के मानवीय आयाम और विकास, मानवाधिकार और शांति के बीच महत्वपूर्ण संबंध को नजरअंदाज करती है। यह हिंसक सामाजिक और राजनीतिक ताकतों को नजरअंदाज करता है जो हमेशा अत्यधिक गरीबी और अन्य मानवाधिकारों के हनन से पैदा होती हैं। यदि वैश्वीकरण की ताकतों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाती है – मानव–केंद्रित विकास के केंद्रीय आधार को नजरअंदाज करते हुए– तो मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का खतरा वास्तविक है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर सामाजिक और राजनीतिक उथल–पुथल हो सकती है। कोपेनहेगन घोषणा और कार्य कार्यक्रम, वैश्वीकरण के लाभों को पहचानते हुए, चेतावनी देता है, साथ ही, परिवर्तन और समायोजन की तीव्र प्रक्रियाओं के साथ गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक विघटन में भी वृद्धि हुई है। मानव कल्याण के लिए खतरे, जैसे कि पर्यावरणीय जोखिम, भी वैश्विक हो गए हैं। इसके अलावा, विश्व अर्थव्यवस्था के वैश्विक परिवर्तन सभी देशों में सामाजिक विकास के मापदंडों को गहराई से बदल रहे हैं। चुनौती यह है कि इन प्रक्रियाओं और खतरों को कैसे प्रबंधित किया जाए ताकि उनके लाभों को बढ़ाया जा सके और लोगों पर उनके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। मई 1998 में जारी वैश्वीकरण पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के वक्तव्य में भी यही भावनाएँ व्यक्त की गई हैं। यह विश्व बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (सामाजिक निगरानी) के आनंद पर उनकी नीतियों के प्रभाव को मापने के तरीके विकसित करने और तदनुसार उन नीतियों को संशोधित करने का आह्वान करता है।

जबकि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए

मुख्य रूप से राज्यों और अंतर-सरकारी संगठनों पर कानूनी दायित्व डालता है, यह नहीं भूलना चाहिए कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा प्रत्येक व्यक्ति और समाज के प्रत्येक अंग से अपने द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों की सार्वभौमिक और प्रभावी मान्यता को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान करती है। सार्वभौमिक घोषणा स्पष्ट रूप से समाज और राज्य दोनों के सामूहिक प्रयास के रूप में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की कल्पना करती है; यह कार्य को केवल राज्य की कार्रवाई तक सीमित नहीं करती है। वास्तव में, अनुच्छेद 29(1) घोषित करता है कि 'प्रत्येक व्यक्ति का उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है।' इसलिए, निजी अभिनेताओं के लिए जिनके कार्यों का बड़े समाज द्वारा मानवाधिकारों के आनंद पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को बनाए रखने के कर्तव्य से मुक्त करना संभव नहीं है। राज्यों द्वारा बनाए गए अभिनेताओं - जैसे MLI और WTO - के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों से बचना और भी कम स्वीकार्य है।

निष्कर्ष- एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण न तो मानवाधिकारों के पक्ष में है और न ही मानवाधिकारों के खिलाफ। इसमें जीतने वाले और हारने वाले दोनों हैं। यह घटना, प्रक्रिया और संस्थागत ढाँचा जिसके माध्यम से यह संचालित होता है, मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई निहितार्थ रखता है। समय की मांग है कि वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया को फिर से परिभाषित किया जाए, जिसमें मानवाधिकारों से संबंधित प्रश्नों पर विशेष जोर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अन्य सभी व्यवस्थाओं पर मानवाधिकार कानून की प्रधानता एक बुनियादी और मौलिक सिद्धांत है जिससे विचलित नहीं होना चाहिए। मानवाधिकारों के मानवाधिकार निहितार्थों की जाँच करते समय विकास का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल आर्थिक सूचकांक के आधार पर विकास का आकलन करना जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता है, खासकर आय वितरण और जीवन स्तर में असमानताओं से संबंधित। यदि वैश्वीकरण की ताकतों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाती है, तो मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का खतरा वास्तविक है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है। चुनौती यह है कि इन प्रक्रियाओं और खतरों का प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि उनके लाभों को बढ़ाया जा सके और मानवाधिकारों पर उनके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मोहम्मदीन औल्ड-मे, वैश्विक समायोजन: परिधीय राज्यों के लिए निहितार्थ, तीसरा विश्व त्रैमासिक,15:2,1994
2. हेन्समैन, आर.रू न्यूनतम श्रम मानक और व्यापार समझौते: का एक अवलोकन वाद-विवाद, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 20-27अप्रैल, 1996
3. डेनिलो तुर्क, विश्व बैंक - आईएमएफ की नीतियां मानव अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे डालती हैं, तीसरी दुनिया, रिसर्जेन्स, मई 1993, पृ.23
4. बुधू, डी.रू "आईएमएफ-विश्व बैंक ने तीसरी दुनिया पर कहर बरपाया", थर्ड वर्ल्ड रिसर्जेंस,

जुलाई 1992 पृ.17
5. तुर्क में उद्धृत, ibid
6. डोमिनिक मैकगोल्ड्रिक, मानवाधिकार समिति: विकास में इसकी भूमिका नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा , क्लेरेंडन प्रेस, 1991,पृ. 329-330
7. आईसीईएससीआर और आईसीसीपीआर दोनों में अनुच्छेद 1
8. 14 दिसंबर 1962 का जनरल असेंबली संकल्प 1803 (XVII)
9. जेनेल डिलर और डेविड लेवी, "बाल श्रम, व्यापार और निवेश: अंतर्राष्ट्रीय कानून का सामंजस्य", अमेरिकन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, खंड-91संख्या-4 (1997), पृ.678
10. विकास के अधिकार पर घोषणा, महासभा का संकल्प 41/128 का 4 दिसम्बर 1986 अनुच्छेद 1
11. वही, अनुच्छेद 2
12. वही, प्रस्तावना और अनुच्छेद 1

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

''संस्कार'' परंपरा का विज्ञान

• सुकन्या तिवारी

सारांश- संस्कार भारतीय संस्कृति और जीवनशैली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में योगदान देना है। संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ 'शुद्धिकरण' या 'परिष्कार' है, और इसका वैज्ञानिक आधार इस बात पर टिका है कि ये संस्कार मानव जीवन के विभिन्न चरणों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल होने में सहायता करते हैं। यह शोध संस्कार परंपरा के वैज्ञानिक पहलुओं और उनके प्रभावों पर केंद्रित है। प्राचीन भारतीय ऋषियों और मनीषियों द्वारा विकसित किए गए 16 प्रमुख संस्कार जन्म से मृत्यु तक वास्तव में जीवन के विभिन्न चरणों को सुचारू और समृद्ध बनाने के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक संस्कार का न केवल धार्मिक, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। उदाहरण के लिए, गर्भाधान संस्कार से लेकर अन्नप्राशन संस्कार तक की प्रक्रियाएँ शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। इसी प्रकार, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार समाज में व्यक्ति के दायित्व और रिश्तों को समझने और निभाने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संस्कारों में की जाने वाली क्रियाएँ, जैसे यज्ञ और मंत्रोच्चारण, मानसिक शांति और एकाग्रता में सहायक होते हैं। यज्ञ के दौरान उत्पन्न की गई ऊर्जा और वातावरण को शुद्ध करने वाले पदार्थ, जैसे घी और औषधियाँ, न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि मानव शरीर के लिए भी लाभकारी माने गए हैं। इसके अलावा, संस्कारों के दौरान प्रयोग किए जाने वाले मंत्र ध्वनि तरंगों के माध्यम से मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे मानसिक संतुलन और आत्मिक उन्नति होती है।

मुख्य शब्द- संस्कार, परम्परा

इस शोध में संस्कारों के सामाजिक और मानसिक प्रभावों पर भी ध्यान दिया गया है। यह स्पष्ट हुआ है कि संस्कार व्यक्ति को समाज में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं, और मानसिक स्थिरता व अनुशासन विकसित करने में सहायक होते हैं। संस्कारों का यह विज्ञान व्यक्ति को जीवन के विभिन्न चरणों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है।

• रिसर्च स्कालर, एम.जे.पी.आर.यूनिवर्सिटी बरेली

'संस्कार ही अमृत बनें, मानवता का सार।
धन दौलत से ऊपर है, चरित्र और व्यवहार।'

संस्कार मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे व्यक्ति के जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं और समाज में उसकी स्थिति को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। संस्कार हमारे जीवन के मूलभूत आदर्शों और नैतिक मूल्यों का आधार हैं, जो हमारे व्यवहार, आचरण, और सोचने-समझने के तरीके को प्रभावित करते हैं। यह वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज में एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनता है। संस्कार का अर्थ है- सकारात्मक गुणों और नैतिकता का विकास। परिवार, समाज और शिक्षा-व्यवस्था संस्कारों के प्रमुख स्रोत होते हैं। जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक, व्यक्ति संस्कारों के विभिन्न चरणों से गुजरता है। हमारे परिवार में माता-पिता और बड़ों से प्राप्त शिक्षा और उनके आदर्श संस्कारों का निर्माण करते हैं। बाल्यकाल में दिए गए संस्कार व्यक्ति के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाते हैं।

'संस्कार वह दीप है, जो अज्ञानता को मिटा देता है।
जिसे अपनाकर मनुष्य हर बंधन से छूट जाता है।'

संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं और अपने अधिकारों का उपयोग किस प्रकार करें। वे हमें मानवता, प्रेम, करुणा, और सद्भावना जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों का सम्मान करें, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें, और जीवन में अनुशासन बनाए रखें। उदाहरण के लिए, किसी को नम्रता और सहिष्णुता से पेश आना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, और जरूरतमंदों की मदद करना- ये सभी संस्कार व्यक्ति को सशक्त और समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं। संस्कार न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समाज में शांति, एकता और सद्भाव बनाए रखने में सहायक होते हैं। एक संस्कारी व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार से समाज को प्रेरित करता है और दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। संस्कारहीन समाज में अराजकता और असामाजिक गतिविधियों का प्रसार होता है, जबकि संस्कारवान समाज में सामंजस्य और आपसी प्रेम बना रहता है। संस्कार समाज के विकास और संस्कृति के संरक्षण में भी सहायक होते हैं, क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपराओं और मान्यताओं को जीवित रखते हैं।

'कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वती।
करमूले तु गोविन्द: प्रभाते करदर्शन'

संस्कार भारतीय जीवन पद्धति का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को सुगम बनाना है। श्संस्कारश शब्द का शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण, परिष्कार या आत्म-उन्नति होता है। यह परंपरा व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उसे समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है। प्राचीन

भारतीय ऋषि-मुनियों ने मानव जीवन को व्यवस्थित करने और उसे समाज तथा प्रकृति के साथ समन्वित करने के लिए संस्कारों की रचना की। भारतीय संस्कृति में 16 प्रमुख संस्कारों का वर्णन है, जो मानव जीवन के विभिन्न चरणों से जुड़े हैं। संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरा वैज्ञानिक आधार भी निहित है। इनका उद्देश्य जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना है। इस शोध का उद्देश्य संस्कार परंपरा के पीछे छिपे विज्ञान को उजागर करना और यह समझना है कि किस प्रकार ये संस्कार मानव जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में सहायक होते हैं संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को शुद्ध, अनुशासित और उन्नत बनाना है। वे न केवल व्यक्ति को धार्मिक रूप से जोड़ते हैं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति भी जागरूक करते हैं। संस्कार जीवन के हर महत्वपूर्ण चरण में व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। जीवन के प्रारंभिक चरण से लेकर मृत्यु तक के सभी प्रमुख अवसरों पर संस्कारों का पालन किया जाता है। ये संस्कार व्यक्ति को नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध बनाते हैं।

'वेद-पुराण सिखाते हैं, सत्कर्मों का ज्ञान।
संस्कारों से बढ़ता है, मानवता का मान।।'

भारतीय संस्कृति में संस्कारों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक संस्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक तर्क होते हैं, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। संस्कार न केवल धार्मिक अनुष्ठान हैं, बल्कि वे मानव शरीर और मन की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने और उसे विकसित करने का माध्यम भी हैं।

संस्कारों का वैज्ञानिक पक्ष-

1.गर्भाधान संस्कार- गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य संतानोत्पत्ति के समय माता-पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संस्कार यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता गर्भ धारण करने से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, जिससे उनकी संतान शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित हो। इस संस्कार में मंत्रोच्चारण और यज्ञ के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जाता है, जिससे माता-पिता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

ऊँ गर्भं धारयते त्वचं पिता पूषा सनगोपतिः।
वि श्येनं नानापदम् अपत्यं जायेत मे कृधि॥

अर्थः हे भगवान! यह गर्भ पुष्ट हो और इससे संतति उत्पन्न हो।

2.नामकरण संस्कार- नामकरण संस्कार शिशु के सामाजिक पहचान का प्रतीक है। यह संस्कार सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो नामकरण संस्कार शिशु के मनोवैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाम व्यक्ति की पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और यह संस्कार उसे समाज में एक मान्यता और स्थान प्रदान करता है। इस संस्कार के

माध्यम से परिवार और समाज के अन्य लोग शिशु को स्वीकार करते हैं और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं।

ऊँ नाम्ने नमः। आपो वा इदं सर्वं विश्वे देवा नामानि।

अर्थ: यह सब नाम से जाना जाएगा, और नाम में ही सृष्टि का सार है।

3.अन्नप्राशन संस्कार-अन्नप्राशन संस्कार शिशु के जीवन में पहला ठोस आहार ग्रहण करने का संस्कार है। यह शारीरिक विकास और पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संस्कार का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि शिशु के शरीर में ठोस आहार ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है और उसका पाचन तंत्र इसे पचाने के लिए तैयार होता है। शिशु के स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए यह संस्कार आवश्यक है, क्योंकि इस समय उचित पोषण उसके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है।

ऊँ अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि। सर्वशस्यं यो भवेत

अर्थ: हे अन्न देवता! हमें पोषण देने वाला उत्तम अन्न प्रदान करें।

4.विवाह संस्कार-विवाह संस्कार व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह न केवल दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध है, बल्कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विवाह संस्कार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और परिवार की नींव को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। विवाह संस्कार के दौरान मंत्रोच्चारण और यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह संस्कार पति-पत्नी के बीच शारीरिक और मानसिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है, जिससे एक स्वस्थ परिवार और समाज की स्थापना होती है।

ऊँ दाशराजं गम्यतां पतित्वं मा प्रजावतीः सुभगा भव।

अर्थ: आप दोनों एक साथ सुखद और सुसंतोषी जीवन बिताएं।

5.अंत्येष्टि संस्कार-मृत्यु के बाद किए जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार का उद्देश्य आत्मा को शांति प्रदान करना और मृतक के प्रति सम्मान प्रकट करना होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संस्कार समाज में मृत्यु की अपरिहार्यता को स्वीकार करने और शोक से उबरने में मदद करता है। अंत्येष्टि संस्कार के दौरान किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण आत्मा की शांति और मृतक के प्रति सम्मान प्रकट करने का माध्यम होते हैं। इसके साथ ही, अंत्येष्टि संस्कार मृतक के परिवार और समाज को उसकी मृत्यु के बाद मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं।

ऊँ पृथिव्यै त्वां विश्रजामि। अग्नये त्वां कलयामि। वायुश्च त्वां आत्मने।

अर्थ: इस शरीर को धरती, अग्नि और आत्मा के तत्वों में अर्पित करते हैं।

यज्ञ और मंत्रोच्चारण का वैज्ञानिक महत्व- अधिकांश संस्कारों में यज्ञ और मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व होता है। यज्ञ के दौरान अग्नि में आहुति दी जाती है, जिसमें घी, जड़ी-बूटियाँ और औषधियों का उपयोग किया जाता है। यज्ञ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करता है। यज्ञ के दौरान उत्पन्न होने वाली धूम्र से वातावरण में हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं का नाश होता है। इसके अलावा, यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाती है। मंत्रोच्चारण के

दौरान उत्पन्न ध्वनि तरंगें मस्तिष्क और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। मंत्रों की ध्वनि तरंगें मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाती हैं, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित और शांत रहता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायता करती है।

संस्कारों का सामाजिक और मानसिक –संस्कार न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बल्कि वे समाज में व्यक्ति की भूमिका को भी स्पष्ट करते हैं। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होता है। उदाहरण के लिए, विवाह संस्कार व्यक्ति को परिवार की स्थापना और समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार, अन्य संस्कार व्यक्ति को जीवन के विभिन्न चरणों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। आज के आधुनिक युग में, जहां तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन को बदल दिया है, संस्कारों का महत्व और भी बढ़ गया है। वैश्वीकरण और आधुनिकता की दौड़ में, हमें अपने नैतिक मूल्यों और पारंपरिक आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। संस्कार ही हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि आधुनिकता के साथ अपनी संस—ति और मूल्यों को कैसे संतुलित किया जाए। संस्कार केवल धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक हैं- चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो, या व्यक्तिगत संबंध हों। एक अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों और उसके व्यवहार से होती है। जैसे-जैसे समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का पतन हो रहा है, वैसे-वैसे अपराध, हिंसा और अन्य सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार दिए जाएं ताकि वे भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकें।

निष्कर्ष- भारतीय संस्कृति में संस्कारों की परम्परा का वैज्ञानिक आधार गहरा और समृद्ध है। इन संस्कारों का उद्देश्य न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक और सामाजिक विकास में सहायक होना है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में भी योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यज्ञ और मंत्रों में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों और ध्वनियों के प्रभाव का वैज्ञानिक महत्व है, जो पर्यावरण शुद्धि और मानसिक एकाग्रता में सहायक होते हैं। इस प्रकार, संस्कारों में समाहित विज्ञान प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, जिससे समाज और व्यक्ति की प्रगति सुनिश्चित होती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. डॉ. तिवारी (2008), संगीत एवं मनोविज्ञान,कनिष्क प्रकाशक, नई दिल्ली
2. प्रो.श्रीवास्तव, संगीत निबन्ध संग्रह, संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद
3. डॉ. आर.(2019), समाज के नैतिक उत्थान में भारतीय संगीत, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली
4. डॉ. धस्माना, एल., वेदो में भारतीय संगीत, आचार्य नरेंद्र प्रकाशन की पत्रिका, नई दिल्ली
5. डॉ. भार्गव, एस.(2022),राष्ट्रीय एकता में संगीत की भूमिका, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली
6. विश्व संगीत का इतिहास, अमलदास शर्मा
7. साहित्य,संगीत और कला, कोमल कोठारी

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

बोधिसत्त्व: स्थितप्रज्ञ एवं पुरुषोत्तम के सन्दर्भ में

• कमलेश कुमार सिंह

सारांश- महायान बौद्ध ग्रन्थों में भी यह वर्णन हुआ है कि असली बुद्ध सारे जगत् के पिता हैं और जनसमूह उनकी सन्तान हैं। धर्म की स्थिति खराब होने पर वह धर्म को प्रतिष्ठापित करने एवं धार्मिक कार्यों को सम्पादित करने के लिए समय-समय पर बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ करते हैं। जब-जब बुद्ध की आवश्यकता हुई है वे अपने विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। महापदानुसुत्त के अनुसार गौतम बुद्ध से पूर्व विपस्सी, सिखी, विस्वभू, कुकुच्छन्द, कोर्णागमन तथा कस्सप ये छह बुद्ध हुए हैं जिन्होंने मानवता की रक्षा की है। इस देवातिदेव की पूजा करने से, भक्ति करने से और उनकी मूर्ति के सम्मुख कीर्तन करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। इस प्रकार धीरे-धीरे इस नये सम्प्रदाय का उदय हुआ जो अपनी विशेषताओं के कारण अपने सम्प्रदाय को महायान नाम दिया एवं पूर्व वाले सम्प्रदाय को हीनयान कहा गया। इसी प्रकार भगवद्गीता में भी कहा गया है कि जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने रूप को रचता हूँ या सगुण रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापकर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ।

मुख्य शब्द- बोधिसत्त्व, स्थितप्रज्ञ, पुरुषोत्तम, जनसमूह, धर्म

बोधिसत्त्व एवं स्थितप्रज्ञ- स्थितप्रज्ञ की अवधारणा भगवद्गीता में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गीता में आत्मसाक्षात्कार या आत्मलाभ करने वाले को स्थितप्रज्ञ कहा गया है। गीता के अनुसार स्थितप्रज्ञ एवं समाधिस्थ का एक ही अर्थ है। स्थितप्रज्ञ वह है जिसकी प्रज्ञा या बोधि (ज्ञान) स्थिर हो जाती है, लगभग उसी प्रकार बौद्ध दर्शन के महायान सम्प्रदाय में बोधिसत्त्व का शाब्दिक अर्थ है बोधि अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति या जिसने बोधि (ज्ञान) प्राप्त कर ली है। यह दोनों स्थिति जाग्रत समाधि के समान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता के स्थितप्रज्ञ एवं पुरुषोत्तम का महायान बौद्ध के बोधिसत्त्व एवं सम्बुद्धत्व से पर्याप्त समानताएँ हैं। भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि –

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।।[1]

• सहायक प्राध्यापक दर्शनशास्त्र विभाग बीएमडी महाविद्यालय दयालपुर वैशाली

अर्थात् स्थितप्रज्ञ में सत्त्व, रजस एवं तमस सभी कामनाओं एवं वासनाओं का परित्याग हो जाता है। वह सदैव अपने आप में ही सन्तुष्ट रहता है। उस काल में वह स्थितप्रज्ञ होता है। पुनः स्थितप्रज्ञ के बारे में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि –

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।[2]

अर्थात् साधक अपने सभी इन्द्रियों को वश में करके संयमित एवं व्यवस्थित चित्त से मेरा ध्यान लगाकर बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इन्द्रियाँ वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। गीता का स्थितप्रज्ञ आदर्श पुरुष है। उसमें ज्ञान, भक्ति एवं कर्म तीनों का समन्वय होता है। वह अनासक्त भाव से कार्य करता है इसलिए कर्मयोगी है। अपना मन एवं बुद्धि ईश्वर में लगाकर अपना सब कुछ ईश्वर में अर्पित कर देने के कारण वह भक्त है। वह सुख और दुःख में समान भाव से रहने के कारण ज्ञानी है। गीता के अनुसार स्थितप्रज्ञ के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। जब तक जीवनमुक्त पुरुष शरीर धारण किए हैं उन्हें कुछ न कुछ करना ही है।

स्थितप्रज्ञ आसक्ति को त्यागकर जन सामान्य के लिए कार्य करता है लेकिन इन कर्मों से वह बन्धन एवं मोह में नहीं पड़ता है। उसके कर्म उसी प्रकार उसे प्रभावित नहीं करते जैसे जल में उगा हुआ कमल का पत्ता जल से प्रभावित नहीं होता। गीता अकर्म अर्थात् कर्म नहीं करने को उतना ही त्याज्य मानती है जितना बुरे कर्मों को। जैसे राजा जनक एवं श्रीकृष्ण दोनों पूर्णता को प्राप्त करने के बाद भी लोकसंग्रह हेतु कर्म करते रहे। जगत् के प्राणियों के कल्याण हेतु कर्म करना उनका स्वभाव बन गया। निवृत्ति मार्ग की प्रधानता होते हुए भी मुक्त एवं सिद्ध पुरुषों द्वारा लोक–कल्याण हेतु कार्य करते रहने का परिवर्तित आदर्श भारतीय दार्शनिक परम्परा को गीता की महत्वपूर्ण देन है। जिस प्रकार भगवद्गीता के दर्शन में स्थितप्रज्ञ की अवधारणा अस्तित्ववान है लगभग उसी प्रकार बौद्ध दर्शन के महायान सम्प्रदाय में स्थितप्रज्ञ की विचारधारा पल्लवित एवं पुष्पित हुई है। बौद्ध दर्शन के महायान शाखा में चार आर्यसत्यों का ज्ञान, आष्टांगिक मार्ग, दस पारमिताओं एवं दस बुद्ध भूमियों की साधना के पश्चात् बोधि, तथता या ज्ञान की प्राप्ति किया हुआ साधक स्थितप्रज्ञ हो जाता है। उसके सारे कर्म अब स्वतः एवं अनायास होने लगते हैं। वह सुख एवं दुःख की भावनाओं से उपर उठ जाता है। गीता के स्थितप्रज्ञ के समानान्तर महायान का बोधिसत्त्व या सम्बुद्धत्व है। स्थितप्रज्ञ एवं बोधिसत्त्व की अवधारणाएँ एक व्यक्ति के सन्दर्भ में नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व के रुप में निरूपित की गई हैं जो लगभग एकसमान हैं। ये दोनों आदर्शवादी अवधारणाएँ हैं, जो मनुष्य को उस गंतव्य की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रस्तुत करने के साथ ही आत्मबल भी प्रदान करती हैं। स्थितप्रज्ञ एवं बोधिसत्त्व इसी जीवन में पूर्णता एवं साधना के सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है। दर्शनशास्त्र के अधिकांश विद्वानों ने स्थितप्रज्ञ एवं बोधिसत्त्व को मुक्त पुरुष के रूप में स्वीकार किया है । मूलतः यह सांख्य एवं अद्वैत वेदान्त के जीवनमुक्ति की स्थिति है।[3] भगवान बुद्ध ने ज्ञान (Enlightenment) की प्राप्ति के बाद संसार के सभी मनुष्यों के

दु:खों को दूर करने के लिए आजीवन उपदेश देते रहे एवं इसके लिए प्रयास करते रहे। उसी प्रकार शंकराचार्य ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी आजीवन समाज सुधारक, ज्ञानी पण्डित एवं सन्त की भाँति कार्य करते रहे। बौद्ध ग्रन्थों में भी स्थितप्रज्ञ की चर्चा की गई है जिसका वर्णन अपेक्षित है– 'पटिसल्लानारामा, भिक्खवे, विहरथ पटिसल्लानरता, अज्झतं चेतोसमथमनुयुत्ता, अनिराकतज्झाना, विपस्सनाय समन्नागता, ब्रूहेता सुळञागारानं।'[4] अर्थात भिक्षुओं मन को एकांत ध्यान में लगाकर एवं उसमें प्रेम उत्पन्न करते हुए एकांत ध्यान में लीन रहते हुए विहार करो। अपने भीतर चित्त को शमन करने में लगे रहो। अनवरत ध्यानयुक्त रहो, विपश्यना में लगे रहो, एकांत शून्यागार के निवासों को बढ़ाओ। एकांत ध्यान की निरंतरता जितनी बढती है, विपश्यना उतनी ही पुष्ट होती है। यथाभूत ज्ञान वाली प्रज्ञा की निरंतरता जितनी पुष्ट होती है, साधक उतना ही 'स्थितप्रज्ञ' होता है।[5] गीता में जिस प्रकार स्थितप्रज्ञ का लक्षण दूसरे अध्याय के 61 वाँ श्लोक में बताया गया है लगभग उसी प्रकार बौद्ध महायान में कहा गया है कि– 'समाधिं, भिक्खवे, भावेथ। समाहितो, भिक्खवे, भिक्खु यथाभूतं पजानाति।'[6] अर्थात भिक्षुओं समाधि का अभ्यास करो। समाधि में रत भिक्षु की जब बुद्धि या प्रज्ञा स्थिर हो जाती है तब वह प्रज्ञापूर्वक यथाभूत (पंचस्कन्धों एवं त्रिरत्नों को यथार्थ रूप में) जानने लगता है। इसका अर्थ यह है कि वह सत्य को सत्य एवं मिथ्या को मिथ्या जानने लगता है एवं इस प्रकार बोधिसत्त्वता स्थिति को प्राप्त कर लेता है।

बोधिसत्त्व एवं पुरुषोत्तम- जब तक मुक्तात्मा संसार में जीवन धारण किए रहता है उसे सांसारिक प्राणियों के लिए कुछ न कुछ करना होता है। वह गीता के पुरुषोत्तम की तरह निष्काम भाव से कर्म करता है। मुक्त पुरुष सामाजिक कर्तव्यों एवं दायित्वों से मुक्त होते हैं फिर भी सांसारिक मनुष्यों के लिए संवेदनशील होते हैं। जिस प्रकार भगवान राम, कृष्ण आदि ज्ञानी एवं मुक्त होते हुए भी आजीवन दु:खी जन साधारण की सेवा करते रहे और पुरुषोत्तम कहलाए।

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम
भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते ।।[7]

अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम संबोधित करते हुए कहा है कि हे भूतों के ईश्वर! हे देवों के देव! हे जगत् के स्वामी ! हे पुरुषोत्तम ! आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। गीता के 10 वें अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम होने की घोषणा करते हुए कहते हैं कि –

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम:।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्तम :।।[8]

अर्थात् मैं नाशवान जड़वर्ग–क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ।

बौद्ध ग्रन्थों में भी पुरुषोत्तम की चर्चा मुख्य रुप से पुरुषार्थ के अर्थ में की गई है। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वयं लोगों को उपदेश देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बह्म के अनुरोध पर पुरुषार्थ का पालन करते हुए लोककल्याण हेतु प्रवृत्त हुए एवं उपदेश देना स्वीकार किए। इस प्रकार बुद्ध ने एक ऐसे समाज का आदर्श रखा जिसका प्रत्येक सदस्य

पुरुषार्थी हों और केवल बौद्ध परिवार के सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध समाज से परे व्यक्तियों एवं जीव-जन्तुओं के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करे।[9] उसी प्रकार बुद्ध के जीवनकाल में उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व विद्यमान था लोगों को उनके उपदेश सुनने को मिलते थे, तब तक इस कमी का अनुभव किसी को नहीं हुआ, परन्तु महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के प्रति श्रद्धा की भावना को मूर्तिमान रुप दिया जाने लगा। इस प्रकार उनके महापरिनिर्वाण के कुछ ही दिनों के बाद लोगों ने उनको स्वयंभू, अनादि, अनन्त तथा पुरुषोत्तम मानना प्रारंभ कर दिया तथा उनके अनुयायी कहने लगे कि असली बुद्ध का नाश नहीं होता वह सदैव अचल रहता है।[10] बुद्धेतर बौद्ध दर्शन में यानों की व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में भी बोधिसत्त्वों को पुरुषोत्तम से संबोधित किया गया है -

एकं हि यानं द्वितीयं न विद्यते तृतीयं हि नैवास्ति कदाचि लोके।
अन्या पुत्राया पुरुषोत्तमानां यद्याननानात्वुपदर्शयन्ति ।।[11]

अर्थात् वास्तव में एक ही यान है। संसार में कोई दूसरा या तीसरा यान कहीं भी नहीं है। पुरुषोत्तमों की विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए जो उपाय है उससे ही यानों का नानात्व (भिन्नताएँ) दिखाई देता है। बौद्ध धर्म दर्शन में तीन यान श्रावक यान, प्रत्येकबुद्धयान एवं बोधिसत्वयान की व्याख्या की गई है। उपरोक्त तीन यानों के स्थान पर एकयान (बुद्धयान) की स्थापना सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र का मुख्य उद्देश्य है। सद्धर्मपुण्डरीक की विशेषता यह है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध यहाँ पहुँचते-पहुँचते अनादि, अनन्त, करुणामय पुरुषोत्तम एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर बन गए हैं।[12]

महायान बौद्ध ग्रन्थों में भी यह वर्णन हुआ है कि असली बुद्ध सारे जगत् के पिता हैं और जनसमूह उनकी सन्तान हैं। धर्म की स्थिति खराब होने पर वह धर्म को प्रतिष्ठापित करने एवं धार्मिक कार्यों को सम्पादित करने के लिए समय-समय पर बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ करते हैं। जब-जब बुद्ध की आवश्यकता हुई है वे अपने विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। महापदानुसुत्त के अनुसार गौतम बुद्ध से पूर्व विपस्सी, सिखी, विस्वभू, कुकुच्छन्द, कोर्णागमन तथा कस्सप ये छह बुद्ध हुए हैं जिन्होंने मानवता की रक्षा की है। इस देवातिदेव की पूजा करने से, भक्ति करने से और उनकी मूर्ति के सम्मुख कीर्तन करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है।[13] इस प्रकार धीरे-धीरे इस नये सम्प्रदाय का उदय हुआ जो अपनी विशेषताओं के कारण अपने सम्प्रदाय को महायान नाम दिया एवं पूर्व वाले सम्प्रदाय को हीनयान कहा गया।

इसी प्रकार भगवद्गीता में भी कहा गया है कि जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने रूप को रचता हूँ या सगुण रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापकर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ।[14]

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भगवद्गीता अध्याय 2/55
2. भगवद्गीता अध्याय 2/61
3. भगवद्गीता अध्याय 5/10
4. इतिवुत्तक 45, पटिसल्लानसुत्त सन्दर्भ त्रिपिटक में सम्यक सम्बुद्ध पृ. 162
5. त्रिपिटक में सम्यक सम्बुद्ध, आचार्य श्री सत्यनारायण जी गोयन्का, भाग-2 पृ. 162, 2008
6. त्रिपिटक में सम्यक सम्बुद्ध पृ. 162, 2008
7. भगवद्गीता अध्याय 10/15
8. भगवद्गीता अध्याय 15/18
9. बौद्ध धर्म : विविध पक्ष, डॉ. सीताराम दूबे, पृ. 38, 2008
10. बौद्ध दर्शन मीमांसा, आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृ. 367, 2017
11. सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र (निदानपरिवर्त) पृ. 62 अनुवादक डॉ. जय गोविन्द मिश्र
12. सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र अनुवादक डॉ राम मोहन दास
13. सद्धर्मपुण्डरीक 2/77-78, मिलिन्द प्रश्न 3/7/7
14. भगवद्गीता अध्याय 4/7-8

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

भारतीय भाषाओं का आधार : संस्कृत एक समीक्षात्मक अध्ययन

• मधु

सारांश- संस्कृत भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है भारतीय वांग्मय का पुरातन विपुल भण्डार इसी भाषा में प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य, स्तुति साहित्य, पुराण, काव्य, नाटक, आयुर्वेद, ज्योतिष गणित, ज्ञान-विज्ञान आदि इसमें सब कुछ है। पालि और प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट के साथ ही आज की समस्त भारतीय भाषाओं का रूप और रस इसी भाषा से और इसके उत्कृष्ट वांग्मय से प्राप्त होता है।

मुख्य शब्द- वैदिक साहित्य, स्तुति साहित्य, पुराण, काव्य, नाटक, आयुर्वेद, ज्योतिष गणित, ज्ञान-विज्ञान

परवर्ती समस्त भाषाओं के रूप बदलते रहे और पल प्रतिपल बदल रहे हैं, परन्तु संस्कृत भाषा के रूप में तब से अब तक कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यही कारण है कि हम प्राचीन वांग्मय को उसी रूप में समझ सकते है। इस भाषा की अन्तः शक्ति इतनी समृद्ध और सारवती है कि भाषागत कोई भी बाधा इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका है। यही नहीं, सहृदय विभाषियों को भी इसने अपने रंग में रचा लिया। संस्कृत पुराणी नवीना है, यह प्राचीन से प्राचीन है और नवीन से नवीन है। इसकी भाषा व्याकरणगत वैशिष्ट्य के कारण इतनी समर्थ और नवीन संभावनाओं से युक्त है कि सरलता से नूतन अर्थ से सम्पन्न कोई भी शब्द निर्मित किया जा सकता है। यदि हमें नयी वैज्ञानिक शब्दावली की अपेक्षा होती है तो हमारी दृष्टि संस्कृत की ओर ही जाती है। नूतन ज्ञान-विज्ञान की भाषागत आकांक्षाओं की पूर्ति भी यही करती है।

आज भारत की समस्त भाषाएं संसार की विचार वहिकाएं बन रही है। यदि विदेशी भाषाओं की उपेक्षा कर भारतीय भाषा को ही अपनी बात कहनी हो तो हर देशी भाषा को संस्कृत का ही आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार समस्त पारिभाषिक शब्द संस्कृत मूलक होते जा रहे हैं जो शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होता है वही तेलुगु, तमिल, मलयालम और बंगला व पंजाबी में प्रयुक्त हो रहा है। इस प्रकार पूरे देश को भाषा सार पर आपस में एक सूत्र मे बाँधने का एकमात्र आधार संस्कृत भाषा ही है।

भारत की हर भाषा संस्कृत मूलक है आर्यभाषा और द्रविड भाषा परिवार के माध्यम से यूरोपीय विद्वानों ने देश के मन में खाई डालने का प्रयास किया है पर जब

• सह आचार्य, संस्कृत विभाग, श्री रामेश्वरदास अग्रवाल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हाथरस

विद्वानों के विशिष्ट अध्ययन ने यह सिद्ध कर दिया है कि भाषा के क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण का कोई भेद नहीं है। दक्षिण भारतीय भाषाओं की जननी भी संस्कृत ही है। तमिल प्राचीन काल से ही संस्कृत से विकृत होती गयी और नया रूप प्राप्त करती गयी । अत: यह कुछ अधिक भिन्न दिखाई देती है। यही नहीं भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह भी सिद्ध हो गया है कि पूरे देश की लोक भाषाएँ संस्कृत के अधिक निकट है। उदाहरण के लिए तेलुगु और माहवी की समता संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में इन कुछ शब्दों में पायी जा सकती है–

संस्कृत	सुवासिनी	मालवी
सुन्न	शुन्य	सुन्न
यज्ञोपवीत	जनोई	
ककर	काँकरो	कर्करा
सांध्य	संजा	सांज
उपवास	उपास	उपास
राजी	राणी	राणी

यह तो सिद्ध हो ही चुका है वैदिक गणित सूत्र आधुनिक जटिल गणित की गुत्थियों सरलता सुलझाने में समर्थ है और वैज्ञानिकों ने यह भी घोषित किया है कि कम्प्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत है, परंतु उसकी जटिलतों को लेकर ढिढोरा पीटा जाता है।

कोई भी भाषा सीखने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है। जितना परिश्रम हम अंग्रेजी सीखने में करते हैं उतना ही परिश्रम यदि संस्कृत सीखने में करें तो कोई कारण नहीं कि हम उतने समय में ही संस्कृत में भी दक्षता प्राप्त कर लें। अब किसी भाषा को सीखने के लिए इतना श्रम को करना ही पड़ेगा। परोसी थाली में भोजन मिल सकता है, भाषा नहीं। पर एक बार इस भाषा में गति हो जाने पर हमारे पारस्परिक ज्ञान–विज्ञानों के द्वार एक साथ खुल जाते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन विविध शास्त्र और पुराण साहित्य में झंकार लाने की जो क्षमता संस्कृत में है वह किसी और भाषा में खोजने पर भी नहीं मिलती।

संस्कृत साहित्य में सम्बन्ध रखने वाले प्राय: सभी शिक्षणार्थो पाणिनी के विषय में अवश्य जानते होंगे, इन्होंने संसार को जो एक अमूल्य निधि दी है उस ऋण को अभी तक कोई भी नहीं चुका सका। है। पाणिनी ने लोकप्रवाह को भी भाषा के विषय में बड़ा उपकारक माना है। लिंग के विषय में नियम बनाने के अपने उद्देश्य को इस युक्ति से सिद्ध किया है–"लिंग अशिष्य लोका श्रयित्वा लिंगस्य" लिंग को नियम के अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि लिंग लोक प्रवाह पर आश्रित है। पाणिनी के अनेक सूत्रों से यह भी सिद्ध हो जाता है कि उस समय संस्कृत असाधारण भाषा थी।उन्होंने लोगों के इस भ्रम को दूर कर दिया कि संस्कृत केवल काव्यों तथा उत्कृष्ट गद्यों में ही व्यवहृत हो सकती है अथवा यह पढ़े–लिखे लोगों की भाषा है। पाणिनी ने वैदिक भाषा को छंद और संस्कृत को भाषा कहा है जो लौकिक और वैदिक दोनों में समान रूप से व्यवहृत होते थे, उनके विशेषोल्लेख में भी तत्पर हैं।

हमारे देश के शिक्षार्थियों को भी बहुत इंग्लिशमन्य तथा राष्ट्रभाषा द्वेषी सज्जन संस्कृत को दुरूह बताकर डरा रहे हैं किन्तु ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पाणिनी के

बताए प्रकार से पढ़ने पर संस्कृत बोधगम्य ही नहीं अपितु मातृभाषा की अपेक्षा सरल व सरस बन जाती है। संस्कृत के पुरातन ग्रन्थों तथा अपनी पुरातन संस्कृत को यथार्थ रूप में जानने के लिए यह बहुत ही उपयोगी एवं सुलभ साधन है। देश के दुर्भाग्यवश लोग महर्षि पाणिनी के इस कल्पतरू का लाभ न स्वयं उठाते है और न दूसरों को उस ओर जाने देते हैं। भाषा विज्ञान के छात्रों के लिये तो इसका अध्ययन बहुत ही उपयोगी है। क्यों कि इसके वर्णों की उत्पत्ति, उच्चारण स्थान व प्रयत्न के विकास क्रम में दिखाई गयी है। अब तो वैज्ञानिक रूप से यह भी सिद्ध हो गया कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अत: वैज्ञानिक भाषा है और वैदिक गणित सर्वसुगम है।

निष्कर्ष–यह कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा अजर और अगर है। इसका पान करने वाली। हर भाषा अमृतत्व तथा वामन से विराटत्य के क्षितिज को छूने लगती है। संस्कृत न केवल भारत की धार्मिक भाषा है अपितु हमारे सांस्कृतिक समृद्धि और विचारों की भाषा भी है। राष्ट्र के संविधान में देश की विभिन्न भाषाओं में संस्कृत की भी प्रतिष्ठा है। यह किसी प्रदेश की नहीं अपितु पूरे राष्ट्र की भाषा है। लोक कल्याण आदि निर्माण, निर्माण, विश्वप्रेम, कलात्मक संस्कृति एवं अध्यात्म जीवन का एकत्र पंचायतनी, देवमन्दिर संस्कृत है। संस्कृत से हमारी भाषाएं बनी है, हमारे विचार बने है, हमारे भारत का स्वरूप बना है। हमारी भाषा में 75 प्रतिशत भाग तो संस्कृत ही है। संस्कृत और देश की एकसूत्रता यो लिए इस आलस्य को त्यागना होगा, संस्कृत की ओर उन्मुख होना ही होगा।

"येन संस्कृतम् सर्व नित्यम् ।
संस्कृतमेव भारते सत्यम् ।।"

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. संस्कृत भाषा और साहित्य, डॉ. भगवती लाल, शिवालिक प्रकाशन, दिल्ली, 2004
2. संस्कृत साहित्य का इतिहास, डॉ. कैलाश नाथ द्विवेदी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जयपुर, 2014
3. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, डॉ. राम नाथ शास्त्री, चौखंभा ओरेंटियल, दिल्ली, 2020
4. संस्कृत भाषा विज्ञान, डॉ. राजकिशोर सिंह, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1976
5. पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना सिद्धान्त, डॉ. विशन लाल गौड, लोकालोक प्रकाशन ओरिजनल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन,
6. संस्कृत भाषा, टी.बरो., मोतीलाल बनारसीदास इंटरनेशनल, 2016
7. संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए.बी. कीच
8. भाषा विज्ञान, डॉ. भोलानाथ तिवारी, किताब महल प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद, 2012
9. भाषा विज्ञान परिभाषा कोश, डॉ. कविता रस्तोगी, भारत बुक सेंटर लखनऊ

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

परम्परागत जल स्रोतों की उपेक्षा से गहराते जल संकट पर विमर्श रचता 'कुइयाँजान'

• अनिता प्रजापत

सारांश- नासिरा शर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास 'कुइयाँजान' पानी और उससे जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करता है। उपन्यास में पानी की समस्या को एक कथा में पिरोकर इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि कथा के आगे बढ़ने के साथ-साथ पानी से जुड़े अनेक पहलू उजागर होते जाते हैं। पानी की कमी की समस्या, पानी को लेकर पारंपरिक ज्ञान व जल स्रोतों को भुला देना, सरकारों द्वारा पानी को लेकर किए गए नए प्रयोग, बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, भू-जल का गिरता स्तर, जल का प्रदूषित होना तथा इन सबसे भविष्य में उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति आदि पर लेखिका ने अनेक प्रकार से विमर्श रचा है। उपन्यास के अंत में जल संरक्षण के प्रयासों और पर्यावरण के प्रति जन-चेतना दिखाकर लेखिका ने समस्या के समाधान की ओर भी संकेत किया है।

मुख्य शब्द- जल संकट, परम्परागत जल स्रोत, अस्तित्व, नलकूप, भू-जल, पर्यावरण, प्रकृति

आज देश में जल संरक्षण एवं संग्रहण के परम्परागत तरीके भुला दिये गये हैं। गावों, कस्बों, शहरों में स्थित जल स्रोतों, बावड़ियों, कुण्डों, तालाबों की उपेक्षा होने से वे कचरे व मिट्टी से भर कर अपना अस्तित्व मिटा चुके हैं। एक ओर पर्यावरण असंतुलन के कारण जल की कमी तो दूसरी ओर परम्परागत जल स्रोतों की उपेक्षा और जल प्रबंधन के अभाव इन दोनों कारणों से जल संकट गहराता जा रहा है। यह आज के विश्व की गंभीरतम समस्या है।

नासिरा शर्मा ने अपने उपन्यास 'कुइयाँजान' में जल संकट को कथा में पिरोकर प्रस्तुत किया है। लेखिका बहुत ही सहज ढंग से एक शहर के अलग-अलग घरों, लोगों, चेहरों के माध्यम से पानी की तंगी से जूझते पूरे देश का चित्र प्रस्तुत करती है। लेखिका बार-बार संकेत करती है कि कुएँ, तालाब, बावड़ियाँ इत्यादि परम्परागत जल स्रोत आज नहीं बचे हैं, जिसके कारण व्यक्ति पानी से जुड़ी अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए नल के पानी पर निर्भर है। उपन्यास के प्रारंभ में ही लेखिका लिखती है – "बरसों पहले खुरशीदआरा की सास ने सूखे कुएँ को आधा पटवाकर टंकी बनवा ली थी जिसमें वह बरसात का पानी जमा करती थीं, जो घर में शादी-ब्याह के

• सह आचार्य हिन्दी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।

समय मोटे काम-काज में बहुत काम आता था। जब से नलों में पानी आने का समय तय हो गया था तब से घर की सफाई, कपड़े की धुलाई में भी इसी हौज का पानी जरूरत पड़ने पर काम आता था।"[1] जब से घरों में नल के पानी की उपलब्धता शुरू हो गई, लोगों ने रख-रखाव, मरम्मत, सफाई आदि कार्यों को व्यर्थ की सिरदर्दी समझकर टंकियों, कुण्डों की उपेक्षा शुरू कर दी, या उन्हें पटवा दिया। "कई बार समीना कह चुकी है कि अम्मी, इसकी सफाई वगैरह में बड़ी परेशानी होती है। अब इसे पटवा दीजिए।"[2] लेकिन बिजली कटौती हो या अन्य कारण नल के पानी पर पूर्णत: निर्भरता जब तब संकट खड़ा करती रहती है। उपन्यास में एक बूढ़ी औरत कहती है - "लानत है ऐसे नलके पर! अपने तो कुएँ-तालाब भले रहे, जो काम के बख्त धोखा तो नहीं देत रहे।"[3] नल द्वारा एक-दो दिन पानी न आने पर ही लोगों की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो जाती है क्योंकि मोहल्ले के कुएँ, टंकिया आदि धीरे-धीरे समाप्त कर दिये गये। लेखिका ऐसे ही संकट का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करती है - "मोहल्ले के कुएं बरसों पहले कूड़े से पाट दिए गए थे। एक दो घरों में हैंडपाइप थे, जो खराब पड़े थे। मस्जिद वाली गली से मिली अंदरसेवाली गली थी। वहां पक्के बड़े-बड़े घर थे। उनके यहां भी पानी की हाय-तौबा मची थी। शिव मंदिर के पुजारी भी बिना नहाए परेशान बैठे थे। उन्होंने न मंदिर धोया था, न भगवान को भोग लगाया था। उनके सारे गगरे-लोटे खाली लुढ़के पड़े थे। नल की टोंटी पर कई बार कौआ पानी की तलाश में आ-आकर बैठ-उड़ चुका था। गरमी ऐसी कि पसीना पानी की तरह शरीर से बह रहा था।"[4]

जल-प्रबंधन, जल-संग्रहण, जल-संचयन आदि के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति, परिवार पूर्णत: वाटर वर्क्स द्वारा सप्लाई होने वाले पानी पर निर्भर है। लेखिका ने उपन्यास में यह निर्भरता इस हद तक दिखाई है कि किसी भी कारण से बिजली सप्लाई नहीं है या वाटर वर्क्स वालों की हड़ताल हो गई है - पानी सप्लाई नहीं हो पाती है तो पानी के इंतजार में सब काम रूक जाते हैं। सभी क्रिया-कलापों को रोककर, जिन्दगी जहाँ है वहीं उसे मानो 'स्टेच्यू' करके पानी के आने का इन्तजार करने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं रहता। "जूठे बरतन पानी आने के इंतजार में पड़े थे। ड्रम में भरा पानी दो बार चाय-नाश्ते के जूठे बरतन धोने में खत्म हो गया था। पांच बजे नल में पानी आता है। रबर-टोंटी में लगाकर पाइप का सिरा मैदान में रखे ड्रम में डाल दिया गया था। हलवा बन गया, मगर पानी नहीं आया। पौ फट चुकी थी। अंदर-बाहर एक साथ कोहराम मच गया। पानी आने के इंतजार में जमा पानी खुले दिल से खर्च किया गया था। अब न फ्लश में पानी था और न सिंक के नल में कि खाली ब्रश कर, गरम चाय की प्याली का घूंट भर लिया जाए। इतनी सुबह पानी का इंतजाम भी कहाँ से किया जाए?"[5]

'कुइयाँजान' उपन्यास के नायक 'कमाल' के चिन्तन के माध्यम से लेखिका व्यक्त करती है कि इस पानी की समस्या में क्या सरकार को पूरी तरह दोषी मानना उचित है? इतनी बड़ी जनसंख्या जो हर साल बढ़ती ही जा रही है, उसको पर्याप्त जल उपलब्ध कराना क्या सरल कार्य है? बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण आदि सभी जल संकट के लिए जिम्मेदार है। नगर-निगम और पंचायत निकायों ने निर्माण और दूसरे कार्यों के लिए तालाबों पर कब्जा किया है। उपन्यास में कुरैशी नामक पात्र द्वारा अपने

बचपन में पानी की किल्लत नहीं होने की बात पर लाला नामक पात्र जवाब देते हुए जनसंख्या वृद्धि और जल संकट पर प्रकाश डालता है। "इसलिए कि तब आबादी कम थी और उसी के साथ थोड़े-बहुत कुएं तालाब बचे हुए थे। जब से नल और वाटर-वर्क्स से हमारा रिश्ता जुड़ा है, पानी का राशन शुरू हो गया है। पहले टाइम बांधा, फिर तीन टाइम से दो टाइम हुआ और अब पानी बिजली पर निर्भर है। यह कोई बात हुई ! बिजली का हाल यह है कि हर गाँव में खंभे खड़े हैं, तार खिंचे है, मगर कनेक्शन नहीं, जहाँ कनेक्शन है वहां पर बिजली शाम को छह बजे जाती है और रात को साढ़े दस बजे आती है। गांव जाओ तो वहां भी पानी बिजली राम-भरोसे है।"[6]

तालाबों की उपेक्षा और दुर्दशा पर लेखक अनुपम मिश्र ने 'आज भी खरे हैं तालाब' नामक पुस्तक में विस्तार से चर्चा की है। अध्याय के प्रारम्भ में ही लेखक लिखते हैं- "बुरा समय आ गया था। भोपा होते तो जरूर बताते कि तालाबों के लिए बुरा समय आ गया था। जो सरस परम्पराएं, मान्यताएं तालाब बनाती थी, वे ही सूखने लगी थीं।"[7] आगे वे लिखते हैं कि अंग्रेज सात समंदर पार से आए थे और अपने समाज के अनुभव लेकर आए थे। पानी का प्रबंध, उसकी चिंता हमारे समाज के कर्तव्य बोध के विशाल सागर की एक बूंद थी। सात समंदर पार से आए अंग्रेज समाज के कर्तव्य बोध की इस व्यवस्था को समझ नहीं पाए और अपने यहाँ के प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर मान लिया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारी व्यवस्था उन्हीं को करनी है। इसी के चलते हमारे यहाँ के गुणी, अनुभवी समाज के हाथ से पानी का प्रबंध छीन लिया गया और हमारे परम्परागत जल स्रोतों के स्थान पर अंग्रेजों की जल-नीति लागू होती गई। अनुपम मिश्र जी के लेखों की तर्ज पर ही लेखिका उपन्यास में कमाल तथा अन्य विचारशील व्यक्तियों की चर्चा-परिचर्चा के माध्यम से तालाबों की दुर्दशा पर चिंतन प्रस्तुत करती है। "तीसरा ग्रुप कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो रहा था। उनको लग रहा था कि हमने अंग्रेजों की जल-नीति को वैसे-का-वैसा स्वीकार कर अपनी भारतीय जल-व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया और कुएं-तालाब को आउटडेटेड करार देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है।.... कहते हैं, ऐसे लोगों को जो अपनी परंपरा से जुड़े थे, उन्हें अंग्रेजों की धमकियाँ मिलती थीं। इसी कारण सांसी, भील जैसी जातियों को- इस टकराव के चलते-अंग्रेजी राज के ठग और अपराधी घोषित कर दिया। हमारे अभ्यस्त अनुभवी लोग गंवार बना दिए गए और उनकी जगह नई व्यवस्था लाई गई। अरे साहब, सन् 1800 में दीवान पूणैया मैसूर राज देखते थे। उस समय राज्य भर में उनतालीस हजार तालाब थे। कहा जाता था कि वहाँ किसी पहाड़ी की चोटी पर एक कतरा पानी गिरे, आधा इधर, आधा उस तरफ बहे, क्योंकि दोनों तरफ इन बूंदों को संभालने वाले तालाब मौजूद थे। समाज के अलावा राज भी इन उम्दा तालाबों की देख-रेख के लिए हर वर्ष धन देता था। ऐसे महारथी दूरंदेशी लोग अंग्रेजों के आते ही जाहिल करार दे दिए गए।"[8]

उपन्यास में लेखिका ने कुछ स्थानों पर उपलब्ध जल के दूषित होने की भी चर्चा की है, जिससे जल संकट और अधिक गहरा गया है। रेडियो से प्रसारित समाचार के माध्यम से उपन्यास लेखिका बताती है - "कई जिलों में पानी की जाँच से पता चला है कि नलकूप से आने वाला पानी पीने लायक नहीं है। भोजपुर जिले में पानी में आरसेनिक

(संखिया) की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है। जिसका सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब सारे नलकूप सील कर दिए गए हैं और उस इलाके में टैंकर की सहायता से जनता को सरकार जल उपलब्ध करवा रही है।''[9] भू जल के प्रदूषित होने के कारणों पर विचार करते हुए लेखिका आगे लिखती है – ''बताया गया है कि रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग इसका कारण है, जिसने मिट्टी में नीचे तक अपनी पैठ बना ली है और धरती के अंदर के पानी में घुल-घुल कर पानी को जहरीला बना दिया है। इस पानी का प्रयोग हानिकारक है। यह भी शोध से पता चला है कि अत्यधिक सिंचाई और एक वर्ष में तीन-तीन फसल उगाने के लालच के कारण मिट्टी में लवण की मात्रा बराबर बढ़ रही है और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कल यह भूमि फसल उगाने के काबिल ही न रह जाए।''[10]

उपन्यास में लेखिका जल संकट की समस्या पर अनेक कोणों से विचार करती है। परम्परागत जल स्रोतों की उपेक्षा तथा जल संरक्षण विधियों को न अपनाना तो जल संकट का कारण है ही, इसके साथ अन्य कारणों पर भी लेखिका चर्चा करती है। लालाजी नामक पात्र के उत्तेजना भरे स्वर के माध्यम से लेखिका जल संकट के लिए मनुष्य की शोषक, लालची वृत्ति तथा अदूरदर्शिता को जिम्मेदार ठहराती है- ''एक तरफ सरकार वृक्षारोपण की बात करती है तो दूसरी तरफ जंगलों की अनैतिक रूप से कटाई की ओर से आंखें बंद किए है। गन्ने और धान में पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है, मगर कम पानी की फसलों के किसान भी पानी-पानी की दुहाई दे रहे हैं। ये सारे किसान खुशहाल हैं और अब चुटकी बजाते ही धनवान बन जाना चाहते हैं। एक वर्ष में कई-कई फसल उगाकर तिजोरी भरना चाहते हैं। डालते हैं फर्टिलाइजर बिना-सोचे-समझे। इश्तहार दिखा-दिखाकर इस तरह का बलात्कार करने की जो प्रेरणा हम किसानों को दे रहे हैं वह भूमि के लिए बहुत हानिकारक है।''[11]

मनुष्य ने धरती से सभी सुख-साधन खूब प्राप्त किए, खूब उपभोग किया। स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते उसका पूरा ध्यान इस ओर ही रहा कि वह धरती से अधिक से अधिक प्राप्त कर ले। दूसरे शब्दों में कहें तो वह संसाधनों को चूस लेना चाहता है। लेकिन धरती के प्रति उसका कुछ कर्त्तव्य भी है, भविष्य में भी संसाधन बने रहे, यह उसकी जिम्मेदारी भी है, इस ओर उसने बिल्कुल सोचा ही नहीं। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, दहन, शोषण की वृत्ति और इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति का भी लेखिका ने चित्रण किया है। ''हमने धरती से पानी तो खूब लिया, मगर उसे जो देना था वह नहीं दिया। इस धरती पर हुए हमारे अत्याचार ही हमें आज इस दुर्दशा में डाले हुए हैं, फिर भी हम होश में नहीं आ रहे हैं। पहले धर्म को लेकर धर्म-युद्ध होते थे, फिर सीमा को लेकर तलवारें खिंचती थीं और अब देखना कुरैशी भाई, जल को लेकर प्रांतों के बीच युद्ध छिड़ेगा। ताज्जुब नहीं कि यह गृहयुद्ध एक दिन विश्व-महायुद्ध में बदल जाए।''[12]

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 'कुइयाँजान' उपन्यास में परम्परागत जल स्रोतों की उपेक्षा से गहराये जल संकट पर गंभीर विमर्श रचा गया है। उपन्यास के प्रारंभ में जहाँ स्थान-स्थान पर यह दर्शाया गया है कि परंपरागत जल स्रोत-तालाब, कुएँ, बावड़ी, ताल-तलैया आदि की उपेक्षा से जल के लिए संपूर्ण निर्भरता नलकूप पर हो गई है। कभी

बिजली नहीं है या वाटर वर्क्स के कर्मचारियों की हड़ताल हो गई है या पाइप लाइन में खराबी आ गई है, तो लोग बैठे जल की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। काम-काज ठप्प हो जाता है। उपन्यास के मध्य में जल संकट के लिए उत्तरदायी सभी कारणों पर विस्तार से विचार विमर्श, संगोष्ठी आदि होते हैं, वहीं दूशित जल से फैलने वाली बीमारियों व भविष्य की भयावह स्थिति का चित्र भी लेखिका खींचती है। उपन्यास के अंत तक लोगों में वर्षा जल संरक्षण की चेतना तथा कुदरत से दोस्ती की समझ दिखाकर समस्या से निपटने की राह की तरफ इशारा भी कर दिया है। "अगर कुदरत से इंसान दोस्ती रखे तो वह अपना पूरा सहयोग देती है। कठिन से कठिन काम अंजाम दिए जा सकते हैं।"[13] "कमाल ने जमाल खां के इस कदम को बहुत व्यावहारिक माना, जो उन्होंने ऊपर पड़ी लंबी-चौड़ी छत पर ढाल बनवा बरसात के पानी को जमा करने के लिए नीचे एक बड़ा हौज बनवाने की योजना रखी थी, जिसका पानी पेड़ों की सिंचाई और जरूरत से ज्यादा होने पर बाथरूम के फ्लश में प्रयोग किया जा सकता है।"[14]

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. नासिरा शर्मा, सं. 2017, कुइयाँजान, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 13
2. वही, पृ. 13
3. वही, पृ. 12
4. वही, पृ. 11
5. वही, पृ. 124
6. वही, पृ. 84
7. अनुपम मिश्र, सं. 1993, आज भी खरे हैं तालाब, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृ. 80
8. नासिरा शर्मा, सं. 2017 कुइयाँजान, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 103
9. वही, पृ. 83
10. वही, पृ. 83
11. वही, पृ. 85
12. वही, पृ. 84-85
13. वही, पृ. 308
14. वही, पृ. 357

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 7.0 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 41, Hindi Edition, Year-21, July- Dec. 2024

महिलाओं के राजनीतिक विकास एवं सशक्तिकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका का अध्ययन

• लोकेश कुमार शर्मा
•• रश्मि सोमवंशी

सारांश- महिलाओं के राजनीतिक विकास और सशक्तिकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। यह शोध और अध्ययन महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए कैसे योगदान कर सकती है, इस पर आधारित है। इस शोध पत्र में महिलाओं की भागीदारी, वर्तमान स्थिति, समस्याओं और महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक भविष्य का अध्ययन किया गया है। वर्तमान में महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण में सुधार हो रहा है। आज उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। महिलाओं के विकास में नवीन तकनीकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहायक सिद्ध हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)का उपयोग राजनीतिक व्यवस्थाओं में समाज में अन्याय और विषमताओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। आज हम विकसित राष्ट्र बनने का तथा विकास की दौड़ में आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। तब महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जाती है। क्योंकि जागरूक और सक्षम नारी के अभाव में विकसित राष्ट्र की संकल्पना संभव नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वाले तकनीकी और सांख्यिकीय उपकरणों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक और शिक्षित किया जा सकता है। जिससे उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलती है और वे निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग अनुसंधान और नीतियों के निर्माण में किया जा सकता है। जो महिलाओं के लिए समाज में उन्नति और समानता को बढ़ावा देते हैं। इससे समुदाय में बदलाव लाने में महिलाओं का समर्थन मिलता है। इन सभी तत्वों के मिलन से कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI) महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। जिससे समाज में समानता और न्याय की दिशा में प्रगति हो सकती है।

मुख्य शब्द- महिला, सशक्तिकरण, विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राजनीतिक, जागरूकता

• शोधार्थी, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी रोड, अलवर
•• शोध निर्देशिका, राजनीति विज्ञान विभाग, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी रोड, अलवर

प्रस्तावना- आज के इस समय में महिला विकास एवं सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है खास तौर से पिछड़े और प्रगतिशील देश में, क्योंकि उन्हें इस बात का काफी बाद में ज्ञान हुआ कि बिना महिलाओं की तरक्की और सशक्तिकरण के देश की तरक्की संभव नहीं है। इस शोध पत्र में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, वर्तमान स्थिति, समस्याओं और महिलाओं के राजनीतिक भविष्य का अध्ययन किया गया है। वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति वैसी नहीं है, जैसी 20 साल पहले थी। किसी भी राष्ट्र के उत्थान एवं समाज के विकास में नारी का विशेष योगदान होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए भी स्त्रियों में राजनीतिक विकास एवं सशक्तिकरण का होना अति आवश्यक है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अपवाद रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। संविधान में न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया है बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया गया है, जिसकी आज जरूरत भी है। आज हम विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखने तथा विकास की दौड़ में आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं तब महिलाओं के अंदर राजनीतिक विकास और सशक्तिकरण की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जाती है। क्योंकि जागरूक और सक्षम नारी के अभाव में विकसित श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। वर्तमान में महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण में सुधार हो रहा है। महिलाओं के विकास में नवीन तकनीकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायक सिद्ध हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग राजनीतिक व्यवस्थाओं में समझ में अन्याय और विषमताओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली तकनीकी और सांख्यिकी उपकरणों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक और शिक्षित किया जा सकता है। जिससे उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलती है और वह निर्णय लेने में सक्षम होती हैं।महिला **सशक्तिकरण का अर्थ-** महिलाओं की उस क्षमता से है जिससे उनमें भी योग्यता आ जाती हैं। जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सकती हैं। 8 मार्च को पूरे विश्व में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला' दिवस मनाया जाता है। सही मायने में महिला दिवस मनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब देश में महिलाओं की तरक्की और वह सशक्त बनेगी। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ– कृत्रिम बुद्धिमत्ताष का अर्थ है एक ऐसी बुद्धि जो मानव द्वारा बनाई गई हो, यानी कि यह बुद्धि मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई हो, विशेषत: तकनीकी, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी संबंधित हो सकती है। इसे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) भी कहा जा सकता है, जो कंप्यूटर या मशीनों द्वारा सिमुलेट की जाने वाली मानव बुद्धिमत्ता को दर्शाता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता- प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई। हालांकि आधुनिक युग में

कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए उन्हें वाधय है। उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है।

शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षाएं काफी पीछे हैं। हमारे देश में कई सारी महिलाओं को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है और अगर वह पढ़ती भी है तो उसे कक्षाओं के बाद ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक दूसरा मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है भारत में कई सारी क्षेत्र में महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान समाज है जहां पुरुष का हर क्षेत्र में दखल है और महिलाएं सिर्फ घर परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं साथ ही उन पर कई पाबंदियां भी होती हैं भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी केवल महिलाओं की है। मतलब पूरे देश के विकास के लिए आधी आबादी की जरूरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किये हमारा देश विकसित हो पाएगा। अगर हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो यह जरूरी है कि सरकार पुरुष और खुद महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था महिलाओं के उनके अपने परिवार द्वारा कई कर्म से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसाएं हुई। परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है।

पुरुष और पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक, राजनीतिक अधिकार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पूर्ण कार्यों के लिए अपनी आवाज उठाई। राजा राममोहन राय की लगातार कोशिशें की वजह से ही सती प्रथा को खत्म करने के लिए अंग्रेज मजबूर हुए, बाद में दूसरे भारतीय समाज सुधारकों ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद आदि ने महिला उत्थान के लिए आवाज उठाई और संघर्ष किया। भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी लगातार प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत करवाई।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं-

- सामाजिक मापदंड
- कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण
- लैंगिक भेदभाव
- भुगतान में असमानता
- अशिक्षा
- बाल विवाह

- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध
- कन्या भ्रूण हत्या
- राजनीतिक अधिकार अज्ञानता

सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के प्रयास- ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास नहीं हुए। हमारे देश में नारी शक्ति को बल देकर महिलाओं के उन्नयन के प्रयास बराबर जारी हैं और वर्तमान में इसके लिए नवीन तकनीकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग असरणीय सिद्ध हो रहा है। वर्तमान स्थिति में हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (3), 16 (2), 23, 39(क), 39(घ) एवं 42 के महिला अधिकारों को विविध स्तरों पर संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 73वां व 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों में उनके लिए आरक्षण का प्रदान किया गया है। अन्य पहलुओं के तहत अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959, प्रस्तुति प्रसुधा अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, सती निषेध अधिनियम 1987, दहेज निरोध कानून 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, यौन उत्पीड़न कानून 2012, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा बल देने हेतु कई योजनाओं जैसे जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाड़ली बेटी, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना, तेजस्विनी, योजनाओं का सफल संचालन कर रही है।

नारी को सशक्त बनाए बगैर हम मानवता को सशक्त नहीं बना सकते। संवेदना, करुणा, वात्सल्य, प्यार, स्नेह, सहनशीलता, विनम्रता, आदि नारी के वे गुण हैं जिनसे वह मानवता को और स्वीकार कर उसे संपूर्ण और सशक्त बना सकती है। इसके लिए यह जरूरी है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की सम्मानजनक एवं पर्याप्त हिस्सेदारी हो, उन्हें साक्षर व सशक्त बनाया जाए।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका-

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- महिला हेल्पलाइन योजना
- उज्ज्वला योजना
- महिला शक्ति केंद्र
- स्टेप योजना (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्लायड प्रोग्राम फॉर वूमेन)

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI) के प्रयोग का उद्देश्य- महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं और निर्णयों में सक्रिय भागीदार बनाना है। यह तकनीकी और विज्ञानिक उपायों का उपयोग करके महिलाओं को जानकारी, शिक्षा, और साक्षात्कार प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होता है।

पहुंच और जागरूकता- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी और पहुंच मिलती है। वे ऑनलाइन जान सकती हैं कि राजनीतिक मामलों में उनका क्या हक है, और कैसे वे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकती हैं।

संगठन और प्रभाव- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से महिलाओं को संगठित होने और राजनीतिक नेटवर्किंग में भाग लेने में मदद मिलती है। वे ऑनलाइन प्लेटफ़ार्म्स का उपयोग करके अपने विचारों को साझा कर सकती हैं और राजनीतिक दलों और संगठनों में शामिल हो सकती हैं।

प्रतिनिधित्व बढ़ाना- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से महिलाओं को अपने लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक सक्रिय होने में मदद मिलती है। वे डिजिटल कम्पेन्सेशन और डेटा विश्लेषण के माध्यम से अपने चुनावी अभियान को प्रबंधित कर सकती हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव ला सकती हैं।

नेतृत्व और न्याय- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में उनकी प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है। वे अपने समर्थकों के साथ संगठित हो सकती हैं और समाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक न्याय और समानता की प्राप्ति हो।

इन उद्देश्यों के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता महिलाओं को राजनीतिक दलों में अधिक सक्रिय होने और राजनीतिक प्रक्रियाओं में अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करने का माध्यम प्रदान कर सकती है।

महिला विकास एवं सशक्तिकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका –

- महिला विकास और सशक्तिकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग शामिल करती है ताकि महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता, समानता, और समर्थन प्राप्त करने में मदद मिल सके।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक सशक्तिकरण, और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक ट्रेनिंग, बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाया जा सकता है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।
- साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने और समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि महिला सुरक्षा, अवसरों का समान वितरण, और जेंडर बाधाओं के खिलाफ लड़ाई में।

इस प्रकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता महिला विकास और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है जो महिलाओं की समर्थन करती है और उन्हें समाज में अधिक अवसरों के लिए तैयार कर सकती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं- कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग में कुछ बाधाएं हो सकती हैं, जैसे–

सामाजिक मान्यता और स्थितियाँ- समाज में पुरुषों के सामाजिक स्थिति और महिलाओं के साथ उपलब्ध अवसरों में अंतर हो सकता है, जिससे महिलाओं के लिए पहुँच कठिन हो सकती है।

शैक्षिक अवसरों की कमी- कई समुदायों में महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसरों में अंतर हो सकता है, जिससे उनका विकास और स्वाधीनता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

वित्तीय आधिकारिकता- महिलाओं को वित्तीय आधिकारिकता प्राप्त करने में अधिक संकोच हो सकता है, जैसे कि वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थाओं में पहुँच प्राप्त करने में।

सामाजिक प्रतिक्रियाएँ और स्थानीय अभिव्यक्ति- कई समुदायों में महिलाओं के सामाजिक कार्यों या राजनीतिक अभिव्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया में अंतर हो सकता है, जो उनके सशक्तिकरण को बाधित कर सकता है। राजनीतिक संगठनों में अभावरू कुछ संगठनों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए मंच नहीं होते हैं जहां उनकी आवाज को सुना जा सके।

पुरानी सोच और बाधाएं- समाज में पुरानी सोच और स्थापित धार्मिक और सामाजिक धाराओं के कारण महिलाओं को राजनीतिक प्रवेश में प्रतिबंधित किया जाता है। इन बाधाओं को समझकर और इन्हें दूर करने के लिए नीतियों और समाजी बदलावों की आवश्यकता होती है ताकि महिलाएं अपनी पूरी पोटेंशियल से सशक्त हो सकें।

निष्कर्ष- महिलाओं के राजनीतिक विकास और सशक्तिकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। यह तकनीकी और विज्ञानिक उपायों का उपयोग करके महिलाओं को राजनीतिक अवसरों और संगठनों तक पहुँचने में मदद करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित तकनीकी प्रणालियों द्वारा जानकारी प्राप्ति, संगठना, संवादना और राजनीतिक योजनाओं के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। इससे न केवल महिलाओं का व्यक्तिगत समृद्धिकरण होता है, बल्कि समाज का समग्र विकास भी होता है, जिसमें सभी व्यक्ति समानता और न्याय के लिए एक साथ काम करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गुप्ता, कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण (2005), बुक एनक्लेव जयपुर, पृष्ठ संख्या (42)
2. जैमन, सुषमा, भारतीय समाज और महिलाएं (2009), साहित्यकार जयपुर, पृष्ठ संख्या (9)
3. शर्मा, प्रज्ञा, वूमेन इन इंडियन सोसाइटी (2011), पेंटर पब्लिशर्स जयपुर, पेज संख्या (162 से 165)
4. शर्मा, पी.डी. महिला सशक्तिकरण और नारीवाद (2017) रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली, पेज संख्या (14 से 25)
5. डॉ. जौहरी, ओजस्वी, महिला सशक्तिकरण (2018) कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, पेज संख्या (42)
6. डॉ. पारीक, अमित, महिला सशक्तिकरण भारत की नई तस्वीर(2017) विश्व भारती पब्लिकेशन, पेज संख्या (10 से 25)
7. क्राफोर्ड, कैट, ए.आई का एटलस, शक्ति राजनीति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैश्विक लागत (2011)

8. एस.एस. चंद्र, विनोद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग
9. गोडबोल अच्युत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मधुश्री पब्लिकेशन, नई दिल्ली

RNI No MP BIL 01034 / 12 / 1 / 2005 - TC
REGISTRAR OF NEWS PAPERS IN INDIA, GOVT. OF INDIA

Centre for Research Studies
Rewa-486001 (M.P.) India
Registered Under M.P. Society Registration Act,
1973, Reg. No. 1802, Year-1997
www.researchjournal.in

ISSN 0973-3914

Editor: Prof. Akhilesh Shukla, Published by Dr. Gayatri Shukla on behalf of Gayatri Publications, Rewa - 486001 (M.P.)
and Printed at Glory Offset Nagpur